

प्रशासन और विकास : वाई के अलघ

स्थानीय स्वशासन : एल.सी. जैन


शीर्ष लोक सेवा में प्रतिस्पर्धा : अरविंद पनगढ़िया एवं भगवती

ई-गवर्नेंस- राज्यों की रिपोर्ट कार्ड

जम्मू-कश्मीर में निवेश के अवसर

राष्ट्रीय विकास परिषद : विशेष रिपोर्ट

प्रशासनिक सुधार
और
ई- गवर्नेंस



बच्चों के लिए
विशेष रूप से
लिखी गई पुस्तक

वेदगाथा

वेदों और वैदिक काल के जीवन के बारे में सरल भाषा में रोचक ढंग से जानकारी देती है और दूर करती है इस धारणा को कि वेद मात्र विशिष्ट धर्मग्रंथ हैं और आज प्रासंगिक नहीं हैं। आशा है श्री अखिलेश झा की यह पुस्तक पाठकों में, विशेष रूप से बच्चों में, वेदों के प्रति रुचि तथा अधिक जानकारी प्राप्त करने की जिज्ञासा उत्पन्न करेगी।

लेखक : अखिलेश झा

पृष्ठ : 100

मूल्य (सजिल्द) : 120 रुपये

पुस्तक खरीदने और अन्य जानकारी के लिए संपर्क करें :

व्यापार प्रबंधक

प्रकाशन विभाग

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

सूचना भवन, सी.जी.ओ. काम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003;

फोन : 24365610 / 24365609 / 24367200

पुस्तक इन स्थानों पर भी उपलब्ध है :

विक्रय केंद्र : दिल्ली : सूचना भवन, सी.जी.ओ. काम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003; हॉल नं. 196, पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054; मुम्बई : कामर्स हाउस, करीम भाई रोड, बालार्ड पायर, मुम्बई-400038; कोलकाता : 8, एस्प्लेनेड ईस्ट, कोलकाता-700069; चेन्नई : 'ए' विंग, राजाजी भवन, बेसेंट नगर, चेन्नई-600090; तिरुवनंतपुरम : प्रेस रोड, निकट गवर्मेन्ट प्रेस, तिरुवनंतपुरम-695001; हैदराबाद : ब्लॉक 4, प्रथम तल, गृहकल्प काम्प्लेक्स, एम.जी. रोड, नामपल्ली, हैदराबाद-500001; बंगलौर : प्रथम तल, 'एफ' विंग, केंद्रीय सदन, कोरामंगला, बंगलौर-560034; पटना : बिहार राज्य सहकारी बैंक बिल्डिंग, अशोक राजपथ, पटना-800004; लखनऊ : हॉल नं.1, द्वितीय तल, केंद्रीय भवन, सेक्टर 8, अलीगंज, लखनऊ-226024; अहमदाबाद : अम्बिका काम्प्लेक्स, प्रथम तल, पालदी, अहमदाबाद-380007; गुवाहाटी : नौजान रोड, उजान बाजार, गुवाहाटी-781001

पुस्तक स्थानीय विक्रेताओं से भी प्राप्त की जा सकती है।



योजना

वर्ष : 49 अंक 5

अगस्त 2005 श्रावण-भाद्रपद, शक संवत 1927

कुल पृष्ठ : 92

प्रधान संपादक
अनुराग मिश्रा

संपादक
विश्व नाथ त्रिपाठी

सहायक संपादक
राकेशरेणु

संपादकीय कार्यालय

कमरा नं. 538, योजना भवन, संसद मार्ग,
नई दिल्ली-110 001

दूरभाष : 23096738, 23717910

23096666/2508, 2511

ई-मेल : yojana@techpilgrim.com

www.publicationsdivision.nic.in

a) dpd@nic.in

b) dpd@hub.nic.in

संयुक्त निदेशक (उत्पादन)

एन.सी. मजूमदार

व्यापार व्यवस्थापक (प्रसार एवं विज्ञापन)

जगदीश प्रसाद

दूरभाष : 26100207, 26105590

फैक्स : 26175516

आवरण - ऋत्विक्का मैत्रा

इस अंक में


| | | |
|---|--------------------------|----|
| ● संपादकीय | - | 3 |
| ● प्रशासन और विकास | वाई.के. अलघ | 5 |
| ● शीर्ष लोक सेवा में प्रतिस्पर्धा लाना | अरविंद पनगढ़िया भगवती | 13 |
| ● प्रशासनिक सुधारों पर चार अनुच्छेद | वाई.आर.के. रेड्डी | 19 |
| ● महामहिम के कलेक्टर के साथ नजीर साहब की लड़ाई | एल.सी. जैन | 25 |
| ● जरूरत सरकारी कर्मचारियों की मानसिकता में परिवर्तन की | हंसमुख अधिया | 27 |
| ● एक नये पथ का संधान | जोगिन्दर सिंह | 31 |
| ● सरकार में अभिनव सोच की जरूरत | संजय कोठारी | 33 |
| | राजेश बंसल | |
| ● स्वतंत्रता के बाद भारत में पंचायत व्यवस्था | देवेन्द्र उपाध्याय | 39 |
| ● सुशासन तथा ई-गवर्नेंस | आनन्द किशोर | 43 |
| ● आईएएस अधिकारियों का मूल्यांकन | - | 45 |
| ● हरियाणा में जमीनी स्तर पर प्रशासनिक सुधार | महीपाल | 47 |
| ● निर्धनों तक कैसे पहुंचें? आसान है, शुरुआत उनसे करें | एल.सी. जैन | 49 |
| ● राष्ट्रीय ध्वज की उत्पत्ति | एस.वी. तनेजा | 51 |
| ● झरोखा जम्मू-कश्मीर का | - | 57 |
| ● ई-गवर्नेंस रिपोर्ट कार्ड | समीर कोछड़ | 63 |
| | गुरशरण धंजल | |
| ● सतर्क दृष्टिकोण की आवश्यकता | श्रीकुमार राघवन | 70 |
| ● सरिता : महाराष्ट्र में ई-पंजीकरण के क्षेत्र में एक प्रयोग | - | 72 |
| ● सबसे अलग एक स्टॉल | सुधा एस. नंबूदरी | 74 |
| ● दुनिया के सुख-चैन पर साइबर का ग्रहण | अनन्त मित्तल | 75 |
| ● गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए | - | 80 |
| साइबर कानून में बदलाव जरूरी : प्रधानमंत्री | | |
| ● कृषि और वित्त क्षेत्र के लिए उपसमिति | - | 81 |
| ● विकास की राह पर | - | 82 |
| ● शोध यात्रा | - | 83 |
| ● खबरों में | - | 85 |
| ● भावनात्मक बुद्धिमत्ता दिलाती है सफलता | विजय प्रकाश श्रीवास्तव | 89 |
| ● पूर्वोत्तर समाचार | - | 90 |
| ● सच का संत्रास | गुरुचरण सिंह | 91 |

योजना हिन्दी के अतिरिक्त असमिया, बांग्ला, अंग्रेजी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, तमिल, उड़िया, पंजाबी, तेलुगु तथा उर्दू भाषाओं में भी प्रकाशित की जाती है। पत्रिका भंगवाने हेतु, नई सदस्यता, नवीकरण, पुराने अंकों की प्राप्ति एवं एजेंसी आदि के लिए मनीआर्डर/डिमांड ड्राफ्ट/पोस्टल आर्डर 'निदेशक, प्रकाशन विभाग' के नाम से बनवा कर निम्न पते पर भेजें :

व्यापार प्रबंधक (प्रसार एवं विज्ञापन), प्रकाशन विभाग, ईस्ट ब्लॉक IV, लेवल VII, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110 066 टेलीफोन : 26100207, 26105590

चंदे की दरें : वार्षिक : 70 रु. द्विवार्षिक : 135 रु.; त्रैवार्षिक : 190 रु.; विदेशों में वार्षिक दरें : पड़ोसी देश : 500 रु.; यूरोपीय एवं अन्य देश : 700 रु.

'योजना' में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। जरूरी नहीं कि ये लेखक भारत सरकार के जिन मंत्रालयों, विभागों अथवा संगठनों से संबद्ध हैं, उनका भी यही दृष्टिकोण हो। पत्रिका में प्रकाशित विज्ञापनों की विषयवस्तु के लिए 'योजना' उत्तरदायी नहीं है।



आपकी राय



गेंद हमारे पाले में

'योजना' का जल विशेषांक (जून 2005) पढ़ा। जल ही जीवन है, पर इस जीवन को मानव की कारगुजारियों ने दुष्कर बना दिया है। हालात इतने जटिल हो रहे हैं कि कहा जाने लगा है कि अगला विश्वयुद्ध जल के लिए होगा। इस बात में कितनी सच्चाई है यह तो भविष्य के गर्भ में है पर इसके लक्षण दिखने शुरू हो गए हैं। हमारे राज्यों के मध्य जल की लड़ाई अपना रौद्र रूप धारण कर चुकी है।

भारत की विडंबना यह है कि इसके कुछ राज्य जहां अल्पवर्षा से पीड़ित हैं वहीं कुछ राज्य अतिवर्षा (बाढ़) से। यानी दोनों के लिए जल पीड़ाकारक बन चुका है। ऐसे में नदियों को जोड़ने की परियोजना एक स्वागत योग्य कदम कही जा सकती है पर इस योजना के क्रियान्वयन में जितनी बाधाएं हैं वे संकेत कर रही हैं कि अभी इसमें देर है। लिहाजा आज आवश्यकता है जल प्रबंधन की। हमें जल का मूल्य समझना चाहिए। जल की बर्बादी रोकना, नदियों के प्रदूषण के प्रति समाज में जागृति लाना, वर्षा जल के भंडारण के लिए समुचित उपाय करना आज देश के हर जिम्मेवार नागरिक का कर्तव्य होना चाहिए।

गेंद हमारे पाले में है और हमें ही यह फेंसला करना है कि हम विश्वयुद्ध की जमीन पुख्ता करेंगे या फिर प्रकृति के अमृत को सहेजने की पहल करेंगे।

रोहित कुमार सिंह
कंकड़बाग, पटना

दिलचस्प मंथन

आज हर पहलू पर मंथन की जरूरत है चाहे वह पर्यावरण, पानी, वन तथा ऊर्जा स्रोतों के हास से संबंधित क्यों न हो। लेकिन जब मंथन निजी जीवन से संबंधित हो तो काफी दिलचस्प हो जाता है।

मैं 'योजना' एवं जियाउर रहमान जाफरी का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने लोगों को चरित्रवान बनने का संदेश दिया। इस तरह के लेख आने वाले अंक में भी प्रकाशित करें।

राजीव कुमार रंजन
मखनियां कुआं, पटना

क्या भारत सरकार की नौकरशाही हेगडे जैसे लोगों की बातों पर थोड़ा भी ध्यान दे सकती है और उसके नफे-नुकसान का आकलन कर सकती है? नदी जोड़ने की योजना में जो भारी धनराशि खर्च की जाएगी वह दीर्घकालीन परियोजना होनी चाहिए न कि अल्पकालीन; साथ ही बहुउद्देश्यीय भी। पिछले पांच वर्षों में बिहार में आई बाढ़ दो वर्षों में अलग क्षेत्रों में थी तो बाद के तीन वर्षों में कुछ नए क्षेत्रों में। इससे यह स्पष्ट है कि परियोजना सिर्फ बाढ़ पर केंद्रित नहीं होनी चाहिए।

लोगों को वन, नदियों तथा पानी की समस्या में अन्योन्याश्रय संबंध के बारे में जागरूक करना होगा।

मिथिलेश कुमार
छबिला नगर, पंडितपुर
छपरा (बिहार)

वन और पानी का अंतर्संबंध

जल प्रबंधन केंद्रित पर 'योजना' के जून, 2005 अंक में पांडुरंग हेगडे का लेख 'नदियों और वनों को जोड़ना' में वन और पानी के अंतर्संबंध के महत्व को स्पष्ट करता बड़ा ही ज्ञानवर्धक लेख लगा। वन और जल के अंतर्संबंध के द्वारा मानव की कई समस्यायें हल हो जाती हैं। अगर वन होंगे तो वर्षा अधिक होगी जिससे पीने के लिए जल तथा सिंचाई के लिए जल उपलब्ध रहेगा। भूमि का जलस्तर ठीक रहेगा। भूमि अपरदन थमेगा व बाढ़ नहीं आएगी। ग्लोबल वार्मिंग व जल प्रदूषण जैसी समस्यायें नहीं होंगी।

'शोधयात्रा' स्तंभ में धान की उन्नत किस्म (एचएमटी) विकसित करने वाले दादाजी रामजी के दृढ़ निश्चय व लगन का मैं कायल हो गया। सूचना प्रौद्योगिकी पर एन. रंगा रेड्डी का लेख व 'जहां चाह वहां राह' नामक स्तंभ में 'सुपारी के खेत में मान सरोवर' नामक लेख ज्ञानवर्धक ही नहीं, प्रेरक भी हैं।

सभी लेखकों व योजना परिवार को कोटि-कोटि साधुवाद!

हरिमोहन त्रिपाठी (टीपू)
कानपुर (उ.प्र.)

सार्थक प्रयास

'योजना' जून, 2005 का अंक हस्तगत हुआ। 'जलप्रबंधन' पर राष्ट्रपति ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के भाषण का संपादित अंश अत्यंत व्यावहारिक एवं तर्कपूर्ण लगा। 'जल ही जीवन है' की उक्ति से सभी परिचित हैं, फिर भी इसके क्षरण को रोकने के लिए धरातलीय कार्य नाममात्र का हो रहा है। आज गिनती के प्रदेशों को छोड़कर पूरे भारत में स्वच्छ पेयजल की कमी से सभी परिचित हैं, ऐसे में 'योजना' द्वारा जल प्रबंधन पर केंद्रित अंक एक सराहनीय कदम है। इस अंक में भारतीय अर्थव्यवस्था का चीन से 20 खरब डालर के व्यापार पर छपा सर्वेक्षण हमारी अर्थव्यवस्था की उन्नति की सूचना देता है। संपादकीय में जल के अस्तित्व को खतरे से बचाने के लिए भरपूर आशावादी समाधानों को चिन्हित किया गया है। इस अंक में जल-प्रबंधन संबंधी शोध एवं लेखों ने आम जनता का ध्यान जल की ओर खींचने का एक सार्थक प्रयास किया गया है।

अमित कुमार द्विवेदी
लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ (उ.प्र.)

वन, नदी और पानी का अन्योन्याश्रय संबंध

'योजना' के जल प्रबंधन के अंक में महामहिम राष्ट्रपति के व्याख्यान के संपादित अंश और इसी अंक में दक्कन हेराल्ड से पांडुरंग हेगडे का लिया गया लेख परस्पर विरोधाभासी हैं। मैं कलाम साहब की बातों से सहमत न होकर हेगडे की तथ्यों से पूर्ण सहमत हूँ। यह खाली लेख की बातें नहीं हैं, यथार्थ है। भारत सरकार की नीतियों में खामियों के पक्ष में जिस तरह के अकाट्य तर्क दिए गए हैं उससे उनके दिए सुझावों को नजर अंदाज नहीं किया जा सकता।

संपादकीय

नौ करशाही को चुस्त-दुरुस्त बनाए रखने के लिए उसका पुनर्गठन हर सरकार के एजेंडे का प्रमुख हिस्सा होता है। इसी दिशा में प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली संग्रग (संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन) सरकार ने पहल की है। मगर पिछले प्रयासों की तुलना में इस बार एक अंतर है। यह कोशिश उस शख्सियत के मार्गदर्शन में हो रही है जो खुद ही सरकार में विभिन्न ओहदों पर काम कर चुके हैं; इसकी कार्यप्रणाली से पूरी तरह वाकिफ हैं और ऐसे में मौजूदा व्यवस्था में बदलाव लाने का सबसे बेहतर माध्यम बन सकते हैं।

यह एक सर्वविदित तथ्य है कि मौजूदा सरकारी मशीनरी कारगर साबित नहीं हुई है। आर्थिक वृद्धि और सामाजिक न्याय के साथ विकास के प्रयास भी कुछ ही हद तक सफल हुए हैं। इसका कारण है अप्रभावी प्रशासनतंत्र जिसमें कार्यकुशलता और जवाबदेही का अभाव है। हालांकि व्यवस्था में सुधार लाने के अनेक प्रयास किए गए। अनेक समितियां बनीं और विशेषज्ञों ने परखा। मगर कोई ठोस नतीजा नहीं निकला।

विकास से जुड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन के दौरान ही आम आदमी रूबरू होता है सरकारी तंत्र से। मगर फायदा आम आदमी तक पहुंचे, इसके लिए एक कारगर, प्रभावी, जवाबदेह और पारदर्शी व्यवस्था का होना जरूरी है जो लोगों के प्रति संवेदनशील हो। सरकारी तंत्र में निचले स्तर के नौकरशाह ही सरकार के प्रतिनिधि के रूप में वाकई में काम करते हैं। जब रोजगार, काम के बदले अनाज, आवास और सफाई आदि से जुड़ी योजनाओं को अमल में लाना होता है तो जिले के ग्रामीण विकास पदाधिकारी पर ही जिम्मेदारी आती है। मगर जब प्रशासन में सुधार की बात आती है तो सारा ध्यान आला अफसरों पर ही केंद्रित रहता है; जो कुल संख्या का महज 10 फीसदी हिस्सा हैं। यानी कि बाकी बचे 90 फीसदी हिस्से पर जो कि नौकरशाही का निचला स्तर है; कोई ध्यान नहीं। अनेक प्रशासनिक सुधार आयोग बने, पर किसी ने नौकरशाही के निचले स्तर में सुधार पर गौर नहीं किया। केंद्र की संग्रग सरकार के लिए यह एक चुनौती है। इसे पूरा करने के लिए पंचायतीराज संस्थाओं को आगे लाना होगा। तभी रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक चलाया जा सकेगा। अभिप्राय ये कि योजनाओं को अमल में लाने के लिए सभी स्तरों पर संगठनात्मक ढांचे की समीक्षा जरूरी है।

योजनाओं के क्रियान्वयन से जुड़े अधिकारियों एवं कर्मचारियों को जवाबदेह बनाने के लिए विभिन्न स्तरों पर पुनर्गठन कर ऐसी व्यवस्था बनाने की जरूरत है जहां हर काम की जिम्मेदारी सुनिश्चित हो। यही नहीं, व्यक्तियों और संस्थाओं को एक दूसरे पर जिम्मेदारी थोपने से बचना चाहिए।

भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकना जरूरी है। भ्रष्ट अधिकारियों को सजा मिलनी ही चाहिए। यद्यपि इसमें सावधानी बरतने की जरूरत भी है। ऐसी ही हिदायत प्रधानमंत्री ने संसद में सूचना के अधिकार विधेयक, 2005 पर अपने भाषण के दौरान दी। उन्होंने कहा कि गलत इरादे से लिए गए फैसलों के दौरान हुई गलतियों के लिए एक ही मापदंड नहीं हो सकता। मौजूदा प्रणाली ऐसी है कि अगर किसी अधिकारी का एक भी फैसला गलत होता है तो उसका कैरियर खतरे में पड़ जाता है। खास तौर से व्यावसायिक फैसलों पर यह बात लागू होती है। इसलिए ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए जिसमें अधिकारी तकनीकी आधार पर कोई भी व्यावसायिक फैसला लेने से कतराएं। पिछले 90 से 95 सालों के दौरान हमारी अर्थव्यवस्था में काफी बदलाव आया है। सरकार ने कई क्षेत्रों में खुलेपन की नीति को बढ़ावा दिया है और नई विशेषज्ञता वाले क्षेत्र उभर कर सामने आए हैं। अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण के साथ-साथ नई नीतियां बनाना और भी जटिल होता जा रहा है। मसलन पेटेंट के मुद्दे पर, विश्व व्यापार संगठन से जुड़े विषयों पर, गहन अध्ययन और अनुसंधान के मुद्दों पर नीतियां बनाना दुश्वार होता जा रहा है। सवाल यह भी है कि क्या प्रशासनिक सेवाओं में ऊंचे पदों पर विशेषज्ञों को तैनात किया जाए? तो उत्तर यह होगा कि नौकरशाही में विभिन्न क्षेत्रों से सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को लाया जाए। ब्रिटेन और न्यूजीलैंड में भी भारत जैसी ही व्यवस्था थी; मगर अब वहां विभिन्न क्षेत्रों के जानकारों को नीति निर्धारण में शामिल कर प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार लाया गया है।

सुशासन सरकार के एजेंडे में सबसे ऊपर होना चाहिए। योजनाओं के सही क्रियान्वयन से ही हम गरीबी दूर कर सामाजिक न्याय के लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगे और आर्थिक विकास की राह पर अग्रसर हो सकेंगे। □

I.A.S./P.C.S. 2005

सर्वाधिक लोकप्रिय, अंकदायी एवं सशक्त विषय

उनके लिए - जो सिविल सेवा की तैयारी प्रारम्भ कर रहे हैं, और उनके लिए भी जो सुधार चाहते हैं।

दर्शनशास्त्र

द्वारा - धर्मेन्द्र कुमार

धर्मेन्द्र कुमार के विशेषज्ञतापूर्ण एवं सारगर्भित मार्गदर्शन में संस्थान ने अपनी स्थापना के पश्चात दर्शनशास्त्र को लेकर सिविल सेवा के क्षेत्र में लगातार सफलता के नवीन प्रतिमानों को स्थापित किया है तथा इसे एक सुरक्षित, विश्वसनीय एवं सर्वाधिक अंकदायी विषय के रूप में प्रतिष्ठित किया है।

दर्शन के बदलते स्वरूप को ध्यान में रखते हुए अब नये परिष्कृत एवं परिमार्जित अध्ययन सामग्री के साथ

कक्षा-कार्यक्रम

दर्शनशास्त्र

(तृतीय स्वतंत्र बैच)

प्रारम्भ - 1 अगस्त

(समय : 11.30 प्रातः)

निःशुल्क परिचर्चा के साथ कक्षा प्रारम्भ

नामांकन प्रारम्भ

पत्राचार-कार्यक्रम (दर्शनशास्त्र मुख्य परीक्षा)

- संस्थान दर्शनशास्त्र हेतु परिष्कृत एवं गुणात्मक दृष्टि से श्रेष्ठ अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराता है। जो अभ्यर्थी व्यस्तता, असमर्थता या किसी अन्य कठिनाई के कारण दिल्ली आकर कक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकते, वैसे अभ्यर्थी पत्राचार के माध्यम से इस सम्पूर्ण सामग्री को प्राप्त कर सकते हैं।
- इसमें वैसे सभी अध्यायों की भी समुचित एवं क्रमवार विवेचना की गई है जिस पर प्रमाणिक सामग्री सहजता से उपलब्ध नहीं है, जैसे-ईश्वर की धारणाएँ, ईश्वर विहीन धर्म, वैज्ञानिक मनोवृत्ति एवं प्रगति, पर्यावरण-दर्शन आदि।
- पत्राचार सामग्री को प्राप्त करने के लिए अपेक्षित राशि का दिल्ली में भुगतान योग्य बैंक ड्राफ्ट, "PATANJALI IAS CLASSES" के नाम भेजें।

'पतञ्जलि' संस्थान ने अपनी स्थापना के पश्चात दर्शनशास्त्र को लेकर सिविल सेवा के क्षेत्र में सफलता के नवीन प्रतिमानों को लगातार स्थापित किया है।

I.A.S. 2004 RESULTS

| | | | |
|---|---|---|--|
|  | SHALINI AGGARWAL (22nd RANK) <i>Shalini</i> (SIGNATURE) |  | VIKRANT PANDEY (63rd RANK) <i>Vikrant Pandey</i> (SIGNATURE) |
|  | DEEPAK KUMAR (150th RANK) <i>Deepak</i> SIGNATURE OF CANDIDATE |  | VACHASHPATI TRIPATHI (180th RANK) <i>vachashpati</i> (SIGNATURE) |
|  | SUKESH KUMAR JAIN (151st RANK) <i>Sukesh</i> प्रथम प्रयास SIGNATURE OF CANDIDATE |  | ANAND KUMAR (237th RANK) <i>Anand</i> प्रथम प्रयास |
|  | O. P. CHAUDHARY (153rd RANK) दर्शनशास्त्र के साथ प्रथम प्रयास <i>O. P. Chaudhary</i> SIGNATURE OF CANDIDATE |  | MAHESH KUMAR (321st RANK) <i>malesh</i> 16/9/04 |
|  | NISHTHA TIWARI (219th RANK) <i>Nishtha Tiwari</i> हस्ताक्षर (SIGNATURE) |  | डॉ० प्रदीप सिंह राजपुरोहित दर्शनशास्त्र विषय के साथ हिन्दी माध्यम (2003) में सर्वोच्च स्थान |
|  | AKHILESH KUMAR (361st RANK) <i>Akhilesh Kumar</i> हस्ताक्षर (SIGNATURE) |  | राजेश प्रधान (I.P.S.) देश भर में दर्शनशास्त्र में सर्वोच्च अंक |
|  | DARA SINGH MEENA (417th RANK) <i>Dara Singh Meena</i> हस्ताक्षर (SIGNATURE) |  | बिपिन कुमार मिश्रा दर्शनशास्त्र विषय के साथ UPPSC (2003) में सर्वोच्च स्थान |



PATANJALI

2580, हडसन लाईन, किंगजवे कैम्प, दिल्ली-110009

वेबसाइट : www.patanjaliiias.com, E-mail : pir@patanjaliias.com

फोन : 011-30966281

मोबाईल : 9810172345

सलाह, सहयोग, समर्थन-दर्शन प्रसार एवं अनुसंधान केन्द्र

YH/8/5/04

योजना, अगस्त 2005

प्रशासन और विकास

○ वाई.के. अलघ

हम लगभग उस स्थिति में पहुंच चुके हैं जहां प्रशासन का कोई औचित्य नहीं जान पड़ता। लेकिन दीर्घावधि में इस तरह के अकादमिक आलेखों में निहित सक्रियता, जो प्रायः क्रियोन्मुख नहीं होती, ही संभवतः एकमात्र उत्तर बच रहती है

भारतीय राजीतिक व्यवस्था तथा लोक सेवा ने हमें कुछ बेहद उत्कृष्ट लोग दिया है। इनमें साहित्यकार, कलाकार और इतिहासकार रहे हैं। उन्होंने हरित क्रांतियों की परिकल्पना की और उन्हें क्रियान्वित किया, स्वास्थ्य, शिक्षा और साक्षरता के क्षेत्र में उत्कृष्ट विचार दिए। उन्होंने जनजातियों तथा दलितों की रक्षा की, उनकी आंखों में सपने भरे और उनकी लड़ाई लड़ी। उन्होंने सार्वजनिक व्यवस्था के लिए वित्त व्यवस्था, उसकी निगरानी तथा लेखा परीक्षा की नवीन अवधारणाएं विकसित की। उन्होंने वैज्ञानिक और कृषि संबंधी शोधों को त्वरा प्रदान की। उन्होंने राष्ट्र का वैश्विक कार्यक्रम तैयार किया एवं उसका अनुगमन किया। उन्होंने स्वाधीनता संग्राम से विरासत में हासिल बहुधार्मिक और बहुजातीय समाज के सपने का अनुशरण किया। इसके लिए उन्होंने जनतांत्रिक और सम्मिलनकारी आधार को मजबूत बनाया तथा हिंसा के द्वारा इन्हें नष्ट करने पर आमदा शक्तियों के विरुद्ध संघर्ष किया। वे भारत की शासन व्यवस्था के शीर्ष पर बैठे ऐसे स्त्री-पुरुष थे जो सार्वजनिक धन के पाई-पाई के उपयोग को लेकर सतर्क थे। इन लोगों की तसवीर कभी भी सरकारी खर्च पर समाचारपत्रों में नहीं छपी और इनमें से कई तो उपेक्षा के कारण मर गए। लेकिन वे अपवाद थे, नियम नहीं।

जो भी समस्या में गिना रहा हूं, उनके बारे में पूरी सत्यनिष्ठा से कह सकता हूं कि उनका निराकरण करने वाली अपवाद संस्थाओं और व्यक्तियों को मैं जानता हूं लेकिन वे अपवाद हैं, नियम नहीं। इसका जो दूसरा पहलू है, कठिनाई वहां है...

किसी शोध में प्रशासन की प्रमुख प्रवृत्तियों का अनुमान लगाया जा सकता है। इसकी कुछ अनुमानित रेखाएं ये हो सकती हैं:

- सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से सेवाएं देना समाप्त करने पर प्रशासन को आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रों के क्रिया-कलाप के लिए नियामक संरचना की स्थापना करने प्रोत्साहन तथा गैर-प्रोत्साहन तंत्र और वित्तीय संरचना तैयार करने की जरूरत पड़ेगी ताकि सरकार की विकेंद्रीकृत, स्थानीय संस्थाएं, सहकारिताएं स्वयंसेवी संगठन तथा इन संगठनों के नवीन मिश्रित स्वरूप वाली संस्थाएं काम कर सकें।
- जल, उर्वर भूमि तथा ऊर्जा जैसे गैर-नवीकरण योग्य संसाधनों का अभाव बढ़ेगा तथा उनकी निरंतरता बनाए रखने की चिंता विकराल होगी।
- परिणामस्वरूप निर्णय में भागीदारी सहित व्यक्तियों तथा समूहों के अधिकारियों से सरकारी शक्ति के प्रयोग में और अधिक सफाई तथा आत्मनियंत्रण अपेक्षित होगा।

● कमजोर समुदायों, चाहे वे ऐतिहासिक रूप से उपेक्षित हों अथवा बाजारीकरण के शिकार, के संरक्षण की मांग की जाएगी। महिलाओं, बच्चों, अल्प संख्यकों, आदिवासियों, मानसिक तथा शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के मानवाधिकारों को लेकर चिंताएं बढ़ेंगी।

● आधुनिक प्रौद्योगिकी को उभरते अभावों अथवा समस्याओं का ज्ञान आधारित समाधान प्रदान करने वाली प्रविधि के रूप में देखा जाएगा। इस तरह, सूचना प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, प्रणालीगत नेटवर्किंग, नवीन सामग्रियों और रणनीतिक प्रबंधन अनुक्रियाओं का उपयोग बढ़ेगा।

● विचारवान समूहों के राजनीतिक विभाजनों से उत्पन्न तनाव के कारण सुरक्षा चिंताएं बढ़ेंगी तथा ऊर्जा-सुरक्षा, भोजन और जल सुरक्षा के बारे में संस्थानिक उपाय करने की जरूरत महसूस होगी।

आइए इन पर थोड़े विस्तार से चर्चा करें:

राज्य की बदलती आर्थिक भूमिका

भारत में सुधार की प्रक्रिया आठवें दशक के मध्य में आरंभ हुई। पहले चरण में मूल्य नियंत्रण समाप्त किया गया तथा निवेश और विदेशी विनिमय पर नियंत्रण में ढील दी गई। इनके बदले दर और कर नीतियां लागू की गईं। मात्रात्मक नियंत्रण के स्थान पर वित्तीय

प्रणाली के लिए गठित नरसिंह समिति ने इसका स्वरूप निर्धारित किया। इस समिति का मैं भी एक सदस्य था। इसमें घरेलू सुधार और भारतीय उद्योग को वैश्विक स्पर्धा के योग्य बनाने पर जोर था। लेकिन उद्योगों में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए उनमें भेद बरता गया। बड़े पैमाने पर रोजगार देने वाला उत्पादन बढ़ाना अभी भी एक उद्देश्य था। साथ ही, कुशल भारतीय उद्योगों को समान अवसर प्रदान करना भी एक ध्येय था। इसके लिए अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा लाई गई। सीमेंट, एलुमीनियम, स्टील तथा अनेक अन्य उद्योगों को नियंत्रण मुक्त कर दिया गया और आयात लाइसेंस में ढील दी गई। लेकिन दरें ऊंची और भेदभाव पूर्ण थीं तथा विलासिता की वस्तुओं पर कराधान की तथाकथित 'अमानवीय' नीति लागू थी। नब्बे के दशक में ब्रेटनवुड्स संस्थान सरीखा अधिक सामान्य आर्थिक सुधार लागू किया गया। चालू खाते पर विनियम दरों को बाजार की ताकतों पर छोड़ दिया गया, उत्पादन तथा माध्यमिक वस्तुओं पर आयात नियंत्रण को काफी हद तक समाप्त कर दिया गया, दरों का मानकीकरण किया गया तथा औसत स्तर को नीचे ले आया गया। क्षेत्रवाद औद्योगिक निवेश संबंधी नीति, एमआरटीपी नियंत्रण तथा विदेशी विनियम अधिनियम के अंतर्गत आनेवाली कंपनियों पर नियंत्रण की नीति को या तो ढीला कर दिया गया अथवा समाप्त कर दिया गया। औद्योगिक तथा बुनियादी ढांचागत क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश को काफी कम कर दिया गया। सार्वजनिक क्षेत्र की चुनी हुई कंपनियों का पुनर्गठन कर उनके निजीकरण की पूर्व की एक नीति को विनिवेश की एक आम नीति में बदल दिया गया। आरंभ में मुनाफा कमाने वाले सार्वजनिक उद्यमों को निजी क्षेत्र को बेचने पर जोर दिया गया ताकि सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई को खरीदने की आरंभिक हिचकिचाहट से बचा जा सके।

लेकिन राज्य की रणनीतिक भूमिका का त्याग गलत है। मेरी मान्यता है कि बाजारीकरण की प्रवृत्ति सही है। उदारीकरण की प्रक्रिया

अब अपने अंतिम चरण में है। 1998 से भारत ने पूरी तरह विश्व व्यापार व्यवस्था को लागू कर दिया है तथा नौवीं और दसवीं योजना वित्तीय विनियमों को समाप्त करने एवं चरणबद्ध रूप से पूंजीगत खाता परिवर्तनीयता लाने के प्रति प्रतिबद्ध है। प्रशासन के मुद्दे अब भिन्न हैं।

यह एक रोचक तथ्य है कि सफल उदाहरणों तथा उनसे जुड़े सिद्धांतों की चर्चा करने के क्रम में स्टिंगलित्ज़ अब पोलैंड और चीन का उल्लेख करता है जबकि नब्बे के दशक के आरंभ में यह भारत का हवाला भी देता था। नब्बे के दशक के उत्तरार्ध में तथा मौजूदा दशक के आरंभिक वर्षों के दौरान दुनियाभर

उदारीकरण की प्रक्रिया अब अपने अंतिम चरण में है। 1998 से भारत ने पूरी तरह विश्व व्यापार व्यवस्था को लागू कर दिया है तथा नौवीं और दसवीं योजना वित्तीय विनियमों को समाप्त करने एवं चरणबद्ध रूप से पूंजीगत खाता परिवर्तनीयता लाने के प्रति प्रतिबद्ध है। प्रशासन के मुद्दे अब भिन्न हैं

की पत्रिकाओं में भारतीय अर्थशास्त्रियों के आलेख छपते रहे हैं लेकिन उनमें एक विश्लेषक की दृष्टि से भारत के अनुभव का परिदृश्य नहीं मिलता। निश्चित रूप से यह ज्ञान के नजरिये से दुर्भाग्यपूर्ण है, खासकर तब जब हम जानते हैं कि ज्ञान विकास का स्रोत होता है और उसके व्यावहारिक परिणाम भी होते हैं।

सुविधा प्रदाता, न्यायकर्ता और सुधारकर्ता के रूप में भारत में राज्य की प्रत्यक्ष आर्थिक भूमिका की वापसी की अनुगामी गत शताब्दी के आठवें दशक में प्रकल्पित विकेंद्रीकरण की सतर्क नीति थी। इसके अनुरूप सरकार के तीसरे स्तर के रूप में बुनियादी ढांचागत

और औद्योगिक क्षेत्र के लिए नियामक निकाय स्थापित किए जा चुके थे और भूमि, जल, ग्रामीण गतिविधियों तथा सामाजिक बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में स्वयंसेवी संगठनों तथा सहकारिताओं का उदय हो चुका था।

रक्षकों की रक्षा कौन करे?

जहां तक नियामक निकायों का संबंध है, हाल ही में भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज के प्रिंसिपल के नेतृत्व में एक समूह में इन पर धावा बोल दिया है। विशेषज्ञ अर्थशास्त्री डॉ. एस.एल. राव की अध्यक्षता वाले केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग ने सार्वजनिक बहस के लिए गुणवत्तायुक्त पेशेवर अध्ययनों को जारी किया। इनमें दर निर्धारण के सिद्धांतों पर भी एक आलेख था। लेकिन उसके बाद से इस पर कोई भी उल्लेखनीय काम नहीं हुआ है और सच तो यह है कि अनेक राज्यस्तरीय आयोगों ने काफी हद तक अपारदर्शी तरीके से काम किया है। इन निकायों के गठन और उनके लिए कर्मियों के समूचे प्रश्न को ही चर्चा का विषय बना दिया गया है। इस संदर्भ में मैं निजी हस्तक्षेप की इजाजत चाहूंगा। बिजली मंत्री के रूप में मुझे जिस बात के लिए सबसे अधिक दबाव झेलना पड़ा, वह नियुक्तियों को लेकर था। अपने सचिव के साथ मिलकर मैंने योजना आयोग के सदस्य एम.एन. श्रीनिवासन को बिजली क्षेत्र में वरिष्ठ नियुक्तियों के लिए मंत्री की परामर्शदात्री समिति का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। श्री श्रीनिवासन आण्विक ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष रह चुके थे। उस दौरान नियुक्त व्यक्तियों ने न्यूनतम लागत पर बिजली उत्पादन तथा वितरण क्षमता बढ़ाने की कुछ सर्वाधिक बड़ी परियोजनाओं को अंजाम दिया। नियुक्ति की यह पारदर्शी प्रविधि सीईआरसी अधिनियम की काफी जांच-पड़ताल के बाद मैंने अगस्त 1997 में संसद में प्रस्तुत की लेकिन मुझे बताया गया है कि बाद में कानून बनाकर इस प्रावधान को हटा दिया गया है। इस तरह की नियुक्तियों की अध्यक्षता अब पुनः राजनीतिक व्यक्ति करने लगे हैं। कुछ मामले तो ऐसे भी हैं जहां सरकार के सचिव खुलेआम सेवानिवृत्ति

के उपरांत इस तरह की नियुक्ति के लिए प्रयासरत रहते हैं। इसके नियमों का प्रबंधन निश्चय ही बेहद महत्वपूर्ण है और उसपर खुलेआम और पारदर्शिता के साथ चर्चा की जानी चाहिए। उच्चतर लोक सेवा परीक्षा और प्रशिक्षण सुधार की जिस समिति का मैं अध्यक्ष था उसका यह भी मानना था कि लोक सेवा की परीक्षा और प्रशिक्षण में सुधार के अलावा उसका प्रबंधन बेहद महत्वपूर्ण है।

भूमि और जल

विकेंद्रीकरण का मुद्दा भिन्न किस्म का है। राज्य नीति की प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि स्थानीय और वैश्विक महत्व के प्रमुख मामलों में अपनी सहायता स्वयं करने वालों को मदद दी जाए। दसवीं योजना बनाने के क्रम में लक्ष्य निर्धारित करते समय पता चला कि भूमि और जल के अंतर्ग्रथित क्षेत्र में निष्पादन काफी पीछे रहा है। खाद्य सुरक्षा एवं रोजगार तथा ऊर्जा पर्याप्तता के क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर नागरिक प्रबंधन और संगठन के मुद्दे क्या हैं? (देखें वाई.के. अलघ, 2002)

स्थानीय, राष्ट्रीय तथा वैश्विक नियम

समस्याओं की एक वजह यह है कि मौजूदा कानूनी और प्रशासनिक प्रणाली तथा वित्तीय नियम सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के औपचारिक संगठनों के अनुरूप बनाए गए हैं। इनमें सहकारिताओं और निगमों, स्वयंसेवी संगठन और सरकार, स्वयंसेवी संगठन और सहकारिताएं जैसी नवीन संगठनात्मक शैलियों तथा रणनीतिक तालमेल वाली संस्थाओं के लिए समुचित स्थान नहीं है। हाल ही में सहकारिताओं के निगमीकरण के लिए विधेयक पर उच्चस्तरीय समिति की रिपोर्ट के आधार पर संसद ने सहकारिताओं को कंपनियों की तरह पंजीकृत करने की अनुमति देने वाला एक विधेयक पारित किया है (दूसरा कंपनी संशोधन अधिनियम, 2002)। इस तरह की अभिनव दृष्टि दुर्लभ होती है। और उदाहरण के लिए, घाटे वाली सब्सिडीयुक्त बिजली व्यवस्था पुनर्नवीकरण योग्य बिजली की कीमत कम कर सकती है और उसे बाजार से निकाल बाहर कर सकती है। सुधार की

दीर्घावधि समस्या यह है कि स्थापित समूहों को दी गई सब्सिडी और सुरक्षा एक समान होनी चाहिए।

इस तरह के विकास की संरचना अथवा प्रोत्साहन देने और वापस लेने की प्रणाली नीति निर्माण के विभिन्न स्तरों पर अनुपूरकों के वर्गीकृत विवरणों के साथ आरंभ होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, यह उल्लेख हो कि किसी भी स्तर पर निर्धारित राशि से अधिक खर्च नहीं किया जा सकता। धन इकट्ठा करने के लिए उच्च स्तर पर नीतियों में परिवर्तन अपेक्षित होगा। उदाहरणार्थ, न्यूयॉर्क के नागरिक निकायों का कर मुक्त बांड खरीदना आसान है, लेकिन विकासशील देशों में स्थानीय निकायों के बांड बाजार में लाने की ओर बहुत कम ध्यान दिया गया है। ऐसा करने के लिए वित्तीय सुधार की जरूरत पड़ेगी। अपवाद स्वरूप इस दिशा में अहमदाबाद नगर निगम द्वारा जारी एक बड़े, सरकार की गारंटी रहित बांड का उदाहरण लिया जा सकता है। ये मुद्दे महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि सरकार के पास पैसे नहीं हैं।

जोर देकर कहना होगा कि किसी भी ऋण पुनर्योजन रणनीति को स्थानीय वित्त के

पुनर्योजन से जोड़ना जरूरी है। भूमि, जल तथा शहरी विकास को समर्थन देने के लिए पिछले बजट में शामिल अच्छे कार्यक्रमों को तथा ढांचागत निवेश के लिए विनिमय रिजर्व को सार्वजनिक निजी साझेदारी के रूप में प्रयुक्त करने के योजना आयोग के विचार को राज्य तथा स्थानीय शासन और वित्त से जोड़ना अपरिहार्य है। यहां काफी धन की जरूरत है। अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां अब स्थानीय कार्यक्रमों के लिए ऋण देने लगी हैं। हमें नवीन वैश्विक नीतियों का अध्ययन कर उन्हें स्थानीय वित्त से जोड़ना चाहिए।

आखिरी तीन समस्याएं यह रेखांकित करती हैं कि सुधार-प्रक्रिया में पर्याप्त गहराई होनी चाहिए। तभी भूमि और जल आधारित निर्धनता का निराकरण और विकास हो सकेगा। इसके लिए प्रशासनिक और विधायी प्रावधानों की आवश्यकता होगी।

इस तरह का विकास उच्च उत्पादन, आय, रोजगार तथा व्यापार स्तरों के साथ बेहतर तारतम्य बना पाता है। पानी के बेहतर प्रबंधन से फसल विविधीकरण संभव हो पाता है। इसका रूढ़ क्रम यह है कि कम उपज वाले घटिया अनाज का स्थान उच्च उपज वाली

| वर्ष 2004 के लिए लक्ष्य | |
|------------------------------|--|
| जनसंख्या | : 133 करोड़ |
| शहरी जनसंख्या | : न्यूनतम 46.5 करोड़ अधिकतम 59 करोड़ |
| झुग्गी-झोपड़ी की जनसंख्या | : न्यूनतम 8.5 करोड़ अधिकतम 13 करोड़ |
| टोस कचरा निबटान | : 10 से 11 करोड़ टन |
| उत्पादन के लिए कोयले की मांग | : न्यूनतम 81.7 करोड़ टन अधिकतम 201.6 करोड़ टन |
| फसल घनत्व | : 1.5 से अधिक |
| बुवाई वाला शुद्ध क्षेत्र | : नब्बे के दशक से 14.1 करोड़ हेक्टेयर पर स्थिर |
| सिंचाई घनत्व | : लगभग 1.75 |
| पानी की कमी | : वर्ष 2020-50 के बीच करीब 10-25 प्रतिशत |
| ध्वनि प्रदूषण | : अनुमानित मानदंडों का दो से ढाई गुना। |

स्रोत : वाई.के. अलघ, यूएनयू/आईएस 2000

व्यावसायिक फसल अथवा पेड़ ले लें। भारतीय संदर्भ में पूर्व एशियाई संकट के कारण मांग में कटौती दर्ज की गई। एक हाल का उदाहरण से पहले विनिमय दर में सुधार के परिणामस्वरूप कृषिगत निर्यात में उच्च विकास दर्ज की गई। एक हाल का उदाहरण यह है कि जिलों का गैरपारंपरिक विकास भूमि और जल विकास के चरण से गुजर चुका है। लेकिन ऐसे नीतिगत अनुपूरकों की योजना बनानी होगी।

यहां ऐसी प्रणालियों की जरूरत है जो क्षेत्रोन्मुखी विकास को चुस्त बना सके। ये प्रणालियां सतत रूप से सांगठनिक, विधायी और वित्तीय प्रणाली की जरूरतों का आकलन करें। कहा जा सकता है कि ऐसी आवश्यकता तो हमेशा से रही है। लेकिन आज दबाव इस बात को लेकर है कि इस प्रक्रिया में नागरिक समाज को शामिल किया जाए। इससे ज्ञान संबंधी अपेक्षाओं के नेटवर्किंग की जरूरत और तीव्र हो जाती है। इस चरण में संचार-सामर्थ्य तथा अधिक दुरुह लक्ष्यों का संधान करने की ऊर्जा की भी जरूरत पड़ेगी। **राज्य और गैरनवीकरण योग्य संसाधनों का अभाव**

सतत विकास संरचना संबंधी अध्ययन में प्राप्त संदिग्ध विषयों से आरंभ करना उचित होगा। 'सामान्य कार्यव्यापार परिदृश्य' से परिवर्तनशील परिणाम प्राप्त होते हैं।

यह तर्क दिया जाता है कि प्रमुख पर्यावरणीय चिंताओं के विभिन्न संकेतकों का प्रकट विखंडन स्वयं आत्मसाक्ष्य हैं। 10 करोड़ टन ठोस कचरा, लगभग 10 करोड़ झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों की आबादीपानी का भारी अभाव तथा चिंताजनक वायु एवं ध्वनि प्रदूषण ये सभी आत्मसाक्ष्य ही तो हैं। घटिया किस्म का कोयला जलाने से पर्यावरण को होने वाली गंभीर क्षति देश में ऊर्जा की चिंताजनक स्थिति को रेखांकित करती है। इससे वैश्विक तथा राष्ट्रीय दोनों ही स्तरों पर अनियंत्रित उपभोक्तावादी मार्ग का अनुगमन करने के खतरे भी उजागर होते हैं। (वाई.के. अलघ, यूएनयू/आईएस, 2000)

प्रौद्योगिकी तथा उत्पादक जनप्रणाली प्रबंधन

भारतीय अर्थव्यवस्था न केवल तेजी से विकास कर रही है बल्कि इसमें विविधता भी आ रही है। उदाहरण के लिए, कुल श्रम शक्ति में कृषि क्षेत्र का प्रतिशत अब कम होकर 53 प्रतिशत रह गया है। लेकिन शहरीकरण के विकेंद्रीकृत रूप को बढ़ावा देना होगा। इन सबकी वजह से परिवहन, ऊर्जा, कचरा निबटान तथा शहरी नियोजन के क्षेत्र में नवीन चुनौतियां उत्पन्न होंगी। भारत में हालांकि शहरीकरण की प्रवृत्ति उल्लेखनीय रूप से विकेंद्रीकृत है। यहां बहुत छोटी शहरी बस्तियों

धन इकट्ठा करने के लिए उच्च स्तर पर नीतियों में परिवर्तन अपेक्षित होगा। उदाहरणार्थ, न्यूयॉर्क के नागरिक निकायों का करमुक्त बांड खरीदना आसान है, लेकिन विकासशील देशों में स्थानीय निकायों के बांड बाजार में लाने की ओर बहुत कम ध्यान दिया गया है। अपवाद स्वरूप इस दिशा में अहमदाबाद नगर निगम द्वारा जारी एक बड़े, सरकार की गारंटी रहित बांड का उदाहरण लिया जा सकता है। ये मुद्दे महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि सरकार के पास पैसे नहीं हैं

का विकास नहीं हो रहा, लेकिन वर्ग-1 के शहरों में छोटे शहरों का हिस्सा अधिक (100.000+) है। शहरीकरण को विकेंद्रीकरण तथा केंद्रीकरण दोनों ही तरह की शक्तियों का हासिल माना गया है। आठवें दशक में जहां शहरों की विकासदर 3.8 प्रतिशत से कम होकर 3.12 प्रतिशत हो गई थी, वहीं-वर्ग 1 के शहरों का विकास 6.39 प्रतिशत से बढ़कर 8.39 प्रतिशत की दर से

दर्ज किया गया था। माना जा सकता है कि यह प्रवृत्ति जारी रहेगी।

पसंदीदा प्रारूप में शहरीकरण की प्रवृत्ति अबाध रूप से बनी हुई है। इसमें बड़े नगरों के इर्द गिर्द उपनगर भी हैं। नीति को केवल ग्रामीण उत्पादन तथा रोजगार पर ही केंद्रित नहीं होना चाहिए। वस्तुतः भारत जैसी गतिशील अर्थव्यवस्था में गांव और छोटे शहरों अथवा कस्बों में फर्क करना नुकसानदेह साबित हो सकता है। कृषि के इर्द-गिर्द समृद्धि का वृत्त बनाने की नीति ज्यादा सकारात्मक दृष्टि वाली होगी। भारत में इस तरह की भरी और वास्तविक संभावनाएं हैं। इस मकसद के अनुरूप परिवहन, भू-उपयोग, बुनियादी ढांचा तथा प्रौद्योगिकी वितरण नीतियों को दिशा दी जा सकती है। वस्तुतः यह ज्यादा सतत साबित होगा। वर्ग-1 के छोटे नगरों में दस लाख से ऊपर की आबादी वाले नगरों की तुलना में झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाली आबादी 25 से 40 प्रतिशत कम है।

तीव्र और विकेंद्रीकृत शहरी विकास के संदर्भ में जनप्रबंधन का महत्व इतना प्रकट है कि उसकी व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं जान पड़ती। प्रौद्योगिकी की जानकारी, प्रणालियों के अंतर्संबंध, विकेंद्रीकृत नियोजन, आत्मनिर्भर संस्थान जो उत्पादक तरीके से प्रणालियों का निर्माण और संचालन कर सकें, इन सब पर चर्चा की जा चुकी है लेकिन अमल के लिहाज से अब तक केवल शुरुआत भर हो पाई है। अगले चरण में ये बड़ी चुनौतियां बनने वाली हैं। संसाधनों का उत्पादक तरीके से विकास और उपयोग इन सबकी केंद्रीय वस्तु होगी।

मौजूदा राष्ट्रीय सुरक्षा तथा अन्य दीर्घावधि उद्देश्यों के लिए पूर्व की भांति एक मिशन के रूप में प्रौद्योगिकीय आत्मनिर्भरता की आवश्यकता बनी रहेगी। अतीत में हमने देखा कि परम सुपर कंप्यूटर के विकास के फलस्वरूप भारत को सुपर कंप्यूटरों के निर्यात पर लगे प्रतिबंध वापस ले लिए गए। हाल ही में आप्ठिक ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष ने यह बताया किया कि भारत पर लगे प्रतिबंधों की

वजह से आण्विक ऊर्जा के क्षेत्र में देश अधिक आत्मनिर्भर हुआ है। इस तरह प्रौद्योगिकी तक प्रतिबंधित पहुंच के इस दौर में कुछ मिशनउन्मुखी प्रयास आवश्यक हैं। भारत में यूरेनियम के भंडार चूंकि सीमित हैं और थोरियम के भंडार प्रचुर, इसलिए ऊर्जा के दीर्घावधि समाधान के रूप में त्वरित उत्पादन मट्टी वाले आण्विक विद्युत केंद्र जैसी परियोजना महत्वपूर्ण हो गई है। यह न केवल थोरियम-आधारित आण्विक ईंधन चक्र को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम है, बल्कि तुलनात्मक रूप से सस्ता और बिजली का प्रचुर स्रोत भी है।

यह कहना बचकानी उम्मीद से भरा होगा कि वित्तीय तथा वास्तविक संसाधन लागत को कम करने वाली नवीन प्रौद्योगिकी आरंभ करने, उपभोक्ता अनुकूल नवीन उत्पाद लाने और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने वाली नीतियां लागू की जा चुकी हैं। शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अभी काफी कुछ किया जाना है। लागत घटाने वाली प्रौद्योगिकी तथा नवीन उत्पादों को राहत पहुंचाने वाले अस्थायी वित्तीय और मौद्रिक उपायों को और अधिक समर्थन दिया जाना चाहिए। इन सबको संभव बनाने वाले मानदंड कायम करने, गुणवत्ता लागू करने तथा संगठनात्मक सुधार की बृहत्तर स्तर पर जरूरत है। वैज्ञानिक संस्थापना को इन मुद्दों पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। सूचना और सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में हासिल उपलब्धियां सुज्ञात हैं। इनके निर्यात की विकास दर 60 प्रतिशत रही है जो मंदी के इस वर्ष में भी 25 प्रतिशत है। हाल ही में जापान के एक अध्ययन में बताया गया है कि प्रौद्योगिकी की दृष्टि से विश्व की 25 शीर्ष कंपनियों में से 18 भारत की हैं तथा यह देश दुनिया के 500 फॉर्चून कंपनियों की सॉफ्टवेयर संबंधी जरूरतों में से एक तिहाई की आपूर्ति करता है। यह मजाक का विषय नहीं है। प्रौद्योगिकी पर ओएसडी-एबीडी की एक बैठक में, जिसमें मुझे बोलने के लिए बुलाया गया था, पेरिस में भारत को वैश्विक डिजीटल विभेद के एकमात्र अपवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया था।

(सातवां ओएसडी-एबीडी एशियाफोरम, स्टूडेंट, जून 2001)

नौकरी के लिए प्रौद्योगिकी चालकों का प्रबंधन : जनसमर्थन प्रणाली

बीते डेढ़ दशक के दौरान आयोजित शोधों में यह तथ्य निर्णायक रूप से सामने आ चुका है नवीन प्रौद्योगिकी में प्रचुर अवसर हैं। उनकी प्रकृति अंतरानुशासनात्मक है और उनका अनुप्रयोग जैव-प्रौद्योगिकी, संचार तथा कंप्यूटरीकरण की सीमाएं तोड़ता है। इनके प्रबंधन के लिए समर्थ व्यक्ति-समूहों और प्रणालियों की आवश्यकता है। अनुकूल स्थिति में अंतरिक्ष मार्ग जैसी तेज गति से अर्थव्यवस्था

यह कहना बचकानी उम्मीद से भरा होगा कि वित्तीय तथा वास्तविक संसाधन लागत को कम करने वाली नवीन प्रौद्योगिकी आरंभ करने,

उपभोक्ता अनुकूल नवीन उत्पाद लाने और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने वाली नीतियां लागू की जा चुकी हैं। शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अभी काफी कुछ किया जाना है

और समाज में इनका प्रसार होता है। लेकिन यदि भौतिक तथा मानवीय संरचना न उपलब्ध हो तो काफी बड़ा क्षेत्र छूट जा सकता है और ऐसी स्थिति विकसित देशों में भी उत्पन्न हो सकती है। इनके लिए त्वरित प्रतिक्रिया की भी आवश्यकता है। जैसा कि ईईसी के फास्ट ग्रुप के रिकाडो पेट्रेला ने इंगित किया है, नवाचारों की प्रत्येक पीढ़ी पिछली पीढ़ी के शव पर खड़ी हो रही है। सरकार तथा अर्धशासकीय एजेंसियां इस ढांचे में काम करने में कठिनाई का अनुभव करती हैं।

मकसद यह इंगित करना है कि हम चाहे व्यापक ग्रामीण विकास की बात करें अथवा विकास केंद्रों की, आज के समय में सार्वजनिक नीति के लिए अपेक्षित कौशल को बड़े पैमाने

पर विकेंद्रित स्तर पर प्रौद्योगिकी और नेटवर्किंग पर निर्भर होना होगा तथा उन्हें नागरिक एवं सामुदायिक समूहों के साथ काम करने में समर्थ होना होगा। इनके लिए सुधारों को आगे बढ़ाना और सामुदायिक, निजी, स्वयंसेवी संगठनों, अर्थतंत्र और समाज की सहकारी समूहों को सुविधाएं प्रदान करना होगा। साथ ही व्यापक राष्ट्रीय एवं वैश्विक बाजारों द्वारा उत्पादक गतिविधियों के मार्फत प्रदत्त अवसरों को समन्वित करने में उन्हें मदद करनी होगी।

अधिकार, कमजोर वर्ग एवं पारदर्शिता

देश और दुनिया में इक्कीसवीं शताब्दी में जो तीव्र परिवर्तन होंगे, उनमें लोक सेवा को स्वाभाविक रूप से निर्धनों, दलितों, कमजोर तथा उपेक्षितों के संरक्षक के रूप में अपने को प्रमाणित करना होगा। संविधान तथा कानून में लिपटी भारत की जनतांत्रिक इच्छाओं और उम्मीदों को ईमानदारी पूर्वक पारदर्शी तरीके से बगैर किसी भेदभाव के पूरा करना होगा। इसके लिए निर्धनों के अधिकारों की रक्षा करनी होगी और राज्य की दमनकारी शक्तियों को सीमित करना होगा। जैसे-जैसे बाजार की अर्थव्यवस्था फैलेगी, सुरक्षा विकसित करना और उन्हें क्रियान्वित करना जरूरी होगा। गरीब स्त्री, बालिका, अल्पसंख्यक, जनजाति और दलित, विकलांग तथा अनाथों पर विशेष ध्यान देना अपेक्षित होगा।

मानवाधिकारों और पर्यावरण संबंधी कानून के संदर्भ में संवैधानिक तथा कानूनी परिदृश्य

लोक प्रशासन के संवैधानिक तथा कानूनी आयाम सरकार की शक्तियों, कार्यों और दायित्वों का निर्धारण करते हैं। कानून के शासन, अधिकारों की गारंटी तथा संसदीय सरकार के विचार से युक्त जनतांत्रिक संविधान को स्वीकार किए जाने के साथ भारत की लोक सेवा में एक उल्लेखनीय बदलाव आया। 73वें और 74वें संविधान संशोधन से इस दिशा में और प्रगति हुई। केंद्र तथा राज्यों के अंतर्गत आने वाली सेवाओं को संविधान में उल्लेखनीय स्थान प्राप्त है। इन सेवाओं में भर्ती के लिए, व्यापक अधिकार-संपन्न स्वायत्त आयोग

दूसरा ऐसा महत्वपूर्ण पहलू है जिससे संविधान-सम्मत शासन व्यवस्था में उनकी भूमिका उजागर होती है।

उपरोक्त संदर्भ में देखने पर हमें कानून के शासन का महत्व तथा लिखित संघ-सरीखे संविधान के अंतर्गत सीमित सरकार की अवधारणा को समझना होगा। संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य तथा निर्देशक सिद्धांतों में निहित मूल्यों को व्यवस्था का अंग बनना है। शासन व्यवस्था के उपकरण के रूप में संविधान के प्रावधान तथा न्यायालयों द्वारा उनकी व्याख्या सरकार के सभी कामों में मार्गदर्शक की भूमिका अदा करते हैं। इनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। संवैधानिक सरकार की कार्ययोजना के अंतर्गत कानून का शासन की बुनियाद यही है।

मानवाधिकारों, खासकर समाज के कमजोर वर्गों के मानवाधिकारों की रक्षा करने वाली सरकार की प्राथमिक एजेंसी नौकरशाही है। वही कानून को लागू करती है। न्यायालय परिदृश्य में तभी आता है जब कार्यकारिणी अपनी भूमिका का निर्वहन करने में असफल हो जाती है अथवा कानून को उसके विरुद्ध या भेदभावपूर्ण तरीके से क्रियान्वित करती है। धर्मनिरपेक्षता तथा कानून द्वारा समान संरक्षण के आधार पर सामाजिक न्याय की उद्घोषणा करने वाला संविधान केंद्र तथा राज्य दोनों ही स्तरों पर सरकार पर भारी दायित्व डाल देता है। इसीलिए संवैधानिक परिदृश्य महत्वपूर्ण हो जाता है।

आधुनिक समय में सभ्य समाज के क्रियाकलापों को प्रभावित करने वाला एक अन्य आयाम यह है कि आज अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी तथा अंतरराष्ट्रीय समझौतों से उत्पन्न दायित्वों से संबंधित राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय कानूनों का बाहुल्य है। संपत्ति की अवधारणा- भौतिक तथा दृश्य संपत्ति से बौद्धिक तथा अदृश्य संपदा में बदलाव- ने व्यापार तथा वाणिज्य के क्षेत्र में तो मार्गों क्रांति ही ला दी है। दुनियाभर में आर्थिक प्रशासन में बौद्धिक संपदा कानून तथा व्यापार-संबंधी

बौद्धिक संपदा अधिकारों ने महत्वपूर्ण स्थान अख्तियार कर लिया है। इनके अलावा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में आई क्रांति ने सरकार के साथ तथा इससे इतर व्यापार के बारे में एक नयी कानूनी संरचना दे दी है। वैश्वीकरण केवल बाजार के संदर्भ में ही नहीं, बल्कि सुव्यवस्थित जीवन के सभी संभव पक्षों पर प्रभावी हो रहा है। इससे कानूनी परिदृश्य में तेजी से परिवर्तन हो रहा है तथा सभी मामलों में नीतियों का विकास तथा प्रशासन प्रभावित हो रहा है।

लोक प्रशासन का सभी स्तरों पर दमन करने वाला एक अन्य पहलू धारणीय विकास का कानूनी विधान है। आज धारणीय सीपाओं के भीतर प्रशासन के लिए कानूनी मानदंड हैं, उल्लेखनीय वैधानिक परिदृश्य हैं जो भविष्य में नागरिक समाज के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे।

परिवर्तित मानदंड

इस आलेख का ध्येय आने वाले समय में व्यवस्था के लिए अपेक्षित गुणों का निर्धारण करना है। अन्य बातों के अलावा इसमें निम्नांकित शामिल किए जा सकते हैं:

क- भारतीय समाज तथा राजनीति जिस दिशा में अग्रसर हो रही है, उसका बोध। इसमें इसकी वैविध्यपूर्ण सांस्कृतिक बहुलता शामिल है।

ख- उभर रहे वास्तविक अभावों को स्वीकार करने तथा उनका सामना करने की नागरिक समाज की शक्तियों को स्वीकार करने की सामर्थ्य। क और ख महत्वपूर्ण हैं क्योंकि भारत अब भी विकास के दौर से गुजर रहा है।

ग- आधुनिक प्रौद्योगिकी की आत्मसात करने की सामर्थ्य। इसमें अनेक समस्याओं का समाधान सन्निहित है।

घ- व्यवस्था के उच्चतर पायदान पर स्थानीय शासन के संस्थानों, गैरसरकारी संगठनों, सहकारिताओं तथा अन्य पेशेवर एवं जनसंगठनों के साथ नेटवर्क बनाने की सामर्थ्य।

ड- उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पेशेवराना, धुनी

और लगातार लगे रहने का भाव, लाभकारी परिवर्तन लाने की इच्छा।

च- लक्ष्यों के संधान की ऊर्जा।

छ- साफगोई, ईमानदारी, राजनीतिक तथा व्यवस्थागत समर्थन की समझ।

ज- वंचितों के प्रति सहानुभूति का भाव, और झ- भारत के संस्थापकों की संकल्पना के अनुरूप इसके प्रति प्रतिबद्धता।

प्रधानमंत्री की ओर से सरकार के दो उत्साहवर्धक वक्तव्य आए हैं। एक तो यह कि केंद्रीय सेवाओं में प्रवेश की आयु को मौजूदा 30 वर्ष से ऊपर की जगह वरीयतः 25-26 वर्ष कर दिया जाएगा तथा संयुक्त सचिव का पैनल पहले और मेधाविता के आधार पर बनाया जाएगा, न कि केवल वरिष्ठता आधार पर। जिस शहर में मैं निवास करता हूं वहां के भाषायी समाचार पत्रों ने इस खबर को इस प्रकार छपा मानो सरकार किसी सुविधा को वापस ले रही है। प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा इंटरनेट पर उपलब्ध कराए गए ये प्रस्ताव कुछ वर्ष पहले के हैं। इन प्रस्तावों में उच्च आंतरिक गुण हैं, बावजूद इसके राजग सरकार ने इन पर कोई कार्यवाही नहीं की क्योंकि मेरी समझ से वे आलोचना से बचना चाहते थे।

प्रवेश की उम्र घटाने के प्रस्ताव के विरुद्ध यह तर्क दिया जाता है कि इससे गरीब, अनुसूचित जाति, आदिवासी अथवा अन्य पिछड़े वर्ग की पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को पश्चिमीकृत, शहरी, अमीर उम्मीदवारों की तुलना में क्षति होगी। यह तथ्यात्मक रूप से गलत है और चर्चा के आरंभ में ही यह स्वीकार कर लेना महत्वपूर्ण होगा कि यदि ऐसा नहीं किया गया तो सुधारों के लाभकारी होने के बावजूद ये शुरू ही नहीं हो पाएंगे। लोक सेवा परीक्षा और प्रशिक्षण सुधार समिति जब इन प्रस्तावों पर काम कर रही थी, तो यह उनकी चर्चा का एक प्रमुख मुद्दा था। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा अथवा पुलिस जैसी लोक सेवाओं में भर्ती का व्यापक आधार देश के लिए लाभदायक है। विभिन्न सामाजिक तथा आर्थिक पृष्ठभूमि से

आने वाले बच्चे इसे सही अर्थों में राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान करते हैं। देश की वास्तविक समस्याओं की उनकी समझ संपन्न परिवारों से आने वाले बच्चों में कभी नहीं आ पाएगी।

सीधा-सादा तथ्य यह है कि उनको मदद पहुंचाने के लिहाज से ज्यों-ज्यों भर्ती की आयु सीमा बढ़ाई जाती रही, त्यों-त्यों पिछड़े जिलों, वंचित समुदायों के कॉलेज डिग्रीधारी उम्मीदवारों तथा महिलाओं का हिस्सा कमता गया। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय स्थित जाकिर हुसैन शिक्षण केंद्र ने इन परीक्षाओं की तैयारी में लगने वाली निजी लागत को जानने के लिए एक अध्ययन किया। यह राशि प्रतिवर्ष एक लाख रुपये से अधिक पाई गई। किसी निधन परिवार के बच्चे के पास इन परीक्षाओं की सालों तैयारी करते रहने लायक पैसे कभी नहीं हो पाएंगे कि वह शहर में रहकर तैयारी करे तथा इस दौरान कोई वैकल्पिक रोजगार भी न करे। अतः इस रियायत से जिन बच्चों को वास्तविक लाभ पहुंचता है वे आरक्षण का लाभ प्राप्त करने वाले समुदायों के समृद्ध परिवारों के बच्चे होते हैं। दूसरे शब्दों में, वे समृद्ध परिवारों के दूसरी पीढ़ी के बच्चे होते हैं। पिछड़े क्षेत्रों के आरक्षित समुदायों के बेहतर उम्मीदवार यदि उपलब्ध न होते तो इसे भी बेहतर स्थिति मान लिया जाता लेकिन सच्चाई यह है कि आरक्षित समुदायों की पहली पीढ़ी के बेहतर बच्चे कम उम्र में उपलब्ध हैं। इस महान देश में बृहद खुली प्रतिस्पर्धी परीक्षा आयोजित कराने वाला कोई भी व्यक्ति यह जानता है कि यह प्रतिभासंपन्न एक ऐसा समृद्ध समाज है जहां शीर्ष पर आपको उत्कृष्ट लोग मिल जाते हैं और ऊपरी सिरे पर उनमें अंतर भी बहुत कम होता है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति के रूप में, जहां हर वर्ष दसियों हजार बच्चे आवेदन करते हैं, मैं जानता हूँ कि प्रत्येक प्वाइंट पर अनेक उम्मीदवार होते हैं जिनमें काफी कम फर्क होता है। अतः आयुसीमा कम करने के बाद भी वस्तुतः आपको काफी बेहतर मानव संसाधन मिल जाता है जो सच्चे अर्थों में पिछड़े इलाकों और

समुदायों के बच्चे होते हैं।

उन्हें इच्छानुसार ढाला जा सकता है, प्रशिक्षित किया जा सकता है, मिशन के रंग से रंगा जा सकता है। उन्हें मिलजुल कर काम करना है। केवल इसी वजह से इस विशिष्ट लोक सेवा की जरूरत है। प्रवेश खुली स्पर्धा के जरिये हो, लेकिन उन्हें सर्वोत्तम तथा समवेत होना चाहिए। यह कहना मूर्खतापूर्ण होगा कि हमें सर्वोत्तम लोग नहीं मिल रहे। वे मिल रहे हैं, चुनौती इस प्रवृत्ति को बनाए रखने की है। लोक सेवा को एक ऐसी ताकत बनाना होगा जो भारत को विश्व शक्ति बनाने की दिशा में तेजी से अग्रसर कर सके। उन्हें प्रौद्योगिकी-उन्मुख होना होगा, साथ ही उन्हें अपने देशवासियों के अधिकारों के प्रति संवेदनशील होना होगा तथा विभिन्न प्रकारों से नागरिक समाज की मदद करनी होगी ताकि वह अपनी समस्याओं का समाधान कर सके। शक्ति संपन्न लोगों तथा बाजार द्वारा जिन लोगों के अधिकारों का हनन हुआ है उनके पक्ष में उन्हें मिलजुल कर खड़ा होना होगा और इस देश को आजादी दिलाने वाले तथा निर्धनतम नागरिकों को अधिकार देने वाले लोगों के आदर्शों के प्रति सत्यनिष्ठ बने रहना होगा। छोटी दृष्टि वाले लोग लोक सेवा का इस्तेमाल अपने छोटे-छोटे हितों की पूर्ति के लिए करना चाहते हैं। इसी वजह से सर्वोत्तम के चयन और उन्हें गतिशील पथ पर अग्रसर करने के दूसरे प्रस्ताव को पूरा समर्थन दिया जाना जरूरी है।

कॉरपोरेट प्रणाली इस शैली की अनुगामी है। प्रत्येक दस वर्ष पर उनका मूल्यांकन किया जाए, कुछ विशेषज्ञ तथा चुने हुए लोगों को सर्वोत्तम प्रशिक्षण देने का कार्य लोक सेवा में लागू किया जाए। इसी मार्ग का अनुगमन अन्यत्र भी किया जाता है।

परिवर्तन की राह पर

ऊपर उल्लेखित मानदंडों में से कुछ पर प्रगति करना आसान प्रतीत होता है क्योंकि उनका तकनीकी पहलू रेखांकित कर लिया गया है। अधिक दुरूह सवाल संस्थागत हैं। प्रशासन को लेकर आमतौर पर असंतोष है, फिर भी ज्ञात अवरोधों को बदलने और उनके

सुज्ञात समाधानों के बारे अत्यल्प चर्चा की जाती है। कहा जा सकता है कि सुधारों की जरूरत के बारे में आम सहमति है, लेकिन उसके बारे में राजनीतिक बहस तथा परिवर्तन को क्रियान्वित करने की दिशा में किसी सुगठित प्रयास का अभाव है। ऐसी स्थिति में सुशासन की चर्चा विचारों की बंद गली में कैद रहेगी।

विधायिका पर इस बात का जनदबाव नहीं बनाया गया है कि वह अपराधियों की राजनीतिक गतिविधियों के बारे में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को स्वीकार करे।

राजनीतिक कार्यकारिणी को कार्यपालिका की नियुक्ति का अधिकार है, लेकिन यदि वह अस्वाभाविक निर्णय ले, जैसे कि तीन वर्ष से कम अवधि में तबादला कर दे तो मौखिक आदेश के बदले फाइल में यह लिखकर बताया जाए कि उक्त निर्णय से किस तरह लोकहित सधता है- यह प्रस्ताव अनेक दशकों से कागज का टुकड़ा भर बना हुआ है। निजी अनुभव से मैं कह सकता हूँ कि सर्वाधिक भ्रष्ट दबावों का इस्तेमाल नियुक्ति के समय ही किया जाता है। इस तरह सुधारों को आसानी से पथच्युत किया जा सकता है।

अन्य क्षेत्रों में भी इसी तरह की प्रवृत्ति पाई गई है। नवतरंगों में विशेषज्ञों के बदले जाए गए लोगों ने ही उन्हें अधोगति की ओर उन्मुख किया है। सुरक्षा संबंधी चिंताओं का खुलकर मखौल बनाया जाता है। लोक सेवा तथा विधिवत सुधार को पिछली सीट पर रख दिया गया है।

हमें ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया गया है जहां प्रशासन का कोई औचित्य नहीं जान पड़ता। हालांकि दीर्घकाल में इस तरह के अकादमिक आलेखों में निहित सक्रियता जो प्रायः क्रियोन्मुख नहीं होती, ही संभवतः एकमात्र उत्तर बच रही है। निहित स्वार्थों से ओतप्रोत इस क्षेत्र में उचित सवालों को सूचीबद्ध करना बेहद जरूरी है। □

(लेखक पूर्व केंद्रीय मंत्री तथा योजना आयोग के पूर्व सदस्य हैं। आप उच्च लोक सेवा सुधार समिति के अध्यक्ष भी थे)

विशेषीकृत एवं गुणात्मक मार्गदर्शन हेतु
दो विशेषज्ञ एक साथ



ज्ञान से लेखन तक का सम्पूर्ण मार्गदर्शन

आगामी सत्र

परिचर्चा के साथ कक्षा प्रारम्भ

परिचर्चा

लोक प्रशासन

15th July, 2005

सा० अध्ययन

15th July, 2005

जीवंत पत्राचार उपलब्ध * आवासीय सुविधा उपलब्ध

विस्तृत जानकारी हेतु सम्पर्क करें :-

इंटरफेस

IAS ACADEMY

आस्था

IAS TUTORIALS

2244, Hudson Line, Kingsway Camp, Delhi-110009

Ph.: 011-27247894, 27121867, 27651392 Cell.: 9810664003

शीर्ष लोक सेवा में प्रतिस्पर्धा लाना

○ अरविंद पनगढ़िया
भगवती

सुधार की प्रक्रिया आरंभ करने से पहले सरकार को उसकी भारी तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन एक चीज तय है – लोक सेवा को बाहरी स्पर्धा के मुकाबिल खड़ा करने तथा विशिष्ट प्रतिभा को बड़ी भूमिका देने के लिए किंचित सुधारों की जरूरत तो पड़ेगी ही

विगत दो दशकों के दौरान भारत में एकाधिकार समाप्त करने की दिशा में सुधारों ने लंबी यात्रा तय की है। उदाहरण के लिए निजी क्षेत्र में न केवल एंबेसडर और फीएट का मोटर वाहनों के मामले में एकाधिकार टूटा है, बल्कि सार्वजनिक क्षेत्र का दूरसंचार के संदर्भ में एकाधिकार समाप्त हुआ है। इसके परिणाम आश्चर्य से कम नहीं हैं। 1950 के कारों के मॉडल से यहां के मोटर वाहन उद्योग ने सीधे इक्कीसवीं सदी में छलांग लगाई है। पिछले वर्ष तो 1.20 लाख से भी अधिक कारों का निर्यात किया गया। दूरसंचार के क्षेत्र में भी पहले टेलीफोन प्रायः खराब पड़े रहते थे, गलत नंबर पर जा मिलते थे और उनके लिए भी वर्षों प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। उनकी जगह आज अति उन्नत सेलुलर फोन मांग पर उपलब्ध हैं तथा 2 करोड़ सेट प्रतिवर्ष की उच्च गति से प्रगति कर रहे हैं।

इनके बावजूद भारत से एकाधिकार अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। एकाधिकार वाले क्षेत्रों में भारतीय प्रशासनिक सेवा का एकाधिकार सबसे ऊपर है जो केंद्र तथा राज्य सरकारों में लोक सेवा के सभी शीर्ष पदों को नियंत्रित करता है। इस सेवा को स्वतंत्रता मिलने के तुरंत बाद अखिल भारतीय सेवाओं के एक अंग के रूप में गठित किया गया था।

भारतीय पुलिस सेवा तथा भारतीय वन सेवा जैसी सेवाएं भी अखिल भारतीय सेवाओं में शामिल थीं। उस समय एक ऐसी स्वतंत्र लोक सेवा की जरूरत थी जिसमें प्रतिभाशाली लड़के-लड़कियों को नियुक्त कर देशभर में समान सार्वजनिक संस्थानों की रचना की जा सके। लेकिन अब वह उद्देश्य काफी हद तक पूरा हो चुका है, नीति-निर्माण का काम अब अति-विशेषतायुक्त हो चुका है, और यह सेवा अब एक ऐसी लॉबी में बदल चुकी है जो अपने संकीर्ण हितों की रक्षा में लिप्त रहती है। अब समय आ गया है कि इसे बाहरी प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए कहा जाए।

भारतीय प्रशासनिक सेवा के गठन के सबसे बड़े पक्षधर सरदार वल्लभभाई पटेल थे। वह इसे समूचे देश को एक रखने वाला फौलादी फ्रेम मानते थे। उनका दृष्टिकोण था कि इस सेवा का एक हिस्सा केंद्र और राज्यों में आता-जाता रहेगा और उनकी सेवा करता रहेगा। ऐसा करने के क्रम में वे सबसे निचले तबके पर स्थित लोगों की आवश्यकताओं को जान पाएंगे तथा केंद्र में बनाई जाने वाली नीतियों में इन जानकारियों को शामिल कर पाएंगे। दूसरी तरफ वे केंद्र में अर्जित व्यापक दृष्टि को राज्यों तक ले जा पाएंगे। पटेल इस सेवा के अधिकारियों को अपने विचार खुलकर रखने की पूरी आजादी देने के पक्षधर थे।

उनकी इच्छा पर संविधान तथा संबद्ध कानूनी संरचना इस प्रकार तैयार की गई कि इन अधिकारियों को अधिकतम संरक्षण तथा सेवा सुरक्षा दी जा सके।

मौजूदा नियमों के तहत 21 से 30 वर्ष की आयु के बीच के भारतीय नागरिक संघ लोक सेवा आयोग द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित परीक्षा के द्वारा इस सेवा में प्रवेश के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। अधिकतम आयुसीमा को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के मामले में बढ़ाया जा सकता है। मूलतः अजा और अजजा उम्मीदवारों के लिए 22 प्रतिशत पद आरक्षित किए गए थे। 1990 के मध्य में अन्य पिछड़ा वर्ग को भी आरक्षित श्रेणी में शामिल कर लिया गया तथा आरक्षित पदों का अनुपात बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया।

चुने गए प्रत्येक उम्मीदवार को एक राज्य आवंटित किया जाता है जो आवश्यक नहीं कि उसका गृह राज्य ही हो। पहले उसे उसके बैच के अन्य सफल उम्मीदवारों के साथ गहन प्रशिक्षण पर भेजा जाता है उसके बाद उसे आवंटित राज्य में तैनात कर दिया जाता है। उसके कैरियर पथ के बारे में बहुत कुछ पहले से ही बताया जा सकता है। इसका एक ही अपवाद होता है कि यदि सही समय पर उसका संयुक्त सचिव के रूप में चयन नहीं हुआ तो

उसके कैरियर का अधिकांश समय उसके आवंटित राज्य में ही व्यतीत हो जाता है।

केंद्र सरकार पैनल प्रणाली के तहत बेहतर रिकॉर्ड वाले अधिकारियों का एक पैनल बनाती है जिसमें से देश के शीर्ष लोक सेवकों का चयन किया जाता है। अपवादों को छोड़ दें तो जिन अधिकारियों का संयुक्त सचिव के रूप में पैनल में नाम शामिल नहीं हो पाता, उन्हें अपने कैरियर का बाकी समय अपने आवंटित राज्य में ही रहना पड़ता है। ऐसा होने पर भी वह अपने राज्य में कम से कम सचिव का पद तो प्राप्त कर ही लेता है। संयुक्त सचिव के रूप में केंद्रीय पैनल में शामिल किए जाने वाले सभी अधिकारी भी केंद्र में सचिव बन जाएं, यह आवश्यक नहीं। लेकिन उनका भी अपने आवंटित राज्य में सचिव बनना सुनिश्चित होता है।

प्रोन्नति सुनिश्चित करने के लिए इस सेवा ने केंद्र तथा राज्यों के लगभग सभी उच्चस्तरीय पदों को अपने कब्जे में ले लिया है। अपने लिए इन पदों को आरक्षित करने हेतु आमतौर पर वरिष्ठ पदों को 'संवर्ग' पद में बदल दिया जाता है। एक बार ऐसा हो जाने के बाद केवल आईएएस अधिकारी ही उस पद पर नियुक्त किया जा सकता है। इस प्रावधान का मूल उद्देश्य इस सेवा को राष्ट्रीय स्तर पर समान सार्वजनिक संस्थान गठित करने के कार्यभार को बिना रोकटोक पूरा करने हेतु सशक्त बनाना था। लेकिन समय बीतने के साथ-साथ अपने अधिकारियों की संख्या में विस्तार, सुनिश्चित प्रोन्नति तथा वरिष्ठ पदों पर एकाधिकार बनाए रखना इस सेवा का बुनियादी उद्देश्य बन गया।

यदि कोई पद 'संवर्ग' पद न भी हो और उसके लिए पैनल बनाना भी हो तो भी यह सेवा सुनिश्चित करती है कि उसके लिए केवल सदस्य अधिकारी ही पैनल में शामिल किए जाएं और इस तरह उक्त पद पर कब्जा कर लेती है। केंद्र के अधिकतर सचिव तथा अतिरिक्त सचिव स्तर के पदों के साथ यही हो रहा है। गैर-आईएएस व्यक्तियों को इन पदों के लिए पैनल में लिया जाना दुर्लभ है। विभिन्न क्षेत्रों में सरकार की गतिविधियों का विस्तार होने से इस सेवा के अधिकारियों को

अपनी योग्यता से काफी बाहर तक विस्तार करने का अवसर मिला है। उदाहरण के लिए, इसने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक तथा केंद्र और राज्य स्तर के अन्य वित्तीय संस्थानों के अनेक शीर्ष पदों पर भी अपना कब्जा जमा लिया है।

इससे पूर्व कि मैं शीर्ष पदों को आईएएस से बाहर के लोगों के लिए खोलने की वकालत करूं, संक्षेप में हाल की दो घटनाओं का उल्लेख करना चाहूंगा। पहला, दुर्भाग्यपूर्ण रूप से राज्यों में संवर्ग पदों के अविवेकपूर्ण विस्तार से इस सेवा में ही ह्रास आरंभ हो गया है। लेखन सामग्री तथा स्टॉप के निदेशक जैसे अर्थहीन पदों को संवर्ग पद में बदलने से सेवा की प्रतिष्ठा का क्षरण हुआ है। और तो और, इससे राजनीतिज्ञों के लिए असुविधाजनक अधिकारियों को महत्वपूर्ण पदों से हटाकर उनके इन समांतर पदों पर नियुक्त करना सुविधाजनक हो गया है।

दूसरे, आईएएस अधिकारियों के स्थानीय तथा केंद्र के पदों पर वैकल्पिक रूप से काम करने की मूल संकल्पना लगभग बिला गई है। केंद्र में अब मध्यम तथा कनिष्ठ पदों पर आयकर, सीमाशुल्क तथा आर्थिक सेवाओं जैसी अधिक विशेषज्ञतायुक्त सेवाओं के अधिकारी नियुक्त होने लगे हैं और केवल शीर्ष पद ही आईएएस अधिकारियों को मिल पा रहे हैं। इसका अभिप्राय यह कि अब आईएएस अधिकारियों का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही वास्तव में केंद्र में काम कर रहा है। इस तरह एक अनुमान के मुताबिक गत वर्ष लगभग 500 पैनल में शामिल अधिकारियों के लिए संयुक्त सचिव स्तर के केवल 25 पद ही रिक्त थे। इसी तरह राज्यस्तरीय सेवाओं अथवा अन्य माध्यमों से प्रोन्नति पर आईएएस में शामिल होने वाले अधिकारी जिन्हें केंद्र में काम करने का अवसर कभी नहीं मिल पाता, अब अधिकाधिक संख्या में जिला कलेक्टर के पदों पर नियुक्त होने लगे हैं। केंद्र में कार्यरत शीर्ष अधिकारियों को जमीनी स्थितियों की गहरी जानकारी होने और राज्य के शीर्ष अधिकारियों में केंद्र में सेवा के दौरान अर्जित व्यापक राष्ट्रीय दृष्टि से संपन्न होने की अवधारणा अब कोरी गप्प है।

शीर्ष पदों को प्रतिस्पर्धा के लिए खोला जाए

अपनी अंतरचना से ही आईएएस विशेषता प्राप्त कौशल की बजाय सामान्य कौशल को प्रोत्साहित करता है। कम उम्र में प्रतियोगी परीक्षा के द्वारा प्रवेश की प्रणाली, जिसमें बीच में प्रवेश का कोई प्रावधान नहीं है, सामान्य बौद्धिक उपलब्धि को ही कैरियर में सफलता की कुंजी बना देता है। इसके अलावा, इस सेवा की आंतरिक संरचना वास्तविक विशेषता प्राप्त कौशल हासिल करने के सर्वथा विरुद्ध है। सेवा में आए युवा जो अन्य विशेषज्ञ ज्ञान अथवा कौशल हासिल करने के लिए अवकाश पर जाने का फैसला करते हैं, वापस आने पर उनके वरिष्ठ उन्हें यह अच्छी तरह बता देते हैं कि उन्हें ऐसे किसी भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि उनके बराबर शिक्षा अथवा कौशल न हासिल करने वाले उनके समकक्ष अधिकारी जो काम न कर पाएं, ऐसा कोई काम वे कर लेंगे।

सामान्य कौशल पर बल देने का औचित्य तब था जब अर्थव्यवस्था तुलनात्मक रूप से छोटी थी और प्रशासन-कार्य आसान था। लेकिन आज अर्थव्यवस्था कई गुना बढ़ चुकी है तथा वैश्वीकरण में तीव्र प्रगति हो रही है। अब प्रशासन-कार्य खासकर राष्ट्रीय स्तर पर काफी अधिक दुरूह हो गया है। उदाहरणार्थ, वित्त मंत्रालय को अब अन्य चीजों के अलावा बड़ी-बड़ी इकाइयों, परियोजनाओं के व्यापक वर्ग के लिए नीतियां निर्धारित करनी होती हैं, वित्त तथा पूंजी बाजार के क्रियाकलाप पर नजर रखनी होती है, केंद्र-राज्य वित्तीय संबंध को समन्वित करना होता है तथा सरकार की विनिवेश नीतियों को लागू करना होता है। इनमें से प्रत्येक कार्य उच्च विशेषज्ञता युक्त गतिविधि है जिनके लिए अर्थशास्त्र में शोध के अनेक उपक्षेत्रों को कवर करना पड़ता है।

वाणिज्य मंत्रालय द्वारा संपादित कार्यों में भी ऐसी ही दुरूहता है। विश्व व्यापार संगठन में इसे भारत का प्रतिनिधित्व करना होता है और ऐसे बहुआयामी समझौते तैयार करने होते हैं जिनका असर अर्थव्यवस्था पर आने वाले कई दशकों तक पड़ेगा। इसे मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौते का प्रारूप तैयार करना होता है,

विभिन्न व्यापारिक साझेदारों के साथ उन समझौतों के बारे में तोल-मोल करना होता है। तथा उन्हें क्रियान्वित करना होता है। इसे कचरा फेंकने से रोकने, बौद्धिक संपदा अधिकार तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र से संबंधित नियम बनाना और लागू करना होता है। द्विपक्षीय निवेश समझौते करना भी इसका दायित्व है। एक बार फिर इनमें से प्रत्येक विषय के लिए विशेषज्ञता की दरकार होती है। अकेले विश्व व्यापार संगठन के लिए वर्षों के अध्ययन तथा विशेषज्ञ ज्ञान की आवश्यकता होती है।

तर्क दिया जा सकता है कि अधिकारी का दायित्व नीतियों के क्रियान्वयन तक सीमित होता है जिसके लिए औसत कौशल भर ही अपेक्षित होता है। लेकिन दो कारणों से यह तर्क गलत है। पहला, भारतीय संसदीय प्रणाली में मंत्रियों का चयन सांसदों के बीच से किया जाता है। इसलिए वे शुद्ध राजनीतिज्ञ होते हैं तथा उनमें अपने मंत्रालय को चलाने के लिए जरूरी ज्ञान तथा विशेषज्ञता का अभाव होता है। यह व्यवस्था अमरीका के राष्ट्रपति प्रणाली से अलग है जहां राष्ट्रपति को देश के समस्त नागरिकों में से अपने मंत्रिपरिषद का चयन करने की आजादी होती है। इससे वह किसी मंत्रालय के लिए अपेक्षित गहरे ज्ञान वाले व्यक्ति को नियुक्त करने में समर्थ होता है। इस वजह से नीति-निर्माण के लिए हमारे मंत्री काफी हद तक अपने सचिवों पर निर्भर होते हैं। और जब उस क्षेत्र में स्वयं सचिव के पास विशेषज्ञ ज्ञान का अभाव है, तो वही स्थिति पैदा होगी जो एक अंधे के द्वारा दूसरे अंधे को राह दिखाने से हो सकती है।

उक्त तर्क के गलत होने का दूसरा कारण यह है कि नीतियों का क्रियान्वयन महज प्रशासनिक कार्य नहीं है। संसद द्वारा विधेयक को पारित किए जाने के बाद भी नीति निर्धारण का कार्य जारी रहता है। विधेयक लागू करने के लिए मंत्रालयों को संस्थान तैयार करना होता है। उदाहरणार्थ, मौजूदा कानूनी ढांचे के तहत कचरानिरोधी निदेशालय को किस तरह कार्य करना चाहिए, यह निर्धारित करने के लिए कचरा फेंकने से रोकने का उपभोक्ताओं,

निर्माताओं तथा समग्रतः राष्ट्रहित पर क्या असर पड़ेगा, इसकी समझ जरूरी है। इसी तरह, एक बार निजीकरण की नीति को स्वीकार लेने के बाद उसके क्रियान्वयन के लिए निजीकरण के विविध प्रकल्पों पर आने वाली लागत और उनके फायदों की समझ जरूरी है। यही बात उन नियामक एजेंसियों पर भी लागू होती है, जिनकी भूमिका सेवा क्षेत्र में सरकारी एकाधिकार समाप्त होने के बाद काफी बढ़ रही है।

सेवा का बचाव करने वाले लोग, जो अनिवार्यतः इस सेवा से ही संबद्ध होते हैं, यह भी तर्क देते हैं कि अब आईएएस अधिकारी भी विशेषज्ञ ज्ञान और कौशल प्राप्त कर सकते हैं तथा करने भी लगे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह प्रक्रिया आरंभ हो गई है और यह एक स्वस्थ प्रवृत्ति है। विभाग में विशेषज्ञ अधिकारियों की मौजूदगी से शीर्ष स्तर पर उनको प्रस्तावित तथा निर्धारित करने से पूर्व उनकी उपयोगी और आवश्यक जांच की जा सकती है। लेकिन समस्या का यह समुचित उत्तर नहीं है। एक बात जो मैंने गौर किया है कि सेवा में आमतौर पर विशेषज्ञ ज्ञान प्राप्त करने वाले युवा अधिकारियों के प्रति प्रायः गहरे संदेह का भाव रहता है। लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि नीति-निर्माण के लिए नौकरशाही के शीर्ष पर विभिन्न तकनीकी क्षेत्रों में जिस गहरे ज्ञान की अपेक्षा होती है वह अधिक से अधिक एक-दो वर्षों के अल्प-कालिक कार्यक्रम से नहीं अर्जित की जा सकती है।

विशेषज्ञ ज्ञान का अभाव शीर्ष पदों पर आईएएस के एकाधिकार को समाप्त करने का मात्र एक कारण है। परिवर्तन का एक दूसरा और संभवतः अधिक महत्वपूर्ण कारण भी है। किसी भी दूसरी जगह की तरह शीर्ष नौकरशाही में भी उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए स्पर्धा का दबाव बनाना अनिवार्य है। वर्षों से मैं इस बात की वकालत कर रहा हूँ कि नियोक्ताओं को एक तर्कसंगत सेवा पैकेज देकर अपने कर्मचारियों को हटाने का अधिकार देने के लिए हमें औद्योगिक विवाद अधिनियम में संशोधन करना चाहिए। 100 अथवा इससे

अधिक श्रमिकों वाली फर्मों में इस तरह के अधिकार न होने से उन फर्मों के श्रमिकों को उत्पादक तरीके से काम करने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं मिल पाता। इन फर्मों को प्रायः ऐसे कामों के लिए जिनके लिए नियमित श्रमिक होने चाहिए, ठेके पर श्रमिक लेने पड़ते हैं।

स्वतः प्रोन्नति की गारंटी तथा किसी भी स्थिति में प्रतिकूल कार्रवाई के खिलाफ मजबूत सुरक्षा की वजह से आईएएस अधिकारियों के निष्पादन पर भी ऐसा ही प्रभाव पड़ा है। कहा जा सकता है कि सरदार पटेल की इच्छा जिस सेवा को भारत का फौलादी फ्रेम बनाने की थी वह अपने ही अधिकारियों की सुरक्षा के लिए फौलादी रक्षाकवच बन चुकी है। किसी प्रकार की प्रतियोगिता, दंड अथवा उत्तरदायित्व के अभाव की वजह से अनेक अधिकारी अक्खड़ और आत्मसेवी बन चुके हैं।

इस तरह की आलोचनाएं सुनने पर अनेक आईएएस अधिकारी प्रतिक्रियास्वरूप हस्तक्षेप के लिए राजनीतिज्ञों को दोष देने लगते हैं। निश्चित रूप से राजनीतिक लोग हस्तक्षेप करते हैं, लेकिन यह तर्क दो कारणों से बेमानी है। पहला, राजनीतिज्ञ और नौकरशाह के बीच प्रायः इस बात को लेकर टकराव होता है कि शक्ति नियंत्रण कौन करे। जनतांत्रिक व्यवस्था में अंततः राजनीतिज्ञ ही जनता के प्रति जवाबदेह होता है, इसलिए अधिक छूट उसे ही मिलनी चाहिए। आखिरकार उसे हर पांच वर्ष पर चुनाव का सामना करना होता है जिसमें उसे कभी भी हटाया जा सकता है। इसके विपरित, आईएएस अधिकारी तो किसी के प्रति जवाबदेह ही नहीं होते।

दूसरे जरूरी शक्ति-संघर्ष में कई बार नौकरशाह चालाकी करता है और राजनीतिज्ञ को पीड़ादायक नियामक बंधनों से बांध देता है जिनके बारे में निश्चय ही नौकरशाह की जानकारी अधिक होती है। राजनीतिज्ञ इस तथ्य से अवगत होते हैं और प्रतिक्रियास्वरूप कुछ राजनीतिज्ञ तबादले के अपने इकलौते अस्त्र का प्रयोग कर अवज्ञाकारी अधिकारी को ऐसी जगह भेज देते हैं जो उसके ग्रेड के अनुरूप तो होता है लेकिन अन्यथा उसे अशक्त

बना देता है। राजस्थान के संभवतः सबसे ऊर्जावान् मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी अपने मित्रों को कहा करते थे कि तुरंत और कुशलतापूर्वक अपना काम करा लेने में उनकी सफलता का राज दो 'क' के फार्मूले में छुपा हुआ था— इस तथ्य की जानकारी कि 'क्या' किया जाना चाहिए और उसे 'कौन' कर सकता है। यदि कोई अधिकारी उनके मार्ग में नियामक अवरोध पैदा करने की कोशिश करता था तो वे उसे तत्काल बाहर कर रास्ता दिखा देते और उसकी जगह ऐसे अधिकारी को ला बिठाते थे जो अवरोधों को छलांग कर पार करना जानता हो।

निश्चय ही राजनीतिक हस्तक्षेप से अधिकारियों के अपमानित महसूस करने की एक वजह प्रतिस्पर्धा का अभाव है। प्रतिस्पर्धा द्विमार्गी पथ है। ऐसी प्रणाली में जहां कम से कम कुछ शीर्ष पदों पर ही अधिकारी स्वेच्छ से आए-जाएं, वहां उन्हें दंड देने की राजनीतियों की सामर्थ्य कम जाती है। मनमाने तरीके से काम करने पर उन्हें अपने सर्वोत्तम अधिकारियों को खो देने का खतरा रहता है। आज समस्या की एक आंशिक वजह यह है कि जब किसी अधिकारी को गलत तरीके से निष्कासित कर निरर्थक पद पर भेजा जाता है तो किसी विशेष कौशल के अभाव में वह लोक सेवा को ही छोड़ देने की धमकी भी नहीं दे पाता।

आगे का रास्ता

न्यूजीलैंड और इंग्लैंड भारत जैसी राजनीतिक व्यवस्था और लोक सेवा वाले दो ऐसे देश हैं जिन्होंने लोक सेवा में सुधार का प्रयास किया है। इन दोनों ही देशों में पारंपरिक रूप से इन अधिकारियों को पद से हटाया जाना तथा बीच में प्रवेश बेहद मुश्किल और अस्वाभाविक था। उनके वेतन का कार्य निष्पादन से कोई वास्ता नहीं था। न्यूजीलैंड ने 1980 के आखिर में एकमुश्त सुधार किया। यहां एकाधिकार वाली समान रूपी लोक सेवा को अलग-अलग विभागों और सरकारी उद्यमों में तोड़ दिया गया। प्रत्येक निगम में एक निश्चित अवधि के लिए संविदा आधार पर एक मुख्य कार्यकारी को नियुक्त कर दिया

गया। उसकी संविदा का नवीकरण किया जा सकता था। मुख्य कार्यकारी को उसकी इकाई के सभी कर्मचारियों का कानूनी नियोक्ता बना दिया गया तथा उसे उन्हें नियुक्त करने, हटाने, वेतन तय करने और अनुशासन कायम रखने की जिम्मेदारी सौंप दी गई। इसी तरह, उसे संभावित उत्पादन के बारे में अपने मंत्री के साथ निष्पादन समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया।

इंग्लैंड का सुधार इतना आमूल-चूल परिवर्तन वाला नहीं था। यहां लोक सेवा को समाप्त नहीं किया गया। 1989 के आरंभ से वहां प्रमुख परिवर्तन लाए गए। लोक सेवा को प्रमुख विभागों और कार्यकारी एजेंसियों में तोड़ दिया गया। उन विभागों को नीति-निर्धारण, संसाधन आवंटन तथा नियमन की जिम्मेदारियां सौंप दी गईं। कार्यकारी एजेंसियों को विभागों के साथ संरचना समझौते पर हस्ताक्षर करने और उनमें वर्णित शर्तों के अधीन सेवा प्रदान करने के लिए कहा गया। एजेंसियों के मुख्य कार्यकारी तथा कुछ अन्य विशेषज्ञों को निर्धारित अवधि के करार पर लिया गया। वे नियमित लोक सेवा या बाहर, कहीं के हो सकते थे। उनके वेतन को नियमित लोक सेवा से अलग कर दिया गया और कहीं-कहीं इसे लोक सेवा के वेतन से काफी ऊपर भी निर्धारित किया गया। विभागीय लोक सेवक पारंपरिक आवधिक किस्म के करार पर बने रहे।

भारत में लोक सेवा के न्यूजीलैंड जैसे आमूल-चूल परिवर्तनकारी सुधार की उम्मीद करना अवास्तविक होगा। लेकिन शीर्ष पदों पर कुछ परिवर्तन का प्रयोग किए जाने की महती आवश्यकता है। न्यूनतम सुधार यह हो सकता है कि केंद्र तथा राज्य सरकारों में स्थित सचिवस्तरीय तथा उसके समकक्ष सभी पदों को (कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा बुनियादी प्रशासन को छोड़ा जा सकता है) निश्चित अवधि, परिवर्तनीय वेतन और सुस्पष्ट संविदाकारी दायित्वों से युक्त पदों में परिवर्तित कर दिया जाए।

इसके बाद इन पदों को सेवा-पूर्व निर्दिष्ट योग्यताओं को पूरा करने वाले लोगों और बाहरी

लोगों, दोनों के लिए खोला जा सकता है। इस तरह के परिवर्तन से शैक्षिक, व्यापारिक तथा वित्तीय क्षेत्रों के प्रतिभाशाली लोग शीर्ष सरकारी पदों पर आ पाएंगे। यदि इनका सुचारू रूप से संचालन किया गया तो इससे सेवा के भीतर के प्रतिभाशाली अधिकारी भी अधिक तेजी से शीर्ष पदों पर पहुंच पाएंगे। इससे नीति-निर्माण कार्य में ऊर्जस्विता का संचार होगा। निष्पादन के आधार पर करार की अवधि बढ़ाई जा सकेगी। किसी भी लोक सेवा से इन पदों पर नियुक्त किए जाने वाले अधिकारियों को संविदा समाप्ति पर अपनी नियमित लोक सेवा में लौटने का विकल्प दिया जा सकता है।

जैसा मैं पिछले कुछ सालों से कहता आ रहा हूं, मेरी प्राथमिकता और भी महत्वाकांक्षी है। मेरी राय में केंद्र तथा राज्यों के संयुक्त सचिव तथा उसके ऊपर के सभी पदों को प्रतिस्पर्धा के लिए खोल देना चाहिए। इसका मुख्य लाभ यह होगा कि इससे सर्वाधिक प्रतिभाशाली युवा स्त्री-पुरुषों की सरकार और बाहरी रोजगार में आवाजाही बढ़ेगी। जिस तरह सरदार पटेल के काल में अधिकारियों के लिए केंद्र और राज्य में आते-जाते रहना महत्वपूर्ण था, उसी तरह आज उनके लिए सरकारी और गैरसरकारी दोनों क्षेत्रों की भीतरी जानकारी महत्वपूर्ण है।

वर्तमान में सेवा में बीच में प्रवेश की कोई गुंजाइश न होने की वजह से शीर्ष लोक सेवा में जाने का फ़ैसला कम उम्र में ही लेना पड़ता है। यदि वरिष्ठ पदों पर बीच में प्रवेश की सुविधा हो तो व्यक्ति अपने कैरियर के आरंभिक वर्षों में सरकार के बाहर का पद ले सकता है और आगे चलकर सरकार में प्रवेश पा सकता है। मौजूदा प्रणाली के तहत नौकरी से निकलने की स्थितियां निरोधात्मक हैं, क्योंकि नौकरी से एक बार निकलने का मतलब है उसे गंवा देना, क्योंकि वह सरकार के शीर्ष पद पर दुबारा वापस नहीं आ पाएगा।

यह समझना आवश्यक है कि लोक सेवा के क्षेत्र में सुधार इस अर्थ में टुकड़ों में नहीं हो सकता कि यदा-कदा किसी पद पर बाहरी व्यक्ति को नियुक्त कर लिया जाए इससे किसी

किस्म का परिवर्तन नहीं हो पाएगा। उल्टा इससे सुधारों की बदनामी ही होगी। यह सेवा एकाधिकारी के रूप में कार्य करती है और इसके लिए इक्का-दुक्का बाहरी लोगों को उपेक्षित कर देना तुलनात्मक रूप से आसान होगा और वे लोग अपना समय समाचार पत्र पढ़ते हुए या अपना शोध पत्र लिखते हुए गुजार देंगे।

बाहरी लोगों के प्रवेश के साथ-साथ दो और कदम उठाना भी जरूरी होगा। पहला, आईएएस अधिकारियों के पास उपयुक्त योग्यता होने के कारण यदि इन पदों को बाहरी लोगों के लिए न भी खोला जाए तो भी केंद्र में संयुक्त सचिव तथा इससे ऊपर के पदधारियों तथा राज्यों में सचिव तथा उसके ऊपर के पदधारियों के कर्तव्यों और योग्यताओं को ठीक-ठीक एवं सुस्पष्ट रूप से परिभाषित कर लेना तथा सार्वजनिक रूप से उसकी सूचना दे देना अपेक्षित होगा। इससे वरिष्ठ अधिकारियों का जनता के प्रति उत्तरदायित्व

बढ़ेगा। दूसरे, गैरजिम्मेदार अधिकारियों को शीघ्रतापूर्वक सेवा से बाहर कर जल्दी-से-जल्दी इसे छोटा करने की बड़ी जरूरत है। इस छंटाई के साथ-साथ निरर्थक पदों को समाप्त करना भी जरूरी है।

स्थानीय स्तर के प्रशासन में आईएएस अथवा अन्य लोक सेवा अधिकारी के बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। उदाहरण के लिए, कलेक्टर जो आईएएस अधिकारी होता है, जिलास्तर का प्रशासक होता है। आईएएस अधिकारियों की आम शिकायत यह होती है कि विधायक जिले के मामलों में निरंतर हस्तक्षेप करते रहते हैं। इस बात को लेकर सहानुभूति व्यक्त की जा सकती है कि विभिन्न दलों के स्थानीय विधायकों के हस्तक्षेप और विपरीत दिशाओं में खींचतान के कारण अधिकारीगण सुचारू रूप से शासन व्यवस्था नहीं चला पाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ, विधायक जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। मुद्दे की बात यह है कि जनतंत्र में चुने हुए

प्रतिनिधियों को ही प्रशासन का प्रमुख होना चाहिए। अब समय आ गया है कि जिला और प्रखंड स्तर पर यह बदलाव लाने की दिशा में विचार किया जाए।

मैंने जो कुछ सुझाव प्रस्तुत किया है वे रामबाण नहीं हैं। सरकार को सुधार प्रक्रिया आरंभ करने से पहले बड़े पैमाने पर तैयारी करनी होगी। इसके बावजूद एक बात तो तय है कि इस सेवा को बाहरी प्रतिस्पर्धा के सम्मुख खड़ा करना तथा विशेषज्ञता प्राप्त प्रतिभा को अधिक भूमिका सौंपना जरूरी है। यदि आप अब भी इस बात से सहमत नहीं हैं तो मेरी सलाह है कि आप इस सेवा के पक्षधरों की तलाश करें। संभावना यही है कि आपको ऐसा कोई व्यक्ति न मिले। यदि कोई मिल गया, तो वह इस सेवा का ही कोई सदस्य होगा। □

(लेखकद्वय कोलंबिया विश्वविद्यालय में क्रमशः अर्थशास्त्र और भारतीय राजनीतिक अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं)

IAS
PCS/NET

IES
GATE/PSUs

Under the guidance of **Mukesh Sahay**, **SAHAY IAS ACADEMY**

has secured highly esteemed position among the civil services aspirants for...

Highly enriched class lectures which covered more than 90 % questions asked in UPSC Pre2005 & Main 2004
Extraordinarily brilliant & to the point study material

Building up conceptual clarity in each subject with special emphasis on vital areas which enables the aspirants to score 350+ in the Main Examination

- ◆ General Studies
- ◆ History
- ◆ Pub. Ad.
- ◆ Commerce
- ◆ Sociology
- ◆ Law
- ◆ Physics
- ◆ Hindi Litt.

- ◆ Civil Engg.
- ◆ Mechanical Engg.
- ◆ Electrical Engg.
- ◆ E & T Engg.

- ◆ Batches in English & Hindi Medium
- ◆ Morning/ Even./ weekend Batches for Office-goers
- ◆ Rich library facility
- ◆ Hostel Facility arranged

Admissions are open for Foundation 2006 & Main2005

SAHAY IAS ACADEMY

The road map to ultimate success

A unit of SAHAY INSTITUTE FOR ADVANCED STUDIES PRIVATE LIMITED

HO: 28 A/ 11, Jia Sarai, Hauz Khas, IIT gate, New Delhi-110016

Ph: 011-30925658, 55450428, 9810840271

Batches from 10th August & 10th September

Kolkata: BK-19, Sec-2, Salt Lake City
Ph- 033-23591180

सृजन-IAS

एक नई दिशा.....नई शैली.....एक नया अंदाज

इतिहास

द्वारा

राजेश सिंह

विशेषताएँ

1. यह सर्वविदित है कि सिविल सेवा परीक्षा विश्वविद्यालय परीक्षा से भिन्न है अतः इसके तैयारी का तरीका भी भिन्न है जिसे समझना एवं महसूस करना आवश्यक है।
2. सिविल सेवा हेतु इतिहास को एक विज्ञान के रूप में पढ़ने के उपरान्त ही मुख्य परीक्षा के प्रश्नों का उतर संभव है।
3. सफलता हेतु इतिहास का विश्लेषणात्मक अध्ययन आवश्यक है जिसका विद्यार्थियों में कोचिंग करने के उपरान्त भी अभाव होता है।
4. हम इतिहास को विज्ञान के रूप में प्रस्तुत करते हैं।
5. इतिहास के सभी टॉपिकों का विश्लेषण
6. इतिहास को विकास के क्रम में प्रस्तुतिकरण
7. गत वर्षों के प्रश्न एवं संभावित प्रश्न पर कक्षा में विशेष चर्चा
8. प्रश्नोत्तर पर विशेष बल
9. मानचित्र वाले प्रश्न पर बल
10. इतिहास के प्रश्नों के संदर्भ में लेखन शैली पर बल
11. टॉपिक से संबंधित प्रश्नों का Format या संरचना कक्षा में ही बता दिया जाता है।

सामान्य अध्ययन

द्वारा राजेश सिंह एवं अन्य

Main Office

M 2, 1st Floor, Jyoti Bhawan, Mukherjee Nagar, Delhi-9 Ph:- 9868363250

Branch Office

4th Floor, Bombaydying Building, Exhibition Road, Patna, Ph:- 9835464018

YH/8/5/07

प्रशासनिक सुधारों पर चार अनुच्छेद

○ वाई.आर.के. रेड्डी

निश्चित रूप से प्रशासन में सुधार लाना आसान नहीं है। प्रायः परिवर्तन लाने के नरम प्रयास कारगर नहीं होते। एक मजबूत इच्छाशक्ति वाले नेतृत्व के द्वारा ही परिवर्तन और सुधार लाए जा सकते हैं। उसे सुधार के मुख्य औजारों की तुलना में केवल सहज और शीघ्र स्वीकृति के लिए ही नरम प्रयास करना चाहिए

जीवन के अन्य अनेक पहलुओं की तरह प्रशासनिक सुधार एक यात्रा है, गंतव्य नहीं। राज्य की अवधारणा के साथ यह यात्रा तब शुरू हुई जब कौटिल्य (चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री, 321 ई.पू. - 296 ई.पू.) ने प्रशासन के सिद्धांतों का स्वरूप तैयार किया था। उनमें से कई सिद्धांतों की आज भी मान्यता प्राप्त है। इस यात्रा की रफ्तार स्वतंत्रता के बाद की अवधि में धीमी रही है और राजनीतिक जरूरतों के अनुसार इसमें मोड़ आते रहे हैं। यहां तक कि स्वतंत्रता पश्चात काल में घोषित सुधारों की विषयसूची भी कभी-कभार ही मौलिक रही है। अंग्रेजी हुकूमत का असर नहीं हटा है और यह सार्वजनिक 'प्रशासन' से सार्वजनिक 'प्रबंधन' में बदलाव के आंदोलन के दौरान देखा भी गया। इसमें बड़े पैमाने पर निगमीकरण और प्रबंधन के सिद्धांतों को स्वीकार किया गया। इसके अंतर्गत 'नागरिकों' को ग्राहक के रूप में देखा गया और उस पर व्यापारिक प्रक्रिया की अमिट छाप रही। बहुपक्षीय संगठनों का बाजारकेंद्रित ढांचा सुधार के एजेंडे में अपना दबदबा रख रहा है। राज्य की वापसी के सुझावों, कमजोर सरकारों, आउटसोर्सिंग, निजी क्षेत्र का विकास, सार्वजनिक-निजी भागीदारी और नागरिक

समाज द्वारा रिक्तियों के भरे जाने से कमोबेश यही प्रतिबिंबित होता है।

भारतीय लोगों के लिए उपयुक्त दृष्टि और मौलिक सोच की कमी के कारण प्रशासनिक सुधार कार्यक्रम दुखद अवस्था में है। राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी तथा संकुचित स्वार्थों से निपटने के वातावरण और क्षमता की कमी भी इसका कारण हैं। इसी प्रकार अक्षमता, लालफीताशाही और भ्रष्टाचार महामारी का रूप ले चुका है। लोकतांत्रिक समाज में अन्य कोई विकल्प नहीं होने के बावजूद लोगों का विश्वास शासन-प्रणाली और प्रशासन से उठ गया है। घटिया प्रशासन और अत्यधिक भ्रष्टाचार के कारण सभी भागों से प्रतिकूल टिप्पणियां मिल रही हैं। ट्रांसपैरेंसी इंटरनेशनल और अपने देश से मिली तुलनात्मक रिपोर्टों से भी इसका पता चलता है।

प्रशासनिक सुधार के क्षेत्र में निराशाजनक स्थिति के बावजूद विश्व समुदाय की ओर से कई सुधारों की सराहना की गई है। सुधार के लिए सामान्य रूप से उत्साहहीन स्थिति के बावजूद ऐसा हुआ। इसे विशिष्ट ज्ञान अथवा कौशल की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, बल्कि संबंधित प्रशासकों की दृढ़ अभिलाषा,

उपलब्धि-उन्मुखता, कर्तव्य के प्रति गहरे लगाव से यह संभव हुआ।

हमारी उम्मीदों पर खरा उतरने वाली सरकार की तलाश के लिए राजनीति और प्रशासन के मोर्चे पर काफी मंथन करने की आवश्यकता है। प्रशासनिक सुधार की विरोधाभासी चुनौतियों के सूचक के रूप में चार अनुच्छेद यहां प्रस्तुत हैं, लेकिन उनका निष्कर्ष एक ही है। ये चारों एक ही इकाई से संबंधित हैं तथा चार आवाजों की तरह हैं जो एक विशिष्ट अर्थ प्रदान करने के लिए एक ही बात कह रही हैं।

प्रशासनिक सुधार और नल लगाने की कला

प्रशासनिक तंत्र का सुधार नीति सुधार की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है।

यह भवन लगभग 57 वर्ष पुराना है। हम भूतल से पानी खींचते रहे हैं, लेकिन ऊपर की टंकी पहले की तुलना में अब जल्दी खाली होने लगी है। नलों में जंग लगी है और कई स्थानों पर रिसाव हो रहा है। कुछ जैसे स्थानों पर भी रिसाव हो रहे हैं जहां मलजल का भी रिसाव हो रहा है। वर्षों से गाद और कीचड़ की वजह से नल का भीतरी व्यास संकुचित हो गया है और इन दिनों नल से पानी का

बहाव नाममात्र रह गया है। परिसर में पेड़ उग आए हैं और उनकी जड़ें नलों के भीतर अपना रास्ता बनाकर उनका गला घोट रही हैं।

हम लोग इन दिनों भूजल खींचने में दोगुनी ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे हैं और नल द्वारा जल आपूर्ति पहले की तुलना में काफी कम हो रही है। हम जानते हैं कि अब बाजार में ऐसी नई नलें हैं जिनकी सतह चिकनी है और बहुत कम रुकावट के साथ जल का प्रवाह होता है। इस क्रम में हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे द्वारा बनाई गई लाइनें सीधी हों और उसमें कम-से-कम मोड़ और जोड़ हों। अगर हम यहां रहना चाहते हैं तो हमें यह महत्वपूर्ण काम करना होगा।

आर्थिक सुधार और विकास रणनीतियां संसाधन बढ़ाने और नये कार्यक्रमों और परियोजनाओं से भरपूर रहे हैं। लेकिन नल लगाने की कला की तरह उनका प्रबंधन उत्साहहीन रहा है और निचले स्तर पर कार्यकारिणी द्वारा इसका निपटारा होना चाहिए था। सुधार का अभिप्राय नीतियों में बदलाव करना था, व्यवहारों अथवा पाइपों में नहीं। आर्थिक सुधारों में घुमाव टैंक और नलकूप जैसी है। प्रशासनिक सुधारों के मामले में हम काफी पीछे रह गए हैं, जो अब पुराने नलों की तरह जर्जर, जंग लगा, तुड़ा-मुड़ा, रिसनेवाला और प्रदूषणयुक्त हो गया है।

हमारे देश में प्रशासनिक सुधार का गलत सिलसिला रहा है। आर्थिक सुधारों के साथ इसकी शुरुआत '90 के दशक में हुई और संस्थानों, प्रशासनिक प्रक्रियाओं और माध्यमों की ओर पर्याप्त ध्यान दिए बिना ही बाजार खोल दिए गए। चीन जैसे कुछ देशों में प्रशासनिक सुधार आर्थिक सुधारों से पहले शुरू हुए और कुछ देशों में आगे-पीछे। प्रशासनिक सुधार के प्रयास जो '60 के दशक में मिले सुझावों के साथ शुरू हुए, उनमें बहुत थोड़ी प्रगति हुई है। क्रियात्मक स्तर पर संगठन और प्रक्रिया (ओ एंड एम) प्रभाग अथवा सरकार के विभाग में औद्योगिक इंजीनियरिंग विज्ञान के लिए एक ओट की तरह रहे हैं। वे अकुशल कार्यविधि, लेनदेन की कृत्रिम ऊंची लागत और कल्याण का स्तर नीचे लाने वाली

प्रक्रिया का मूक दर्शक भर थे।

निश्चित रूप से प्रशासनिक सुधार आसान काम नहीं है। अक्सर परिवर्तन लाने वाले नरम प्रयास कारगर नहीं होते क्योंकि वर्तमान में सत्ता, प्रतिष्ठा और दर्जे का आनंद पाने वाले लोग किसी प्रकार का जोखिम उठाना नहीं चाहेंगे। कारपोरेट क्षेत्रों में भी यही स्थिति है। एक सशक्त इच्छाशक्ति वाले नेतृत्व के माध्यम से परिवर्तन और सुधार लाए जा सकते हैं जिसके द्वारा सुधार के मुख्य औजारों की तुलना में केवल सरल और शीघ्र स्वीकृति के लिए ही नरम प्रयास होना चाहिए। वास्तव में सुधार का औजार नेतृत्व की सत्ता और उसके प्रबंधन में होता है। मेधावी नेतृत्व सत्ता का इस्तेमाल होशियारी से करते हुए पहले अभिजात्य वर्ग को साथ लेकर फिर शेष प्रणाली में सुधार के लिए प्रयास करते हैं। इस क्रम में अंत में यह शेष प्रणाली पर असर डाल सकता है।

दुख की बात है कि हमारा राजनीतिक नेतृत्व इस मामले में उस समय भी संतुष्ट था जब संसद और विधान सभाओं में उसके पास पूर्ण बहुमत था। खाइयों से घिरी नौकरशाही की सत्ता के साथ घुल-मिल जाने की विशेषता है। यह सत्ता के नेतृत्व पर निर्भर रहती है जो बदले में अपनी सत्ता की समाप्ति तक मौन बनी रहती है। इस प्रकार निष्क्रिय विभागों में भी बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। मानव श्रम को काम वाले विभागों में स्थानांतरित करना और उसका इस्तेमाल करने में लचीलेपन का अभाव है। इनके उत्पादक उपयोग के परिणामस्वरूप राजस्व अर्जन हो सकता है अथवा लक्षित समूह के लिए उपयोगी सेवाएं मिल सकती हैं। हमारे पास व्यवसाय से संबंधित ऐसे नियम और प्रक्रियाएं हैं जो प्रबंधन और इंजीनियरिंग के सभी तर्कों को मात देते हैं। कई परियोजनाओं के साथ प्रतिस्पर्धी लोकप्रियता के हिस्से के रूप में प्रतिवर्ष घोषित कई स्कीमों के साथ-साथ नियम मंद पड़ जाते हैं। स्कीमों, नियम, प्रक्रिया और फार्म लटक रहे हैं और उनमें नई-नई चीजें जुड़ती जाती हैं।

विकास और उन्नति अब सार्वजनिक नीति निर्धारण, कार्यक्रम और संसाधन के आवंटन

की क्रिया नहीं हैं। वे इस बात पर अधिक निर्भर प्रतीत होते हैं कि किसानों, वंचितों और गरीबों पर केंद्रित प्रक्रियाओं को कितनी जल्दी और कितने कारगर ढंग से लागू कर लिया जाए। यह जरूरी नहीं कि मानवीय चेहरे वाले आर्थिक सुधार का परिणाम कल्याणकारी ही हो। यह प्रशासनिक सुधार से ही हो सकता है। इसके लिए मानवीय दृष्टि और स्थिति को सुधारने की अभिलाषा होना जरूरी है। कुछ राज्यों के पास सरकारी परियोजनाओं के लुभावने नाम हैं। कुछेक आडंबरपूर्ण अध्ययनों और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कंप्यूटरीकृत सेवाओं की बिक्री योग्य कहानियों के आधार पर बहुसंख्यक जनता का जीवन नहीं बदला जा सकता। प्रशासन की पुनर्संरचना जरूरी है और इस दौरान वितरण लक्ष्यों, आम आदमी और पिछड़े लोगों को ध्यान में रखना होगा।

लोक सेवक

सार्वजनिक सेवा के मूल्यों, उद्देश्य और सक्षमता की पुनर्समीक्षा जरूरी है।

प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह की सरकार के सचिवों के साथ बैठकें उल्लेखनीय हैं इससे सभी सिविल अधिकारियों के बीच एक अच्छा संकेत जाता है कि उन्हें बिना किसी प्रकार के भय अथवा पक्षपात के काम करना चाहिए।

ऐसा करने के लिए उन्हें अपने मूल्यों, उद्देश्य और क्षमता पर भी विचार करना चाहिए। प्रशासन कोई रॉकेट विज्ञान नहीं है, अगर इसका मानकीकरण हो और अभिलेखीकरण हो तो यह सबसे आसान है। अक्षमता और देरी जो कार्य को प्रभावित करती हैं, मुख्य रूप से इच्छाशक्ति की कमी के कारण होती हैं। प्रोत्साहन प्रणाली द्वारा इनका हल संभव नहीं है। ई-प्रशासन परियोजनाएं, पुनर्इंजीनियरी और काम करने की आधुनिक प्रौद्योगिकी अपनी जगह जरूरी हैं पर सभी स्तरों पर खराब परिणाम रोकने के लिए पर्याप्त नहीं हैं जो वस्तुतः कमजोर इच्छाशक्ति के कारण होती हैं न कि वस्तुओं की कमी के कारण।

किसी भी स्थिति में प्रक्रियाओं और प्रौद्योगिकी में परिवर्तन की प्रक्रिया स्वाभाविक होनी चाहिए। कोलाहल वाले सुधार दर्शाते हैं कि प्रणाली जर्जर है जो जगह-जगह चरमरा

रही है।

इच्छाशक्ति की कमी मुख्य रूप से सार्वजनिक सेवा के मूल्यों, उद्देश्य और सेवा के प्रति गर्व के ह्रास से उत्पन्न होती है। एक व्यवसाय होने के नाते नहीं, बल्कि सिविल सेवाएं तभी कारगर हो सकती हैं जब सार्वजनिक सेवा के मूल्यों द्वारा व्यवहारों का संचालन हो। अन्यथा मूल्यों की तुलना में वरिष्ठता महत्वपूर्ण हो जाती है। व्यावहारिक शब्दों में हम कह सकते हैं कि बच्चों पर वयस्क का दबदबा स्वाभाविक रूप से हो जाता है।

कुछ देशों में इसे सोपान लक्षण के रूप में माना जाता है। ऐसे में लक्षित समूहों, वंचितों और दलितों की भागीदारी नहीं हो सकती और शक्तिसंपन्न व्यक्ति सारे निर्णयों पर कब्जा जमा लेते हैं।

रोजगार की कमी वाले देश में कुछ सिविल अधिकारी मानते हैं कि उनका पद दैवी कृपा द्वारा प्रदत्त संपत्ति है। यह सत्ता, प्रतिष्ठा और सामाजिक दर्जा दिलाती है और यह जरूरी भी है।

दुर्भाग्यवश, 1991 से बाजार में आए परिवर्तनों से इस संपत्ति का विकास ठहर गया है और मूल्य स्थिर हो गया है। एम्बेसेडर अथवा प्रीमियर कारों की जगह मर्सिडीज, स्कोडा, सोनाटा और एसयूवी कारों ने ले ली है। उदारीकरण के बाद निजी क्षेत्र में वेतन व अन्य भत्तों में भारी वृद्धि हुई है। कम समय से व्यवसाय में लगे व्यक्ति की भी अच्छी-खासी संपत्ति देखने को मिल रही है। बिना सोच वाले सिविल अधिकारी इस होड़ में शामिल होने के लालच में आ जाते हैं और सार्वजनिक सेवा की भावना खो देते हैं। वे अन्य तरीके अपना लेते हैं जिनमें से कुछ तो अनैतिक हैं और कुछ स्पष्ट रूप से अवैध भी।

बहुत से देशों में सिविल अधिकारियों का चयन और उनकी पदोन्नति की प्रक्रिया में नए ज्ञान के साथ सुधार हुआ है। अब संवाद कौशल और सामान्य ज्ञान उनके लिए मुख्य कसौटी नहीं रहे।

अब 'क्षमतावान' को प्राथमिकता दी जाती है जिसमें अभिमुखता का इस्तेमाल करना

शामिल है और उसके उपलब्धि उन्मुखता के साथ निकट संबंध हों। भारतीय एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज के विभागाध्यक्ष के रूप में मेरे पास सिविल सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों का एक प्रशिक्षित समूह था जिनमें से केवल 10 प्रतिशत के पास ऊंचे स्तर की संबंधित क्षमता थी। ये वैसे व्यक्ति होते हैं जो उद्देश्य की भावना कायम रखने के साथ ही जनसेवा के मूल्यों द्वारा मार्गदर्शित होते हैं, आसानी से विचलित नहीं होते तथा बाधाओं पर विजय पाकर एक निर्देश चिन्ह कायम करते हैं। जहां वे काम करते हैं, बिना शोरगुल के ही सुधार होते हैं।

अपने कार्य निष्पादन की गुणवत्ता से उन्हें संतोष मिलता है न कि सत्ता की मंजूरी से। सही निर्णय करने के लिए वे अपने नेतृत्व का इस्तेमाल अन्य लोगों, यहां तक कि मंत्रियों को भी प्रभावित करने की कला के रूप में करते हैं।

जनसेवा के मूल्य और उपलब्धियां एक साथ मिलकर इस प्रकार का कैरियर चुनने वाले कुछ भाग्यशाली लोगों को गर्व और संतोष प्रदान करते हैं। वे अपने पारिवारिक लक्ष्यों और कैरियर की सीमाओं के बीच अच्छा संतुलन कायम करते हैं।

वे अपने उद्देश्य की भावना कायम रखते हैं और गलत रास्ते पर होड़ नहीं लगाते। प्रत्येक महत्वपूर्ण निर्णय के समय वे सामाजिक लागत-लाभ के सिद्धांतों के विश्लेषण का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वे लक्षित समूह का ध्यान रखते हैं और उनका अधिकतम कल्याण चाहते हैं।

समय की कमी और कम संसाधन के विरुद्ध प्रतिस्पर्धी मांगों से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए वे तत्परता से काम करते हैं और अपने दिमाग में निरंतर इसका ध्यान रखते हैं।

लोक सेवा अधिकारियों के लिए इन क्षेत्रों का मूल्यांकन जरूरी है तभी उनका आत्म-सुधार होगा क्योंकि वस्तुतः सुशासन का शत्रु दिमाग में होता है। अक्सर घुड़सवार घोड़े की परस्पर तुलना की ओर अधिक प्रेरित होते हैं और घोड़े को बिना चाबुक मारे प्रतियोगिता में जीत दिलाने की चुनौती उनके

सामने होती है।

जंगली घोड़े के साथ कानाफूसी करने वाले मोंटी रॉबर्ट्स ने घोड़े से बातचीत करने का एक तरीका विकसित किया, जिसके बल पर उन्होंने कई बड़ी प्रतियोगिताओं को आसानी से जीत लिया। आशा है कि प्रधानमंत्री के भाषण से लोक सेवा अधिकारियों पर वैसा ही असर होगा क्योंकि उनके लिए प्रशिक्षण से अधिक बातचीत की जरूरत है।

प्रशासनिक सुधार और भारतीय प्रशासनिक सेवा

रिकाडों के अनुसार इस्पात का यह फ्रेम भी ऐसे किसी सुधार का विरोधी होगा जिससे उसके हितों का नुकसान होता हो।

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के फैसले पर कई लोगों ने प्रतिकूल टिप्पणियां की हैं। उनका मानना है कि इसके चलते हाल की समितियों के सुझावों से ध्यान हट जाएगा और यह एक कागजी व्यवहार बनकर रह जाएगा। पहले प्रशासनिक सुधार आयोग (1966-70) की ओर से 19 रिपोर्टें मिलीं, जिनके आलोचनात्मक सुझावों को नहीं लागू किया गया। वेतन आयोगों से अलग, पिछले चार सालों में हमारे पास पांच समितियां थीं, जिनमें प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से प्रशासनिक सुधारों को शामिल किया गया था और नागरिक सेवाओं में सुधार के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया था। 1950 से लेकर अब तक का अनुभव बताता है कि कुछ सुविधाजनक और चुनिंदा सुझावों को स्वीकार किया गया जिनसे सत्ता के ढांचे और नागरिक सेवाओं से जुड़े हितों पर किसी प्रकार का व्यवधान नहीं होता था। कहा जाता है कि यह एक ऐसा 'इस्पात फ्रेम' है जो अक्सर ऐसे आयोगों और समितियों को कैद कर लेता है।

सरदार पटेल ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के संवैधानिक संरक्षण का समर्थन किया, ताकि यह जनता के फायदे के लिए एक स्वतंत्र पक्षधर के रूप में अपना काम करने में सक्षम हो सके और सत्ता के दुरुपयोग पर राजनैतिक लोगों द्वारा रोक लग सके।

इस ढांचे में कार्यरत 4,200 मेधावी अधिकारी शामिल हैं। आर्नोल्ड स्ववार्जेनेगर

की फिल्म की टर्मिनेटर सीरीज की तरह का धातु जो कोई भी आकार ग्रहण करके अपना बचाव कर लेता है। जल्द ही यह ठीक उसी तरह उपयुक्त आकार ग्रहण कर लेता है जैसे कोई तरल धातु किसी छिद्र में बह जाता है। न्यायिक और वैज्ञानिक क्षेत्रों में भी इनका अर्थ है। यह सभी बुद्धिजीवियों, विशेषज्ञों और विदेशी निकायों के स्थापित विशेषज्ञों और सभी कैंडिडेटों के साथ संघर्ष करता है। यह हर समय शीर्ष पर ही होना चाहता है।

स्थापित मत के अनुसार इसकी आलोचना को पूर्वाग्रह और ईर्ष्या मानकर उसकी उपेक्षा कर दी जाती है। कोई हथियार या सुझाव इस फ्रेम को चोट नहीं पहुंचा पाते। शेष नौकरशाही के लिए यह अनुकरणीय है। यह सुधारों को स्वीकार करने अथवा प्रतिरोध करने के लिए शर्तें और स्तर निर्धारित करता है। अनुभवहीन राजनीतिक नेताओं को यह निराश करता है। यह राजनीतिक नेताओं को यह महसूस कराता है कि वे कैसे पक्षी हैं जिसे अपने कीड़े को साथ लेकर उड़ जाना है। ये उदासीनतापूर्वक कीड़े को साथ करने में उनकी मदद भी करते हैं। सुधार के नाम पर यह किसी प्रकार के आडंबर से यह बाज नहीं आता। यह केवल उन्हीं प्रक्रियाओं में सुधार लाएगा जिनसे इसके व्यापक हितों को चोट नहीं पहुंचेगी। विडंबना यह है कि नेताओं को किसी भी प्रकार के सुधार के लिए इसी 'इस्पात फ्रेम' पर निर्भर होना पड़ता है जबकि यह अपने पैर में गोली मारने से इनकार करता है।

पहले प्रशासनिक सुधार आयोग की ओर से सामान्य सेवाओं से लेकर विशिष्ट सेवाओं में सुधार लाने के लिए कई सुझाव दिए गए। उन अधिकारियों को छोड़कर जो अर्थशास्त्र, सूचना प्रौद्योगिकी, सार्वजनिक उपक्रम, प्रबंधन, ऊर्जा, आपदा और शहरी प्रशासन के क्षेत्र में विश्वस्तरीय व्यावसायिक के रूप में उभरे हों, यह अति-सामान्य सेवा के रूप में कायम है। इसमें नए लोगों को शामिल करने की प्रक्रिया जारी है और '70 के दशक में किए गए प्रयास के अनुसार बीच में प्रवेश पर प्रायः रोक लग गई। इस प्रकार इसका एक विशेष क्रम कायम है जो अर्थव्यवस्था को

काफी हद तक नियंत्रित करता है।

एक अन्य दृष्टिकोण से 'इस्पात फ्रेम' खास हो सकता है। 1985 में कराए गए एक अध्ययन के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों का कोटा लगातार रिक्त रहा और आंकड़े को पर्दे में रखा गया। अन्य अल्पसंख्यकों को उनकी जनसंख्या की तुलना में अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाता है और मुसलमानों को कुल मिलाकर कम प्रतिनिधित्व मिलता है। हिन्दुओं में उच्च जाति के पास 68 प्रतिशत प्रतिनिधित्व है। शूद्रों के पास महज 2 प्रतिशत प्रतिनिधित्व है, जिसमें आंध्र प्रदेश का अपेक्षाकृत बड़ा प्रतिनिधित्व भी शामिल है। महिलाओं का प्रतिनिधित्व उनकी संख्या के 8 प्रतिशत से भी कम है। आनुषंगिक होने के बाद भी शहरी भेदभाव के साथ सामूहिक हितों के स्थान पर धनी और प्रभावशाली लोगों के हितों का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार अलघ समिति ने 'सत्ताधारी विचारधारा' पर टिप्पणी की है।

इस इस्पात फ्रेम ने केंद्रीय निगरानी आयोग से भी अपने को अलग रखा है। केंद्रीय निगरानी विभाग द्वारा कराए गए *द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस - ए स्टडी ऑफ द करेंट स्टेट ऑफ प्रीवेंटिव एंड प्यूनितिव विजिलेंस मेकेनिज्म* नामक अध्ययन से यह तथ्य सामने आया है। अब हमें सुधार की अवधारणा तैयार करने और उसे लागू करने के लिए एक अति मेधावी और शक्तिशाली निकाय की जरूरत है - एक स्थायी आयोग, जिसे सुधारों से परे की चीजों की जानकारी भी हो। इसे एक रणनीति के तहत स्नातकों की ताजा नियुक्तियों पर रोक लगाना चाहिए और बीच में प्रवेश की संभावनाओं के साथ विशेषज्ञों और नए संवर्गों की एक प्रणाली विकसित होना चाहिए। अधिक उपयुक्त सांगठनिक रूपरेखा, विविधता, उत्तरदायित्व, जनसेवा, मूल्यों और उत्पादपूर्ण कार्यनिष्पादन, विकास के बड़े लक्ष्यों को समर्थन, समानता और न्याय तक पहुंचने का यही एक रास्ता है। किंतु तब भी इस्पात फ्रेम एक तथ्य के रूप में कायम रहेगा।

वाणिज्य के लिए राजनयिक सामंजस्य

अति प्रतिस्पर्धी वाणिज्यिक परिदृश्य में इसका विशेष लाभ संभव है।

माइकेल पोर्टर ने राष्ट्र के प्रतिस्पर्धी लाभ के बारे में सरकार की प्रमुख भूमिका का वर्णन किया था। अपने बाद के लेखों में उन्होंने न्यूजीलैंड जैसे देशों और मध्य अमरीका और मध्य-पूर्व जैसे भौगोलिक क्षेत्रों की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया था। उनके अनुसार सरकार की आधारभूत भूमिका में व्यापक आर्थिक और राजनीतिक स्थायित्व, सूक्ष्म आर्थिक पहलुओं और संस्थानों में सुधार, लाभ का सृजन और उत्पादकता बढ़ाने वाला शासन, चुनौतीपूर्ण आर्थिक परिदृश्य कायम करना और सरकार, व्यवसाय और नागरिकों को प्रेरित करने वाले कार्यक्रम शामिल हैं। वैश्वीकरण और प्रशासन पर हाल के सेमिनार से सरकार की बढ़ती आलोचनात्मक भूमिका को मान्यता मिलती है।

पोर्टर ने व्यापार और सरकारी अंतर्क्रिया में परिवर्तन का आह्वान किया। उन्होंने और अधिक निर्वाहयोग्य तंत्र की मांग की। उन्होंने सुझाव दिया कि सरकार की वर्तमान पहुंच जो विपरीत और परंपरावादी है, उसे प्रतिस्पर्धा के बारे में परामर्श करना चाहिए।

उनके तर्कों में से अधिकांश उत्पादकता आधारित प्रतियोगिता के साथ जुड़े हैं जो एक भौगोलिक क्षेत्र से उत्पन्न हो रहा है। सरकार के पास और भी मुद्दे हैं जिनके कारण विश्व बाजार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा को समर्थन दिया जाए। एयरबस और बोइंग से संबंधित मुद्दे में अप्रत्यक्ष रूप से यह दर्शाया गया है। इन दोनों के बीच का विवाद वाणिज्यिक संबंधों के क्षेत्र में एक मामले का अध्ययन है।

कुछ लोगों का मानना है कि ब्रिटेन, अमरीका और फ्रांस के राजनयिक दूसरों की तुलना में अपने उद्योगों को बढ़ावा देने के मामले में बेहतर हैं। इस समूह में चीन भी हो सकता है। यह प्रयास पारंपरिक वाणिज्यिक संबंधों से भिन्न है जिनमें घिसे-पिटे उत्तर, हस्ताक्षर समारोह, आयात-निर्यात निर्देशिका का रखरखाव और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नियम शामिल हैं। यह रणनीति से संबंधित

हैं। मैं भारत स्थित एक महत्वपूर्ण उच्चायोग के प्रथम सचिव द्वारा जैव-प्रौद्योगिकी के बारे में उपलब्ध जानकारी की यह थाह लेने भर के लिए कई लोगों से मिलने के बारे में ध्यान दिलाना चाहूंगा कि इसका अल्प उपयोग हुआ है, आधा उपयोग हुआ है अथवा एकदम भुला दिया गया है। वह अपने देश के उद्योगों की ओर से जैव-प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपने देश के प्रयासों पर रणनीति बनाने में जुटे थे।

एक अति-प्रतियोगी वातावरण में व्यापार और सरकार के बीच सहयोग का निश्चित रूप से विस्तार होना चाहिए ताकि राजनयिक माध्यमों और उनकी उपस्थिति का विशेष लाभ लिया जा सके। अगले दौर की प्रतियोगिता इस बात की होगी कि वस्तुतः ये माध्यम कितने समन्वित, त्वरित और रणनीतिक हैं। इसके लिए स्थानीय बाजार और मांग-पूर्ति समीकरण, भारत को लाभ दिलाने वाले व्यापार के प्रमुख प्रतियोगियों के उत्पाद, रणनीतिक निवेश के अवसर, संयुक्त उपक्रम, अधिग्रहण

और बड़े निर्यात, भारतीय व्यापार की भागीदारी बढ़ाने के तरीके, भारतीय ब्रांडों को बढ़ावा देने, औद्योगिक चुनौतियों के बारे में जानकारी देने प्रतियोगिता से भी तीव्र गति से अवसर तलाशने की क्षमता की जरूरत है। क्या दूतावास और उच्चायोग इन जरूरतों की पूर्ति के लिए पर्याप्त क्षमता रखते हैं?

पारंपरिक भूमिकाओं और व्यापारिक कार्यकलाप को कम महत्व देने के रवैये में उदारीकरण के बावजूद भी कोई बदलाव नहीं आया है। विश्व में हर तरफ अवसर उपलब्ध होने के बावजूद यूरोप-अमरीका केंद्रित सोच में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। चीन ने विश्व के किसी भी हिस्से से अवसर उपलब्ध करने के महत्व को स्वीकार किया है। उद्योग से जुड़े लोगों को दिल्ली-केंद्रित घरानों की अपेक्षा प्रतिस्पर्धा में सुधार लाने की ओर अपना योगदान करना चाहिए।

समय आ गया है कि विदेश मंत्रालय की ओर से दूतावासों के ढांचे, कर्मचारी क्षमता

और वितरण को एक मिसाल के रूप में कायम किया जाए और इस काम में उन्हें भी साथ लेना चाहिए जो अपने उद्योगों को बढ़ावा देने में जी-जान से जुटे हैं। इसके अंतर्गत भारत-आधारित रणनीतिक शोध/विचार केंद्र वाली वितरण प्रणाली पर विचार होना चाहिए। इसमें व्यावसायिक रणनीति के विशेषज्ञों, कारपोरेट और वित्तीय सलाहकारों को शामिल किया जाना चाहिए। इसके लिए वर्तमान राजनयिकों को फिर से प्रशिक्षण देने और कर्मचारियों के लिए नई शर्तों की जरूरत हो सकती है। कार्ल वॉन क्लॉसेविज के अनुसार युद्ध दूसरे रूप में राजनीति को जारी रखने की प्रक्रिया है। अब वस्तुतः राजनयिक संबंध एक अन्य रूप में व्यापार को बढ़ावा देने का माध्यम है। □

[यह लेख फाइनेंशियल एक्सप्रेस में प्रकाशित प्रो. रेड्डी के चार लेखों को मिलाकर तैयार किया गया है। इसे इंडियन एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स (मुंबई) लिमिटेड की अनुमति से पुनः प्रकाशित किया जा रहा है। पूरे विश्व में इसका सर्वाधिकार सुरक्षित है।]

RAO IAS

THE MOST POPULAR INSTITUTE FOR IAS AND PCS

14/1, स्टैनली रोड, (लोक सेवा आयोग के सामने), इलाहाबाद फोन: 2601624

पत्राचार कोर्स एवं क्लास कोचिंग, छात्रावास उपलब्ध

हिन्दी माध्यम

IAS/PCS (Pre & Main) बैच 16 अगस्त से

भूगोल विजय कुमार मिश्र
वैकल्पिक विषय
(Pre & Main) द्वारा

- नवीनतम परीक्षा प्रणाली के अनुसार विषय की तैयारी ● 500 से अधिक मानचित्रों का अभ्यास
- प्रतिदिन होमवर्क तथा उनका सूक्ष्मता से परीक्षण ● सम्पूर्ण पाठ्यक्रम पर भरपूर अध्ययन सामग्री
- पॉच महीने का गहन शिक्षण एवं प्रशिक्षण ● अभ्यास हेतु वस्तुनिष्ठ प्रश्नावलियाँ, नियमित टेस्ट
- सर्वोत्तम शिक्षण परिवेश

Now We have no Branch at Dehradun

विषय उपलब्ध :- सामान्य अध्ययन और निबन्ध, इतिहास, लोक प्रशासन, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, विवरण पुस्तिका हेतु रू० 50/- M.O. से भेजें

SATYA

YH/8/5/13

Interactions IAS Study Circle

हिन्दी माध्यम DIVISION

Announces Admissions

to the IAS entrance Training Programme 2005-06

Alternative Learning Systems (ALS) is one of India's leading learning institutions established with an aim to develop as the final destination for all career initiation

Interactions — A Division of ALS — is India's premier institution established with the sole aim to initiate, enable and empower individuals to grow up to be responsible Civil Servants. The vision at Interactions has been to guarantee this nation and its citizens, a team of committed professionals ready

Subjects offered for the IAS Classroom Training Programme

भूगोल

Shashank Atom (Programme Director)
(Prelim-cum-Main/Main 2006)
Classes starting 22 August 2005

लोकप्रशासन

B L Fadia (Programme Director)
Main-cum-Prelim/Main
Classes starting 13 July 2005 & 1 August 2005

दर्शनशास्त्र

in association with **वेदान्त**
SCHOOL OF PHILOSOPHY
Main-cum-Prelim/Main
Classes starting 22 August 2005

सामान्य अध्ययन

Manoj K Singh (Programme Director)
(Foundation Course-IAS 2006)
Classes starting 1 August 2005

इतिहास

Manoj K Singh (Programme Director)
(Prelim 2006)
Classes starting 22 August 2005

GS POSTAL PROGRAMME

GS मुख्य परीक्षा 2005 व GS Foundation 2006-07 हेतु सामान्य अध्ययन कोर्स सामग्री उपलब्ध है। GS मुख्य परीक्षा हेतु Rs 1500, प्रारंभिक + मुख्य हेतु 2500 रु. का DD 'NIDL' (A division of ALS) के नाम भेजें।

IAS Study Circle
interactions
Shaping dreams into success

Note: Payment should be made either in Cash or DD.
In case of DD, it must be in favour of Alternative Learning Systems (P) Ltd, payable at Delhi

Corporate Office: ALTERNATIVE LEARNING SYSTEMS (P) LTD
B-19, ALS House, Near UTI ATM, Dr Mukherjee Nagar, Delhi-9
Ph: 27651700, 27651110. Cell: 9810312454, 9810269612

Divisions of ALS

ALS Alternative Learning Systems

IAS Study Circle
interactions
Shaping dreams into success

MIPS
EDUCATION

NI
DI

COMPETITION
WIZARD

ISGS
Indian School of General Studies

महामहिम के कलेक्टर के साथ नजीर साहब की लड़ाई

○ एल.सी. जैन

यद्यपि भारत ने महामहिम राजा को उनके शाही भार से 1947 में ही मुक्त कर दिया था, परंतु महामहिम कलेक्टर के शासन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अपनी मृत्यु से कुछ दिन पूर्व नेहरू जी से पूछा गया कि प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सबसे बड़ी विफलता आप क्या मानते हैं। उन्होंने उत्तर दिया, "प्रशासन का सुधार करने में असफल रहने को"

कर्नाटक में नजीर साहब को पंचायती राज के प्रणेता के रूप में याद किया जाता है। उप-मुख्यमंत्री सिद्धारमैया याद करते हैं, "वे इसके विद्वान तथा इसके कार्यान्वयन के प्रेरणास्रोत थे। राजनीतिज्ञों में वे स्वप्नद्रष्टा थे तथा विकेंद्रित शासन और ग्रामीण आबादी को अधिकार-संपन्न बनाने हेतु उत्साहपूर्वक समर्पित।" यद्यपि पंचायतीराज के अधिष्ठापन में नजीर साहब का योगदान अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु यह समय हमारे लिए दो अंतर्संबंधित क्षेत्रों में उनके महत्वपूर्ण योगदान पर विचार करने का है। पहला, ग्रामीण भारत में औपनिवेशिक प्रशासन, जैसे कलेक्टर का शासन जो 1947 की स्वतंत्रता के बाद भी कायम है पर प्रहार, और दूसरा, ग्रामीण भारत पर अगड़ी जातियों के अविजेय सामाजिक, राजनीतिक पकड़ को ध्वस्त करने की उनकी रणनीति।

यद्यपि भारत ने महामहिम राजा को उनके शाही भार से 1947 में ही मुक्त कर दिया था। परंतु महामहिम कलेक्टर के शासन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यह दुःखद है कि स्वातंत्रयोत्तर काल में हमारे बीच के महान व्यक्ति भी औपनिवेशिक शासन से हमारी राजनीति का परिशोधन करने में असफल रहे। हमारे बीच से नेहरू जी के विदा लेने से कुछ ही दिन पूर्व एक पत्रकार ने उनसे पूछा, "पंडित

जी, 17 वर्षों के अपने प्रधानमंत्रित्व काल में आप अपनी सबसे बड़ी विफलता किसे मानते हैं?" नेहरू जी ने उत्तर दिया, "प्रशासन का सुधार करने में असफल रहने को, जो भारत की निर्धनता के लिए जिम्मेदार है।" सच तो यह है कि लोकतांत्रिक रूप से चुने गए हमारे नेताओं ने कलेक्टर राज को असीम सुविधाजनक पाया। एक बार मतपेटियां मुहरबंद हो जाती थीं, उसके बाद न तो उनके पास समय होता और न ही आम जनता से मुखातिब होने और उनकी रोजमर्रा की तकलीफों को सुनने की प्रवृत्ति। उन्होंने पीड़ित मानवता को कलेक्टर के द्वार की तरफ मोड़ दिया।

इस तरह, विडंबनापूर्वक स्वतंत्रता के उपरांत लंबे समय से तिरस्कृत कलेक्टर राज ने वास्तव में उन्नति ही की है। यह 1952 के समुदाय विकास कार्यक्रमों से शुरू हुए ग्रामीण क्षेत्रों की वृद्धि हेतु अनेक कार्यक्रमों के कारण और अधिक सशक्त हो गया। विकास कार्यक्रमों का मुख्यबिंदु समुदाय की जगह कलेक्टर बन गया। जब योजना भवन ने अपने सपनों को प्रत्येक पांच वर्ष पर अवतरित करना प्रारंभ किया, तब डाकिये ने वह पैकेज कलेक्टर के यहां पहुंचा दिया। वही सही पता माना जाता था। यह स्थिति इसके बावजूद अपरिवर्तित बनी रही कि क्रमशः प्रत्येक

पंचवर्षीय योजना में यह स्वीकार किया गया कि उसके स्वप्न नौकरशाही और विभागीय रूप से खंडित जिला प्रशासन द्वारा पथच्युत कर दिए गए हैं।

हमें इस नीरस इतिहास में इसलिए जाना पड़ा ताकि एक व्यक्ति, जिनका नाम नजीर साहब है, उनके मूल योगदान का सही मूल्यांकन हो सके। जब नजीर ने 1983 में रामकृष्ण हेगड़े के नेतृत्व में कर्नाटक की जनता दल सरकार में ग्रामीण विकास तथा पंचायतीराज मंत्री के रूप में पद संभाला, तब उनकी प्राथमिकता पंचायतीराज की स्थापना की उतनी नहीं थी, जितनी कलेक्टर राज को ध्वस्त करने की, जिसके सही स्वभाव को उन्होंने गोखले की तरह पूर्णरूपेण समझ लिया था। उन्होंने कलेक्टर राज को विखंडित करने हेतु कई चतुर एवं अभूतपूर्व कदम उठाए। सर्वप्रथम कलेक्टर को विकास कार्यों के भार से मुक्त किया गया। ये कार्य एक निर्वाचित अध्यक्ष के नेतृत्व में एक निर्वाचित जिला परिषद में निहित किए गए। जिला परिषद कलेक्टर द्वारा नहीं बल्कि सचिव नामक एक प्रशासक द्वारा सेवित होने वाले थे। इस प्रकार जिला प्रशासन में कलेक्टर के अपने ऐतिहासिक रूप से श्रेष्ठी के रूप में प्रतिष्ठित पद से निकासी हेतु सम्मानजनक पृष्ठभूमि तैयार की गई थी। विभिन्न विकास विभागों

से संबंधित अलग-अलग अफसरों को मुख्य सचिव, जिला परिषद के एकीकृत नियंत्रण में रखा गया और उन्हें कलेक्टर के क्षेत्र से बाहर कर दिया गया।

जनता की नजरों में कलेक्टर की 'माई-बाप' वाली छवि में परिवर्तन के लिए, नजीर एवं हेगड़े ने नौकरशाही की अलमारी से ही एक योजना ली। यह निर्णय किया गया था कि जिला परिषद का मुख्य सचिव एक आईएएस अधिकारी को रखा जाए जो कलेक्टर से पांच से छह वर्ष वरिष्ठ हो। इसलिए इच्छा अथवा अनिच्छा जो भी हो, उसे जिला परिषद के मुख्य सचिव को 'सर' कहना होगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि मुख्य सचिव कलेक्टर का पुनर्जन्म न बन जाए, इसे लोकप्रिय ढंग से निर्वाचित जिला परिषद तथा उसके अध्यक्ष के नियंत्रण में रखा गया। तथापि, समस्या यह थी कि सामान्यतः आईएएस अधिकारी मंत्री के सिवा किसी और निर्वाचित प्राधिकारी के नियंत्रण में काम के विचार का खुला विरोध करते रहे थे। अशोक मेहता समिति ने 1978 में इसे अभिलिखित किया था। नजीर जी ने उत्तम तरीके से इस बाधा को भी पार किया। उन्होंने हेगड़े मंत्रिमंडल से जिला परिषद अध्यक्ष को राज्य मंत्री के पद का दर्जा दिलवाया। नजीर ने मुस्कारते हुए विरोध कर रहे अधिकारियों से कहा - आप केवल मंत्री के नियंत्रण में ही कार्य करना चाहते थे तो ऐसा ही हो। मैंने आपको मंत्री दे दिया है। प्रशासनिक सुधारों तथा शासन के सभी निबंधकारों को नजीर जी द्वारा प्रशासन को एक लोकतांत्रिक दल के अनुसार जामा पहनाने के तरीकों से सबक लेना चाहिए।

केवल कलेक्टर राज का रूपांतरण ही नजीर जी का अंतिम लक्ष्य नहीं था। इसे पंचायतीराज के बिरवे के पनपने की पूर्व शर्त के तौर पर देखा गया। पंचायतीराज का मूल रूप से दोनों कार्य, गांधी जी के अनुसार, हमारी राजनीति के पुनर्गठन तथा शक्तिशाली जातियों के अत्यधिक सामाजिक एवं राजनीतिक प्रभुत्व को वश में रखने के एक उपकरण के रूप में प्रयोग की ओर लक्षित था। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु नजीर-हेगड़े संयोग ने साथ-साथ चलकर उच्च जाति के भावशून्य राजनीतिक प्रभुत्व के दानव के सिर पर प्रहार किया। यह

एक ऐसा तथ्य था जो स्वातंत्र्योत्तर अवधि में निर्विरोध बना रहा था। विडंबना है कि कलेक्टर राज की तरह जाति विशेष के प्रभुत्व ने भी अपने सुदीर्घ जीवन को आजादी के उपरांत 'एक व्यक्ति एक वोट' के समानतावादी निर्वाचन पद्धति आधार पर बढ़ा लिया। नजीर और हेगड़े ने कर्नाटक को भारत का ऐसा पहला राज्य बनाया जहां पंचायत चुनाव व्यवस्था में प्रतिकूल परिस्थितियों में रह रहे समूहों के प्रवेश को सुनिश्चित करने हेतु आरक्षण की व्यवस्था हुई। 25 प्रतिशत स्थान महिलाओं के लिए तथा लगभग 18 प्रतिशत अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए गए। यह कर्नाटक का ही ढांचा था जिसने राजीव गांधी को पांच साल बाद 1992 में 73वें और 74वें संशोधन द्वारा सदृश आरक्षण को समाविष्ट करने को उद्धत किया और जिसमें महिलाओं के हिस्से में 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित कर दी गईं। जैसा कि इसके प्रवर्तकों का इरादा था, आरक्षण की इस योजना ने स्थानीय निकायों में पुरुषों एवं प्रभुतासंपन्न जातियों की दमघोंटू पकड़ को हिलाकर ढीला किया है, राजनीति विज्ञानी संदीप शास्त्री ने कर्नाटक के पंचायत चुनावों में दो प्रभुतासंपन्न समुदायों - लिंगायत और वोक्कालिगों द्वारा शक्ति की मोर्चाबंदी पर आरक्षण के प्रभाव को निर्धारित किया है। यद्यपि ये दोनों समुदाय राज्य की जनसंख्या का मात्र 26 प्रतिशत हैं, फिर भी वे हमेशा राज्य विधानसभा में 54 प्रतिशत सीटों पर कब्जा करने में सफल हो जाते थे।

लेकिन आरक्षण के बाद, लिंगायतों तथा वोक्कालिगों द्वारा सामूहिक रूप से जीते गए सीटों की प्रतिशत हिस्सेदारी कम होती जा रही है। 1994 के चुनावों में उनकी सीटें 54 प्रतिशत से घटकर 33 प्रतिशत हो गईं। यह जनसंख्या में उनकी वर्तमान स्थिति के निकट है। अबतक इन आरक्षणों की संभावित क्षमता को सिर्फ सिद्धांत रूप में देखा गया था। लेकिन यहां इसमें निहित विचार यथार्थ में परिणत हो गए। संदीप शास्त्री अनुमान लगाते हैं कि पंचायत क्षेत्र में उभरते हुए राजनीतिक प्रवृत्तियों का राजनीतिक दलों पर स्वागत योग्य प्रभाव पड़ेगा। महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण तथा दल के संवर्गों का अभियान ऐसे घटक हैं

जो धीरे-धीरे तीन दलों वाले चुनावों में दल के संगठन के प्रत्येक स्तर पर प्रभाव डालेंगे। लंबी अवधि में अधिक सक्रिय सदस्यों के दलों के संगठन में प्रवेश द्वारा वे दलों के नवीकरण का साधन बन सकते हैं। अब जबकि कर्नाटक के पंचायतों में आरंभ किए गए वैधानिक आरक्षण को पूरे भारतवर्ष में विस्तार दे दिया गया है, नजीर ने हमारी पूरी राजनीति पर कई तरह से अपनी सुस्पष्ट छाप छोड़ी है।

लेकिन हर कौंध के साथ बादल भी होता है। ऐसा इस दृष्टांत में भी है। नजीर साहब की मृत्यु के उपरांत और हेगड़े के नेतृत्व वाली जनता दल सरकार की पराजय के तुरंत बाद, दबाई गई प्रभुतासंपन्न जातियों तथा अधिकारहीन कर दी गई कलेक्टर से ऊपर की नौकरशाही ने अन्य अधिकारियों समेत हस्तक्षेप किया। कांग्रेस मंत्रिमंडल जो जनता दल का उत्तराधिकारी था, ने बगैर विचारे राजीव गांधी के घोषणापत्र का घोर उल्लंघन कर नजीर द्वारा आरंभ किए गए परिवर्तनों को रद्द करने की प्रवृत्ति दिखाई। पंचायत व्यवस्था का राजनीतिक रूप से अनुमाप-परिवर्तन किया गया। जिला परिषद मुख्य सचिव का पद भी घटाया गया और उसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पुनर्मनोनीत किया गया। मु.का. अधिकारी का पद जान-बूझकर एक कनिष्ठ अधिकारी द्वारा भरा गया जो कलेक्टर के पद पर बैठे व्यक्ति से कनिष्ठ था। इन परिवर्तनों ने पंचायतीराज को बौना कर, कलेक्टर के आधिपत्य को पुनः प्रतिष्ठित कर दिया और उसने विकास क्षेत्र में पुनः घुसपैठ कर ली।

तथापि, संविधान के 73वें संशोधन तथा बहुसंख्यक नागरिक एवं सामाजिक संगठनों की सतर्कता को धन्यवाद जिनकी वजह से कर्नाटक में पंचायतीराज पिछले 10 सालों से चल रहा है। यद्यपि इसकी स्थिति मात्र निर्वाह करने भर की है। प्रसन्ता की बात यह है कि पिछले कुछ महीनों में कर्नाटक सरकार अपने संवैधानिक उत्तरदायित्वों के प्रति जागरूक हुई है तथा पंचायतीराज को नजीर की इच्छानुसार और राजीव गांधी के आदेशानुसार सशक्त बनाने के लिए सकारात्मक कदम उठाए हैं। □

(लेखक पंचायतीराज के विशेषज्ञ और योजना आयोग के पूर्व सदस्य हैं)

जबरन सरकारी कर्मचारियों की मानसिकता में परिवर्तन की

○ हंसमुख अधिया

इस समय देश में हर व्यक्ति सुशासन और प्रशासनिक सुधारों की बात कर रहा है लेकिन बहुत गिने-चुने लोग हैं जो महसूस करते हैं कि सुशासन की चाभी कर्मचारियों की मानसिकता में परिवर्तन लाने में निहित है

दुनिया के सभी देशों के सामने इस समय जो बड़ी चुनौतियां मौजूद हैं, उनमें से एक है ऐसी सरकार गठित करना जो काम करे। जब काम न करने के कारणों का पता लगाया जाता है तो राजनीतिज्ञ, प्रेस और जनता सभी नौकरशाहों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। अमरीका में सिविल सर्विसेज रिफार्म्स एक्ट, 1978 पास किए जाने से कुछ ही पहले वहां की पत्रिका *द नेशनल जर्नल* ने नौकरशाही में सुधार के बारे में अपने एक लेख की शुरुआत इस प्रकार की थी- अगर आप उनमें से एक नहीं हैं तो आप संभवतः उनका मुकाबला नहीं कर सकते। वे ऐसे लगते हैं जैसे कि बहुत आलसी और वाजिब से ज्यादा वेतन पाने वाले हों, काम पर देर से पहुंचते हैं, दफ्तर से जल्दी चले जाते हैं और निर्धारित से ज्यादा समय तक लंच करते हैं। लेकिन आप इन सबके बारे में कुछ नहीं कर सकते क्योंकि किसी नौकरशाह को बर्खास्त करना असंभव है।

सरकारी कर्मचारियों को अक्सर जरूरत से ज्यादा रियायतें मिली होती हैं। लेकिन सरकारी संस्कृति उन्हें इनका इस्तेमाल करने से हतोत्साहित करती है। कोई सरकारी काम मामूली संतोषजनक ढंग से आगे बढ़कर बढ़िया तरीके से पूरा किया जाए तो इसके लिए कोई

पुरस्कार नहीं है। लेकिन अगर काम बिगड़ जाए तो काफी ज्यादा खतरा है। यह खतरा मीडिया द्वारा आलोचना या फिर संसद अथवा विधानसभा में तीखी बहस के रूप में हो सकता है। इसीलिए सरकारी संस्कृति अपने कर्मचारियों को अगर जरूरी न हो, तो बेहतर कोशिश करने के लिए न तो प्रोत्साहित करती है और न ही उन्हें किसी निषिद्ध तरीके की तरफ बढ़कर नये परीक्षण करने को कहती है। इन हालात के कारण सरकार का काम धीमा हो जाता है और सुशासन की बदलती समस्याओं से तेजी से निपटने में उन्हें अक्षम बना देता है।

सरकारी कर्मचारियों को अनियंत्रित, अरचनात्मक, तथ्यशील और प्रक्रिया से बंधे रहने वाला माना जाता है। उनमें एक ऐसी संस्कृति पनप चुकी है जिसमें पक्का विश्वास किया जाता है कि प्रशासन को सुधारने के लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता और जरूरत से ज्यादा उत्साह दिखाना सुरक्षित नहीं है। अधिकांश कर्मचारी ऐसे हैं जो उतना ही काम करना चाहेंगे जितना करना उनके पद पर बने रहने और पदोन्नति बाधित न होने के लिए जरूरी है। नौकरशाही के निचले तबकों के कर्मचारियों के लिए यह बात ज्यादा सच है, खासतौर से तीसरे और चौथे वर्ग के उन

कर्मचारियों के लिए जो सरकार की सेवाएं देने के लिए जनता के संपर्क में होते हैं।

देश में आजकल हर व्यक्ति सुशासन और प्रशासनिक सुधारों की बात कर रहा है। लेकिन सिर्फ गिने-चुने लोग हैं जो महसूस करते हैं कि सुशासन की चाभी कर्मचारियों की मानसिकता बदलने में निहित है। इस तथ्य की पृष्ठभूमि में यह बात निहित है कि सरकारी कर्मचारियों की नकारात्मक मानसिकता सरकार की जटिल कार्य-संस्कृति का नतीजा है और इस समस्या का कोई सरल समाधान नहीं जान पड़ता। यह मुर्गी और अंडे की कहानी जैसी स्थिति है। इन दोनों में से पहले किसको बदला जाए, पहले मानसिकता बदले या कार्य-संस्कृति। लेकिन इस सवाल का जबाव मुर्गी और अंडे की कहानी से आसान है। स्पष्ट है कि कर्मचारियों को खुद ही कार्य-संस्कृति में बदलाव लाने का साधन बनना चाहिए और इस तरह प्रशासनिक सुधार लाने से पहले उनकी मानसिकता बदलने के प्रयास किए जाने चाहिए।

भले ही विश्वास न हो लेकिन यह एक तथ्य है कि वर्तमान सरकारी कर्मचारियों के 70 प्रतिशत से ज्यादा (शिक्षकों को छोड़कर) कर्मचारियों को उनके पूरे सेवाकाल के दौरान एक घंटे का भी प्रशिक्षण नहीं दिया गया।

केंद्र और राज्य सरकारें उनके वेतन पर करीब-करीब एक लाख करोड़ रुपये खर्च करती हैं लेकिन इसका शून्य दशमलव एक प्रतिशत भी प्रशिक्षण पर खर्च नहीं किया जाता। जहां कहीं प्रशिक्षण की व्यवस्था की भी गई है वह अधिकांशतः नियम-विनियमों और प्रक्रियाओं तक ही सीमित रही है और इस तरह का प्रशिक्षण भी मुख्य रूप से प्रथम या द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों को ही मिला है। कर्मचारियों के कुछ वर्ग, जैसे वाहन चालकों और चपरासियों को किसी तरह का प्रशिक्षण दिए जाने की व्यवस्था नहीं है।

सरकारी कर्मचारियों का दृष्टिकोण बदलने की जरूरत पहले भी महसूस की जा चुकी है लेकिन इस समस्या को सुलझाने के लिए अभी तक देश में बहुत कम काम हो पाया है। इस पृष्ठभूमि में गुजरात सरकार ने इस समस्या को सुलझाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया और उसने अपने सभी पांच लाख कर्मचारियों की मानसिकता बदलने के लिए एक बड़ा प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को पूरे देश में क्षमता निर्माण कार्य का सबसे बड़ा प्रयास कहा जा सकता है। इसे वी-गर्वनेंस (वाइब्रेंट गर्वनेंस) प्रशिक्षण कार्यक्रम नाम दिया गया है। गुजरात में इसे कर्मयोगी प्रशिक्षण कहा जाता है क्योंकि यह कर्मयोगी महाभियान नाम के गुजरात सरकार के एक पांच-सूत्री मानव संसाधन विकास पहल का एक भाग है।

यह सब हुआ कैसे?

इस कार्यक्रम की मूल अवधारणा राज्य सरकार ने जून 2003 में तैयार की। सचिवालय और जिला कार्यालयों में सभी स्तर के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण आवश्यकता का विश्लेषण करने के लिए एक व्यावसायिक एजेंसी की सहायता ली गई। प्रशिक्षण आवश्यकताओं पर चर्चा करने के लिए विभिन्न गुप्तों की बैठकें भी आयोजित की गईं। इन सबके बाद एक व्यावसायिक एजेंसी को कोर्स डिजाइन और प्रशिक्षण नियम पुस्तिका तैयार करने का काम सौंपा गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य इस

प्रकार बताए गए-

- सरकारी कर्मचारियों को परिवर्तनों के प्रति माकूल जवाब के लिए तैयार करना और उन्हें अपनाना।
- प्रक्रिया उन्मुखी की बजाय परिणाम उन्मुखी कार्यशैली अपनाना।
- रचनात्मक और सकारात्मक उत्साही दृष्टिकोण अपनाने के लिए परिप्रेक्ष्य और संदर्भ को फिर से परिभाषित करना।
- एक व्यावसायिक व्यक्ति के रूप में दृष्टिकोण व्यवहार संबंधी परिवर्तन लाना।

वर्तमान सरकारी कर्मचारियों के 70 प्रतिशत से ज्यादा (शिक्षकों को छोड़कर) कर्मचारियों को उनके पूरे सेवाकाल के दौरान एक घंटे का भी प्रशिक्षण नहीं दिया गया। केंद्र और राज्य सरकारें उनके वेतन पर करीब एक लाख करोड़ रुपये खर्च करती हैं लेकिन इसका शून्य दशमलव एक प्रतिशत भी प्रशिक्षण पर खर्च नहीं किया जाता

इन उद्देश्यों को आधार बनाकर व्यावसायिक एजेंसी ने राज्य सरकार के साथ काफी सलाह मशविरा किया और निम्नलिखित घटकों के साथ 24 घंटे का एक प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किया :

- भूमिका की प्रभावशीलता
- नागरिकोन्मुखता
- कुशल संचार
- व्यक्तिगत और परस्पर प्रभावशीलता
- स्वतः प्रेरणा
- उन्नत कार्यप्रक्रियाएं

यह प्रशिक्षण चार दिनों के अंदर हर सरकारी कर्मचारी को दिया जाना था। इसके लिए एक प्रशिक्षक सरकार से और एक व्यावसायिक एजेंसी से लिया गया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम द्विपक्षीय संवाद के लिए

बहुत ज्यादा अवसर देता है और कर्मचारियों को उनकी भड़ास निकालने की इजाजत देता है। इसके परिणामस्वरूप उनकी भावनाएं नरम पड़ जाती हैं और मानसिकता में बदलाव आता है।

प्रशिक्षण कार्य

सबसे पहले प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करने का एक बड़ा कार्यक्रम शुरू किया गया। सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों में से जिन लोगों ने यह काम करने की इच्छा प्रकट की उनमें से कुल 2,100 लोगों को प्रशिक्षित किया गया। इन सरकारी प्रशिक्षकों ने करीब 6 अन्य बैंचों को प्रशिक्षित किया। मार्च 2005 के अंत तक सवा लाख कर्मचारियों को इस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जा चुका था। प्रशिक्षित होने वालों में चपरासी, वाहन चालक, स्टेनोग्राफर, क्लर्क आदि शामिल हैं। प्रशिक्षकों की इस संख्या में 25,000 पुलिस कांस्टेबल भी शामिल हैं। राज्य सरकार के बाकी कर्मचारियों को दिसंबर 2005 तक यह प्रशिक्षण दे दिया जाएगा। शिक्षकों के लिए अलग से एक प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्धारित किया गया जो उन्हें वार्षिक प्रशिक्षण के एक भाग के रूप में प्रदान किया गया। इस तरह से दो लाख शिक्षक इस कार्यक्रम के अंतर्गत लाए गए जिनको मिलाकर प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या बढ़कर सवा तीन लाख तक पहुंच गई। शेष कर्मचारियों को दिसंबर 2005 तक यह प्रशिक्षण दिए जाने का कार्यक्रम है। इस तरह से 2005 के अंत तक सभी पांच लाख कर्मचारियों को यह प्रशिक्षण दिला दिया जाएगा।

राज्य सरकार के सबसे प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को इस कार्यक्रम की नोडल एजेंसी बनाया गया। इसने व्यावसायिक एजेंसी के साथ भी तालमेल किया। प्रशासनिक प्रबंधन के कुछ कामों के लिए इस व्यावसायिक एजेंसी की सेवाएं ली गईं। प्रशिक्षण के लिए सभी उपकरण जैसे ओवरहेड प्रोजेक्ट आदि तथा क्लास रूम सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए जबकि प्रशिक्षण में काम आने वाले

साजो-सामान व्यावसायिक एजेंसी ने जुटाए। इस प्रशिक्षण पर कुल खर्च हर कर्मचारी के पीछे 250 रुपये से भी कम बैठा। इसमें प्रशिक्षण नियम पुस्तिका और प्रशासनिक सुविधाओं की लागत भी शामिल है।

इस कार्यक्रम के अंत में जब हमने लोगों द्वारा दिए गए फीडबैक के परिणामों का विश्लेषण किया तो पाया कि 49 प्रतिशत कर्मचारियों ने इसे उत्कृष्ट, 35 प्रतिशत ने बहुत अच्छा, 14 प्रतिशत ने अच्छा और सिर्फ दो प्रतिशत ने औसत बताया। लेकिन इन सबसे भी महत्वपूर्ण बात तो गुणात्मक फीडबैक है जिसे हमने कर्मचारियों से प्राप्त किया। हमने पाया कि कर्मचारियों का दृष्टिकोण काफी कुछ बदल गया है। वे अब पहले से ज्यादा समझदार और उत्साही हैं। उन्हें संचार कौशल का प्रशिक्षण मिला है और यह भी सिखाया गया कि वे गुस्से पर कैसे काबू पाएं। अनेक कर्मचारियों ने तो प्रशिक्षण के दौरान ही महसूस किया कि अतीत में उन्होंने लोगों के साथ अनुपयुक्त हावभाव या नकारात्मक व्यवहार करके गलत किया था और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था।

कर्मचारियों से मिले फीडबैक के अलावा इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटरप्रेन्योरशिप एंड कैरियर डेवलपमेंट (आईसीईसीडी) ने प्रभाव विश्लेषण भी किया जिसका उन्होंने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में उल्लेख करते हुए इस बात की पुष्टि की कि यह प्रशिक्षण कर्मचारियों की मानसिकता बदलने में बहुत उपयोगी रहा और इसने उनको नई दिशा दी।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के कारण गुजरात में अब कर्मचारियों को अधिकांश समाचार पत्र कर्मयोगी कह रहे हैं जिसका मतलब है कि उन्होंने अपने स्वभाव में कर्मयोगी की भावना अपनाई है। हर तरह के नकारात्मक पक्षों के बीच अब जब उन्हें यह खिताब दिया जा रहा है तो इससे उन्हें बिना पुरस्कार या सराहना की उम्मीद किए सर्वश्रेष्ठ तरीके से अपना कर्तव्य निभाने की ताकत मिलती है। यह कोई सामान्य उपलब्धि नहीं है।

मार्च 2005 में अंतरराज्यीय परिषद की

स्थायी समिति के सामने इस बारे में एक प्रेजेंटेशन दिया गया। इस समिति में 10 राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र के पांच मंत्री मौजूद थे। अन्य सभी राज्यों ने इस कार्यक्रम की सराहना की। उन्होंने भी महसूस किया कि सबसे पहली समस्या कर्मचारियों की मानसिकता में परिवर्तन लाने की है।

सफलता के कारण

अब उन कारणों पर भी चर्चा करना महत्वपूर्ण होगा जो इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिम्मेदार हैं। सबसे पहला

अगर सरकारी कर्मचारियों की उत्पादकता में पांच प्रतिशत भी सुधार आता है तो इसका मतलब होगा देश को कम से कम पांच हजार करोड़ रुपये का वार्षिक लाभ। सरकारी कर्मचारियों को विभिन्न कार्यों के लिए लगातार प्रशिक्षण दिए जाने की जरूरत है। इसके लिए बजट में एक निश्चित प्रतिशत का प्रावधान किया जाना चाहिए

कारण तो यह है कि इस बात को मान्यता दी जाए कि सरकारी कर्मचारियों को मानसिकता बदलने के लिए किसी न किसी तरह का प्रशिक्षण दिया जाना जरूरी है। दूसरे यह कार्यक्रम इसलिए भी सफल हुआ कि इसके लिए सरकार के मुख्यमंत्री सहित उच्चतम स्तर से वचनबद्धता प्राप्त थी। मुख्यमंत्री खुद इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रभाव की समीक्षा करेंगे, इसके लिए वह विभिन्न स्तर के विभिन्न प्रकार के कर्मचारियों से बातचीत करेंगे। इस बात से कर्मचारियों को स्पष्ट संदेश गया कि सरकार सचमुच उनकी परवाह करती है।

तीसरा प्रमुख कारण जो इस कार्यक्रम की सफलता के लिए जिम्मेदार था, यह है कि यह एक सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल का कार्यक्रम था जिसमें व्यावसायिक तत्व बहुत जरूरी समझे गए और नियोजन को

उपयुक्त प्रमुखता दी गई। सफलता का अंतिम प्रमुख कारण था इस कार्यक्रम का विषय और लागू करने का तौर-तरीका। इसके कार्यान्वयन का ऐसा तरीका अपनाया गया जिसमें कर्मचारियों को शामिल होने और अपने विचार प्रकट करने के अवसर मिलते थे। साथ ही उन्हें अपनी कार्य स्थिति पर विचार करने की भी प्रेरणा मिलती थी जिसके परिणामस्वरूप उनका असंतोष कम हो जाता था और वे बेहतर काम करने का संकल्प लेते थे।

क्या यह काफी है?

यह काफी नहीं है। लेकिन इस कार्यक्रम से स्पष्ट हो गया कि कर्मचारियों में इसके कारण उत्साह बढ़ा। संक्षेप में, हम कह सकते हैं कि गुजरात सरकार के कर्मचारी अब सुशासन के लिए और अधिक बदलाव स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। इस व्यापक क्षमता निर्माण कार्यक्रम के कारण गुजरात में प्रशासनिक सुधारों की स्वीकार्यता निश्चय ही काफी बढ़ जाएगी।

सरकारी कर्मचारियों को विभिन्न कार्यों के लिए लगातार प्रशिक्षण दिए जाने की जरूरत है। इसके लिए बजट में एक निश्चित प्रतिशत का प्रावधान किया जाना चाहिए। एक आंशिक समाधान यह हो सकता है कि हर साल हर संवर्ग के सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण के न्यूनतम दिन निर्धारित कर दिए जाएं। लेकिन अधिक महत्वपूर्ण बात यह होगी कि उद्देश्य की प्राप्ति के लिए व्यावसायिक सहायता ली जाए क्योंकि अधिकांश राज्य प्रशासनिक संस्थान इस तरह का प्रशिक्षण कार्यक्रम बड़े पैमाने पर चलाने की सुविधा से युक्त नहीं हैं। सोच-समझकर दिए गए प्रशिक्षण पर खर्च की गई धनराशि निश्चय ही उत्पादकता बढ़ाने में सहायक होगी और यह उत्पादकता वृद्धि, खर्च की गई राशि के मुकाबले 10 गुना तक अधिक हो सकती है। अगर सरकारी कर्मचारियों की उत्पादकता में पांच प्रतिशत भी सुधार आता है तो इसका मतलब होगा देश को कम से कम पांच हजार करोड़ रुपये का वार्षिक लाभ।

(लेखक गुजरात संवर्ग के आईएएस अधिकारी हैं)

नामांकन जारी

लोक प्रशासन

By

(हिन्दी माध्यम)

Atul Lohiya

(A person who believes in hard work
and scientific approach)

UGC-NET

**QUALIFIED IN TWO SUBJECTS
HISTORY & PUB. ADMINISTRATION**

Course Offered:

- Mains
- Mains + Prelims (Foundation Course)
- Test Series for Mains
- Answer Formating Session for Mains
- Test Series with Answer Formating Session
- Crash Course for Mains-2005

पत्राचार पाठ्यक्रम भी उपलब्ध
(पूर्णतः संशोधित एवं परिमार्जित कम्प्यूटराइज्ड नोट्स)

MAINS - 2500/-

MAINS + PRE. - 3500/-

डाक खर्च - 200/- अतिरिक्त

Send DD/MO in favour of Atul Lohiya

UPSC के साथ UP, MP, Raj., Bihar, Uttaranchal, Jharkhand
Chhattisgarh, Haryana, Himachal PCS की भी तैयारी

नया सत्र : दिल्ली - 20 जुलाई एवं 10 अगस्त, 2005

| | | | | |
|----------------------|--|--------------------------|---|-----------------------------|
| अन्य विषय | सा० हिन्दी, लेखन कला एवं निबन्ध नीलेश जैन | समाजशास्त्र अनिल सिंह | सामान्य अध्ययन अतुल लोहिया, शैलेन्द्र सिंह, अतुल मिश्र एवं अन्य | दर्शन शास्त्र अतुल मिश्र |
| | नया सत्र : दिल्ली - 20 जुलाई, 2005 | | नया सत्र : इलाहाबाद - जुलाई प्रथम सप्ताह, 2005 | |

‘अतुल लोहिया’

शिक्षक, मार्गदर्शक और मित्र भी

Cell.: 9810651005, 09335117608

Sanjay Singh
Regional Director (Allahabad)
Cell. : 9839746184

Shashi Bhushan
Director
Cell. : 9871359750

"PRABHA"

AN INSTITUTE OF PUBLIC ADMINISTRATION

105, VIRAT BHAWAN (MTNL BLDG.), NEAR BATRA CINEMA, MUKHERJEE NAGAR, DELHI-9
Phone : 27655134, 39544250. Cell.: 9810651005 • e-mail : atullohiya@rediffmail.com

Branch : 305/250, COLONELGANJ, NEAR COLONELGANJ POLICE STATION, ALLAHABAD.



YH/8/5/12

योजना, अगस्त 2005

साजो-सामान व्यावसायिक एजेंसी ने जुटाए। इस प्रशिक्षण पर कुल खर्च हर कर्मचारी के पीछे 250 रुपये से भी कम बैठा। इसमें प्रशिक्षण नियम पुस्तिका और प्रशासनिक सुविधाओं की लागत भी शामिल है।

इस कार्यक्रम के अंत में जब हमने लोगों द्वारा दिए गए फीडबैक के परिणामों का विश्लेषण किया तो पाया कि 49 प्रतिशत कर्मचारियों ने इसे उत्कृष्ट, 35 प्रतिशत ने बहुत अच्छा, 14 प्रतिशत ने अच्छा और सिर्फ दो प्रतिशत ने औसत बताया। लेकिन इन सबसे भी महत्वपूर्ण बात तो गुणात्मक फीडबैक है जिसे हमने कर्मचारियों से प्राप्त किया। हमने पाया कि कर्मचारियों का दृष्टिकोण काफी कुछ बदल गया है। वे अब पहले से ज्यादा समझदार और उत्साही हैं। उन्हें संचार कौशल का प्रशिक्षण मिला है और यह भी सिखाया गया कि वे गुस्से पर कैसे काबू पाएं। अनेक कर्मचारियों ने तो प्रशिक्षण के दौरान ही महसूस किया कि अतीत में उन्होंने लोगों के साथ अनुपयुक्त हावभाव या नकारात्मक व्यवहार करके गलत किया था और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था।

कर्मचारियों से मिले फीडबैक के अलावा इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटरप्रेन्योरशिप एंड कैरियर डेवलपमेंट (आईसीईसीडी) ने प्रभाव विश्लेषण भी किया जिसका उन्होंने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में उल्लेख करते हुए इस बात की पुष्टि की कि यह प्रशिक्षण कर्मचारियों की मानसिकता बदलने में बहुत उपयोगी रहा और इसने उनको नई दिशा दी।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के कारण गुजरात में अब कर्मचारियों को अधिकांश समाचार पत्र कर्मयोगी कह रहे हैं जिसका मतलब है कि उन्होंने अपने स्वभाव में कर्मयोगी की भावना अपनाई है। हर तरह के नकारात्मक पक्षों के बीच अब जब उन्हें यह खिताब दिया जा रहा है तो इससे उन्हें बिना पुरस्कार या सराहना की उम्मीद किए सर्वश्रेष्ठ तरीके से अपना कर्तव्य निभाने की ताकत मिलती है। यह कोई सामान्य उपलब्धि नहीं है।

मार्च 2005 में अंतरराज्यीय परिषद की

स्थायी समिति के सामने इस बारे में एक प्रेजेंटेशन दिया गया। इस समिति में 10 राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र के पांच मंत्री मौजूद थे। अन्य सभी राज्यों ने इस कार्यक्रम की सराहना की। उन्होंने भी महसूस किया कि सबसे पहली समस्या कर्मचारियों की मानसिकता में परिवर्तन लाने की है।

सफलता के कारण

अब उन कारणों पर भी चर्चा करना महत्वपूर्ण होगा जो इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिम्मेदार हैं। सबसे पहला

अगर सरकारी कर्मचारियों की उत्पादकता में पांच प्रतिशत भी सुधार आता है तो इसका मतलब होगा देश को कम से कम पांच हजार करोड़ रुपये का वार्षिक लाभ। सरकारी कर्मचारियों को विभिन्न कार्यों के लिए लगातार प्रशिक्षण दिए जाने की जरूरत है। इसके लिए बजट में एक निश्चित प्रतिशत का प्रावधान किया जाना चाहिए

कारण तो यह है कि इस बात को मान्यता दी जाए कि सरकारी कर्मचारियों को मानसिकता बदलने के लिए किसी न किसी तरह का प्रशिक्षण दिया जाना जरूरी है। दूसरे यह कार्यक्रम इसलिए भी सफल हुआ कि इसके लिए सरकार के मुख्यमंत्री सहित उच्चतम स्तर से वचनबद्धता प्राप्त थी। मुख्यमंत्री खुद इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रभाव की समीक्षा करेंगे, इसके लिए वह विभिन्न स्तर के विभिन्न प्रकार के कर्मचारियों से बातचीत करेंगे। इस बात से कर्मचारियों को स्पष्ट संदेश गया कि सरकार सचमुच उनकी परवाह करती है।

तीसरा प्रमुख कारण जो इस कार्यक्रम की सफलता के लिए जिम्मेदार था, यह है कि यह एक सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल का कार्यक्रम था जिसमें व्यावसायिक तत्व बहुत जरूरी समझे गए और नियोजन को

उपयुक्त प्रमुखता दी गई। सफलता का अंतिम प्रमुख कारण था इस कार्यक्रम का विषय और लागू करने का तौर-तरीका। इसके कार्यान्वयन का ऐसा तरीका अपनाया गया जिसमें कर्मचारियों को शामिल होने और अपने विचार प्रकट करने के अवसर मिलते थे। साथ ही उन्हें अपनी कार्य स्थिति पर विचार करने की भी प्रेरणा मिलती थी जिसके परिणामस्वरूप उनका असंतोष कम हो जाता था और वे बेहतर काम करने का संकल्प लेते थे।

क्या यह काफी है?

यह काफी नहीं है। लेकिन इस कार्यक्रम से स्पष्ट हो गया कि कर्मचारियों में इसके कारण उत्साह बढ़ा। संक्षेप में, हम कह सकते हैं कि गुजरात सरकार के कर्मचारी अब सुशासन के लिए और अधिक बदलाव स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। इस व्यापक क्षमता निर्माण कार्यक्रम के कारण गुजरात में प्रशासनिक सुधारों की स्वीकार्यता निश्चय ही काफी बढ़ जाएगी।

सरकारी कर्मचारियों को विभिन्न कार्यों के लिए लगातार प्रशिक्षण दिए जाने की जरूरत है। इसके लिए बजट में एक निश्चित प्रतिशत का प्रावधान किया जाना चाहिए। एक आंशिक समाधान यह हो सकता है कि हर साल हर संवर्ग के सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण के न्यूनतम दिन निर्धारित कर दिए जाएं। लेकिन अधिक महत्वपूर्ण बात यह होगी कि उद्देश्य की प्राप्ति के लिए व्यावसायिक सहायता ली जाए क्योंकि अधिकांश राज्य प्रशासनिक संस्थान इस तरह का प्रशिक्षण कार्यक्रम बड़े पैमाने पर चलाने की सुविधा से युक्त नहीं हैं। सोच-समझकर दिए गए प्रशिक्षण पर खर्च की गई धनराशि निश्चय ही उत्पादकता बढ़ाने में सहायक होगी और यह उत्पादकता वृद्धि, खर्च की गई राशि के मुकाबले 10 गुना तक अधिक हो सकती है। अगर सरकारी कर्मचारियों की उत्पादकता में पांच प्रतिशत भी सुधार आता है तो इसका मतलब होगा देश को कम से कम पांच हजार करोड़ रुपये का वार्षिक लाभ।

(लेखक गुजरात संवर्ग के आईएएस अधिकारी हैं)

नामांकन जारी

लोक प्रशासन

By

(हिन्दी माध्यम)

Atul Lohiya

(A person who believes in hard work and scientific approach)

UGC-NET

**QUALIFIED IN TWO SUBJECTS
HISTORY & PUB. ADMINISTRATION**

Course Offered:

- * Mains
- * Mains + Prelims (Foundation Course)
- * Test Series for Mains
- * Answer Formating Session for Mains
- * Test Series with Answer Formating Session
- * Crash Course for Mains-2005

पत्राचार पाठ्यक्रम भी उपलब्ध
(पूर्णतः संशोधित एवं परिमार्जित कम्प्यूटराइज्ड नोट्स)

MAINS - 2500/-
MAINS + PRE. - 3500/-
डाक खर्च - 200/- अतिरिक्त

Send DD/MO in favour of Atul Lohiya

UPSC के साथ UP, MP, Raj., Bihar, Uttaranchal, Jharkhand
Chhattisgarh, Haryana, Himachal PCS की भी तैयारी

नया सत्र : दिल्ली - 20 जुलाई एवं 10 अगस्त, 2005

| | | | | |
|----------------------|--|--------------------------|---|-----------------------------|
| अन्य विषय | सा० हिन्दी, लेखन कला एवं निबन्ध नीलेश जैन | समाजशास्त्र अनिल सिंह | सामान्य अध्ययन अतुल लोहिया, शैलेन्द्र सिंह, अतुल मिश्र एवं अन्य | दर्शन शास्त्र अतुल मिश्र |
| | नया सत्र : दिल्ली - 20 जुलाई, 2005 | | नया सत्र : इलाहाबाद - जुलाई प्रथम सप्ताह, 2005 | |

‘अतुल लोहिया’

शिक्षक, मार्गदर्शक और मित्र भी

Cell.: 9810651005, 09335117608

Sanjay Singh

Regional Director (Allahabad)

Cell. : 9839746184

Shashi Bhushan

Director

Cell. : 9871359750

"PRABHA"

AN INSTITUTE OF PUBLIC ADMINISTRATION

105, VIRAT BHAWAN (MTNL BLDG.), NEAR BATRA CINEMA, MUKHERJEE NAGAR, DELHI-9

Phone : 27655134, 39544250. Cell.: 9810651005 • e-mail : atullohiya@rediffmail.com

Branch : 305/250, COLONELGANJ, NEAR COLONELGANJ POLICE STATION, ALLAHABAD.



एक नये पथ का संधान

○ जोगिन्दर सिंह

भ्रष्टाचार को ले कर जो हमारी धारणा है, वह मूल रूप से इस कारण है कि हम सोचते हैं कि यह हमारी जिम्मेदारी नहीं है। सही नागरिक की पहचान यह है कि वह भ्रष्टाचार का न सिर्फ विरोध करे बल्कि और लोगों को भी इसके खिलाफ गोलबंद करे। इस राह का कोई शार्टकट नहीं है

भारत के परिप्रेक्ष्य में यदि देखें तो आप पाएंगे कि आज हर वह व्यक्ति जो कुछ कर सकने कि स्थिति में है या कुछ मायने रखता है देश से गरीबी हटाने की बात करता है। गरीबी दूर करने की कोई भी योजना तब तक कारगर नहीं हो सकती, जब तक देश में भ्रष्टाचार व्याप्त है और ढेर सारा धन किसी न किसी जरिये से बिचौलियों की जेब में चला जाता है। मार्च 2001 की जनगणना के आंकड़ों से पता चलता है कि देश की आबादी में से कुल 28 करोड़ 50 लाख लोग शहरों में रहते हैं। आज यही वर्ग, कुल जनसंख्या 1 अरब 27 लाख का करीब 27.8 फीसदी हिस्सा बन गया है। यही नहीं, इसी वर्ग से सकल घरेलू उत्पाद का 60 फीसदी आता है। आज हमारे देश में करीब 2 करोड़ 22 लाख 90 हजार आवासीय इकाइयों की जरूरत है। इनमें से 90 फीसदी जरूरतमंद लोग आर्थिक दृष्टि से काफी कमजोर हैं।

1992-93 में बिजली बोर्डों का घाटा 4,600 करोड़ रुपये था, जो आज बढ़कर 26,000 करोड़ रुपये हो गया है। अपने विकास के लक्ष्यों को हम तब तक पूरा नहीं कर सकते, जबतक कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को हम अपनी मुहिम के तौर पर न चलाएं। भ्रष्टाचार और स्वच्छ प्रशासन या सुशासन एक साथ नहीं चल सकते। भ्रष्टाचार से लड़ने का एक तरीका यह है कि भ्रष्ट तरीके अपनाने

के मौकों को पर अंकुश लगाया जाए। इसके लिए असरदार और व्यावहारिक कानून बनाना जरूरी है। मगर इससे भी जरूरी है इसे लागू करने की दृढ़ इच्छाशक्ति और उस पर आने वाले खर्च का इंतजाम। सरकार और गैरसरकारी संगठनों के सहयोग के बगैर यह मुहिम सफल नहीं हो सकती। सरकार के प्रतिनिधियों, आम जनता, गैरसरकारी संगठनों, निजी क्षेत्र के प्रतिनिधियों, इन सबको मिल कर यह सुनिश्चित करना होगा कि जन संसाधनों का इस्तेमाल लोगों के हित में एक पारदर्शी व्यवस्था के तहत हो। सरकारी संगठनों को भी अपने लक्ष्यों, नतीजों के अलावा आय और व्यय के स्रोतों के बारे में पारदर्शिता अपनानी होगी।

सरकार में उच्चतम स्तर की पारदर्शिता से उन लोगों का मनोबल बढ़ेगा जो जनता के हितों के लिए पूरे समय काम में जुट रहते हैं। यदि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम में इतनी ही गंभीर है तो सूचना के अधिकार कानून के जिन प्रावधानों के तहत जो भी संभव जानकारी हो, मीडिया और आम जनता तक पहुंचाना चाहिए।

आज व्यापारिक जगत में भी भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी चर्चा के दौरान एजेंडे में सबसे ऊपर रहते हैं। विश्व बैंक के अध्ययन ने कई बार अपनी रिपोर्टों में रिश्वतखोरी को विश्व अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया

है। इसलिए भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकना जरूरी है। देश में विदेशी पूंजी निवेश और सर्वांगीण विकास तभी संभव हैं, जब माहौल भ्रष्टाचार मुक्त हो। यह हमारे देश का दुर्भाग्य ही रहा है कि भ्रष्ट लोगों की जड़ें काफी गहरी हैं जिससे व्यवस्था पर बुरा असर पड़ा है। यह नासूर सभी वर्गों में व्याप्त है, चाहे वे राजनीतिज्ञ हों या अफसरशाही। और तो और, कुछ लोग जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं वो ऊंचे ओहदों पर अपनी वापसी करने में सफल हो गए हैं या एक बार फिर से सत्ता के गलियारों में अपनी पैठ जमाने में कामयाब हो गए हैं। आखिर क्या वजह है कि भ्रष्ट लोगों की जड़ें इतनी गहरी हो गई हैं? किस तरह भ्रष्टाचार अपनी पैठ जमा रहा है? नैतिक मूल्य कहां धरे रह गए हैं? ये सवाल हमें खुद से पूछने ही नहीं चाहिए, बल्कि उनके जवाब भी ढूंढने चाहिए।

एक रिपोर्ट के मुताबिक, अकेले दिल्ली विकास प्राधिकरण में निजी स्वामित्व यानी मालिकाना हक वाली करीब 10,000 फाइलें गायब हैं। फाइलों का इस तरह गुम हो जाना किसी बड़ी धोखाधड़ी की तरह इशारा करता है। गौरतलब है कि ये सिर्फ फाइलें नहीं हैं, बल्कि वो संपत्तियां हैं जिनमें कुछ लोग या तो रह रहे हैं, या फिर जिनसे लोगों की जिंदगी चलती है, या फिर ये वो संपत्तियां हैं जिन्हें लोगों ने फ्रीहोल्ड यानी मालिकाना हक के

लिए डीडीए को दे रखा है। इस व्यवस्था की खासियत तो देखिए, इसे महज भूल करार दे कर मामले को रफा-दफा करा दिया जाएगा और दोषियों को कोई सजा नहीं मिलेगी। यह बात भी संदेहास्पद होगी कि इतनी सारी फाइलें नहीं मिल रहीं। यह किसी अपराध से कम नहीं और कई बार तो इसका उद्देश्य ही पैसे ऐंठना होता है। अगर किसी व्यक्ति ने मालिकाना हक का दावा किया या फिर डीडीए को बकाया राशि नहीं दी तो अदालत में डीडीए का ही पक्ष कमजोर होगा। डीडीए में करीब 10 लाख फाइलें हैं जो फ्लैट, प्लॉट या औद्योगिक इकाइयों का ब्योरा रखती हैं। यदि रिकार्ड को इकट्ठा करने का कोई पुख्ता इंतजाम न हो तो लाखों फाइलों के बीच से 20 या 30 साल पुरानी फाइल निकालना एक टेढ़ी खीर साबित होगा। नतीजा होगा कि संपत्ति को फ्रीहोल्ड करने संबंधी हजारों फाइलें ठंडे बस्ते में पड़ी मिलेंगी। क्योंकि उन फाइलों को शायद गुमशुदा फाइलों की लिस्ट में डाल दिया जाएगा।

मिसगवर्नेस यानी कुशासन ही सारी बातों की जड़ है। अगर हम शब्दकोश में देखें तो गवर्नेस का मतलब है सरकार द्वारा देश या नगर को नियंत्रित या निर्देशित करना। आज हालात ऐसे हैं कि प्रशासन न तो नियंत्रित करता है न ही निर्देश देता है। करोड़ों लोगों को जिम्मेदारियों का अहसास दिला कर उन पर उल्टे आरोप मढ़ देना सबसे आसान तरीका है। नतीजतन, शिकायतों पर तबतक पर कोई अमल नहीं होता जब तक कि नाराज लोग या तो पुलिस की गाड़ियों को न जला दें या फिर ट्रैफिक न रोक दें जैसा कि अक्सर पानी की सप्लाई, नियमित रूप से कूड़े की सफाई, या बिजली की कमी को ले कर होता है। हर मानसून की पहली बरसात शहरों में यातायात को लगभग ठप्प कर देती है। हर साल गर्मियों में लोग बिजली की कमी से बेहाल रहते हैं, कूड़े-कचरे का अंबार बढ़ता ही जाता है। सरकार इस तमाम वाक्ये के दौरान निष्क्रिय, अकर्मण्य सी हालात में बनी रहती है, क्योंकि उसके कर्मचारी और अधिकारियों का लोगों

की दिक्कतों के प्रति रवैया संवेदनहीन बना रहता है। उनकी निष्क्रियता और अकर्मण्यता के लिए उन्हें सजा नहीं दी जाती। मतलब ये कि सरकारी कर्मचारियों पर कोई असर नहीं पड़ता। यहां यह बात समझना जरूरी है कि किरानी, सिपाही और बिचौलिए हमारी व्यवस्था के न सिर्फ आधार हैं, बल्कि हमारी व्यवस्था की जड़ों को खोखला करने में अहम भूमिका अदा कर रहे हैं। गौरतलब बात है कि यह वो तबका है जिसे लोगों की सेवा करने के लिए बनाया गया है, न कि लोगों पर राज करने के लिए।

सरकार में उच्चतम स्तर की पारदर्शिता से उन लोगों का मनोबल बढ़ेगा जो जनता के हितों के लिए पूरे समय काम में जुटे रहते हैं। यदि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम में गंभीर है तो सूचना के अधिकार कानून के तहत जो भी संभव जानकारी हो, मीडिया और आम जनता तक पहुंचाना चाहिए

कुछ लोग भूले से यह मान लेते हैं कि भ्रष्ट तरीके अपना कर ही तेज और बेहतर सेवा का लाभ उठाया जा सकता है। भ्रष्ट तरीकों में कोई कागजी कार्रवाई नहीं होती, अगर आपसे रिश्वत ली गई तो कोई रसीद आपको नहीं मिलेगी, न ही कोई रिकार्ड इस बाबत दर्ज होगा। हमारे संविधान और कानून में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बारे में सही मुद्दों को सामने रखा गया है। मगर सैकड़ों साल पुराने नियम, कानून और प्रावधानों में खामियों की वजह से भ्रष्टाचार को अपने पांव पसारने की जगह मिल जाती है। राजनीतिक दल बड़े घोटालों और भ्रष्टाचारियों की बात तो उठाते हैं, मगर जब बात छोटे भ्रष्ट कार्यों या तरीकों की आती है तो ज्यादा शोर-शराबा नहीं होता। दीगर बात है कि यही छोटे-मोटे भ्रष्ट कार्य और तरीके रोजमर्रा की जिंदगी में आम आदमी को परेशान

किए रहते हैं। यहां तक कि लोगों के हितों की रक्षा का दम भरने वामपंथी दल भी इस मुद्दे को ज्यादा तरजीह नहीं देते। जाहिर है सरकार ऐसे में अपनी जवाब से मुकर नहीं सकती। लेकिन इसके लिए लोगों को भी कुछ जिम्मेदारी तो लेनी होगी। सालों साल सड़क टूटी रहेगी, बिजली की सप्लाई अनियमित बनी रहेगी, जब तक कि लोग आपस में मिलजुल कर एक दवाब समूह नहीं बनाएंगे, अपनी सामूहिक आवाज नहीं उठाएंगे। यह एक सच्चाई है कि सरकारी अमलों को लोगों की सामूहिक आवाज को बाध्य होकर सुनना ही पड़ता है। तो जरूरत इस बात कि है कि लोग अपनी ताकत सामूहिक आवाज के रूप में प्रशासन तक पहुंचाएं, जिससे उन्हें बाध्य होना पड़े।

अगर लोग खुद ही जिम्मेदारी लेने लगे तो काफी फर्क देखने को मिल सकता है। आम आदमी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भ्रष्ट तरीके अपना कर कभी कोई काम न हो। क्योंकि सरकारी अमला बना है नागरिकों की सेवा के लिए। भ्रष्टाचार को किसी भी रूप में न तो अपनाएं, न ही पनपने दें। ऐसी बात नहीं कि बगैर भ्रष्ट तरीके अपनाए काम हो ही नहीं सकता। हर नागरिक को यह पता होना चाहिए कि इसका अंजाम न सिर्फ उसके लिए बल्कि पूरे देश की आर्थिक स्थिति के लिए नुकसानदेह होगा। भ्रष्टाचार उस नासूर की तरह है, जिसके चलते सरकार की स्थिरता और अस्तित्व पर सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। समाज में नैतिकता के ताने-बाने को भी यह तार-तार कर देता है।

देश में भ्रष्टाचार को ले कर जो हमारी धारणा है, वे मूल रूप से इस कारण हैं कि हम सोचते हैं कि यह हमारी जिम्मेदारी नहीं है। सबसे आसान तरीका है सरकार सहित सभी को जिम्मेदार ठहराना, और हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना। सही नागरिक की पहचान यह है कि वह भ्रष्टाचार का न सिर्फ विरोध करे बल्कि और लोगों को भी इसके खिलाफ गोलबंद करे। इस राह का कोई शार्टकट नहीं है। □

(लेखक सीबीआई के पूर्व निदेशक हैं)

एक नये पथ का संधान

○ जोगिन्दर सिंह

भ्रष्टाचार को ले कर जो हमारी धारणा है, वह मूल रूप से इस कारण है कि हम सोचते हैं कि यह हमारी जिम्मेदारी नहीं है। सही नागरिक की पहचान यह है कि वह भ्रष्टाचार का न सिर्फ विरोध करे बल्कि और लोगों को भी इसके खिलाफ गोलबंद करे। इस राह का कोई शार्टकट नहीं है

भारत के परिप्रेक्ष्य में यदि देखें तो आप पाएंगे कि आज हर वह व्यक्ति जो कुछ कर सकने कि स्थिति में है या कुछ गायने रखता है देश से गरीबी हटाने की बात करता है। गरीबी दूर करने की कोई भी योजना अब तक कारगर नहीं हो सकती, जब तक देश में भ्रष्टाचार व्याप्त है और ढेर सारा धन किसी न किसी जरिये से बिचौलियों की जेब में चला जाता है। मार्च 2001 की जनगणना के आंकड़ों से पता चलता है कि देश की आबादी में से कुल 28 करोड़ 50 लाख लोग शहरों में रहते हैं। आज यही वर्ग, कुल जनसंख्या 1 अरब 27 लाख का करीब 27.8 फीसदी हिस्सा बन गया है। यही नहीं, इसी वर्ग से सकल घरेलू उत्पाद का 60 फीसदी आता है। आज हमारे देश में करीब 2 करोड़ 22 लाख 90 हजार आवासीय इकाइयों की जरूरत है। इनमें से 90 फीसदी जरूरतमंद लोग आर्थिक दृष्टि से काफी कमजोर हैं।

1992-93 में बिजली बोर्डों का घाटा 4,600 करोड़ रुपये था, जो आज बढ़कर 26,000 करोड़ रुपये हो गया है। अपने विकास के लक्ष्यों को हम तब तक पूरा नहीं कर सकते, जबतक कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को हम अपनी मुहिम के तौर पर न चलाएं। भ्रष्टाचार और स्वच्छ प्रशासन या सुशासन एक साथ नहीं चल सकते। भ्रष्टाचार से लड़ने का एक तरीका यह है कि भ्रष्ट तरीके अपनाने

के मौकों को पर अंकुश लगाया जाए। इसके लिए असरदार और व्यावहारिक कानून बनाना जरूरी है। मगर इससे भी जरूरी है इसे लागू करने की दृढ़ इच्छाशक्ति और उस पर आने वाले खर्च का इंतजाम। सरकार और गैरसरकारी संगठनों के सहयोग के बगैर यह मुहिम सफल नहीं हो सकती। सरकार के प्रतिनिधियों, आम जनता, गैरसरकारी संगठनों, निजी क्षेत्र के प्रतिनिधियों, इन सबको मिल कर यह सुनिश्चित करना होगा कि जन संसाधनों का इस्तेमाल लोगों के हित में एक पारदर्शी व्यवस्था के तहत हो। सरकारी संगठनों को भी अपने लक्ष्यों, नतीजों के अलावा आय और व्यय के स्रोतों के बारे में पारदर्शिता अपनानी होगी।

सरकार में उच्चतम स्तर की पारदर्शिता से उन लोगों का मनोबल बढ़ेगा जो जनता के हितों के लिए पूरे समय काम में जुट रहते हैं। यदि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम में इतनी ही गंभीर है तो सूचना के अधिकार कानून के जिन प्रावधानों के तहत जो भी संभव जानकारी हो, मीडिया और आम जनता तक पहुंचाना चाहिए।

आज व्यापारिक जगत में भी भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी चर्चा के दौरान एजेंडे में सबसे ऊपर रहते हैं। विश्व बैंक के अध्ययन ने कई बार अपनी रिपोर्टों में रिश्वतखोरी को विश्व अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया

है। इसलिए भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकना जरूरी है। देश में विदेशी पूंजी निवेश और सर्वांगीण विकास तभी संभव हैं, जब माहौल भ्रष्टाचार मुक्त हो। यह हमारे देश का दुर्भाग्य ही रहा है कि भ्रष्ट लोगों की जड़ें काफी गहरी हैं जिससे व्यवस्था पर बुरा असर पड़ा है। यह नासूर सभी वर्गों में व्याप्त है, चाहे वे राजनीतिज्ञ हों या अफसरशाही। और तो और, कुछ लोग जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं वो ऊंचे ओहदों पर अपनी वापसी करने में सफल हो गए हैं या एक बार फिर से सत्ता के गलियारों में अपनी पैठ जमाने में कामयाब हो गए हैं। आखिर क्या वजह है कि भ्रष्ट लोगों की जड़ें इतनी गहरी हो गई हैं? किस तरह भ्रष्टाचार अपनी पैठ जमा रहा है? नैतिक मूल्य कहां धरे रह गए हैं? ये सवाल हमें खुद से पूछने ही नहीं चाहिए, बल्कि उनके जवाब भी ढूंढने चाहिए।

एक रिपोर्ट के मुताबिक, अकेले दिल्ली विकास प्राधिकरण में निजी स्वामित्व यानी मालिकाना हक वाली करीब 10,000 फाइलें गायब हैं। फाइलों का इस तरह गुम हो जाना किसी बड़ी धोखाधड़ी की तरफ इशारा करता है। गौरतलब है कि ये सिर्फ फाइलें नहीं हैं, बल्कि वो संपत्तियां हैं जिनमें कुछ लोग या तो रह रहे हैं, या फिर जिनसे लोगों की जिंदगी चलती है, या फिर ये वो संपत्तियां हैं जिन्हें लोगों ने फ्रीहोल्ड यानी मालिकाना हक के

लिए डीडीए को दे रखा है। इस व्यवस्था की खासियत तो देखिए, इसे महज भूल करार दे कर मामले को रफा-दफा करा दिया जाएगा और दोषियों को कोई सजा नहीं मिलेगी। यह बात भी संदेहास्पद होगी कि इतनी सारी फाइलें नहीं मिल रहीं। यह किसी अपराध से कम नहीं और कई बार तो इसका उद्देश्य ही पैसे ऐंठना होता है। अगर किसी व्यक्ति ने मालिकाना हक का दावा किया या फिर डीडीए को बकाया राशि नहीं दी तो अदालत में डीडीए का ही पक्ष कमजोर होगा। डीडीए में करीब 10 लाख फाइलें हैं जो फ्लैट, प्लॉट या औद्योगिक इकाइयों का ब्योरा रखती हैं। यदि रिकार्ड को इकट्ठा करने का कोई पुख्ता इंतजाम न हो तो लाखों फाइलों के बीच से 20 या 30 साल पुरानी फाइल निकालना एक टेढ़ी खीर साबित होगा। नतीजा होगा कि संपत्ति को फ्रीहोल्ड करने संबंधी हजारों फाइलें ठंडे बस्ते में पड़ी मिलेंगी। क्योंकि उन फाइलों को शायद गुमशुदा फाइलों की लिस्ट में डाल दिया जाएगा।

मिसगवर्नेस यानी कुशासन ही सारी बातों की जड़ है। अगर हम शब्दकोश में देखें तो गवर्नेस का मतलब है सरकार द्वारा देश या नगर को नियंत्रित या निर्देशित करना। आज हालात ऐसे हैं कि प्रशासन न तो नियंत्रित करता है न ही निर्देश देता है। करोड़ों लोगों को जिम्मेदारियों का अहसास दिला कर उन पर उल्टे आरोप मढ़ देना सबसे आसान तरीका है। नतीजतन, शिकायतों पर तबतक पर कोई अमल नहीं होता जब तक कि नाराज लोग या तो पुलिस की गाड़ियों को न जला दें या फिर ट्रैफिक न रोक दें जैसा कि अक्सर पानी की सप्लाई, नियमित रूप से कूड़े की सफाई, या बिजली की कमी को ले कर होता है। हर मानसून की पहली बरसात शहरों में यातायात को लगभग ठप्प कर देती है। हर साल गर्मियों में लोग बिजली की कमी से बेहाल रहते हैं, कूड़े-कचरे का अंबार बढ़ता ही जाता है। सरकार इस तमाम वाक्ये के दौरान निष्क्रिय, अर्कमण्य सी हालात में बनी रहती है, क्योंकि उसके कर्मचारी और अधिकारियों का लोगों

की दिक्कतों के प्रति रवैया संवेदनहीन बना रहता है। उनकी निष्क्रियता और अर्कमण्यता के लिए उन्हें सजा नहीं दी जाती। मतलब ये कि सरकारी कर्मचारियों पर कोई असर नहीं पड़ता। यहां यह बात समझना जरूरी है कि किरानी, सिपाही और बिचौलिए हमारी व्यवस्था के न सिर्फ आधार हैं, बल्कि हमारी व्यवस्था की जड़ों को खोखला करने में अहम भूमिका अदा कर रहे हैं। गौरतलब बात है कि यह वो तबका है जिसे लोगों की सेवा करने के लिए बनाया गया है, न कि लोगों पर राज करने के लिए।

सरकार में उच्चतम स्तर की पारदर्शिता से उन लोगों का मनोबल बढ़ेगा जो जनता के हितों के लिए पूरे समय काम में जुटे रहते हैं। यदि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम में गंभीर है तो सूचना के अधिकार कानून के तहत जो भी संभव जानकारी हो, मीडिया और आम जनता तक पहुंचाना चाहिए

कुछ लोग भूले से यह मान लेते हैं कि भ्रष्ट तरीके अपना कर ही तेज और बेहतर सेवा का लाभ उठाया जा सकता है। भ्रष्ट तरीकों में कोई कागजी कार्रवाई नहीं होती, अगर आपसे रिश्वत ली गई तो कोई रसीद आपको नहीं मिलेगी, न ही कोई रिकार्ड इस बाबत दर्ज होगा। हमारे संविधान और कानून में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बारे में सही मुद्दों को सामने रखा गया है। मगर सैकड़ों साल पुराने नियम, कानून और प्रावधानों में खामियों की वजह से भ्रष्टाचार को अपने पांव पसारने की जगह मिल जाती है। राजनीतिक दल बड़े घोटालों और भ्रष्टाचारियों की बात तो उठाते हैं, मगर जब बात छोटे भ्रष्ट कार्यों या तरीकों की आती है तो ज्यादा शोर-शराबा नहीं होता। दीगर बात है कि यही छोटे-मोटे भ्रष्ट कार्य और तरीके रोजमर्रा की जिंदगी में आम आदमी को परेशान

किए रहते हैं। यहां तक कि लोगों के हितों की रक्षा का दम भरने वामपंथी दल भी इस मुद्दे को ज्यादा तरजीह नहीं देते। जाहिर है सरकार ऐसे में अपनी जवाब से मुकर नहीं सकती लेकिन इसके लिए लोगों को भी कुछ जिम्मेदारी तो लेनी होगी। सालों साल सड़क टूटी रहेगी, बिजली की सप्लाई अनियमित बनी रहेगी, जब तक कि लोग आपस में मिलजुल कर एक दवाब समूह नहीं बनाएं अपनी सामूहिक आवाज नहीं उठाएं। यह एक सच्चाई है कि सरकारी अमलों को लोगों की सामूहिक आवाज को बाध्य होकर सुनना ही पड़ता है। तो जरूरत इस बात कि है कि लोग अपनी ताकत सामूहिक आवाज के रूप में प्रशासन तक पहुंचाएं, जिससे उन्हें बाध्य होना पड़े।

अगर लोग खुद ही जिम्मेदारी लेने लगे तो काफी फर्क देखने को मिल सकता है। आम आदमी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भ्रष्ट तरीके अपना कर कभी कोई काम न हो। क्योंकि सरकारी अमला बना है नागरिकों की सेवा के लिए। भ्रष्टाचार को किसी भी रूप में न तो अपनाएं, न ही पनपने दें। ऐसी बात नहीं कि बगैर भ्रष्ट तरीके अपनाए काम हो ही नहीं सकता। हर नागरिक को यह पता होना चाहिए कि इसका अंजाम न सिर्फ उसके लिए बल्कि पूरे देश की आर्थिक स्थिति के लिए नुकसानदेह होगा। भ्रष्टाचार उस नासूर की तरह है, जिसके चलते सरकार की स्थिरता और अस्तित्व पर सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। समाज में नैतिकता के ताने-बाने को भी यह तार-तार कर देता है।

देश में भ्रष्टाचार को ले कर जो हमारी धारणा है, वे मूल रूप से इस कारण हैं कि हम सोचते हैं कि यह हमारी जिम्मेदारी नहीं है। सबसे आसान तरीका है सरकार सहित सभी को जिम्मेदार ठहराना, और हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना। सही नागरिक की पहचान यह है कि वह भ्रष्टाचार का न सिर्फ विरोध करे बल्कि और लोगों को भी इसके खिलाफ गोलबंद करे। इस राह का कोई शार्टकट नहीं है। □

(लेखक सीबीआई के पूर्व निदेशक हैं)

सरकार में अभिनव सोच की जरूरत

○ संजय कोठारी
राजेश बंसल

सुशासन का अर्थ कम परेशानी और कम खर्च के साथ शीघ्र सेवा प्रदान करना है। सरकार के लिए अभिनव सोच की आवश्यकता का मुख्य कारण यही है। ज्ञान के इस युग में प्रशिक्षण और कौशल विकास पर जोर दिया जा रहा है। लोगों की सोच और कौशल में बदलाव लाना जरूरी है

अभिनव सोच क्यों और अगर अभिनव सोच की सचमुच जरूरत है तो यह विशेषकर सरकार में क्यों?

विश्व की विकास प्रणाली के संदर्भ में 1980 के दशक को औद्योगिक युग के नाम से पुकारा जा सकता है। इस युग में अंग्रेजी के 'एम' अक्षर से शुरू होने वाले पांच शब्दों—मैन, मनी, मटीरियल, मशीन और मेथड का प्रबंधन आवश्यक प्रतीत हुआ। भारत में इस अवधि में मारुति उद्योग लिमिटेड की स्थापना हुई और एक नयी कार्य संस्कृति की शुरुआत हुई जिसमें प्रबंधक और श्रमिक एक ही तरह की पोशाक पहनते थे और एक ही साइज़ा कैंटीन में मिल-बांटकर खाना खाते थे। आज का युग ज्ञान का युग है और अब काफी बदलाव आया है जिसमें मशीन का महत्व कम हो गया है और मानव और दिमाग का महत्व बढ़ने के साथ ही सूचना एक कच्चा माल बन गई है। नयी अर्थव्यवस्था में प्रतिभा वास्तविक पूंजी का स्थान ले रही है। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी का विकास प्रतिभा उन्मुखी ज्यादा है न कि नैर्यातान्मुखी। जैसा 1990 के दशक में ब्रह्म-सी प्रतिभाओं का विकास किया गया, जो बाद के वर्षों में सुविधाजनक पाए गए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफोर्मेशन टेक्नोलॉजी

(एनआईआईटी) द्वारा कराए गए एक अध्ययन के अनुसार वर्ष 2020 तक अमरीका, यूरोपीय देशों, जापान और यहां तक कि चीन के पास भी लाखों की संख्या में प्रशिक्षित मानव शक्ति की कमी होगी किंतु भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे विकासशील देशों के पास बड़ी संख्या में अतिरिक्त प्रशिक्षित लोग होंगे। अनुमान के अनुसार भारत में यह संख्या 4 करोड़ 60 लाख से भी अधिक हो सकती है। यदि लोगों को ठीक तरह से प्रशिक्षित किया जाए तो जनसंख्या को बौद्ध मानना बात हो जाएगी और यह एक पूंजी मानी जाएगी।

इस तरह भूमंडलीकरण के स्थापित होने के साथ ही रोजगार के अवसर विकसित देशों की ओर से निकलकर विकासशील देशों के लोगों और देशों की ओर अपना रुख करेगा। इसके लिए चाहे उन्हें अपना स्थान परिवर्तन करना पड़े या फिर उपग्रह, फाइबर ऑप्टिक्स का सहारा लेना पड़े। भूमंडल की अर्थव्यवस्था के लिए मानव संसाधन विकास एक ताकत है और ज्ञान का विकास और भूमंडलीकरण नवीनता के क्षेत्र में एक ताकतवर संचालक हैं। ज्ञान के इस युग में प्रशिक्षण और कौशल विकास पर जोर दिया जा रहा है। लोगों की

सोच और कौशल में बदलाव लाना जरूरी है। उदारीकृत परिदृश्य में बड़ी जनसंख्या के लिए दक्षता विकास के साथ ही क्षमता निर्माण की जरूरत है।

सुशासन का अर्थ कम परेशानी और कम खर्च के साथ शीघ्र सेवा प्रदान करना है। सरकार के लिए अभिनव सोच की आवश्यकता का मुख्य कारण यही है। आज की दुनिया में परिवर्तन एकमात्र स्थायी विशेषता है।

सरकार की सोच में ऐसे बदलाव की जरूरत है जिससे उसकी भूमिका एक प्रत्यक्ष दाता के स्थान पर एक सुविधा प्रदाता की हो। भारत में 1990 के दशक के मध्य तक सरकार को एक आदर्श नियोक्ता माना जाता था लेकिन अब सरकार को सेवाओं के वितरण के लिए एक कारगर केंद्र के रूप में काम करना चाहिए, जिसकी तुलना निजी क्षेत्र से की जा सके।

हरियाणा सरकार के पास राज्य सरकार के तीन लाख से भी अधिक कर्मचारी हैं। इनमें राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों में रोजगार पाने वाले लोग शामिल नहीं हैं। भारत के योजना आयोग के आंकड़े के अनुसार यहां प्रति हजार की जनसंख्या पर 16 कर्मचारी होते हैं जो देश में अधिकतम है। इस समय हरियाणा सरकार

विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों के पुनर्गठन की प्रक्रिया चला रही है ताकि व्यापक जनहित में कम लागत पर सेवाएं उपलब्ध हो सकें। कार्यालय के बाहर वाले काम से जुड़े कर्मचारियों का कौशल बढ़ाना जरूरी है और इसके लिए निर्णय करते समय लोगों की सोच में भी बदलाव लाने की जरूरत है।

वर्ष 2002 में हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया था कि हरियाणा सिविल सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को दो वर्ष में कम से कम एक बार अनिवार्य रूप से एक सप्ताह का प्रशिक्षण लेना होगा। इसके अलावा हरियाणा सिविल सचिवालय के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों को प्रारंभिक नियुक्ति अथवा पदोन्नति के तीन माह के भीतर हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक सप्ताह का प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होगा। यह प्रशिक्षण पंचकूला स्थित हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के विभागीय प्रशिक्षण केंद्र और गुडगाव स्थित मुख्य परिसर में आयोजित किया जाता है।

प्रशिक्षण के दौरान कर्मचारियों की दक्षता बढ़ाने और उनके काम में आनेवाली नई चुनौतियों का सामना करने हेतु सक्षम बनाने पर जोर दिया जाता है। वर्ष 2003 के अंत तक हरियाणा सिविल सचिवालय के प्रायः सभी कर्मचारियों ने प्रशिक्षण में भाग लिया। अब सरकार के वैधानिक मुद्दे, उसकी नीतियों और प्रक्रियाओं के बारे में विशेष प्रशिक्षण की योजना बनाई जा रही है।

कानूनी प्रक्रियाओं को सरल बनाना

भारत में भारतीय दंड संहिता आदि जैसे प्रमुख कानून देश की आजादी से पहले बनाए गए थे। उस समय देश पर अंग्रेज शासन करते थे। समाज के एक हिस्से के विचार में देश पर शासन करने वाली विदेशी हुकूमत ने इन्हें अपनी सुविधा के अनुसार विशेष तौर से तैयार किया। उनके तर्क के अनुसार अधिकांश कानूनों की पहली 15 धाराएं आधारभूत तथ्यों व कानून बनाने के उद्देश्य और उसके बाद की धाराओं में कानून के उल्लंघन के लिए दंड का विवरण और संबंधित मामले की

सुनवाई के लिए अधिकृत अधिकारी का विवरण शामिल रहता है। इससे इस बात का संकेत मिलता है कि सरकार हरेक व्यक्ति से एक चोर जैसा बर्ताव करती है जब तक कि वह कुछ और साबित नहीं हो।

आजादी के 50 वर्ष से अधिक समय के बाद भी सरकार में प्रचलनों को थोपा जाता है। सरकार अपने नागरिकों से जन्मतिथि जैसी प्रत्येक चीज के लिए शपथपत्र की मांग करती है। इस काम में उसे कम से कम 50 रुपये से लेकर 100 रुपये तक खर्च करना पड़ता है। इसके अलावा, गरीब नागरिकों को इस पर काफी समय और ऊर्जा लगाना पड़ता है और ऐसा पाया गया है कि किसी के द्वारा गलत शपथपत्र दाखिल किए जाने की स्थिति में

इससे इस बात का संकेत मिलता है कि सरकार हरेक व्यक्ति से तब तक एक चोर जैसा बर्ताव करती है जब तक कि वह कुछ और साबित नहीं हो जाता

दोषी लोगों को दंडित नहीं किया जाता। उसी प्रकार किसी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश पाने की प्रक्रिया काफी जटिल है। यहां तक कि विभिन्न सरकारी योजनाओं से लाभ प्राप्त करने के इच्छुक लोगों के लिए जटिल फार्म भरना जरूरी होता है और इसके साथ-साथ शपथपत्र और जाति आवास प्रमाणपत्र भी देना पड़ता है। इस फार्म को भरने में उन्हें सहायता की जरूरत होती है और इससे भ्रष्टाचार पनपने का खतरा होता है। ये उदाहरण दर्शाते हैं कि सरकारी अधिकारी या कर्मचारी या नीति-निर्माता नागरिकों में विश्वास नहीं करते। अब देश 50 वर्षों से भी अधिक समय से आजाद है और सरकार के लिए ऐसी जरूरतों से छुटकारा पाना जरूरी है ताकि यह जनता के लिए हितकारी बन सके और आम आदमी को ऐसी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े।

हरियाणा सरकार ने दिसंबर 2003 में इन मुद्दों का समाधान करने के क्रम में विभिन्न प्रकार के प्रमाणपत्रों को जारी करने की प्रक्रिया

को सुसंगत किया था। कुछ प्रमुख फ़ैसले इस प्रकार हैं:

1. जाति/आवास-प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अधिकार सर्किल राजस्व अधिकारी-सह-कार्यपालक दंडाधिकारी को सौंप दिया गया।
 2. विभाग प्रमुखों को सरकारी कर्मचारियों के साथ ही चंडीगढ़ पंचकूला में पदस्थापित उनके वार्डों के लिए जाति, आवास प्रमाणपत्र जारी करने का अधिकार सौंप दिया गया।
 3. अनुसूचित जाति प्रमाणपत्र को आजीवन मान्यता दी गई है और पिछड़ा वर्ग प्रमाणपत्र को तीन साल की मान्यता दी गई है।
 4. इस प्रक्रिया को और भी सरल बनाने के उद्देश्य से कक्षा 8 में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को आवास और जाति प्रमाणपत्र जारी करने की योजना शुरू की गई है।
 5. आय प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया को सरल किया गया है।
 6. विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए आवेदन करते समय अंकपत्रों, जाति और आवासीय प्रमाणपत्रों की स्व-सत्यापित प्रतियां जमा की जा सकती हैं।
 7. गांवों के स्कूलों में कक्षा 9 तक पढ़ाई कर रहे सरकारी योजनाओं से लाभ प्राप्त करने के इच्छुक छात्रों के लिए स्कूल प्रधानाध्यापक प्रमाणपत्र जारी कर सकते हैं।
- ये कुछ ऐसे मूलभूत फ़ैसले हैं जिनसे आम आदमी का जीवन आसान और सरल बनेगा। उदारीकृत अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका आईआईएम अहमदाबाद और आईआईएम दिल्ली की ओर से एक अध्ययन के बावजूद भारत के बारे में आधारभूत रिपोर्ट, 2000 तैयार की गई। इस रिपोर्ट में मुख्य रूप से पाया गया है कि प्रायः सभी क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के प्रयास लगी कोई सरकारी कानून-व्यवस्था दुरुस्त करने से लेकर लोगों तक वस्तुएं और सेवाएं मुहैया करा जाए, यह संभव नहीं है। सरकार का काम कल लागू

सरकार में अभिनव सोच की जरूरत

○ संजय कोठारी

राजेश बंसल

सुशासन का अर्थ कम परेशानी और कम खर्च के साथ शीघ्र सेवा प्रदान करना है। सरकार के लिए अभिनव सोच की आवश्यकता का मुख्य कारण यही है। ज्ञान के इस युग में प्रशिक्षण और कौशल विकास पर जोर दिया जा रहा है। लोगों की सोच और कौशल में बदलाव लाना जरूरी है

अभिनव सोच क्यों और अगर अभिनव सोच की सचमुच जरूरत है तो यह विशेषकर सरकार में क्यों ?

विश्व की विकास प्रणाली के संदर्भ में 1980 के दशक को औद्योगिक युग के नाम से पुकारा जा सकता है। इस युग में अंग्रेजी के 'एम' अक्षर से शुरू होने वाले पांच शब्दों -मैन, मनी, मटीरियल, मशीन और मेथड का प्रबंधन आवश्यक प्रतीत हुआ। भारत में इस अवधि में मारुति उद्योग लिमिटेड की स्थापना हुई और एक नयी कार्य संस्कृति की शुरुआत हुई जिसमें प्रबंधक और श्रमिक एक ही तरह की पोशाक पहनते थे और एक ही साइज़ा कैंटीन में मिल-बांटकर खाना खाते थे। आज का युग ज्ञान का युग है और अब काफी बदलाव आया है जिसमें मशीन का महत्व कम हो गया है और मानव और दिमाग का महत्व बढ़ने के साथ ही सूचना एक कच्चा माल बन गई है। नयी अर्थव्यवस्था में प्रतिभा वास्तविक पूंजी का स्थान ले रही है। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी का विकास प्रतिभा उन्मुखी ज्यादा है न कि निर्यातोन्मुखी। जैसा 1990 के दशक में बहुत-सी प्रतिभाओं का विकास किया गया, जो बाद के वर्षों में सुविधाजनक पाए गए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफोर्मेशन टेक्नोलॉजी

(एनआईआईटी) द्वारा कराए गए एक अध्ययन के अनुसार वर्ष 2020 तक अमरीका, यूरोपीय देशों, जापान और यहां तक कि चीन के पास भी लाखों की संख्या में प्रशिक्षित मानव शक्ति की कमी होगी किंतु भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे विकासशील देशों के पास बड़ी संख्या में अतिरिक्त प्रशिक्षित लोग होंगे। अनुमान के अनुसार भारत में यह संख्या 4 करोड़ 60 लाख से भी अधिक हो सकती है। यदि लोगों को ठीक तरह से प्रशिक्षित किया जाए तो जनसंख्या को बोज़ मानना बात हो जाएगी और यह एक पूंजी मानी जाएगी।

इस तरह भूमंडलीकरण के स्थापित होने के साथ ही रोजगार के अवसर विकसित देशों की ओर से निकलकर विकासशील देशों के लोगों और देशों की ओर अपना रुख करेगा। इसके लिए चाहे उन्हें अपना स्थान परिवर्तन करना पड़े या फिर उपग्रह, फाइबर ऑप्टिक्स का सहारा लेना पड़े। भूमंडल की अर्थव्यवस्था के लिए मानव संसाधन विकास एक ताकत है और ज्ञान का विकास और भूमंडलीकरण नवीनता के क्षेत्र में एक ताकतवर संचालक हैं। ज्ञान के इस युग में प्रशिक्षण और कौशल विकास पर जोर दिया जा रहा है। लोगों की

सोच और कौशल में बदलाव लाना जरूरी है। उदारीकृत परिदृश्य में बड़ी जनसंख्या के लिए दक्षता विकास के साथ ही क्षमता निर्माण की जरूरत है।

सुशासन का अर्थ कम परेशानी और कम खर्च के साथ शीघ्र सेवा प्रदान करना है। सरकार के लिए अभिनव सोच की आवश्यकता का मुख्य कारण यही है। आज की दुनिया में परिवर्तन एकमात्र स्थायी विशेषता है।

सरकार की सोच में ऐसे बदलाव की जरूरत है जिससे उसकी भूमिका एक प्रत्यक्ष दाता के स्थान पर एक सुविधा प्रदाता की हो। भारत में 1990 के दशक के मध्य तक सरकार को एक आदर्श नियोक्ता माना जाता था लेकिन अब सरकार को सेवाओं के वितरण के लिए एक कारगर केंद्र के रूप में काम करना चाहिए, जिसकी तुलना निजी क्षेत्र से की जा सके।

हरियाणा सरकार के पास राज्य सरकार के तीन लाख से भी अधिक कर्मचारी हैं। इनमें राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों में रोजगार पाने वाले लोग शामिल नहीं हैं। भारत के योजना आयोग के आंकड़े के अनुसार यहां प्रति हजार की जनसंख्या पर 16 कर्मचारी होते हैं जो देश में अधिकतम है। इस समय हरियाणा सरकार

विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों के पुनर्गठन की प्रक्रिया चला रही है ताकि व्यापक जनहित में कम लागत पर सेवाएं उपलब्ध हो सकें। कार्यालय के बाहर वाले काम से जुड़े कर्मचारियों का कौशल बढ़ाना जरूरी है और इसके लिए निर्णय करते समय लोगों की सोच में भी बदलाव लाने की जरूरत है।

वर्ष 2002 में हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया था कि हरियाणा सिविल सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को दो वर्ष में कम से कम एक बार अनिवार्य रूप से एक सप्ताह का प्रशिक्षण लेना होगा। इसके अलावा हरियाणा सिविल सचिवालय के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों को प्रारंभिक नियुक्ति अथवा पदोन्नति के तीन माह के भीतर हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक सप्ताह का प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होगा। यह प्रशिक्षण पंचकूला स्थित हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के विभागीय प्रशिक्षण केंद्र और गुडगाव स्थित मुख्य परिसर में आयोजित किया जाता है।

प्रशिक्षण के दौरान कर्मचारियों की दक्षता बढ़ाने और उनके काम में आनेवाली नई चुनौतियों का सामना करने हेतु सक्षम बनाने पर जोर दिया जाता है। वर्ष 2003 के अंत तक हरियाणा सिविल सचिवालय के प्रायः सभी कर्मचारियों ने प्रशिक्षण में भाग लिया। अब सरकार के वैधानिक मुद्दे, उसकी नीतियों और प्रक्रियाओं के बारे में विशेष प्रशिक्षण की योजना बनाई जा रही है।

कानूनी प्रक्रियाओं को सरल बनाना

भारत में भारतीय दंड संहिता आदि जैसे प्रमुख कानून देश की आजादी से पहले बनाए गए थे। उस समय देश पर अंग्रेज शासन करते थे। समाज के एक हिस्से के विचार में देश पर शासन करने वाली विदेशी हुकूमत ने इन्हें अपनी सुविधा के अनुसार विशेष तौर से तैयार किया। उनके तर्क के अनुसार अधिकांश कानूनों की पहली 15 धाराएं आधारभूत तथ्यों व कानून बनाने के उद्देश्य और उसके बाद की धाराओं में कानून के उल्लंघन के लिए दंड का विवरण और संबंधित मामले की

सुनवाई के लिए अधिकृत अधिकारी का विवरण शामिल रहता है। इससे इस बात का संकेत मिलता है कि सरकार हरेक व्यक्ति से एक चोर जैसा बर्ताव करती है जब तक कि वह कुछ और साबित नहीं हो।

आजादी के 50 वर्ष से अधिक समय के बाद भी सरकार में प्रचलनों को थोपा जाता है। सरकार अपने नागरिकों से जन्मतिथि जैसी प्रत्येक चीज के लिए शपथपत्र की मांग करती है। इस काम में उसे कम से कम 50 रुपये से लेकर 100 रुपये तक खर्च करना पड़ता है। इसके अलावा, गरीब नागरिकों को इस पर काफी समय और ऊर्जा लगाना पड़ता है और ऐसा पाया गया है कि किसी के द्वारा गलत शपथपत्र दाखिल किए जाने की स्थिति में

इससे इस बात का संकेत मिलता है कि सरकार हरेक व्यक्ति से तब तक एक चोर जैसा बर्ताव करती है जब तक कि वह कुछ और साबित नहीं हो जाता

दोषी लोगों को दंडित नहीं किया जाता। उसी प्रकार किसी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश पाने की प्रक्रिया काफी जटिल है। यहां तक कि विभिन्न सरकारी योजनाओं से लाभ प्राप्त करने के इच्छुक लोगों के लिए जटिल फार्म भरना जरूरी होता है और इसके साथ-साथ शपथपत्र और जाति आवास प्रमाणपत्र भी देना पड़ता है। इस फार्म को भरने में उन्हें सहायता की जरूरत होती है और इससे भ्रष्टाचार पनपने का खतरा होता है। ये उदाहरण दर्शाते हैं कि सरकारी अधिकारी या कर्मचारी या नीति-निर्माता नागरिकों में विश्वास नहीं करते। अब देश 50 वर्षों से भी अधिक समय से आजाद है और सरकार के लिए ऐसी जरूरतों से छुटकारा पाना जरूरी है ताकि यह जनता के लिए हितकारी बन सके और आम आदमी को ऐसी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े।

हरियाणा सरकार ने दिसंबर 2003 में इन मुद्दों का समाधान करने के क्रम में विभिन्न प्रकार के प्रमाणपत्रों को जारी करने की प्रक्रिया

को सुसंगत किया था। कुछ प्रमुख फैसले इस प्रकार हैं:

1. जाति/आवास-प्रमाणपत्र जारी करने का अधिकार सर्किल राजस्व अधिकारी-सह-कार्यपालक दंडाधिकारी को सौंप दिया गया।
2. विभाग प्रमुखों को सरकारी कर्मचारियों के साथ ही चंडीगढ़ पंचकूला में पदस्थापित उनके वार्डों के लिए जाति, आवास प्रमाणपत्र जारी करने का अधिकार सौंपा गया।
3. अनुसूचित जाति प्रमाणपत्र को आजीवन मान्यता दी गई है और पिछड़ा वर्ग प्रमाणपत्र को तीन साल की मान्यता दी गई है।
4. इस प्रक्रिया को और भी सरल बनाने के उद्देश्य से कक्षा 8 में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को आवास और जाति प्रमाणपत्र जारी करने की योजना शुरू की गई है।
5. आय प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया को सरल किया गया है।
6. विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए आवेदन करते समय अंकपत्रों, जाति और आवासीय प्रमाणपत्रों की स्व-सत्यापित प्रतियां जमा की जा सकती हैं।
7. गांवों के स्कूलों में कक्षा 9 तक पढ़ाई कर रहे सरकारी योजनाओं से लाभ प्राप्त करने के इच्छुक छात्रों के लिए स्कूल के प्रधानाध्यापक प्रमाणपत्र जारी कर सकते हैं।

ये कुछ ऐसे मूलभूत फैसले हैं जिनसे आम आदमी का जीवन आसान और सरल बनेगा। उदारीकृत अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका आईआईएम अहमदाबाद और आईआईटी दिल्ली की ओर से एक अध्ययन के बाद भारत के बारे में आधारभूत रिपोर्ट, 2000 तैयार की गई। इस रिपोर्ट में मुख्य रूप से पाया गया है कि प्रायः सभी क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के प्रयास लगी कोई सरकार कानून-व्यवस्था दुरुस्त करने से लेकर लोगों तक वस्तुएं और सेवाएं मुहैया करा पाए, यह संभव नहीं है। सरकार का काम कल लागत

पर सुशासन उपलब्ध कराना है। कश्मीर की वर्तमान स्थिति और 1980 के दशक के उत्तरार्ध से 1990 के दशक की शुरुआत में पंजाब में उग्रवाद के दौरान इन्हीं तथ्यों को पूरा बल मिला है। कश्मीर में संसाधन की कोई कमी नहीं है, पर बिगड़ती कानून-व्यवस्था के कारण प्रशासन पर प्रतिकूल असर पड़ा है।

सरकार को सुशासन के अलावा रियायती खर्च पर बुनियादी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराना चाहिए। अगर हम अधिकांश विकसित देशों और कुछ विकासशील देशों द्वारा अपनाए गए तरीके का अध्ययन करें, तो पाएंगे कि ये देश बड़े पैमाने पर सड़क निर्माण परियोजनाएं चलाते हैं और लागत वसूली के लिए उपयोगकर्ताओं अथवा आम नागरिकों पर कर लागू कर देते हैं। अंतरराष्ट्रीय रवैये के अनुसार ही भारत सरकार ने भी राष्ट्रीय राजमार्गों पर कर लागू करके इनके स्तर में सुधार किया है। सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर भी सेस लागू किया है और इस धन का इस्तेमाल स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना और देश की अन्य सड़क परियोजनाओं में किया जाता है। आज अधिकांश सरकारों के पास दो ही विकल्प हैं- पहला या तो वह कर्ज लेकर सड़क बनाए या फिर कोई सड़क न बनाए। अधिकांश सरकारों ने या तो पहले विकल्प का सहारा ले लिया है अथवा वे इसका सहारा लेने का विचार कर रही हैं। हरियाणा में राजकीय राजमार्ग और अन्य संपर्क मार्ग हुडको से कर्ज लेकर बनाए गए अथवा उनमें सुधार लाया गया और इन सड़कों पर शुल्क लगा दिए गए। हरियाणा आज चौड़ी और ठीक-ठाक बनी सड़कों के विशाल नेटवर्क के मामले में सक्षम है। यात्रा करने वाले लोगों की सोच में भी बदलाव आया है और अब वे सुरक्षित, शीघ्र और थकानमुक्त यात्रा के लिए नई और बेहतर सड़कों के नाम पर शुल्क देने से नहीं कतराते।

सरकारी विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों की पुनर्संरचना करना

फिलहाल अधिकांश राज्य सरकारों ने पांचवें वेतन आयोग के सुझावों को लागू किया

है और वे वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं। योजना आयोग की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि वेतनों, पेंशनों और ब्याज के भुगतान में वृद्धि होने के कारण राज्यों की वित्तीय स्थिति काफी दबाव में है। 14 प्रमुख राज्यों पर 200 गुना अधिक व्ययभार हो गया है। यह 1975-76 के 100 करोड़ रुपये से बढ़कर 1998-99 में 20,000 करोड़ रुपये हो गया। वेतन और पिछले कर्ज के ब्याज का भुगतान करने के बाद राज्यों के पास आज योजनाबद्ध विकास अथवा पूंजी निवेश के लिए धन नहीं है।

वित्तीय संकट का एक कारण यह भी है कि पांचवें वेतन आयोग के सुझावों के अनुसार है कर्मचारियों की संख्या में कमी भी करना

आज अधिकांश सरकारों के पास दो ही विकल्प हैं - पहला या तो वह कर्ज लेकर सड़क बनाए या फिर कोई सड़क न बनाए

था जो नहीं किया गया और अधिकांश राज्यों के पास संसाधनों की कमी हो गई।

राज्य सरकारें पिछले कुछ समय से विकास की गतिविधियों को चलाने और अन्य सामान्य जरूरतों की पूर्ति के लिए कर्ज ले रही हैं। हाल में भारतीय रिजर्व बैंक ने राज्यों के वित्त सचिवों की बैठक में राज्य सरकारों द्वारा ली जाने वाली कर्ज की सीमा निर्धारित करने की घोषणा की है।

वित्तीय संकट को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने विभागों की पुनर्संरचना करने का फैसला किया है। राज्य सरकार ने सरकारी विभागों के पुनर्गठन के बारे में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किया है जो निम्नलिखित बिन्दुओं पर जो देता है:-

1. विभागों को नया रूप देना, उन्हें जोड़ना और उनका समंजन करना।
2. सभी गैर योजना और योजना स्कीमों की गहराई से जांच करना।
3. सरकारी विभागों और संगठनों की पुनर्संरचना करना।

सरकारी विभागों की पुनर्संरचना के क्रम में वर्तमान जरूरतों के अनुसार प्रत्येक विभाग में विभिन्न श्रेणियों के पदों के लिए कर्मचारियों की संख्या तय की गई है। इसके परिणामस्वरूप एक विभाग में जरूरत से ज्यादा कर्मचारियों को आवश्यकतानुसार अन्य विभागों में भेजा जा सकता है। राज्य सरकार ने एक ऐसी नीति तैयार की है जिसके द्वारा ज्यादा संख्या में मौजूद कर्मचारियों का रिक्तियों वाले विभागों में समंजन किया जा सकता है।

विश्व अर्थव्यवस्था के निरंतर एकीकरण के साथ-साथ विकसित और विकासशील देशों में व्यापक रूप से आर्थिक बदलाव हो रहे हैं। इन परिवर्तनों की वजह से व्यापारिक गतिविधियों और राज्य के उपक्रमों के निजीकरण के मामले में राज्य की भूमिका कम हो गई। भारत में बीस वर्ष पहले तक माना जाता था कि केंद्र सरकार/राज्य सरकार किसी प्रकार की गतिविधि चलाने की स्थिति में है। उदाहरण के लिए, जब गुजरात की कपड़ा मिलें रूग्ण हो गई तो भारत सरकार ने इन मिलों में प्रबंधन को अपने कब्जे में ले लिया और नेशनल टेक्सटाइल्स कारपोरेशन बना। कालांतर में पाया गया कि इन मिलों को चलाना आर्थिक या व्यापारिक रूप से संभव नहीं था क्योंकि वे लगातार घाटे में चल रही थीं।

हरियाणा सरकार ने राज्य के स्वामित्व वाले सार्वजनिक उपक्रमों से निवेश का सहारा लिया जिसमें हरियाणा ब्रेवरीज लिमिटेड, हरियाणा कॉकास्ट लिमिटेड शामिल हैं। सरकार ने हरियाणा स्टेट फेडरेशन ऑफ कंच्युमर को-ऑपरेटिव स्टोर्स जैसे सार्वजनिक उपक्रमों का आकार दुरुस्त किया, जहां ज्यादा संख्या में कर्मचारी तैनात थे। इसके साथ ही उन सार्वजनिक उपक्रमों को पूरी तरह बंद कर दिया जिन्हें चलाना व्यवहार्य नहीं था और उनके पुनर्जीवन की कोई संभावना नहीं थी। हरियाणा स्टेट हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट्स कारपोरेशन, हरियाणा राज्य लघु सिंचाई एवं ट्सूबवेल्स निगम इसके उदाहरण हैं। इस

प्रक्रिया के दौरान छंटनी किए गए कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने समूह 'सी' और 'डी' के पदों पर सीधी भर्ती में उनके लिए आरक्षण लागू कर दिया।

अनुबंध नीति

विभागों की पुनर्संरचना पर विचार करते समय पाया गया कि बड़ी संख्या में कौशल से अलग वाले काम हैं जिन्हें बाहर से अथवा अनुबंध के द्वारा कराया जा सकता है। इसमें नियमित कर्मचारियों की तुलना में काफी कम लागत भी होती है और दक्षता से किसी प्रकार का समझौता भी नहीं करना पड़ता। इसलिए राज्य सरकार ने निर्णय लिया कि विभागों को भवन रखरखाव, बागवानी, पहरा देना, सफाई करना आदि कामों को अनुबंध पर देना चाहिए और ऐसे कामों के लिए पदों को सुसंगत बनाना चाहिए। ऐसे काम में लगे कर्मचारियों को एक अवधि में धीरे-धीरे कम किया जाना चाहिए और भविष्य में इनके लिए अनुबंध किया जाना चाहिए।

शिक्षा/स्वास्थ्य क्षेत्र

राज्य से यह आशा की जाती है कि अपने नागरिकों को आधारभूत शिक्षा उपलब्ध कराए। आधारभूत शिक्षा का अर्थ कक्षा 10 तक की शिक्षा है और अगर हम इसका विस्तार करें तो इसका अर्थ कक्षा 12 तक की शिक्षा हो सकता है। लेकिन कल्पना पर जोर डाले बिना इसके अंतर्गत स्नातक तक की शिक्षा को शामिल किया जा सकता है। ऐसा पाया गया है कि पिछले 20 वर्षों से भी अधिक समय से डिग्री कालेजों के शुल्क नहीं बढ़ाए गए हैं। इसके परिणामस्वरूप अधिकांश डिग्री कालेज बैठने की व्यवस्था, प्रयोगशाला और पुस्तकालय सुविधाएं उपलब्ध कराने की स्थिति में नहीं हैं। मामूली शुल्क ढांचा होने के कारण जैसे छात्र जो व्यावसायिक कॉलेजों में दाखिला नहीं ले पाते और लाभदायक रोजगार से जुड़े नहीं हैं, वे डिग्री कालेजों में दाखिला लेकर स्नातक/स्नातकोत्तर की पढ़ाई करते हैं। इस प्रक्रिया में वे सेवा से जुड़े क्षेत्रों में रोजगार नहीं पा सकते और न ही वे खेती अथवा औद्योगिक रोजगार के लिए उपयुक्त रह पाते

हैं और इस पद्धति से उनका पूरी तरह मोहभंग हो जाता है।

अगर हम इसकी तुलना पश्चिमी देशों के साथ करें तो पाएंगे कि विकसित देश अपने सभी नागरिकों को आधारभूत शिक्षा उपलब्ध कराते हैं। अगर शुल्क ढांचे की तुलना करें तो भारत के प्रतिवर्ष 1,000 रुपये की तुलना में विश्वविद्यालयों में कुछ लाख रुपये का शुल्क लिया जाता है। आमतौर पर पश्चिमी देशों में विश्वविद्यालयों में दाखिला लेने वाले छात्रों की तीन श्रेणियां होती हैं:

1. तीक्ष्ण बुद्धि वाले जैसे छात्र जिन्हें राज्य अथवा विभिन्न एजेंसियों से छात्रवृत्ति मिलती है।
2. जैसे छात्र जो दिन में पढ़ाई करते हों और शाम में अंशकालिक काम करते हों।

यात्रा करने वाले लोगों की सोच में भी बदलाव आया है और अब वे सुरक्षित, शीघ्र और थकानमुक्त यात्रा के लिए नई और बेहतर सड़कों के नाम पर शुल्क देने से नहीं कतराते

3. कुछ मामले में शादी के बाद दो में से एक व्यक्ति पढ़ाई करते हैं और दूसरे उसकी सहायता करते हैं।

भारत में भी इस दिशा में सोच में बदलाव आया है। कंप्यूटर अनुप्रयोग अथवा व्यापार अनुप्रयोग अथवा व्यापार प्रशासन की डिग्री जैसे रोजगार की बेहतर संभावनाओं वाले पाठ्यक्रमों के लिए सामान्य डिग्री पाठ्यक्रमों की तुलना में काफी अधिक शुल्क वसूले जाते हैं। इस शुल्क ढांचे की तुलना इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों से की जा सकती है। भारत सरकार ने कालेजों को उनके द्वारा नियुक्त समिति से मान्यता प्राप्त करने की अनुमति भी दी है और इसके बाद उन्हें अपने लिए शुल्क तय करने की स्वतंत्रता दी गई है। इस तरह से रोजगार के अवसरों से जुड़ी गुणवत्ता आधारित शिक्षा पर जोर दिया गया है।

भारत में पहले आईआईटी और मेडिकल कालेज जैसे व्यावसायिक संस्थानों में भी शुल्क काफी कम थे पर पिछले दशक में इसे बढ़ा दिया गया। इसका अर्थ यह नहीं है कि गरीब छात्र इन पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने से वंचित रहें, क्योंकि व्यावसायिक कॉलेजों के लिए बैंकों से आसानी से ऋण उपलब्ध हैं और छात्र रोजगार पाने के बाद इसकी वापसी करते हैं।

उसी प्रकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में 10 वर्ष पहले सरकारी अस्पतालों में रोगों की चिकित्सा निःशुल्क की जाती थी। सरकारी अस्पतालों में व्यक्तिगत पंजीकरण कार्ड, टिकट प्राप्त करने के लिए मात्र 50 पैसे की टिकट पर एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड और अन्य प्रकार की जांच निःशुल्क होते थे। सब कुछ निःशुल्क होने के कारण रोगियों को एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड की सुविधा नहीं मिल पाती थी क्योंकि कभी मशीनें खराब रहती थी अथवा फिल्म अथवा अन्य आवश्यक वस्तुओं की कमी के कारण काम नहीं करती थीं। आज जबकि जांच की आधुनिक प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, विभिन्न जांचों, एक्स-रे अथवा अल्ट्रासाउंड की रिपोर्टों के आधार पर उपचार किए जाते हैं। इसी प्रकार सरकारी अस्पतालों के डाक्टरों ने निजी जांच केंद्रों से जांच कराने के लिए निर्देश देना शुरू कर दिया जिसके कारण इन अस्पतालों के डाक्टरों और जांच केंद्रों के कर्मचारियों के बीच गठजोड़ कायम हो गया।

इसे देखते हुए नीति निर्माताओं के बीच 1990 के दशक के मध्य में चेतना आई कि इन जांचों के बदले कुछ न्यूनतम शुल्क निर्धारित होना चाहिए। इस शुल्क में मुख्य रूप से फिल्मों या रसायनों और नाममात्र के रखरखाव शुल्क शामिल किए गए। यह राशि ऐसी जांच के लिए बाजार की दरों की तुलना में एक-चौथाई अथवा पांचवा भाग है। उदाहरण के लिए पीजीआई, चंडीगढ़ में जांचों के लिए पहले ही न्यूनतम शुल्क लागू किया गए लेकिन बाद में चंडीगढ़ मेडिकल कालेज और सेक्टर-16 स्थित सरकारी अस्पताल ने भी सभी प्रकार की जांचों के लिए शुल्क

पर सुशासन उपलब्ध कराना है। कश्मीर की वर्तमान स्थिति और 1980 के दशक के उत्तरार्ध से 1990 के दशक की शुरुआत में पंजाब में उग्रवाद के दौरान इन्हीं तथ्यों को पूरा बल मिला है। कश्मीर में संसाधन की कोई कमी नहीं है, पर बिगड़ती कानून-व्यवस्था के कारण प्रशासन पर प्रतिकूल असर पड़ा है।

सरकार को सुशासन के अलावा रियायती खर्च पर बुनियादी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराना चाहिए। अगर हम अधिकांश विकसित देशों और कुछ विकासशील देशों द्वारा अपनाए गए तरीके का अध्ययन करें, तो पाएंगे कि ये देश बड़े पैमाने पर सड़क निर्माण परियोजनाएं चलाते हैं और लागत वसूली के लिए उपयोगकर्ताओं अथवा आम नागरिकों पर कर लागू कर देते हैं। अंतरराष्ट्रीय रवैये के अनुसार ही भारत सरकार ने भी राष्ट्रीय राजमार्गों पर कर लागू करके इनके स्तर में सुधार किया है। सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर भी सेस लागू किया है और इस धन का इस्तेमाल स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना और देश की अन्य सड़क परियोजनाओं में किया जाता है। आज अधिकांश सरकारों के पास दो ही विकल्प हैं— पहला या तो वह कर्ज लेकर सड़क बनाए या फिर कोई सड़क न बनाए। अधिकांश सरकारों ने या तो पहले विकल्प का सहारा ले लिया है अथवा वे इसका सहारा लेने का विचार कर रही हैं। हरियाणा में राजकीय राजमार्ग और अन्य संपर्क मार्ग हुडको से कर्ज लेकर बनाए गए अथवा उनमें सुधार लाया गया और इन सड़कों पर शुल्क लगा दिए गए। हरियाणा आज चौड़ी और ठीक-ठाक बनी सड़कों के विशाल नेटवर्क के मामले में सक्षम है। यात्रा करने वाले लोगों की सोच में भी बदलाव आया है और अब वे सुरक्षित, शीघ्र और थकानमुक्त यात्रा के लिए नई और बेहतर सड़कों के नाम पर शुल्क देने से नहीं कतराते।

सरकारी विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों की पुनर्संरचना करना

फिलहाल अधिकांश राज्य सरकारों ने पांचवें वेतन आयोग के सुझावों को लागू किया

है और वे वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं। योजना आयोग की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि वेतनों, पेंशनों और ब्याज के भुगतान में वृद्धि होने के कारण राज्यों की वित्तीय स्थिति काफी दबाव में है। 14 प्रमुख राज्यों पर 200 गुना अधिक व्ययभार हो गया है। यह 1975-76 के 100 करोड़ रुपये से बढ़कर 1998-99 में 20,000 करोड़ रुपये हो गया। वेतन और पिछले कर्ज के ब्याज का भुगतान करने के बाद राज्यों के पास आज योजनाबद्ध विकास अथवा पूंजी निवेश के लिए धन नहीं है।

वित्तीय संकट का एक कारण यह भी है कि पांचवें वेतन आयोग के सुझावों के अनुसार है कर्मचारियों की संख्या में कमी भी करना

आज अधिकांश सरकारों के पास दो ही विकल्प हैं — पहला या तो वह कर्ज लेकर सड़क बनाए या फिर कोई सड़क न बनाए

था जो नहीं किया गया और अधिकांश राज्यों के पास संसाधनों की कमी हो गई।

राज्य सरकारें पिछले कुछ समय से विकास की गतिविधियों को चलाने और अन्य सामान्य जरूरतों की पूर्ति के लिए कर्ज ले रही हैं। हाल में भारतीय रिजर्व बैंक ने राज्यों के वित्त सचिवों की बैठक में राज्य सरकारों द्वारा ली जाने वाली कर्ज की सीमा निर्धारित करने की घोषणा की है।

वित्तीय संकट को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने विभागों की पुनर्संरचना करने का फैसला किया है। राज्य सरकार ने सरकारी विभागों के पुनर्गठन के बारे में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किया है जो निम्नलिखित बिन्दुओं पर जो देता है:-

1. विभागों को नया रूप देना, उन्हें जोड़ना और उनका समंजन करना।
2. सभी गैर योजना और योजना स्कीमों की गहराई से जांच करना।
3. सरकारी विभागों और संगठनों की पुनर्संरचना करना।

सरकारी विभागों की पुनर्संरचना के क्रम में वर्तमान जरूरतों के अनुसार प्रत्येक विभाग में विभिन्न श्रेणियों के पदों के लिए कर्मचारियों की संख्या तय की गई है। इसके परिणामस्वरूप एक विभाग में जरूरत से ज्यादा कर्मचारियों को आवश्यकतानुसार अन्य विभागों में भेजा जा सकता है। राज्य सरकार ने एक ऐसी नीति तैयार की है जिसके द्वारा ज्यादा संख्या में मौजूद कर्मचारियों का रिक्तियों वाले विभागों में समंजन किया जा सकता है।

विश्व अर्थव्यवस्था के निरंतर एकीकरण के साथ-साथ विकसित और विकासशील देशों में व्यापक रूप से आर्थिक बदलाव हो रहे हैं। इन परिवर्तनों की वजह से व्यापारिक गतिविधियों और राज्य के उपक्रमों के निजीकरण के मामले में राज्य की भूमिका कम हो गई। भारत में बीस वर्ष पहले तक माना जाता था कि केंद्र सरकार/राज्य सरकार किसी प्रकार की गतिविधि चलाने की स्थिति में है। उदाहरण के लिए, जब गुजरात की कपड़ा मिलें रूग्ण हो गई तो भारत सरकार ने इन मिलों में प्रबंधन को अपने कब्जे में ले लिया और नेशनल टेक्सटाइल्स कारपोरेशन बना। कालांतर में पाया गया कि इन मिलों को चलाना आर्थिक या व्यापारिक रूप से संभव नहीं था क्योंकि वे लगातार घाटे में चल रही थीं।

हरियाणा सरकार ने राज्य के स्वामित्व वाले सार्वजनिक उपक्रमों से निवेश का सहारा लिया जिसमें हरियाणा ब्रेवरीज लिमिटेड, हरियाणा कॉकास्ट लिमिटेड शामिल हैं। सरकार ने हरियाणा स्टेट फेडरेशन ऑफ कंज्यूमर को-ऑपरेटिव स्टोर्स जैसे सार्वजनिक उपक्रमों का आकार दुरुस्त किया, जहां ज्यादा संख्या में कर्मचारी तैनात थे। इसके साथ ही उन सार्वजनिक उपक्रमों को पूरी तरह बंद कर दिया जिन्हें चलाना व्यवहार्य नहीं था और उनके पुनर्जीवन की कोई संभावना नहीं थी। हरियाणा स्टेट हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट्स कारपोरेशन, हरियाणा राज्य लघु सिंचाई एवं टूसूबवेल्स निगम इसके उदाहरण हैं। इस

प्रक्रिया के दौरान छंटनी किए गए कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने समूह 'सी' और 'डी' के पदों पर सीधी भर्ती में उनके लिए आरक्षण लागू कर दिया।

अनुबंध नीति

विभागों की पुनर्संरचना पर विचार करते समय पाया गया कि बड़ी संख्या में कौशल से अलग वाले काम हैं जिन्हें बाहर से अथवा अनुबंध के द्वारा कराया जा सकता है। इसमें नियमित कर्मचारियों की तुलना में काफी कम लागत भी होती है और दक्षता से किसी प्रकार का समझौता भी नहीं करना पड़ता। इसलिए राज्य सरकार ने निर्णय लिया कि विभागों को भवन रखरखाव, बागवानी, पहरा देना, सफाई करना आदि कामों को अनुबंध पर देना चाहिए और ऐसे कामों के लिए पदों को सुसंगत बनाना चाहिए। ऐसे काम में लगे कर्मचारियों को एक अवधि में धीरे-धीरे कम किया जाना चाहिए और भविष्य में इनके लिए अनुबंध किया जाना चाहिए।

शिक्षा/स्वास्थ्य क्षेत्र

राज्य से यह आशा की जाती है कि अपने नागरिकों को आधारभूत शिक्षा उपलब्ध कराए। आधारभूत शिक्षा का अर्थ कक्षा 10 तक की शिक्षा है और अगर हम इसका विस्तार करें तो इसका अर्थ कक्षा 12 तक की शिक्षा हो सकता है। लेकिन कल्पना पर जोर डाले बिना इसके अंतर्गत स्नातक तक की शिक्षा को शामिल किया जा सकता है। ऐसा पाया गया है कि पिछले 20 वर्षों से भी अधिक समय से डिग्री कालेजों के शुल्क नहीं बढ़ाए गए हैं। इसके परिणामस्वरूप अधिकांश डिग्री कालेज बैठने की व्यवस्था, प्रयोगशाला और पुस्तकालय सुविधाएं उपलब्ध कराने की स्थिति में नहीं हैं। मामूली शुल्क ढांचा होने के कारण वैसे छात्र जो व्यावसायिक कॉलेजों में दाखिला नहीं ले पाते और लाभदायक रोजगार से जुड़े नहीं हैं, वे डिग्री कालेजों में दाखिला लेकर स्नातक/स्नातकोत्तर की पढ़ाई करते हैं। इस प्रक्रिया में वे सेवा से जुड़े क्षेत्रों में रोजगार नहीं पा सकते और न ही वे खेती अथवा औद्योगिक रोजगार के लिए उपयुक्त रह पाते

हैं और इस पद्धति से उनका पूरी तरह मोहभंग हो जाता है।

अगर हम इसकी तुलना पश्चिमी देशों के साथ करें तो पाएंगे कि विकसित देश अपने सभी नागरिकों को आधारभूत शिक्षा उपलब्ध कराते हैं। अगर शुल्क ढांचे की तुलना करें तो भारत के प्रतिवर्ष 1,000 रुपये की तुलना में विश्वविद्यालयों में कुछ लाख रुपये का शुल्क लिया जाता है। आमतौर पर पश्चिमी देशों में विश्वविद्यालयों में दाखिला लेने वाले छात्रों की तीन श्रेणियां होती हैं:

1. तीक्ष्ण बुद्धि वाले वैसे छात्र जिन्हें राज्य अथवा विभिन्न एजेंसियों से छात्रवृत्ति मिलती है।
2. वैसे छात्र जो दिन में पढ़ाई करते हैं और शाम में अंशकालिक काम करते हैं।

यात्रा करने वाले लोगों की सोच में भी बदलाव आया है और अब वे सुरक्षित, शीघ्र और थकानमुक्त यात्रा के लिए नई और बेहतर सड़कों के नाम पर शुल्क देने से नहीं कतराते

3. कुछ मामलों में शादी के बाद दो में से एक व्यक्ति पढ़ाई करते हैं और दूसरे उसकी सहायता करते हैं।

भारत में भी इस दिशा में सोच में बदलाव आया है। कंप्यूटर अनुप्रयोग अथवा व्यापार अनुप्रयोग अथवा व्यापार प्रशासन की डिग्री जैसे रोजगार की बेहतर संभावनाओं वाले पाठ्यक्रमों के लिए सामान्य डिग्री पाठ्यक्रमों की तुलना में काफी अधिक शुल्क वसूले जाते हैं। इस शुल्क ढांचे की तुलना इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों से की जा सकती है। भारत सरकार ने कालेजों को उनके द्वारा नियुक्त समिति से मान्यता प्राप्त करने की अनुमति भी दी है और इसके बाद उन्हें अपने लिए शुल्क तय करने की स्वतंत्रता दी गई है। इस तरह से रोजगार के अवसरों से जुड़ी गुणवत्ता आधारित शिक्षा पर जोर दिया गया है।

भारत में पहले आईआईटी और मेडिकल कालेज जैसे व्यावसायिक संस्थानों में भी शुल्क काफी कम थे पर पिछले दशक में इसे बढ़ा दिया गया। इसका अर्थ यह नहीं है कि गरीब छात्र इन पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने से वंचित रहें, क्योंकि व्यावसायिक कॉलेजों के लिए बैंकों से आसानी से ऋण उपलब्ध हैं और छात्र रोजगार पाने के बाद इसकी वापसी करते हैं।

उसी प्रकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में 10 वर्ष पहले सरकारी अस्पतालों में रोगों की चिकित्सा निःशुल्क की जाती थी। सरकारी अस्पतालों में व्यक्तिगत पंजीकरण कार्ड, टिकट प्राप्त करने के लिए मात्र 50 पैसे की टिकट पर एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड और अन्य प्रकार की जांच निःशुल्क होते थे। सब कुछ निःशुल्क होने के कारण रोगियों को एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड की सुविधा नहीं मिल पाती थी क्योंकि कभी मशीनें खराब रहती थी अथवा फिल्म अथवा अन्य आवश्यक वस्तुओं की कमी के कारण काम नहीं करती थीं। आज जबकि जांच की आधुनिक प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, विभिन्न जांचों, एक्स-रे अथवा अल्ट्रासाउंड की रिपोर्टों के आधार पर उपचार किए जाते हैं। इसी प्रकार सरकारी अस्पतालों के डाक्टरों ने निजी जांच केंद्रों से जांच कराने के लिए निर्देश देना शुरू कर दिया जिसके कारण इन अस्पतालों के डाक्टरों और जांच केंद्रों के कर्मचारियों के बीच गठजोड़ कायम हो गया।

इसे देखते हुए नीति निर्माताओं के बीच 1990 के दशक के मध्य में चेतना आई कि इन जांचों के बदले कुछ न्यूनतम शुल्क निर्धारित होना चाहिए। इस शुल्क में मुख्य रूप से फिल्मों या रसायनों और नाममात्र के रखरखाव शुल्क शामिल किए गए। यह राशि ऐसी जांच के लिए बाजार की दरों की तुलना में एक-चौथाई अथवा पांचवा भाग है। उदाहरण के लिए पीजीआई, चंडीगढ़ में जांचों के लिए पहले ही न्यूनतम शुल्क लागू किया गए लेकिन बाद में चंडीगढ़ मेडिकल कालेज और सेक्टर-16 स्थित सरकारी अस्पताल ने भी सभी प्रकार की जांचों के लिए शुल्क

लागू किया है। अब इन अस्पतालों में रियायती दरों पर जांच की सुविधा उपलब्ध है और इसके परिणामस्वरूप इन अस्पतालों की उपयोगिता में सुधार आया है। ऐसा माना जाता है कि ग्वालियर अस्पताल सार्वजनिक भागीदारी और अस्पताल के समुचित संचालन का एक विकसित नमूना है।

सुशासन के प्रयास

हरियाणा सरकार ने सुशासन के लिए कई प्रयास किए हैं। सरकार के तीन अंगों:- सचिवालय, मुख्यालय और बाह्य कार्यालयों के बीच सदा ही पूर्णतः अविश्वास का माहौल रहा है। सचिवालय की नजर में निदेशालय सक्षम नहीं है, जबकि निदेशालय के अनुसार सचिवालय के कर्मचारी सिर्फ आदेश पारित करते हैं किंतु उन्हें समुचित रूप से नहीं समझाते। इस अविश्वास को दूर करने के लिए दो महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं:

1. एकल संचिका प्रणाली और
2. प्रशासनिक सचिवों को क्षेत्रीय/निदेशालय कार्यालय और सरकार के बीच संपर्क कायम करने के लिए मासिक क्षेत्रीय दौरा करने का निर्देश।

इसके अलावा प्रत्येक प्रशासनिक सचिव को एक जिला सौंपा गया है जिसकी राज्य सरकार की विकास योजनाओं के संदर्भ में आवधिक आधार पर वे समीक्षा करते हैं। इसका उद्देश्य सरकारी सुविधाओं का सृजन और रखरखाव करना है। स्वास्थ्य विभाग में भवन के रखरखाव की जिम्मेदारी क्षेत्रीय अधिकारियों को सौंपी गई है।

ऐसा पाया गया है कि अधिकांश विभागों में काफी काम अनुशासनिक कार्रवाई से संबंधित हैं। वहां बड़ी संख्या में कर्मचारियों के विरुद्ध बड़े दंड के लिए आरोप निर्धारित किए जाते हैं पर वर्षों तक आरोप पत्र की प्रति उन्हें नहीं प्राप्त होती अथवा नियमानुसार उनकी जांच नहीं की जाती। सरकार को यह और भी उलझन में डालता है क्योंकि इसके चलते सेवामुक्ति के समय में अनावश्यक मुकदमे शुरू हो जाते हैं। इससे कर्मचारी निष्क्रिय होते हैं। वर्ष 2002 में सरकार ने निर्देश जारी किया

कि जहां तक संभव हो छोटे दंड के अधीन कार्रवाई की जानी चाहिए और ऐसे अनुशासनिक मुद्दे पर तीन माह के भीतर फैसला कर लेना चाहिए।

सेवा मुक्ति के समय लाभ

पाया गया है कि कुछ मामले में प्रक्रिया संबंधी देरी के कारण सेवामुक्ति कर्मचारियों को महीनों या वर्षों तक सेवामुक्ति के लाभों से वंचित रखा जाता है। इसके कई कारण हैं:-

1. विभाग में संबंधित कर्मचारी के बारे में निर्देशों, प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी नहीं होना,
2. कई मामले में वैसे कर्मचारी द्वारा अरुचि दिखाना,

राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि विभागों को भवन रखरखाव, बागवानी, पहरा देना, सफाई करना आदि कामों को अनुबंध पर देना चाहिए और ऐसे कामों के लिए पदों को सुसंगत बनाना चाहिए। ऐसे काम में लगे कर्मचारियों को एक अवधि में धीरे-धीरे कम किया जाना चाहिए और भविष्य में इनके लिए अनुबंध किया जाना चाहिए

3. डीडीओ द्वारा 'नो डिमांड सर्टिफिकेट' जारी करने में देरी आदि।

देवी रूपक कार्यक्रम

इस सहस्त्राब्दि के उदय के साथ ही भारत की जनसंख्या 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई है। बढ़ती जनसंख्या देश के सामने एक बड़ी चुनौती है। इतना ही नहीं, यहां स्त्री-पुरुष अनुपात की भी समस्या है क्योंकि पुरुषों की जनसंख्या की तुलना में महिलाओं की संख्या घटती जा रही है। हरियाणा में प्रति 1,000 पुरुषों की जनसंख्या पर केवल 861 महिलाएं हैं जबकि छह वर्ष तक की उम्र में

यह संख्या 820 ही है। हरियाणा सरकार ने देवी रूपक कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत एक पुत्री के जन्म के बाद जन्म रोकने वाले को 20 वर्षों तक 500 रुपये प्रतिमाह और एक पुत्र अथवा दो पुत्रियों के बाद जन्म रोकने वाले को 200 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा।

कुछ सुधारों के प्रभाव

अर्थव्यवस्था के उदारीकरण और राज्य की कमजोर वित्तीय स्थिति के कारण निजी और सरकारी क्षेत्रों में रोजगार का बाजार सिमट गया है। इंडिया टुडे, 11 अगस्त 2003, के अनुसार वर्ष 2003-04 के लिए सकल घरेलू उत्पाद में वार्षिक विकास दर 6.7 प्रतिशत, कृषि में 6.75 प्रतिशत, उद्योग में 5.6 प्रतिशत और सेवाओं के क्षेत्र में 7.4 प्रतिशत का अनुमान लगाया गया। जहां तक निर्यात का संबंध है, वर्ष 2003-04 के दौरान वस्त्र उद्योग, मोटर वाहन, औषधि और मोटर-पुर्जे के क्षेत्र में आशातीत विकास हुआ (इंडिया टुडे, 1 दिसंबर, 2003) इसके अलावा भारत का मोसर बायर विश्व में आप्टीकल और मैग्नेटिक डेटा स्टोरेज डिस्क का तीसरा सबसे बड़ा निर्माता है और एस्सेल प्रोपैक विश्व में प्रत्येक ट्यूब में से तीसरा ट्यूब तैयार करता है। पिछले दशक में वाशिंग मशीन के बाजार में 22.8 गुना, पर्सनल कंप्यूटर में 13.5 गुना, कार में 8 गुना और टीवी में 5.4 गुना वृद्धि हुई। ऐसा नहीं है कि परिदृश्य पूरी तरह सकारात्मक नहीं है। केंद्र और राज्य सरकार का घाटा शीर्ष पर है और यह निवेश को रोकता है। सुधार की प्रक्रिया जारी रखना चाहिए लेकिन सन्निकट चुनावों के कारण महत्वपूर्ण सुधारों में देरी हो सकती है।

जेल प्रशासन

जेल प्रशासन के तीन विभागों का निजीकरण किया जा सकता है। भवन रखरखाव का काम निजी हाथों में सौंपना चाहिए। इसके बाद कैदियों के प्रशिक्षण के काम को या तो स्वैच्छिक संस्थाओं या फिर विभिन्न क्षेत्रों के शिल्पकारों को सौंपना चाहिए। उसके बाद कैदियों के प्रशिक्षण के

काम को या तो स्वैच्छिक संस्थाओं या फिर विभिन्न क्षेत्रों के शिल्पकारों के हाथों में सौंपना चाहिए। तीसरे दौर में नियमित कर्मचारियों की भर्ती करने के स्थान पर स्वैच्छिक संस्था को शामिल करके बाल सुधारगृहों का निजीकरण करना चाहिए।

नेपाल का अनुकरण करके इस काम को सफलतापूर्वक किया जा सकता है।

बढ़ती वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अब सरकारी विभाग संसाधनों को बढ़ाने के वैकल्पिक रास्ते के बारे में विचार करें ताकि पूर्ण अथवा आंशिक रूप से योजना अथवा गैर योजना खर्च को पूरा किया जा सके। उदाहरण के लिए वन विभाग के पास काफी भूमि है और अगर वह छोटे क्षेत्र में व्यावसायिक वनरोपण करे तो लकड़ी अथवा इंधन के माध्यम से योजना अथवा गैर योजना खर्च का एक हिस्सा पूरा हो सकता है। यदि इस पर हम हरियाणा जैसे राज्यों को ध्यान में रखकर विचार करें जहां जमीन काफी महंगी

है और जिसके कई स्थानों पर शहर के बीच में ही जेल बने हुए हैं और यदि उन जेलों को शहर के एक किनारे पर हटाकर ले जाएं तो उस जमीन का व्यावसायिक रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे न सिर्फ नई जेल के निर्माण के लिए धन उपलब्ध होगा बल्कि सरकारी खजाने में भी कुछ धन जमा हो सकेगा।

बदलाव की प्रक्रिया अपनाने के मामले में सरकार का रुख काफी धीमा होता है। यह तथ्य किसी से छुपा नहीं है। ऐसा सरकारी कार्यों पर विभिन्न तरह के दबाव पड़ने के कारण होता है। एक तरफ नीति-निर्माताओं को लोगों की आकांक्षाओं को ध्यान में रखना पड़ता है वहीं दूसरी ओर संबंधित कार्यों के आर्थिक लाभ अथवा व्यावहारिक लाभ अथवा व्यावहारिक पक्ष को भी ध्यान में रखना पड़ता है। आर्थिक पक्षों के अलावा सरकार को कई सामाजिक तथ्यों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। सामाजिक-आर्थिक आधार काफी पेचीदा

होता है, इसलिए इसकी पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर विचार करने की जरूरत है। इस तथ्य को ध्यान में रखकर हरियाणा सरकार ने कई नीतिगत पहलें की हैं। ऐसा कहा जाता है कि उपरोक्त कारणों और सरकार के बड़े आकार से कर्मचारियों में निराशाजनक सोच पैदा होती है।

फिलीपींस की कंपनी मेसर्स करीना कॉन्स्टेंटिन डेविड ने 'इरोपा' सम्मेलन में यह मत प्रकट किया था कि हर किसी को आशावादी होना चाहिए नहीं तो कोई बदलाव नहीं आएगा। इसलिए अभिनव सोच की जरूरत है। अभिनव सोच एक गतिशील प्रक्रिया है और वर्तमान और भावी सरकारों के हित में हमेशा इस तरह की सोच को कायम रखने की जरूरत है। व्यापक जनहित में भी ऐसी सोच लाभप्रद है। □

(संजय कोठारी भारतीय प्रशासनिक सेवा (हरियाणा कैडर) के अधिकारी तथा राजेश बंसल हरियाणा व्यूरो ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज में मैनेजमेंट कंसल्टेंट हैं)

उत्कृष्ट परम्पराओं के 12 वर्ष

IAS/PCS

GENERAL STUDIES. ESSAY INTERVIEW & PUBLIC ADMINISTRATION BY THE RENOWNED CONSULTANT

Mr. R.C. SINHA

NEW BATCHES START IN AUGUST 05 ● **G.S. Essay** ● **Public Admin.**

Contact Director: AIR CONDITIONED CLASSROOM

Centre for Excellence

8-B, Elgin Road, Opposite Mishra Bhawan, Civil Lines, Allahabad.

Note- Membership through Entrance Test only Mob. 9415284868

स्वतंत्रता के बाद भारत में पंचायत व्यवस्था

○ देवेन्द्र उपाध्याय

स्वतंत्रता के बाद भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना के लिए गंभीर प्रयास शुरू हो गए। यह प्रयास भारत के ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा विकास के क्षेत्र में जनता की सीधी रुचि और भागीदारी बनाने के बारे में एक नयी सोच थी। लोकतंत्र में जनता की सक्रिय भागीदारी और सत्ता का विकेन्द्रीकरण आवश्यक है जिससे सबसे निचले स्तर से विकास को लेकर सहभागिता बढ़ती रहती है। इसी सोच के साथ 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के साथ पंचायतीराज व्यवस्था का एक नया अध्याय शुरू हुआ। दूसरी पंचवर्षीय योजना में गांव पंचायतों के साथ सहकारी संस्थाओं की सक्रिय भागीदारी पर विशेष बल दिया गया।

स्वतंत्रता से पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रेरणा से 1940 में अनेक राज्यों में पंचायतों की स्थापना के लिए कानून बनाए गए और 1946 में लोकप्रिय सरकारों के गठन के बाद पंचायतें तथा जिला परिषदें गठित हुईं। हमारे देश में सदियों से पंचायतों की परंपरा रही लेकिन ब्रिटिश शासन के दौरान वे सारी नष्ट हो गईं। स्वाधीनता आंदोलन में पंचायतों के महत्व पर जोर दिया गया।

महात्मा गांधी ने देश की स्वतंत्रता के बाद गांवों की पंचायतों को सामाजिक ढांचे का आधार बनाने का सुझाव दिया था। गांधी जी का ग्राम स्वराज्य का सपना भी यही था कि प्रत्येक गांव की पंचायत को गणतंत्र के रूप में सभी आवश्यक अधिकारों से संपन्न, स्वशासी और आत्मनिर्भर बनाया जाना चाहिए। गांवों को अपना प्रबंध स्वयं करना चाहिए। स्वतंत्रता के बाद महात्मा गांधी के इसी सपने को यथार्थ में बदलने के प्रयास शुरू हुए। पंचायतीराज व्यवस्था के महत्व को स्वीकारते हुए संविधान के निदेशक सिद्धांत के अंतर्गत

भाग-4 के अनुच्छेद 40 में यह कहा गया है कि राज्य सरकारें ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए प्रयास करेंगी तथा उन्हें ऐसी शक्तियों एवं अधिकारों से संपन्न करने के लिए प्रयास करेंगी जिससे वे स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम हो सकें। स्थानीय स्वशासन की इकाइयां होने के कारण पंचायतीराज संस्थाएं संविधान के अंतर्गत राज्यों के विषय हैं।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक व्यवस्था में तेजी से सुधार लाने का प्रयास किया गया, लेकिन स्वशासन की स्थानीय इकाई के रूप में ग्राम पंचायतें विकसित करने का कार्य नहीं हो पाया। सन् 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट में निर्वाचित गांव पंचायत के गठन की सिफारिश करते हुए उन्हें आवश्यक संसाधन दिलाने, शक्ति और अधिकार प्रदान कर सत्ता के विकेंद्रीकरण पर जोर दिया।

तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर, 1959 को नागौर (राजस्थान) में पंचायतीराज संस्थाओं के नये युग का सूत्रपात किया। पंडित नेहरू ने इस व्यवस्था को नये भारत के निर्माण में अत्यंत क्रांतिकारी और ऐतिहासिक महत्व का युगांतकारी कदम बताया। इसके बाद अनेक राज्यों में पंचायतीराज व्यवस्था लागू हो गई। लेकिन कई कारणों से वे सफलतापूर्वक काम नहीं कर पाईं। हर राज्य ने अपने-अपने अनुरूप पंचायतीराज व्यवस्था शुरू की और इनमें परस्पर एकरूपता भी नहीं बन पायी।

भारत के पहले सामुदायिक विकास मंत्री एस. के.डे पंचायतीराज व्यवस्था से गहराई से जुड़े रहे। उन्होंने अपने एक लेख-‘लोगों का अधिकार या लोगों पर अधिकार’ में

सोवियत संघ के तत्कालीन प्रधानमंत्री निकिता ख्रुश्चेव और बुल्सालीन की 1954 की भारत यात्रा का उल्लेख किया है। उन्होंने लिखा है कि मैंने बहुत कम ऐसे अतिथि देखे थे, विशेष रूप से कामरेड ख्रुश्चेव, जो जानकारी प्राप्त करने को बहुत उत्सुक रहते थे तथा उसे बड़ी शीघ्रता से अपने मस्तिष्क में उतार लेते थे।

उन्होंने लिखा है कि वे दोनों नेताओं को दिल्ली से 40 मील दूर सामुदायिक विकास कार्यक्रम दिखाने ले गए। लगभग चार घंटों की यात्रा और बातचीत के बाद उन्हें राष्ट्रपति भवन के दक्षिणी प्रवेश द्वार पर उतारा गया। श्री डे ने लिखा है-“मेरी कार चलने को ही थी कि मैंने देखा, ख्रुश्चेव राष्ट्रपति भवन से दौड़ते आए और मुझसे पूछा कि हमने जिन कार्यक्रमों की योजना बनाई थी और उन पर विचार-विमर्श किया था उनका उद्देश्य और मूलाधार क्या था?” उन्होंने मुझसे पूछा-आपका क्या विचार है, देश में सामुदायिक विकास, पंचायतों और सहकारी संस्थाओं की नींव कब तक पड़ जाएगी? मैंने एकाएक जबाब दिया-“पंद्रह वर्ष में।” नहीं मेरे प्यारे भाई, तुम्हें अधिक से अधिक अब से दस वर्ष में यह काम करना होगा, यदि तुम चाहते हो कि बिल्कुल पिछड़ न जाओ और लुप्त न हो जाओ।

श्री डे ने स्वतंत्रता के 41 वर्ष बाद अपने इस लेख में लिखा था- मेरा विश्वास है हमें लोकतंत्र के रूप में आगे बढ़ना और विकास करना है तो नेहरू की तीन मूलभूत संस्थाओं की स्थापना के फार्मूले को बिना पृथक मंत्रालय के भी कार्यान्वित करना परम आवश्यक है। ये संस्थाएं हैं गांव और अनेक संगठन, केंद्र स्तर पर पंचायतीराज तथा सहकारी संस्थाओं का तालमेल।” उन्होंने इसके लिए राष्ट्र के, सर्वोच्च स्तर से तथा केन्द्र स्तर पर मामला

देने की वकालत भी की। स्व. पंडित नेहरू के फार्मूले को मूर्तरूप देने का बीड़ा स्व. राजीव गांधी ने उठाया। उनके प्रधानमंत्रित्व काल में पंचायतीराज संस्थाओं को पुनर्जीवित करने का ऐतिहासिक कदम शुरू हुआ। तब से केंद्र सरकार ने इस बारे में एक संकल्प पत्र तैयार करने के लिए डा. एल.एम. सिंघवी की अध्यक्षता में जून 1986 में एक समिति गठित की। इस समिति की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए 64वां संविधान संशोधन विखुशचेवक लोकसभा में पेश किया गया। लोकसभा ने 10 अगस्त 1989 का यह विधेयक पारित कर दिया लेकिन राज्यसभा में अनुमोदित न हो पाने के कारण यह विधेयक लागू नहीं हो पाया।

बाद में लोकसभा ने 20 दिसंबर 1991 को प्रस्ताव पारित कर इस विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया। समिति ने अपना प्रतिवेदन 14 जुलाई, 1992 को लोकसभा में 73वें संविधान विधेयक के रूप में 22 दिसंबर, 1992 और राज्यसभा में 23 दिसंबर, 1992 को एकमत से पारित हो गया। विधेयक का 17 राज्यों द्वारा समर्थन कराने के बाद इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा गया। राष्ट्रपति ने 20 अप्रैल, 1993 को विधेयक को अपनी स्वीकृति दे दी और 24 अप्रैल, 1993 से देश में संविधान (73वां) संशोधन विधेयक, 1992 लागू हो गया। इसके एक वर्ष के भीतर राज्यों ने इस विधेयक के अनुरूप अपने-अपने पंचायतीराज संबंधी अधिनियम में संशोधन कर पंचायतों को न केवल संवैधानिक आधार प्रदान किए बल्कि वित्तीय संसाधनों की भी गारंटी प्रदान की। विधेयक को 243 (1) की कोई बात अनुच्छेद 244 के खंड (1) में निर्दिष्ट, अनुसूचित क्षेत्रों और खंड (2) में निर्दिष्ट जनजाति क्षेत्रों पर लागू होने से मुक्त रखा गया है। इसके अंतर्गत नगालैंड, मिजोरम और मेघालय तथा मणिपुर व पर्वतीय क्षेत्र जिनमें तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन जिला परिषदें हैं और पं. बंगाल के अधीन क्षेत्र का समावेश किया गया।

इस तरह 73वां संविधान (संशोधन) विधेयक 1992 लागू हो जाने के बाद देश में

पंचायतीराज संस्थाओं को तीन स्तरीय बनाने और उनका कार्यकाल 5 वर्ष रखने की संवैधानिक व्यवस्था सुनिश्चित हो गई। महिलाओं के लिए एकतिहाई आरक्षण के अलावा अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए भी आरक्षण का संवैधानिक प्रावधान होने से इन वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित हो गई।

विधेयक के 243-छ के अंतर्गत पंचायतों को शक्तियां, अधिकार और उत्तरदायित्व की भी व्यवस्था की गई। पंचायतों को 243-ज के अंतर्गत अपने क्षेत्र में कर लगाने तथा पंचायती निधियों की व्यवस्था करने का भी अधिकार मिल गया। संविधान की दसवीं अनुसूची के बाद ग्यारहवीं अनुसूची को जोड़ कर पंचायतों के 29 कायों की जिम्मेदारी सौंपी गई।

महात्मा गांधी ने 6 जनवरी, 1948 को नयी दिल्ली की प्रार्थना सभा में कहा था... "सच्चे लोकतंत्र को केंद्र में बैठे व्यक्ति नहीं चला सकते। इसे प्रत्येक गांव में निचले स्तर के लोगों द्वारा ही चलाया जा सकता है।" महात्मा गांधी के निधन के करीब 45 वर्ष बाद उनकी ईच्छा और आकांक्षा को फलीभूत होता देखना संभव हो पाया।

73वां संविधान (संशोधन) विधेयक, 1992 के लागू हो जाने के बाद पंचायतीराज को ग्रामीण विकास मंत्रालय के एक विभाग के रूप में लगभग 11 वर्ष तक संचालित किया जाता रहा। ग्रामीण विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए नौवीं पंचवर्षीय योजना में जहां ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए 42,874 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया, वहीं दसवीं पंचवर्षीय योजना में 76,774 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया।

ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन पंचायतीराज व्यवस्था भी थी लेकिन उसके लिए अलग से कोई विभाग नहीं था बल्कि पंचायतों के माध्यम से मंत्रालय की सभी योजनाएं और कार्यक्रम क्रियान्वित किए जाते रहे। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने पंचायतीराज को अलग मंत्रालय बना दिया।

पंचायतीराज मंत्रालय के अस्तित्व में आने के बाद पंचायतों की स्वायत्तता, उनकी शक्तियों और अधिकारों के बारे में संवाद का व्यापक सिलसिला शुरू हुआ। पंचायतीराज मंत्रालय ने पंचायतीराज व्यवस्था हेतु केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय पर विशेष ध्यान दिया। इसके लिए 16 आयाम पहले निर्धारित किए गए। पंचायतीराज व्यवस्था पर मुख्यमंत्री सम्मेलन के बाद पंचायतीराज के माध्यम के विकास और गरीबी उन्मूलन तथा सूचना तकनीकी के उपयोग को जोड़ते हुए अब 18 आयाम निर्धारित किए जा चुके हैं।

राज्यों के पंचायतीराज के प्रभारी मंत्रियों का पहला 24-25 जुलाई, 2004 को कलकत्ता में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में पंचायतीराज के प्रभावी कार्यान्वयन तथा उससे संबद्ध प्रावधानों के बारे में केंद्र और राज्यों द्वारा संयुक्त स्वीकृति के लिए विभिन्न मुद्दों को लेकर अपनी-अपनी सरकारों को सिफारिश करने की सहमति हुई। इस सम्मेलन की अगली कड़ी के रूप में दूसरा सम्मेलन 28-29 अगस्त को मैसूर में हुआ। जिसमें 16 मुद्दों पर सहमति हुई जिन्हें केंद्रीय पंचायती राजमंत्री मणिशंकर अय्यर ने डायमेंशन या आयाम की संज्ञा दी है। उसके बाद 23-24 सितंबर, 2004 को रायपुर में तीसरा, चंडीगढ़ में 7-8 अक्टूबर, 2004 को चौथा तथा श्रीनगर में 28-29 अक्टूबर, 2004 को पंचायतीराज के प्रभारी मंत्रियों का पांचवां सम्मेलन संपन्न हुआ। इसके बाद गुवाहाटी में 27-28 नवंबर, 2004 को छठा एवं जयपुर में 17-19 दिसंबर, 2004 को सातवा सम्मेलन संपन्न हुआ।

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार ने पंचायतीराज व्यवस्था को और मजबूत बनाने तथा संविधान के भाग नौ में निर्धारित पंचायतीराज के प्रभावी कार्यान्वयन और उससे संबद्ध प्रावधानों की केंद्र और राज्यों द्वारा संयुक्त स्वीकृति के लिए कार्रवाई के मुद्दों पर आम सहमति बनाने में सफलता प्राप्त की है। आठ महीने के दौरान राज्यों के प्रभारी मंत्रियों के सात सम्मेलन इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। इन सात सम्मेलनों में जो 18 बुनियादी मुद्दे उभरकर आए उनके कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय पंचायती राज मंत्री

की अध्यक्षता में प्रभारी राज्य मंत्रियों की एक परिषद तथा पंचायतराज सचिव की अध्यक्षता में मुख्य सचिवों और सचिवों की एक समिति गठित की गई है। जो इन मुद्दों को लागू करने संबंधी कार्य की मानिट्रिंग करेंगे। सभी राज्य सरकारों और संघ राज्यों से कहा गया है कि वे वर्तमान वित्त वर्ष 2005-06 के अंत तक जिला योजना समितियां गठित कर दें।

मूलभूत समस्याएं

गांवों की मूलभूत समस्याएं पेयजल, सड़क संपर्क, बिजली, प्राथमिक शिक्षा, चिकित्सा और संचार सुविधाएं तो हैं ही, बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। गांवों के शिल्पकार बेरोजगारी हैं उनके हुनर का उन्हें लाभ नहीं मिल रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में सब्जियां, फल-फूल और दूध आदि के लिए समुचित मार्केटिंग व्यवस्था का संकट है। इन समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करने की सबसे बड़ी जरूरत है।

पंचायतीराज व्यवस्था लागू होने से गांवों में चेतना जगी है, अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याओं के बारे में ग्रामीणों में जागरूकता का परिणाम है कि स्वसहायता समूह के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर जुटाए जा रहे हैं।

सबसे बड़ी समस्या निरक्षरता है। आज भी ऐसे ग्राम प्रधान चुने जाते हैं जो अंगूठा छाप होते हैं। इसका लाभ गांव के दबंग लोग उठाते हैं और प्रधान का इस्तेमाल करते हैं। यही स्थिति महिलाओं की भी है। यह एक सच्चाई है कि पंचायतीराज व्यवस्था उन्हें घरों की चहारदीवारी से बाहर लाई है लेकिन निरक्षर होने के कारण उन्हें पंचायत के अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी नहीं होती। महिला आरक्षण की वजह से महिलाओं का चुना जाना अनिवार्य है। इसका लाभ उठाकर भारी तादाद में पूर्व प्रधान चुनाव में अपनी पत्नियों को जिता लेते हैं और सारा कार्य वे स्वयं करते हैं। वास्तविक महिला प्रधान रबर स्टाम्प बन कर रह जाती हैं।

जरूरत इस बात की है कि ग्राम प्रधानों के लिए योग्यता और शिक्षा का कोई मापदंड निर्धारित किया जाना चाहिए, जिससे उनमें इतनी समझ पैदा हो सके कि पंचायतों के अधिकार और कर्तव्य क्या हैं और उनका किस

तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। बरसाती पानी के संरक्षण, स्टॉप डैम का निर्माण तथा गांव के प्राकृतिक संसाधनों का सही ढंग से दोहन करने की कार्ययोजना भी ग्राम पंचायत स्तर पर ही तैयार की जानी चाहिए।

पंचायतों के चुनाव होने से जहां गांवों में जागरूकता पैदा हुई है वहीं धनबल और बाहुबल का इस्तेमाल भी बढ़ने लगा है। जातिवाद और भाई-भतीजावाद का जहर तेजी से फैलने लगा है। इसलिए इस तरह के कुत्सित हथकंडों को रोके जाने के लिए समुचित प्रावधान किए जाने बहुत जरूरी हैं।

गांवों की प्राथमिकता के अनुसार कार्ययोजना बनाकर क्षेत्र पंचायत के माध्यम से जिला पंचायत द्वारा कार्यान्वित की जानी चाहिए। यह तभी संभव है जब ग्राम प्रधानों को क्षेत्रीय (ब्लाक) स्तर पर समुचित प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाय। समय-समय पर क्षेत्रीय समस्याओं के बारे में जनप्रतिनिधियों और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच संवाद की प्रणाली सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से विकसित की जानी चाहिए।

गांवों का विकास पंचायतीराज व्यवस्था से ही संभव है और तभी गांवों से पलायन भी ठहर सकता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अलावा कृषि मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय, गैरपरंपरागत ऊर्जा मंत्रालय, जल संसाधन, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय आदि के ग्रामीण विकास से संबंधित अनेक कार्यक्रम हैं। उन सबका जिला स्तर पर समन्वय और मानिट्रिंग होने से गांवों को उसका लाभ मिल सकता है।

73वें संविधान (संशोधन) विधेयक के क्रियान्वयन को एक दशक से भी अधिक हो गया है। इस दशक में पंचायतीराज व्यवस्था के बारे में अनेक कड़वे-मीठे अनुभवों से पंचायतीराज संस्थाओं को गुजरना पड़ा है और आज भी अनेक समस्याएं इनके रास्ते में रुकावटें बनी हुई हैं। सबसे बड़ी समस्या यह है कि गांवों में अभी तक सहभागी बनने की भावना उतनी पैदा नहीं हो पाई है जितनी कि लाभार्थी बनने की। इसकी वजह से लोग गांव के विकास में सक्रिय भागीदार बनने की बजाय योजनाओं का लाभ निजी के हित में

उठाने का मौका खोजते रहते हैं। इसके लिए पंचायतीराज संस्थाओं की योजना तैयार करने और विकास प्रक्रिया को लागू करने में ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए।

पंचायतीराज संस्थाओं पर आज भी राज्यों का ही नियंत्रण है। राज्यों का नियंत्रण होने से राज्य सरकारें अपनी सुविधा की दृष्टि से ग्राम पंचायतों से लेकर जिला पंचायतों के कामकाज में हस्तक्षेप करती हैं। महिला आरक्षण की संवैधानिक व्यवस्था करती हैं। महिला आरक्षण की संवैधानिक व्यवस्था होने के कारण निम्नस्तरीय पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी एक तिहाई गई है। इसके बावजूद पंचायत सचिवों के पद पर महिलाओं की संख्या गिनी-चुनी ही है, इसे भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि महिला पंचायत सचिव और महिला प्रधानों व पंचायत सदस्यों के बीच सही संवाद स्थापित हो सके। इसकी वजह से महिला पंचायत नेत्रियों को पंचायत का काम करने में आए दिन कठिनाइयों से जूझना पड़ता है।

पंचायतीराज संस्थाओं की सरकार की ओर से विभिन्न कार्यक्रमों के लिए मिलने वाली अनुदान सहायता राशि में लगातार वृद्धि हो रही है। इन सबके बावजूद बहुत बड़ी संख्या में ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जो आर्थिक दृष्टि से लड़खड़ाती रहती हैं। उनके पास ऐसे संसाधन नहीं हैं जिनसे उनकी आय के स्रोत बन सकें या बढ़ सकें। आज भी ग्राम पंचायतों की बैठकों में कोरम पूरा न होने की शिकायतें मिलती रहती हैं, क्योंकि महिला समस्याओं, दलितों, पिछड़ों और कमजोर वर्गों के लोगों को उनकी भागीदारी से वंचित रखने के मनोवृत्ति पूरी तरह खत्म नहीं हो पाई है। सरकारी अधिकारियों की पंचायत के बारे में उदासीनता भी अभी बनी हुई है जिससे पंचायतों तक सही सूचनाएं नहीं पहुंच पाती हैं। पंचायतीराज मंत्रालय की स्थापना के बाद उम्मीद की नई किरण जगमगाने लगी है और यदि राजनीतिक इच्छाशक्ति में कमी न आए तो देश की 70 प्रतिशत आबादी वाले गांवों का कायाकल्प हो सकता है। □

(लेखक स्वतंत्र लेखक-पत्रकार हैं)

सुशासन तथा ई-गवर्नेंस

○ आनन्द किशोर

मई के तीसरे सप्ताह में जिला कलेक्टरों के दो दिवसीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने कहा कि कलेक्टरों का जब चाहे तब यहां-वहां तबादला करने का चलन गलत है, उनका एक न्यूनतम कार्यकाल होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि चूंकि यह राज्य के कार्य क्षेत्र में आता है। इसलिए 'राष्ट्रीय विकास परिषद' बैठक में कोई समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा। इससे पूर्व मई के दूसरे सप्ताह में सूचना के अधिकार विधेयक पर संसद को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार पर नकेल डालना और कार्यकुशलता को बेहतर बनाना है। इससे नौकरशाही पर कुछ अंकुश लग सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि सूचना के अधिकार से देश में लोकतंत्र की नींव मजबूत होगी और 'गवने 'स' में सुधार आएगा। सुशासन में सुधार करने हेतु राजकोषीय दायित्व के मुद्दों पर भी केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को विशेष निर्देश दिया है। इस प्रकार, सुशासन की दिशा में सरकार का प्रयास जारी है। पिछली सरकारों पर नजर डालें तो इस तरह के प्रयास पहले प्रधानमंत्री के समय से ही देखे जा सकते हैं। पं. नेहरू ने मुख्यमंत्रियों को पत्र लिख कर कहा था कि "प्रशासन में विधायक का हस्तक्षेप न सिर्फ अपने आप खराब है बल्कि इसके परिणाम भी खराब होते हैं। विधानसभा के सदस्यों के स्थानीय प्रशासन में दखल देने का कोई औचित्य नहीं है। यदि वे ऐसा करते हैं तो जिलाधिकारी अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाते हैं और फिर कोई उत्तरदायी नहीं रह जाता है।" उन्होंने लिखा था कि जिले में जो

कुछ होता है, उसका उत्तरदायित्व जिलाधिकारी का ही है। यदि विधायक नियुक्तियों, स्थानांतरण, लाइसेंस आदि के मामलों में हस्तक्षेप करेंगे तो सारा उत्तरदायित्व लुप्त हो जाएगा और कुनबापरस्ती और भ्रष्टाचार फैलने लगेगा।

न केवल नेहरू जी ने बल्कि आज तक विभिन्न प्रधानमंत्रियों लगातार ने अपने-अपने ढंग से सुशासन लाने की दिशा में प्रयास किया है। मोरारजी देसाई सहित विभिन्न विशेषज्ञों की अध्यक्षता में प्रशासनिक सुधार हेतु आयोग का गठन किया था। संसद तथा विधान सभाओं से भी इन बिंदुओं पर सुझाव आते रहे हैं।

सुशासन को समग्रता में देखने की जरूरत है। केवल भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी या पुलिस अधिकारी ही सुशासन के लिए जवाबदेह नहीं होते, बल्कि अधिकारियों से ज्यादा जवाबदेही राजनीतिज्ञों की बनती है। साथ ही, आम नागरिकों की सहभागिता से ही यह मजबूत हो सकेगा। पिछले दिनों संसद के भीतर तथा बाहर सुशासन कायम करने की सोच पर संसद का दिन-रात का विशेष सत्र बुलाकर सांसदों तथा मंत्रियों की बहस चलाई गई थी। समय-समय पर विधानसभा अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के अलावा राज्यों के मुख्य सचिवों, कलेक्टरों तथा अन्य अधिकारियों की गोष्ठी, सेमिनार तथा प्रशिक्षण आयोजित किया जाना भी सुशासन की दिशा में ही प्रयास कहा जा सकता है।

बावजूद सारी तैयारियों के, शासन की स्थिति गंभीर बनती जा रही है। देश में राजनीतिक तथा सरकारी अमले भ्रष्टाचार के हजारों मामले में सीबीआई की जांच के दायरे

में हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सुशासन व्यवस्था बिगाड़ने के लिए राजनीतिज्ञ तथा अधिकारीगण एक-दूसरे को जबाबदेह मानते हैं परंतु अधिकांश भ्रष्टाचार तथा घोटालों के जांच के दायरे में दोनों वर्ग के लोग संलिप्त पाए गए हैं।

भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने सुशासन के सत्य को उजागर करते हुए राजनीतिज्ञों तथा अधिकारी वर्ग को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा था कि दिल्ली से जारी किए गए एक रुपये में से 15 पैसे ही गांवों तक पहुंचते हैं। शेष राशि बीच में ही गायब हो जाती है। निश्चित रूप से इसमें पैसे का रिश्ता मंत्रालय से पंचायत तक होता है।

गत 14 जून को राष्ट्रपति ने राज्यपालों के सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए उन्हें उनके दायित्वों का स्मरण करते हुए कहा कि यदि "ऐसा व्यक्ति सदाचार के विरुद्ध आचरण करता है तो सदाचार स्वयं उनके विध्वंस का रूप धारण कर लेता है। उन्होंने कहा कि यह राज्यपालों को तय करना है कि वह राज्य में प्रथम नागरिक बनना चाहते हैं या राजनैतिक अथवा अन्य किसी अतीत की सीमाओं में कैद रहना चाहते हैं।" राज्यपालों की भूमिका से कहीं न कहीं आहत हुए तथा इस महत्वपूर्ण पद पर उठते सवाल के बावत ही राष्ट्रपति ने यह उद्गार व्यक्त कर सदाचार की सलाह दी है।

भ्रष्टाचार, घोटालों तथा अनिमितताओं का एक नकारात्मक पहलू यह भी है कि मामला उजागर होने, दर्ज होने तक तो सरकारी तंत्र तथा मीडिया में इन बातों पर शोर ज्यादा रहता है, परंतु समय बीतने के साथ अधिकांश मामलों के आरोपी बच निकलते हैं और भ्रष्टाचारी

शासन तंत्र की धज्जियां उड़ाना जारी रखते हैं क्योंकि कड़ा दंड नहीं मिलने से भ्रष्टाचारियों को मनोबल बढ़ता जाता है।

सुशासन महज भाषणों, गोष्ठियों, सेमिनारों तथा आयोगों के गठन मात्र से नहीं लाया जा सकता, न केवल भारतीय प्रशासनिक सेवा अथवा पुलिस सेवा के अधिकारियों की नकेल कस देने भर से ही देश में सुशासन कायम हो हो जाएगा। जरूरत यह है कि राजनीतिज्ञ तथा भारतीय प्रशासनिक अधिकारी सुशासन के लिए संयुक्त रूप से संकलित हों तथा उसमें ग्राम-नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित हो। विधान सभाओं में बैठे राजनीतिज्ञों को भी अपनी तथा अपने दलों के नेताओं के कार्यकलापों की समीक्षा करनी चाहिए कि सुशासन बिगाड़ने तथा उसे बचाने में उनकी क्या भूमिका है क्योंकि देश चलाने में राजनीतिज्ञों तथा प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की भूमिका होती है।

‘लोकपाल’ की बहाली क्यों और कहाँ अटकी हुई है, यह सुजात है। लोकायुक्त की भी सभी राज्यों में बहाली नहीं हो पा रही है। राजनीतिज्ञों तथा प्रशासनिक अधिकारियों को भय है कि लोकपाल तथा लोकायुक्तों की बहाली तथा उन्हें अधिकार-संपन्न बनाने से उनकी स्वच्छंद गतिविधियों पर अंकुश लग जाएगा। सुशासन के लोकपाल तथा लोकायुक्तों की बहाली के साथ ही उन्हें पूर्ण अधिकार संपन्न बनाया जाना चाहिए ताकि वे स्वतंत्रतापूर्वक जिस मंत्रालय या विभाग की जांच करना चाहे उसकी जांच कर उचित कार्यवाही कर सकें। रक्षा जैसे विशेष क्षेत्रों के संदर्भ में पूर्व महाधिवक्ता सोली सोराबजी की राय है कि “सरकार सुरक्षा का बहाना बनाकर सूचना को छिपाती आई है, राष्ट्रीय सुरक्षा या जनहित के आधार पर अभिव्यक्ति की आजादी को दबाया जाता रहा है। न्यायाधीशों को चाहिए कि वे राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरे की बात करने वाली कार्यपालिका से वस्तुस्थिति की जानकारी मांगें।” इससे सुरक्षा के क्षेत्र में भी सुशासन मजबूत होगा। योग्य और चरित्रवान व्यक्तियों का संसद तथा विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कराया जाना आवश्यक है। मंत्रालयों का दायित्व योग्य व्यक्तियों के जिम्मे होना चाहिए। अयोग्य व्यक्तियों के राजनीति में आने का भी नाजायज लाभ अधिकारी वर्ग उठाते हैं। राजनीतिक तुष्टीकरण तथा भाई-भतीजावाद के नाम पर अयोग्य, भ्रष्ट तथा अपराधी व्यक्तियों का चयन भी शासन व्यवस्था बिगाड़ने का ही प्रयास है। इसी राजनीतिक सत्ता में भी ‘आया राम गया राम’ के बढ़ते चलन से भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है।

गलत शासन व्यवस्था सीधे अवैध धनोपार्जन का कारण बनती है। इसलिए अधिकारियों की नियुक्ति के समय उनकी संपत्ति का ब्यौरा लिया जाए। तथा एक निश्चित अंतराल पर उनकी संपत्ति की जांच कराई जाए। सेवा समाप्ति के बाद यह आकलन किया जाए की सेवानिवृत्ति के बाद उसकी संपत्ति पूरी कमाई के आधे से अधिक न हो। इससे अधिक संपत्ति को जब्त कर लिया जाना चाहिए। यह प्रावधान मंत्री, सांसद तथा विधायकों पर भी लागू किया जाए। □

(एस.एल.के. कालेज, सीतामढ़ी में अर्धशास्त्र के विभागाध्यक्ष हैं)

The power to excel

Does your son have it?



He thinks differently. He aims high.

And he acts with a self-assurance that never ceases to amaze you. You rightly believe he'll make his mark in any field he chooses.

But remember: today, the choicest of careers are the toughest to enter. And the finest of institutions mean the keenest of competition.

Does he have the power to outperform the brightest of contestants? The power to excel?

Make sure he does, with Brilliant Tutorials – a pioneer whose correspondence courses have brought success to thousands of young aspirants like your son, for nearly 35 years now.

Brilliant's Postal Courses open for Competitive Entrance Exams

IIT-JEE

- 2-Yr. ELITE Course with YG-FILES + B.MAT, for 2007 (Std. XI)
- 1-Yr. Course with YG-FILE + B.MAT, for 2006 (Std. XII/passed)
- YG-FILE + B.MAT, for 2006 (Std. XII/passed)
- TARGET-IIT: Primer Courses for students of Std. IX, X

GATE

- GATE 2006

IAS, ESE

- Civil Services Exam '05, '06
- Engg. Services Exam '06

CSIR-UGC/UGC (NET)

- JRF/L Exams, Dec. '05, June '06

GEOLOGISTS EXAM 2005

GRE, TOEFL, BANK P.O.

- Year-round enrolment

MEDICAL ENTRANCE

- 2-Yr. CBSE-PLUS with Question Bank (QB) + B.NET (Brilliant's National Evaluation Tests) for Medical Entrance 2007 (Std. XI)
- 1-Yr. Course with QB + B.NET, for 2006 (Std. XII/passed)
- QB + B.NET, for 2006 (Std. XII/passed)
- TARGET-MBBS: Primer Courses for students of Std. IX, X

MBA

- MBA Entrance Exams, 2006 starting with IIM-CAT 2005
- Target MBA: For early preparation towards the 2007 Exams

MCA

- MCA Entrance Exams, 2006

AIEEE & BITSAT

- 1-Yr. Course for CBSE's All-India Engg. Entrance Exam 2006 & BITSAT 2006 (BITS Pilani/Goa)

BRILLIANT TUTORIALS®

For free prospectus and application form for the course of your choice write, call, fax or access www.brilliant-tutorials.com

Box: 4996-YOH, 12, Masilamani St., T. Nagar, Chennai 600 017.
Ph: 24342099 (4 lines) Fax: 24343829 e-mail: enquiries@brilliant-tutorials.com

आईएस अधिकारियों का मूल्यांकन

ह एक सार्वभौम मान्यता है कि कामकाज के मूल्यांकन की घटिया स्था अक्सर समस्या का एक हिस्सा हो है। भारतीय लोक सेवा अधिकारियों के वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर) एक ही मामला है। निजी क्षेत्र से भिन्न, उच्च नगरी पदों का मूल्यांकन अक्सर अस्तविक होता है। वार्षिक गोपनीयता रिपोर्टों की टिप्पणियों का इस्तेमाल अधिकारियों की अपनी कार्यप्रणाली सुधारने के औजार के रूप में किया जा रहा है। महत्वपूर्ण पदों के लिए तैनाती/स्थानांतरण आधार कभी-कभार ही बनता है।

आईएस की नई व्यवस्था

प्रधानमंत्री ने हाल ही में आईएस अधिकारियों के मूल्यांकन की एक नई वार्षिक प्रणाली का अनुमोदन किया। कार्य मूल्यांकन रिपोर्ट (पीएआर) नामक यह प्रणाली शीघ्र ही सार्वजनिक सेवाओं में भी लागू की जाएगी। इन अधिकारियों के कामकाज का मूल्यांकन 15-20 संकेतकों के अंतर्गत 1 से 5 के पैमाने पर ओवर आल ग्रेड (सबसे कम से सबसे बेहतर) के आधार पर किया जाएगा। विभिन्न संकेतकों की मध्यांतर होगी। क्या इस व्यवस्था से कार्य मूल्यांकन में अवास्तविकता की स्थिति में कमी आएगी?

कॉर्रिग अब भी मनमाना हो सकती है इसमें अधिकारी का वास्तविक कौशल का मूल्यांकन संभ्रंदाज हो सकता है। लेकिन कुल मिलाकर नई प्रणाली से वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों के माध्यम से सुधार हो सकता है।

दस्ता, वरिष्ठ अधिकारियों का अब मूल्यांकन 0 में से प्रत्येक संकेतक के बारे में अधिकारी का मूल्यांकन करना होगा। इससे कार्य मूल्यांकन के तहत सिंगल फाइनल ग्रेड (उल्लेखनीय/बहुत अच्छा/

संतोषजनक) देने की बजाय ज्यादा सोच-समझकर अधिकारी के संपूर्ण कामकाज का मूल्यांकन करना पड़ेगा।

दूसरे, नई प्रणाली से विभिन्न राज्यों में प्रदान किए जाने वाले कार्य मूल्यांकन रिपोर्ट (पीएआर) के स्कोर के सामान्यीकरण का अवसर मिलेगा, जैसे कि संघ लोक सेवा आयोग लोक सेवा परीक्षा के विभिन्न विषयों की परीक्षा में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों का सामान्यीकरण करता है।)

यह सामान्यीकरण आवश्यक है, क्योंकि कार्य मूल्यांकन अक्सर भिन्न-भिन्न प्रकार से होता देखा गया है। एक ओर कुछ राज्यों में 'उल्लेखनीय' ग्रेड जहां बहुत सरलता से दे दिया जाता है, वहीं कुछ राज्यों में यह बहुत अनिच्छा के साथ प्रदान किया जाता है। इससे 'दक्कियानूसी' राज्यों में तैनात अधिकारियों को सरकार में संयुक्त सचिव और इससे ऊपर के पदों के लिए पैनल में शामिल होने की प्रक्रिया में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अखिल भारतीय औसत स्कोर के साथ प्रत्येक राज्य के औसत पीएआर स्कोर की तुलना करने पर यदि बहुत ज्यादा अंतरराज्यीय उतार-चढ़ाव दिखाई देता है तो विभिन्न राज्यों के अधिकारियों के स्कोर को आवश्यकतानुसार ऊपर नीचे किया जा सकता है।

प्रतिष्ठित व्यक्तियों के गुप द्वारा मूल्यांकन

किसी भी अधिकारी की जनता के बीच छवि और उसके समकक्ष कनिष्ठ अधिकारियों तथा गुप्तचर एजेंसियों से सूचनाएं एकत्र करके, सत्यनिष्ठा, सक्षमता और व्यक्तिगत गुणों के बारे में उसकी छवि का मूल्यांकन प्रस्तुत किया जाएगा।

लेकिन इस व्यवस्था को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सुरक्षात्मक उपाय किया जाना जरूरी है। प्रतिष्ठित व्यक्तियों के गुप (ईपीजी)

में त्रुटिहीन सत्यनिष्ठा वाले निष्पक्ष व्यक्ति होने चाहिए। गोपनीय सूचनाएं अवैज्ञानिक और जल्दबाजीपूर्ण तरीके से नहीं प्राप्त करनी चाहिए। इस दल को अधिकारी की पृष्ठभूमि या उसके खिलाफ चलाई जा रही मुहिम से प्रभावित होकर अपनी राय नहीं देनी चाहिए।

प्रत्येक अधिकारी को ईपीजी के समक्ष पिछले पांच साल की अपनी उपलब्धियां प्रस्तुत करने के लिए 30 मिनट का समय दिया जाना चाहिए।

इसके बाद 30 मिनट का एक व्यवस्थित इंटरव्यू भी हो, जिसमें ईपीजी अधिकारी से उसकी सक्षमता, सत्यनिष्ठा या स्वभाव के बारे में प्राप्त शिकायतों के बारे में स्पष्टीकरण ले सकेगा।

प्रतिष्ठित व्यक्तियों के गुप (ईपीजी) के सदस्यों का चयन एक समिति द्वारा किया जाना है, जिसमें प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता शामिल रहेंगे। लेकिन यह कार्य संघ लोक सेवा आयोग जैसे किसी संवैधानिक संगठन को सौंपना सर्वाधिक उचित रहेगा। वर्षों से संघ लोक सेवा आयोग सराहनीय कार्य कर रहा है तथा लोक सेवा के अधिकारियों से संबंधित सभी अनुशासनात्मक मामलों में उससे पहले से ही परामर्श लिया जा रहा है। लेकिन यदि इस समिति में राजनीतिज्ञों को शामिल किया जाता है तो ईपीजी का कार्यकाल भी उस सरकार के कार्यकाल के साथ ही समाप्त हो जाना चाहिए, जो उस समिति को नियुक्त करती है। यदि वार्षिक पीएआर और ईपीजी मूल्यांकन के नतीजे भिन्न हों, तो मूल्यांकन की प्रत्येक प्रणाली के तहत प्राप्त अंकों को बराबर का महत्व दिया जाना चाहिए।

साझेदारीपूर्ण मूल्यांकन

कार्य मूल्यांकन की अंतरराष्ट्रीय व्यवस्थाएं साझेदारीपूर्ण होनी चाहिए। अधिकारी और उसके वरिष्ठ अधिकारी को रेटिंग अवाधि की

शुरुआत में लक्ष्य निर्धारित करते हुए परिणामों का मूल्यांकन करना चाहिए।

वार्षिक गोपनीय प्रणाली के तहत लक्ष्य कभी निर्धारित नहीं किए जाते अथवा वरिष्ठ अधिकारी एकतरफा अपनी ओर से ही तय कर देते हैं। वरिष्ठ अधिकारी की टिप्पणियों और ओवरलॉड ग्रेडिंग को, यदि उनमें प्रतिकूल बातें नहीं हैं तो, गोपनीय रखा जाता है। प्रतिकूल टिप्पणियों की स्थिति में ही अधिकारी को उनकी जानकारी दी जाती है तथा उसे इनके विरुद्ध अपनी बातें रखने का मौका दिया जाता है।

यह एक खराब व्यवस्था है, क्योंकि प्रेरक अधिकारियों को कार्य प्रदर्शन में सुधार के लिए सकारात्मक या नकारात्मक फीडबैक देना एक तरह से छिद्रान्वेषण है। प्रस्तावित

पीएआर प्रणाली के नाम से 'गोपनीय' शब्द को हटाने के पीछे यह सुझाव प्रतीत होता है कि यह एक खुली और पारदर्शी प्रणाली होगी। लेकिन इसके अलावा यदि कोई और बातें होंगी तो यह बहुत निराशाजनक स्थिति हो जाएगी।

इसके अतिरिक्त नई व्यवस्था में लक्ष्य तय करने वाले अधिकारी को भी शामिल किया जाएगा, लेकिन देखना होगा कि यह व्यवहार में कहां तक लागू हो पाता है। यह स्पष्ट नहीं है कि अधिकारी को उसे प्राप्त ग्रेडिंग के विरुद्ध किन परिस्थितियों में प्रतिवेदन दाखिल करने की अनुमति होगी। आदर्शतः 10 में से 7 या उससे कम के स्कोर के विरुद्ध प्रतिवेदन करने की अनुमति होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने मानव संसाधन प्रबंधन के इस कठिन क्षेत्र में सुधारों

के प्रति बहुत उत्सुकता दिखाई है। हाल प्रस्तावित प्रणाली में वर्तमान व्यवस्था की खामियों का हल तो नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से यह एक अच्छा कदम है। यह मानना महत्वपूर्ण है कि सुधारों का लाभ होगा अधिकारी एक निश्चित कार्यकाल के लिए तैनात रहेंगे। यदि किसी अधिकारी को दो-तीन जगहों पर अलग-अलग पर तैनात किया जाएगा और इस अवधि में इतनी ही संख्या में उसके वरिष्ठ अधिकारियों के भिन्न-भिन्न होंगे तो अर्थपूर्ण कार्य मूल्य संभव नहीं होगा।

अच्छे कार्य प्रदर्शन के लिए न्यूनतम 10 वर्ष की कार्यवाधि और एक पद पर औसत 10 वर्ष का कार्यकाल होना बहुत जरूरी है।

क्या है सेंसेक्स

सेंसेक्स का आंकड़ा 7 हजार को पार गया। आखिर इसे लेकर इतनी उत्तेजना क्यों है? दरअसल यह सूचकांक एक नई ऊंचाई पर पहुंच गया है और इसके और ज्यादा ऊपर जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। यह संकेत देता है कि बाजार का पूंजीकरण काफी बढ़ा है। जिन निवेशकों ने शेयर बाजार में पैसा लगाया है उनकी संपत्ति बढ़ी है। मगर इसका यह मतलब नहीं हुआ कि जब सेंसेक्स ऊपर जाता है तो सभी निवेशक फायदे में रहते हैं और जब यह नीचे आता है तो वह नुकसान उठाते हैं। दरअसल सेंसेक्स बाजार धारणाओं को मापने का पैमाना है।

सेंसेक्स क्या है?

बंबई स्टॉक एक्सचेंज ने 1986 में 30 शेयरों पर आधारित सूचकांक आरंभ किया था, जिसमें उन बड़ी और प्रतिनिधि कंपनियों को शामिल किया गया, जिनके शेयरों को बड़े पैमाने पर खरीदा-बेचा जाता था। 30 शेयरों पर आधारित बीएसई का संवेदी सूचकांक ही सेंसेक्स के नाम से जाना जाता है। इसका आधार वर्ष 1978-79 है और आधार मूल्य सौ। दूसरे शब्दों में कहें तो 1978-79 में इसमें लगाया गया एक सौ रुपया अब सात हजार रुपये हो चुका है।

इस तरह यह सूचकांक शेयरों के मूल्यों में हुए परिवर्तन का बेंचमार्क है।

तीन सौ चालीस सेंसेक्स स्टॉक्स के चयन का आधार क्या है?

सेंसेक्स में स्टॉक्स का चयन सुधार, पारदर्शिता और सरलता के आधार पर किया जाता है। इसमें प्रवेश के लिए मुख्य शर्तें इस प्रकार हैं :

- यह बीएसई में छह महीने से सूचीबद्ध होना चाहिए और इसका छह महीने का औसत स्वतंत्र बाजार पूंजी आधार सेंसेक्स के शून्य दशमलव पांच प्रतिशत के आसपास होना चाहिए।
- यह अपने उद्योग समूह की प्रमुख कंपनी होनी चाहिए।
- छह महीने के बाजार पूंजीकरण (75 प्रतिशत वेट) आधार पर यह सौ प्रमुख कंपनियों में रहनी चाहिए। छह महीने तक रोजाना बिक्री और प्रभावी लागत को 25 प्रतिशत वेटेज दिया जाता है।
- पिछले छह महीने में आमतौर पर प्रतिदिन इसका कारोबार होना चाहिए।
- इंडेक्स कमेटी कंपनी के कार्यनिष्पादन से संतुष्ट हो।

एक्सचेंज की इंडेक्स कमेटी हर तिमाही बैठक करती है जिसमें इन सब मसलों पर चर्चा होती

है। अब तक कुल तेरह बार सेंसेक्स में परिवर्तन आ चुका है जिनमें से सात परिवर्तन 2002 के बाद किए गए हैं।

क्या सेंसेक्स बाजार की पूरी प्रवृत्ति अभिव्यक्त करता है?

सेंसेक्स बाजार की दिशा जरूर दिखाता मगर यह पूर्ण रूप से बाजार का सूचक नहीं पिछले कई अवसरों पर यह साबित हुआ कि मिडकैप कंपनियों में सक्रियता जब से बढ़ी तब से इसे खासतौर से अनुभव किया गया। यह सेंसेक्स बीएसई-मिडकैप इंडेक्स बदलाव से साफ-साफ झलकती है।

दरअसल बीएसई-100 और बीएसई-500 बाजार की प्रवृत्तियों को ज्यादा बेहतर तरीके से अभिव्यक्त करते हैं। लेकिन सेंसेक्स बाजार की प्रवृत्तियों और दिशा को व्यक्त करने में प्रमुख सूचक बना हुआ है। बाजार की वृद्धि की गतिविधियां इसके उतार-चढ़ाव पर ही निर्भर करती हैं।

भारतीय शेयर बाजार की लंबी अवधि की समीक्षा के लिए सेंसेक्स का इतिहास महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। शेयर बाजार के उतार-चढ़ाव को मापने का देश में अपनी तरह का यह सूचकांक था।

हरियाणा में जमीनी स्तर पर प्रशासनिक सुधार

○ महीपाल

हरियाणा आज से लगभग 40 वर्ष पहले पहली नवंबर, 1966 को भारत के नक्शे पर राज्य के रूप में उभरकर आया था। तब से लेकर अब तक राज्य ने आर्थिक विकास के क्षेत्र में अनेक मील के पत्थर गाड़े हैं। यह राज्य हरित क्रांति का घर भी रहा है। लेकिन पंचायतीराज के मामले में यहां स्थिति बड़ी उथल-पुथल भरी रही। 73वें संविधान संशोधन से पहले जिला परिषद के प्रभाव को समाप्त करने के लिए इस संस्था को ही समाप्त कर दिया गया था।

नया राज्य बनने पर ग्राम पंचायत व पंचायत समिति स्तर की नौकरशाही में भी तब्दीली की गई थी जो इस समय इतिहास की बातें हैं। हरियाणा में पंचायतों के तीसरी बार चुनाव संपन्न हो चुके हैं। पिछले दशक में पंचायतीराज व ग्रामीण विकास के संदर्भ में हुए अनुभवों के आधार पर ग्रामीण विकास के क्षेत्र में ग्राम स्तर से लेकर जिला स्तर तक क्या-क्या सुधार किए जा सकते हैं ताकि आर्थिक-सामाजिक विकास प्रभावी हो सके, यही इस लेख का लक्ष्य है।

विभिन्न स्तरों पर सचिवालयों की स्थापना

हरियाणा में जिला स्तर पर लघु सचिवालय बनाए गए हैं, जिनमें जिला उपायुक्त के साथ-साथ सभी मुख्य अधिकारियों के कार्यालय हैं। वास्तव में लघु सचिवालय 'सिंगल विंडो' के विचार को चरितार्थ करता है। लेकिन इसमें सुधार की गुंजाइश है। वर्तमान में लघु सचिवालय में उप निदेशक, कृषि, जिला वन अधिकारी, जिला मछली पालन अधिकारी आदि के कार्यालय नहीं हैं। जिला परिषद का कार्यालय भी अलग ही है। जबकि जिला स्तर के सभी कार्यालय जिला

सचिवालय में होने चाहिए।

जिला स्तर की तर्ज पर ही ब्लाक स्तर पर भी ब्लाक सचिवालय बनाए जाने चाहिए ताकि ब्लाक स्तर के विकास व पंचायत अधिकारी के कार्यालय के साथ-साथ सभी संबद्ध विभागों के कार्यालय इसी परिसर में निर्मित हों। ऐसा करने से विभिन्न विभागों में तालमेल के साथ-साथ ब्लाक स्तर पर पंचायत समिति

प्रशासन में सुधार का अर्थ है

स्वच्छ और पारदर्शी

गतिविधियां। इसके लिए जमीनी

स्तर के अनुभव बताते हैं कि

ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित विभिन्न

प्रावधानों व तरीकों में

सरलीकरण की जरूरत है।

उदाहरण के लिए ग्राम पंचायत

स्तर पर विभिन्न विषयों से

संबंधित 20 रजिस्ट्रों का

रखरखाव करना होता है। हमारे

अनुभव बताते हैं कि अपवाद को

छोड़कर कहीं भी ये रजिस्ट्र

पूरे नहीं होते। इन रजिस्ट्रों

को तर्कसंगत बनाकर इनकी

संख्या घटाई जा सकती है

के सदस्यों व अध्यक्ष के साथ भी तालमेल होगा। इससे जनता के प्रतिनिधि व ब्लाक स्तर के अधिकारी-कर्मि आमने-सामने होकर ग्रामीण स्तर की विभिन्न समस्याओं को आसानी से निबटा सकते हैं।

इसी प्रकार ग्राम पंचायत स्तर पर भी ग्राम सचिवालय होना चाहिए। इसके लिए पंचायत

घर का नामकरण ग्राम सचिवालय कर देना चाहिए। इस सचिवालय में ग्राम स्तर के सभी अधिकारी व कर्मचारी बैठें ताकि ग्रामवासियों की रोजमर्रा की समस्याओं का ग्राम स्तर पर ही समाधान हो जाए।

एकीकृत ग्रामीण विकास प्रशासन व व्यवस्था

जिला स्तर से लेकर ग्राम स्तर तक एकीकृत ग्रामीण विकास प्रशासन की भी जरूरत है ताकि कार्यों के निबटान में तेजी आए। इस लिए जिला स्तर पर ग्रामीण विकास प्रशासन का मुखिया एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी होना चाहिए। वर्तमान में कार्यरत जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (डीआरडीए) को समाप्त करके जिला परिषद में मिला देना चाहिए। इस समय तो जिला स्तर पर उल्टी गंगा बह रही है। डीआरडीए एक पंजीकृत संस्था है वह जिला परिषद व पंचायत समितियों को पैसा आवंटित करती है जो संवैधानिक संस्थाएं हैं। इसे रोकने की जरूरत है।

ब्लाक स्तर पर ब्लाक विकास एवं पंचायत अधिकारी पद को 'अपग्रेड' कर उसे ब्लाक विकास कार्यालय अधिकारी बनाने की जरूरत है। ब्लाक स्तर के सभी लाईन विभागों को उसके नियंत्रण में करने की जरूरत है। ग्रामीण विकास अधिकारी पंचायत समिति के अध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए।

इसी प्रकार ग्राम स्तर पर ग्राम सचिव का पद भी प्रोन्नत करके ग्राम स्तर के सभी कर्मचारी, जैसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आदि इसके नियंत्रण में करने की जरूरत है। ग्राम सचिव को सरपंच के प्रति उत्तरदायी बनाने की जरूरत है।

उपरोक्त प्रशासनिक सुधार से पंचायतीराज

नीनों स्तरों में तथा विभिन्न विभागों में न्वय व सहयोग बढ़ेगा। इससे वर्तमान ति, जिसमें दायें हाथ को पता नहीं की ां हाथ क्या कर रहा है, दूर की जा सकेगी।

क्रास नियोजन समितियों का गठन

जिला व ब्लाक स्तर पर नियोजन समितियों गठन करने की जरूरत है। 74वें संविधान धोधन के अनुसार जिला स्तर पर जिला जना समिति के गठन करने का प्रावधान लेकिन राज्य में यह प्रावधान जिला स्तर पूर्ण रूप से क्रियान्वित नहीं हुआ है। इसे वेलंब लागू करने की जरूरत है। यह समिति प्रायत व नगरपालिका के सदस्य व अध्यक्षों गठित होगी।

जिला परिषद का अध्यक्ष इसका अध्यक्ष ना चाहिए। यह समिति योजना बनाने के थ-साथ जिले के विभिन्न क्षेत्रों में साधनों बंटवारा भी करेगी। दूसरे शब्दों में कहें, से केंद्रीय स्तर पर योजना आयोग और राज्य र पर योजना बोर्ड हैं, उन्हीं की तर्ज पर यह मिति कार्य करे।

इसी तरह ब्लाक स्तर पर भी पंचायत मिति एवं नगर पंचायत के सदस्यों से यह मिति गठित होनी चाहिए। यह समिति ब्लाक योजन परिषद के रूप में कार्य करे तथा मीण व नगरीय दोनों क्षेत्रों को मिलाकर पूर्ण क्षेत्र की विकास योजना बनाए। बेहतर गा यदि राज्य स्तर पर पंचायत विकास रिषद मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठन किया ाए जिसमें जिला परिषद के अध्यक्ष पंचायत मिति के अध्यक्ष व सरपंच सदस्य हों। इस मिति का कार्य पंचायतों व ग्रामीण विकास से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर उनका समाधान करना हो।

वर्तमान प्रावधानों व तरीकों का सरलीकरण

प्रशासन में सुधार का अर्थ है स्वच्छ और पारदर्शी गतिविधियां। इसके लिए जमीनी स्तर के अनुभव बताते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित विभिन्न प्रावधानों व तरीकों में सरलीकरण की जरूरत है। उदाहरण के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर विभिन्न विषयों से संबंधित 20

रजिस्ट्रों का रखरखाव करना होता है। हमारे अनुभव बताते हैं कि अपवाद को छोड़कर कहीं भी ये रजिस्ट्र पूरे नहीं होते। वास्तव में इन रजिस्ट्रों को तर्कसंगत बनाकर इनकी संख्या घटाई जा सकती है। ताकि इन रजिस्ट्रों के रखरखाव पर समय कम लगे। इस संदर्भ में महिला व बाल विकास विभाग का जिम्मा करना उचित प्रतीत होता है। गांव में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को कम से कम 13 रजिस्ट्रों का रखरखाव करना होता है। कार्यकर्ता बच्चों व महिलाओं की देखरेख की बजाय इन रजिस्ट्रों के रखरखाव में ही उलझी रहती है। दूसरे शब्दों में कहें तो महिला व बच्चों के विकास विभाग का यह कार्यक्रम 'बुक कीपिंग' बनकर रह गया है। इसमें भी सुधार करने की जरूरत है।

इसी तरह ग्राम, ब्लाक व जिला स्तर पर पंचायतीराज संस्थाओं की बैठकों का मसला है। ब्लाक व जिला स्तर पर इन संस्थाओं की बैठकें दो महीने में एक बार होगी जबकि ग्राम पंचायत की बैठकें एक महीने में दो बार होंगी। क्या इतनी बार-बारता से इस स्तर की बैठकों की जरूरत है? शायद नहीं। देखने में आया है कि शायद ही ग्राम पंचायत की बैठकें महीने में दो बार हो पाती हैं। ग्राम पंचायत की बैठक महीने में दो बार न होकर महीने में एक बार हो जाय तो उचित रहेगा। इस तरह ग्राम पंचायत की बैठक की कार्यवाही सही मायनों में हो पाएगी।

इसी तरह से ग्राम सभा की बैठक की कार्यवाही का भी सवाल है। ग्राम सभा की वर्ष में दो साधारण बैठकों के लिए कार्ड कोरम निश्चित नहीं है। अतः कोरम का प्रावधान करने की जरूरत है। देखने में आया है कि ग्राम सभा की अधिकतर बैठकें कागजों पर ही होती हैं।

ब्लाक स्तर के जिन अधिकारी या कर्मचारियों की ड्यूटी इन बैठकों में लगाई जाती है वे भी इनसे नदारद रहते हैं। प्रावधान है कि ग्राम सभा में ग्राम स्तर के सभी कर्मचारी बैठक के समय उपस्थित रहेंगे, ऐसा भी अपवाद स्वरूप ही होता है। इसलिए इन

प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए पंचायत विभाग के अतिरिक्त किसी अन्य विभाग के ब्लाक या जिला स्तर के अधिकारी की ड्यूटी लगाई जानी चाहिए ताकि बैठकें वास्तव में हों, उनमें चर्चा हो, पंचायतों के कार्यों में पारदर्शता हो। ऐसा ही प्रावधान ग्राम पंचायत की शामिल अथवा गैरमजदूआ जमीन की बोली लगाने के समय भी होनी चाहिए।

स्वयंसेवी संस्थाओं की सहभागिता

वर्तमान दौर में स्वयंसेवी संस्थाओं की अहम भूमिका है। इस समय ग्रामीण विकास के कार्यक्रम प्रक्रियाभिमुखी हैं। उदाहरण के लिए एसजीएसवाई के तहत स्वसहायता समूह गठित करना और उनको विकसित करना कठिन कार्य है, जिसके लिए नौकरशाही को स्वयंसेवी संस्थाओं सहभागिता करनी पड़ेगी। ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अतिरिक्त पंचायतों को भी इन संस्थाओं की जरूरत होगी, अपने आर्थिक विकास व सामाजिक न्याय की योजनाएं बनाने के लिए। उपरोक्त के अलावा 'राइट साइजिंग' के वर्तमान दौर में जहां नौकरशाही का दायरा कम होता जा रहा है, इन संस्थाओं की सार्थकता और भी बढ़ जाती है।

प्रशिक्षण व क्षमतावर्धन

ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत कर्मियों का प्रशिक्षण द्वारा ज्ञानवर्धन करने की जरूरत है। इसके लिए राज्य में प्रशिक्षण संरचना को मजबूत करने व वर्तमान सरपंच को बैठाने की जरूरत है। इस समय राज्य में पंचायतों को प्रशिक्षण देने के लिए मात्र दो संस्थान हैं जो नीलोखेड़ी में स्थित हैं।

उचित होगा यदि राज्य में दो अतिरिक्त प्रशिक्षण संस्थान राज्य के दक्षिणी व पश्चिमी भाग में खोले जाएं ताकि पंचायतकर्मियों का अधिक प्रभावी व सतत रूप से क्षमतावर्धन संभव हो सके।

उपरोक्त सुझावों को अगर अमल में लाया जाए तो निचले स्तर पर प्रशासन प्रभावी, पारदर्शी व उत्तरदायी होगा। □

(लेखक हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान, नीलोखेड़ी में एसोसिएट प्रोफसर हैं)

निर्धनों तक कैसे पहुंचें? आसान है, शुरुआत उनसे करें

○ एल.सी. जैन

पांच दशकों के बाद भी, अपने वृहद ग्रामीण विकास एजेंसियों के बावजूद जिनको हजारों करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं, सरकार के पास अभी तक इसका कोई सुराग नहीं है कि निर्धनों तक कैसे पहुंचा जाए। लेकिन एक ही झपट्टे में उड़ीसा ग्राम विकास ने उत्तर ढूंढ लिया है, जिसका पता मुझे तब चला जब मैं गंजम, उड़ीसा के सर्वाधिक निर्धन क्षेत्र के चार दिन की यात्रा पर था। इससे भी अधिक आश्चर्य मुझे उनके तरीके की सरलता पर हुआ। ग्राम विकास निदेशक जो माडियाथ पूछते हैं, गरीबों तक 'पहुंचने' की क्या आवश्यकता है, 'शुरुआत उनसे ही करें'। उन्होंने कहा, "ये इतनी ही सरल बात है"।

पहला गांव जिसकी यात्रा मैंने की वह 80 परिवारवालों वाला एक संपूर्ण आदिवासी गांव था ग्राम समिति ने गर्व से बताया कि संपूर्ण गांव का पुनर्निर्माण हुआ है, "प्रत्येक घर नया है।" उन्होंने विस्तार से बताया कि प्रारंभ में ग्राम विकास ने उन्हें प्रत्येक परिवार हेतु केवल एक शौचालय के निर्माण की बात कही थी, "हमने पाया कि शौचालय हमारी रहने वाली झोपड़ी से बेहतर दिख रहा था। हमने अपने घरों के पुनर्निर्माण का निर्णय लिया। तब हमने ग्राम विकास से मदद मांगी, पर उन्होंने शर्त रखी कि नये घरों का निर्माण सभी के लिए किया जाएगा, चाहे वे निर्धन हों या धनी। सभी को साथ आकर एक सामूहिक कोष बनाना होगा, जिसमें प्रत्येक परिवार औसतन 1,000 रुपये का योगदान करेंगे तथा जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है वे थोड़ा ज्यादा योगदान देंगे।

हमारे सामूहिक कोष तथा प्रतिदिन सामूहिक उत्तरदायित्व के भरोसे हुडको ने हमें आवश्यक गृह ऋण दिया। घरों का मूल्य कम रखने के लिए ग्राम विकास ने हमें अपने स्थानीय श्रम का उपयोग कर ईंटों के निर्माण

की विधि सिखाई। कोई ठेकेदार न था। शीघ्र ही संपूर्ण गांव का पुनर्निर्माण हो गया, बीच की सड़कें चौड़ी की गईं और किनारों पर नालों का निर्माण हुआ। रसोईघर वाली नालियों को हर घर के पास फल एवं सब्जियों के लिए एक जमीन के टुकड़े की तरफ ले जाया गया, शौचालयों से निकलने वाली नालियों को एक सोखता गड्ढे से जोड़ा गया, जब हम टहल रहे थे तो वह जगह इतनी अच्छी खुशबू दे रही थी कि वहां एक राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया जा सकता था। पुनर्गृह योजना के तहत एक सामुदायिक सभा भवन भी निर्मित कराया गया तथा उसके ऊपर एक आधुनिक अतिथि गृह का निर्माण हुआ। अतिथिगृह क्यों? "हम डाक्टरों, इंजीनियरों, शिक्षकों को सप्ताहांत में निमंत्रित करना चाहते हैं जिससे कि वे हमें ज्ञान प्रदान करें। एक कोने में अनाज बैंक का निर्माण हुआ। अनाज बैंक क्यों? "अत्यधिक जरूरत में पड़ने वाले परिवारों की सहायता हेतु हमने गांव की प्राचीन परंपरा को पुनर्जीवित किया।" ग्राम विकास ने बल दिया कि रसोईघर में पानी का नल होना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए हमें एक ऊंचा टैंक तथा उसके साथ 80 घरों को जोड़ने के लिए एक पाइपलाइन का निर्माण करना पड़ा था।

उस टैंक को भरने के लिए उन्होंने नदी का पानी रोका। भाग्य ने उन्हें न केवल टैंक के लिए बल्कि खेतों की सिंचाई हेतु भी अतिरिक्त जल दिया। गांव की पैदावार को बढ़ाने में खेतों के पानी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। रसोईघर में पानी तथा घर से लगे शौचालय ने महिलाओं को उस चिरकालिक दैनंदिन, नृशंस अनुभव से छुटकारा दिलाया जो अभी भी पूरे देश में महिलाओं द्वारा भोगा जाता है।

साफ सड़क, साफ नालियों एवं टैंक के साफ पानी द्वारा प्राप्त की गई स्वच्छता ने

स्वास्थ्य पर अपनी छाप छोड़ी।

लेकिन प्रत्येक घर से संलग्न शौचालय ने एक समस्या खड़ी कर दी। अगर शौचालय एक दिन भी साफ न किया जाता तो पूरे गांव में दुर्गंध फैल जाती। ग्राम समिति ने परिवार वालों पर शौचालय को साफ रखने की आवश्यकता पर बल दिया, साथ ही इसने बच्चों को स्कूल से लौटने के बाद शौचालयों में घूमकर उनका निरीक्षण करने को प्रेरित किया। अगर कोई शौचालय साफ नहीं होता तो वे दोषी परिवार वालों से एक जुर्माना वसूल कर सकते थे। उस पैसे का बच्चों के कोष में खेल-कूद के सामान की खरीद के लिए उपयोग होता। इसके बाद एक स्तंभित कर देने वाला सामाजिक विकास का प्रकरण सामने आया। समिति ने मुझे बताया कि उनके गांव की लड़कियों ने उन गांवों में विवाह करने से इंकार कर दिया जहां पृथक शौचालय नहीं हैं।

पड़ोसी गांव भी इस उदाहरण से अछूते नहीं रहे। शीघ्र ही 160 दलित परिवार वाले गांव ने उपरोक्त वर्णित मार्ग पर चलना शुरू कर दिया। उन्होंने ने भी एक सामूहिक कोष बनाया और हर परिवार के लिए एक नये घर के निर्माण में सहयोग दिया। पानी की आपूर्ति वाला रसोईघर, एक शौचालय, स्वच्छ गलियां एवं नाले और एक अनाज बैंक की सुविधाएं दुहराई गईं।

जब मैंने उस गांव की यात्रा की, मैंने कुछ पुराने झोंपड़े देखे। मेरे मुंह से निकला, "अरे, तो अभी भी कुछ व्यक्ति पुरानी झोपड़ियों में रह रहे हैं, लेकिन उन्होंने मुझे जो झोपड़ियां दिखाई, वो खाली थीं, वे मुस्कराए और बोले, "हमने कुछ पुराने झोंपड़े अपने को पहले वाली स्थिति की याद दिलाने के लिए रखे हैं, जिनमें हम गांव के पुनर्निर्माण के पूर्व रहा करते थे। मैंने एक नये घर में प्रवेश किया। एक वृद्ध

महिला ने मेरा स्वागत किया, जो उस घर में अकेली रहती थी। वह फर्श पर रखी एक चटाई पर विश्राम कर रही थी। "माताजी, आप कैसी हैं? मैंने पूछा। "मैं खुश हूँ।" "आपको किस बात से खुशी मिलती है?" उन्होंने छत पर लगे पंखे की ओर इशारा किया, "वह मुझे खुशी देता है। मैं अब कितनी अच्छी से सो सकती हूँ।"

हम तब वहां से तट की ओर मीलों दूर ड्राइव करके गोपालपुर पहुंचे जो समुद्रतट के पास है। वहां मछुआरों के 350 परिवार रहते हैं। वहां हमें अनेक क्रियाएं देखने को मिलीं। सभी 350 घर फिर से निर्मित किए जा रहे थे, वहां ईंट की दो विशाल भट्टे थे।

गांव विशाल है, इसलिए टैंक भी काफी ऊंचा था, उसके नीचे खड़े-खड़े ग्राम समिति को अचानक एक विचार सूझा और वह अत्यंत उत्साहित दिखाई जान पड़ी। मैंने पूछा क्या बात है? उन्होंने कहा कि वे पानी के टैंक के ऊपर एक सर्चलाइट लगाने की सोच रहे हैं। "जब हम बीच रात के अंधेरे में मछली पकड़ने

अमथागुडा में शराब निषिद्ध

कालाहांडी जिले के थुआमुल रामपुर प्रखंड के एक आदिवासी गांव अमथागुडा में शराब तब तक बेमजा नहीं थी जब तक कि महिलाओं के एक समूह ने इस संकट से छुटकारा पाने का निर्णय नहीं किया था।

शराब के विरुद्ध आंदोलन की नेत्री 35 वर्षीया मुक्ता देवी कहती हैं, "अब हमारे पास शक्ति है, महिलाओं की सामूहिकता की शक्ति।"

साथ मिलकर महिलाओं ने पुरुषों से शराब पीने की बुराइयों पर बातचीत की और गांव में देसी शराब बनाने के सभी उपकरणों को तोड़ डाला।

जिन पुरुषों ने पीना जारी रखा, पकड़े जाने पर उन्हें पेड़ से बांध दिया जाता तथा 51 रुपये के दंड के साथ ही सार्वजनिक क्षमा याचना के लिए कहा जाता। अब करीब 80 प्रतिशत ग्रामीणों ने पीना छोड़ दिया है। □

(ग्राम विकास, वार्षिक रिपोर्ट 2004)

के लिए जाते हैं तो अक्सर गांव अंधेरे अथवा आंधी के कारण नजरों से ओझल हो जाता है। सर्चलाइटें जैसे जहाजों का मार्गदर्शन करती हैं, उसी तरह हमारी सर्चलाइट हमें तट तथा अपने परिवारों तक पहुंचाएगी।

उनके स्वप्नों का कोई अंत नहीं है। ग्राम विकास ने इन्हें गतिशील किया है। विकास के सामान अधिक दृष्टिगोचर नहीं होते बल्कि यह एक क्रांतिकारी प्रक्रिया है जो उन्हें भविष्य में दूर तक ले जाएगी। केवल वे कुछ गांव नहीं, जिनका मैंने भ्रमण किया, ग्राम विकास की पहुंच प्रभावशाली है- 14 जिले, 363 गांव, कुल परिवार 23,120 जिनमें 9,232 आदिवासी (40 प्रतिशत) तथा 4,132 दलित (18 प्रतिशत) हैं।

मैं ग्राम विकास को एक ड्रम उपहार स्वरूप देना चाहूंगा जिसे वे जोर से तथा गर्व से बजा सकते हैं। □

(लेखक पंचायतीराज के विशेषज्ञ हैं और योजना आयोग के एक पूर्व सदस्य रह चुके हैं।
सौजन्य : दि एशियन एज)

शैक्षणिक ऊँचाई की पराकाष्ठा पर दृष्टि

Admission Open for

IAS-PCS
Pre, Mains Pre-cum-Mains & Interview
PCS(J)/APO

नोट: संस्था में
**BANK, SSC, RAILWAYS, NDA, CDS,
CPO, CPF, SPOKEN ENGLISH**
की भी गुणवत्ता व अनुभवपरक कक्षाएँ उपलब्ध हैं।

Fresh Batch - Every Week

हॉस्टल (Boys & Girls) उपलब्ध

विगत 12 वर्ष से 1st Position पर स्थापित अति अनुभवी व ख्यातिलब्ध शिक्षकों (व निदेशक) की सर्वोच्च कार्यस्थली-

स्विवित्त क्षेत्र में सर्वोच्च सफलता दर हमारा लक्ष्य

उपलब्ध विषय

+ सामान्य अध्ययन (G.S)

अनिवार्य विषय- + सामान्य हिन्दी (Gen. Hindi)

(Compulsory Sub.)- + निबंध (ESSAY)

+ सामान्य अंग्रेजी (Gen. English)

एवं

वैकल्पिक विषय (Optional Sub.)

+ Indian History/History

+ Sociology

+ Botany

+ Philosophy

+ Public Administration

+ Geography

+ Political Science

+ Mathematics

+ Economics

+ Hindi Literature

+ Law

+ Agriculture

पारम्परिक एकेडमी

203A/170/A, आनन्द भवन के निकट, कर्नलगंज थाना के सामने, कर्नलगंज, इलाहाबाद फोन: 0532-2460072, 9415217672, 2025660, 9415351655

YH/8/5/14

राष्ट्रीय ध्वज की उत्पत्ति

○ एस.वी. तनेजा

सभी राष्ट्रों का एक ध्वज होना आवश्यक है। लाखों लोगों ने इसके लिए अपनी जान दी है। निःसंदेह यह एक प्रकार की आस्था का प्रतीक है जिसे नष्ट करना पाप कहलाएगा। हम भारतीयों के लिए, भारत जिनका घर है, एक ऐसे ध्वज को मान्यता देना आवश्यक है, जिसके लिए हम जी सकें और मर सकें — महात्मा गांधी

भारत में ध्वज के आविर्भाव का इतिहास साधारण सा ही है। वेदों में केतु के नाम से ध्वज का उल्लेख मिलता है। इंद्र के नेतृत्व में देवताओं की समूह रचना का केतुमंतः के रूप में वर्णन किया गया है। महाभारत में सभी सेनापतियों के अपने अलग-अलग ध्वज (केतु) थे। गुप्तकाल के सम्राटों ने, तीन शताब्दियों के विदेशी आधिपत्य से मुक्ति पाने के बाद एक राष्ट्रीय ध्वज की आवश्यकता अनुभव की और उन्होंने 'गरुड़ध्वज' को राज्यध्वज के रूप में स्वीकार किया।

मध्यकालीन युग में सभी शासकों के अलग-अलग ध्वज हुआ करते थे। अबुल फज़ल ने सम्राट अकबर के शाही ध्वजों का बखूबी वर्णन कर उस समय के ध्वजों के बारे में जानकारी देकर निश्चय ही हम पर एक उपकार किया है। शिवाजी के भगवा ध्वज के बारे में हम सबने पढ़ा ही है। मराठा शासकों के बाद अंग्रेज शासकों ने ब्रिटिश ध्वज ही भारत में भी अपनाया और करीब दो शताब्दियों तक वही ध्वज प्रचलन में रहा।

ध्वज एक कपड़े, कागज अथवा इसी तरह के पदार्थ का बना होता है जिस पर समुदाय, सशस्त्र बल, सेना, कार्यालय अथवा किसी

व्यक्ति का विशिष्ट चिन्ह अंकित होता है। ध्वज आमतौर पर आयताकार होता है, परंतु यह आवश्यक नहीं। ध्वज का एक सिरा किसी डंडे या रस्से से जुड़ा होता है। डंडे के पास वाले सिरे को आरोह करते हैं और सिरे को उद्गान। विभिन्न उद्देश्यों और आकार के ध्वजों को अलग-अलग नाम से पुकारा जाता है। पताका, झंडा, निशान, परचम और अन्य अनेक नामों से ध्वज का परिचय मिलता है। मूलरूप से ध्वज का उपयोग युद्ध के दौरान नेतृत्व की पहचान के लिए किया जाता था, जिससे शत्रुओं अथवा मित्रों की स्थिति की पहचान हो सके। आजकल उनका उपयोग आमतौर पर संकेत देने, सजावट या प्रदर्शन के लिए किया जाता है। पहचान के लिए झंडे की उपयोगिता हवा में उसके मुक्त रूप से लहराने पर निर्भर करती है।

प्राचीन काल में झंडे का बड़ा महत्व था और उसे रथों या हाथियों पर सम्मान से लहराया जाता था। युद्ध में दोनों पक्षों के आक्रमण का पहला लक्ष्य ध्वज ही हुआ करता था और उसके पतन का अर्थ पराजय, नहीं तो वचग्रता, अवश्य ही होती थी। भारतीय ध्वज साधारणतया लाल या हरे रंग के त्रिभुजाकार होते थे और उन पर स्वर्ण अथवा सुनहरे झालर

से कोई आकृति कढ़ी हुई होती थी।

मुगलों के शाही निशान में झंडे के अलावा अन्य चीजें भी शामिल होती थीं खासतौर पर याक की पूंछ अथवा राजसी छतरी। चीन की तरह भारत में भी झंडे का उपयोग संकेत देने के लिए भी होता था। श्वेत ध्वज सारे संसार में युद्ध विराम (शांति) के प्रतीक के रूप में प्रयुक्त होता है।

विकास

भारत के राष्ट्रीय ध्वज की विकास यात्रा बीसवीं शताब्दी में देश के राजनीतिक इतिहास पर भी रोशनी डालती है। झंडे के प्रति लोगों के हाव-भाव में उनके उत्साह की लहरें और राजनीतिक धारार्य, सभी कुछ, देखी जा सकती हैं। कहा जाता है कि भारत में राष्ट्रीय झंडा 7 अगस्त, 1906 को पहली बार कोलकाता के पारसी बागान स्क्वायर में फहराया गया था। उस झंडे में लाल, पीले और हरे रंग की पट्टियां क्षितिजाकार रूप में लगाई गई थीं। सबसे ऊपर लाल रंग की पट्टी में आठ श्वेत कमल एक कतार में कढ़े हुए थे। पीली पट्टी में देवनागरी लिपि में गहरे नीले रंग से 'वंदे मातरम' अंकित था। नीचे की हरी पट्टी में सफेद रंग से बायीं ओर सूर्य तथा दायीं ओर अर्द्धचंद्र और तारा बने हुए थे।

दूसरा ध्वज, मैडम कामा और उनके निष्कासित क्रांतिकारी सहयोगियों द्वारा 1907 में फहराया गया था। कुछ पुस्तकों में उल्लेख है कि मैडम कामा में स्टेटगार्ट, जर्मनी में पहली बार राष्ट्रीय झंडा लोगों के सामने पेश किया था। यह झंडा भी पहले जैसा ही था, केवल इतना अंतर था कि ऊपर वाली पट्टी पर केवल एक कमल और 7 सितारे बने थे जो सप्तर्षि का आभास देते थे। इस झंडे को बर्लिन के समाजवादी सम्मेलन में भी प्रदर्शित किया गया था और 1917 में जब हमारा तीसरा झंडा आकाश में फहराया, भारत का राजनीतिक संघर्ष एक निश्चित मोड़ ले चुका था। डाक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने 'होम रूल' आंदोलन के दौरान इसको प्रयोग में लिया था। इस झंडे में पांच लाल रंग की और चार हरे रंग की पट्टियां बारी-बारी से क्षितिजाकार लगी हुई थीं और इन पर सप्तर्षि का आभास देते हुए सात कमल बने हुए थे। बायीं तरफ सबसे ऊपर कोने में यूनियन जैक बना हुआ था। एक कोने में सफेद अर्द्धचक्र और एक तारा भी बने हुए थे।

ये सभी तत्कालीन आकांक्षाओं के प्रतीक थे। यूनियन जैक के बने होने से हमारे डोमिनियम स्टेटस का पता चलता था। लेकिन यूनियन जैक के कारण इसे जनस्वीकार्यता नहीं मिल पाई। इससे जो राजनीतिक समझौता परिलक्षित होता था, उसे लोगों का समर्थन नहीं मिला। नये नेतृत्व की आस ने 1921 में महात्मा गांधी को राष्ट्रीय परिदृश्य पर ला खड़ा किया और उनके साथ ही पहला तिरंगा भी आया। लगभग उसी समय बेजवाड़ा (आजकल विजयवाड़ा के नाम से परिचित) में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन हुआ, जहां एक आंध्र युवक ने एक झंडा तैयार कर गांधी जी को दिया, जो दो रंगों से बना था। गांधी जी ने उसमें सफेद रंग की एक पट्टी जोड़ने तथा उस पर प्रगति का प्रतीक चरखा बनाने का सुझाव दिया। और इस प्रकार तिरंगे का जन्म हुआ, परंतु अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने तब तक अधिकृत रूप से उसे नहीं अपनाया था।

हालांकि गांधी जी के अनुमोदन के बाद वह लोकप्रिय हो गया था और कांग्रेस के सभी कार्यक्रमों में फहराया जाने लगा था।

1931 में कराची कांग्रेस के अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित कर एक ऐसे झंडे को अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया जो कांग्रेस को आधिकारिक रूप से स्वीकार्य हो। झंडे के चयन के लिए सात सदस्यों की एक समिति बनाई गई। झंडे के इतिहास में इसीलिए 1931 को निर्णायक वर्ष के रूप में गिना जाता है, क्योंकि उसी वर्ष तिरंगे को हमारे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने का प्रस्ताव पारित हुआ था। हमारे वर्तमान ध्वज के पूर्ववर्ती झंडे में केसरिया, सफेद और हरे रंगों की पट्टियां लगी थीं। केसरिया रंग साहस और बलिदान का, सफेद सत्य और शांति का और हरा रंग आस्था और शौर्य का प्रतीक है।

सफेद पट्टी पर नीले रंग से चरखा भी बना हुआ था। इसका आकार, लंबाई, चौड़ाई में तीन और दो के अनुपात में था। इस प्रस्ताव ने राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगे को अपनाए जाने की कांग्रेस की औपचारिक मुहर लगा दी। उसी समय से यह हमारा अपना झंडा हो गया और स्वतंत्रता पाने के हमारे संकल्प का प्रतीक भी बन गया।

22 जुलाई, 1947 को संविधान सभा ने इसे स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया। स्वतंत्रता के पश्चात भी झंडे का रंग और उनका महत्व वही रहा। केवल चरखे को बदल कर उसके स्थान पर सम्राट अशोक के राष्ट्रीय चिन्ह चक्र को शामिल कर लिया गया।

राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया

संविधान सभा के सभापति, डा. राजेन्द्र प्रसाद ने 23 जून, 1947 को स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज के निर्धारण के लिए अपनी अध्यक्षता में एक तदर्थ समिति का गठन किया। समिति के अन्य सदस्य थे- अबुल कलाम आजाद, सी. राजगोपालाचारी, श्रीमती सरोजिनी नायडू, के.एम. पणिकर, के.एम. मुंशी, बी.आर. अंबेडकर, फ्रैंक एंटनी, बी. पट्टाभि सीतारामैया, हीरालाल शास्त्री,

सत्यनारायण सिंह, बलदेव सिंह और एस. एन. दासगुप्ता। समिति ने महसूस किया कि देश में 1931 में कांग्रेस द्वारा अपनाए गए ध्वज को ही राष्ट्रीय ध्वज के रूप में मान्यता दिए जाने के बारे में जबरदस्त स्वीकृति थी, इसलिए उसी को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अंगीकार कर लिया गया। झंडे की रूपरेखा वही रखी गई, जिसका निर्देश समिति ने दिया था। यह निश्चय किया गया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू इस बारे में संविधान सभा में प्रस्ताव पेश करें।

विभाजन योजना

विभाजन की मौलिक योजना के अनुसार देश को भारत और पाकिस्तान के रूप में दो अलग-अलग संप्रभु राष्ट्रों में बांट कर जून 1948 में आजादी दी जानी थी। लेकिन देश में व्याप्त सांप्रदायिक उन्माद और हिंसा रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, बल्कि यह नये-नये क्षेत्रों में पांव पसारती जा रही थी। इसे देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने वायसराय माउंटबेटन के परामर्श पर विभाजन की तारीख पीछे खिसका कर पहले कर दी। देश-विभाजन की इस योजना पर सभी प्रमुख राजनीतिक दलों की सहमति थी। जून 1947 में लार्ड माउंटबेटन इस योजना पर तत्कालीन ब्रिटिश सरकार से आगे विचार-विमर्श के लिए लंदन चले गए। ब्रिटिश सरकार ने 18 जुलाई, 1947 को निर्णय लिया कि सत्ता हस्तांतरण की तारीख जून 1948 के स्थान पर 15 अगस्त, 1947 कर दी जाए। भारत में उस समय के सभी राजनीतिक दलों को यह संदेश दे दिया गया कि 15 अगस्त, 1947 से देश भारत और पाकिस्तान के रूप में दो हिस्सों में बांट जाएगा। प्रस्ताव में भारत के झंडे के बारे में भी कहा गया कि स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय ध्वज वही रहेगा, जो कि कांग्रेस का है, लेकिन उसमें चरखे के स्थान पर सारनाथ के स्तंभ का चक्र नीले रंग में रहेगा। यह ध्वज केसरिया, सफेद और हरे रंग की क्षितिजाकार पंक्तियों में होगा।

संविधान सभा में 22 जुलाई, 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के बारे में प्रस्तुत और पारित प्रस्ताव का मूल

पाठ इस प्रकार है :

“संकल्प लिया गया कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्षितिजाकार रूप में केसरिया, सफेद और हरे रंग के समान अनुपात की पट्टियों में बना होगा। सफेद पट्टी के मध्य में चक्र गहरे नीले रंग में रहेगा। चक्र की डिजाइन वही रहेगी जो सारनाथ स्थिति सम्राट अशोक के सिंह स्तंभ में बनी है। चक्र का व्यास सफेद पट्टी की चौड़ाई के बराबर होगा। ध्वज की लंबाई-चौड़ाई आमतौर पर 3 और 2 के अनुपात में होगी।

संकल्प प्रस्तुत करते हुए पंडित नेहरू ने कहा, “...अब जब मैं यह संकल्प रख रहा हूँ मुझे साझे इतिहास वह का खंड याद आ रहा है जिससे होकर पिछली चौथाई सदी में हम सभी गुजरे हैं। ढेर सारी यादें हैं। मुझे इस महान राष्ट्र के स्वाधीनता संग्राम के उतार चढ़ाव, सब याद आ रहे हैं। मुझे याद आ रहा है, और इस सदन में उपस्थित अन्य अनेक लोगों को भी याद होगा कि हम सब किस प्रकार इस झंडे को गर्व और उमंग के साथ देखा करते थे और हमारी धमनियाँ फड़कने लगती थीं। और जब हम किसी कारणवश निराश और पस्त हुआ करते थे, झंडे को देखते ही हममें दोबारा उत्साह भर जाता था और उन सभी साथियों की भी याद आ रही है, जो आज यहां मौजूद नहीं हैं, जो अब नहीं रहे, किस प्रकार उन्होंने इस झंडे को ऊंचा उठाए रखा। उनमें से अनेकों ने मरते दम तक झंडा-बरदारी की और जब नहीं रहा गया तो दूसरों को थमा गए, जिससे कि झंडा सदा ऊंचा ही रहे। अतएव, इन थोड़े से साधारण शब्दों में, वह बहुत कुछ निहित है, जो अभी सामने नहीं आ सका है। आजादी के लिये लोगों की लड़ाई, अपने तमाम उतार-चढ़ावों, मुसीबतों और झंझावातों के साथ मेरे सामने है। और अंत में आज मैं जब यह संकल्प पेश कर रहा हूँ मुझे एक प्रकार की विजय का अहसास हो रहा है, एक ऐसा अहसास जो संघर्ष की सफल समाप्ति पर होता है।

“...लेकिन हमें किस प्रकार के चक्र की दरकार है? हमारे सामने अनेक चक्रों का

विचार आया। परंतु एक प्रसिद्ध चक्र पर खासतौर पर ध्यान ठहर गया। यह चक्र कई स्थानों पर देखा गया है, हम सभी ने इसे देखा है। यह है अशोक स्तंभ के शीर्ष पर बना चक्र। यह चक्र भारत की प्राचीन संस्कृति का प्रतीक है। यह उन सभी मूल्यों का प्रतीक है जिसके लिए भारत युगों-युगों से जाना जाता रहा है। अतएव हम लोगों ने सोचा कि यही चक्र हमारा राष्ट्रीय चिन्ह होना चाहिए। जहां तक मेरा सवाल है मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि इस तरह हमने अपने ध्वज से न केवल इस चिन्ह को जोड़ा है, बल्कि एक प्रकार से सम्राट अशोक के नाम को भी जोड़ा है, एक ऐसा नाम जो न केवल भारत के इतिहास के बल्कि विश्व इतिहास के महाप्रतापी नामों में से एक है। और यह उचित ही है कि लड़ाई, संघर्ष, असहिष्णुता के इन क्षणों में हमारा ध्यान उस चीज की ओर है जिसके लिए भारत, तमाम गलतियों और भूलों के बावजूद, हमेशा से जाना जाता है। महोदय, अगर भारत महान आदर्शों के लिये खड़ा नहीं हुआ होता, मैं नहीं सोचता कि वह अब तक बचा होता और अपनी संपन्न सांस्कृतिक परंपराओं को युगों से आगे बढ़ाता रहता। ऐसा नहीं कि इसमें बदलाव नहीं आया। भारत कभी अड़ियल नहीं रहा, लेकिन यह अपनी मूल भावना और सार को नहीं भूला। समय के अनुसार नये प्रभावों को इसने आत्मसात किया है।

“मुझे विश्वास है कि यह ध्वज, जिसे मैं आपके सामने सम्मानपूर्वक प्रस्तुत कर रहा हूँ न तो किसी साम्राज्य का ध्वज है और न ही साम्राज्यवाद का। यह ध्वज किसी का किसी के ऊपर आधिपत्य का प्रतीक भी नहीं है। बल्कि यह स्वतंत्रता का ध्वज है, न केवल हमारे लिए बल्कि उन सभी लोगों के लिए जो इसे देखा करेंगे। यह जहां भी जाएगा, और मुझे आशा है कि यह दूर-दूर तक जाएगा, लोगों को भाईचारे का संदेश देगा। यह झंडा केवल वहीं नहीं पहुंचेगा, जहां हमारे भारतीय राजदूत और मंत्री के रूप में रहते हैं बल्कि सात समुंदर पार भी हमारे जहाजों के जरिये पहुंचेगा और यह संदेश लेकर जाएगा कि भारत

सभी देशों के साथ दोस्ती चाहता है तथा भारत उन सभी लोगों की सहायता करना चाहता है जो स्वाधीनता चाहते हैं। सभी जगह आशा की किरण बनकर जाना ही इस झंडे का संदेश होगा।

“हमने अपने झंडे के ऐसे रंग-रूप के बारे में विचार किया है जो देखने में सुंदर है। हमने एक ऐसे झंडे के बारे में सोचा जो अपने संयोजन में और अपने अलग-अलग हिस्सों में भी, किसी न किसी तरह देश की आत्मा, परम्परा और उन मिली-जुली भावनाओं का प्रतिनिधित्व करें, जो हजारों साल से हमारी थाती रही हैं। इसीलिए हमने इस झंडे का विचार किया। हो सकता है कि आपको लगे कि मैं थोड़ा पक्षपाती हूँ जब यह कहूँ कि यह झंडा न केवल कलात्मक दृष्टि से देखने में बहुत सुंदर वस्तुओं का प्रतीक बन गया है, यह उन सभी सुंदर भावनाओं और विचारों का भी प्रतीक है जो व्यक्ति के साथ-साथ राष्ट्र के जीवन को मूल्यवान बनाती हैं, क्योंकि कोई भी राष्ट्र केवल भौतिक वस्तुओं के सहारे नहीं जीता भले ही वे कितनी महत्वपूर्ण क्यों न हों।”

प्रस्ताव का समर्थन करते हुए डाक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा- “ध्वज अतीत और वर्तमान को जोड़ता है। यह हमारे लिए हमारी स्वतंत्रता के रचनाकारों की एक मूल्यवान विरासत है। जिन लोगों ने इस झंडे तले देश के लिए लड़ा वे ही भारत की स्वतंत्रता के उदय के महान दिन के श्रेय के भागी हैं। कठिन दिनों में यह हम पर निर्भर करता है कि हम किस झंडे के नीचे संघर्ष करते हैं। झंडे के बीच में हमने सफेद रंग रखा है जो सूर्य की किरणों की सफेदी है। सफेद का अर्थ है हमारा पथ प्रकाशवान हो और हमारा आचरण, आदर्श प्रकाश द्वारा नियंत्रित हो। सत्य का प्रकाश और पारदर्शी सादगी भी सफेद रंग से प्रतिबिंबित होती है।

“धर्म और नीति के पथ पर चलने से ही सत्य की प्राप्ति हो सकती है। जो लोग इस झंडे के तले काम करते हैं, सत्य और धर्म ही उन्हें नियंत्रित करने वाले सिद्धांत होने चाहिए।

यह ध्वज हमें यह भी बताता है कि धर्म एक ऐसी चीज है जो सदा गतिशील रहती है। यह चक्र जो सदैव घूमता रहता है, हमें यह भी बताता है कि ठहराव में ही मृत्यु है। चलते रहना ही जीवन है। इसलिये, हमारी सामाजिक स्थितियों के अनुसार भी, हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम आगे बढ़ें। भगवा या केसरिया रंग त्याग की भावना को दर्शाता है। कहा गया है *सर्वत्यागे राजधर्मेषु दृष्टारजधर्म* में सभी प्रकार के त्याग निहित हैं। दार्शनिकों को राजा होना होगा। हमारे नेताओं में कोई लगाव नहीं होना चाहिए। उन्हें एक समर्पित आत्मा के रूप में काम करना होगा। उन्हें इस भगवा रंग से प्रेरणा लेकर त्याग की भावना अपनानी होगी जो हमें प्राचीन इतिहास से अपने सीखने को मिली है।

यह उस सच्चाई को मानता है कि संसार धनी और संपन्न लोगों के लिये नहीं हैं, बल्कि यह विनम्र, विनीत, समर्पित और त्यागी लोगों के लिये है। अपरिग्रह और त्याग की यही भावना भगवा रंग में परिलक्षित होती है। महात्मा गांधी ने इसे अपने जीवनकाल में ही हमारे जीवन में उतार दिया है और कांग्रेस ने उनके मार्गदर्शन में उनके इसी संदेश के साथ काम किया है। अगर इन कठिनाई भरे दिनों में हमने त्याग की भावना को नहीं अपनाया, तो हम फिर पराधीन हो जाएंगे।

“हरा रंग, धरती के साथ हमारे संबंध का परिचायक है। वनस्पतियों के साथ हमारे संबंध पर ही जीवन निर्भर करता है। हमे अपना स्वर्ग इसी हरी धरती पर बनाना होगा। यदि हमें इस उपक्रम में सफल होना है तो हमें सत्य। अर्थात् सफेद का मार्ग चाहिए, धर्म (चक्र) को अपनाना होगा और भगवा रंग के त्याग और आत्मनियंत्रण के उपायों को अंगीकार करना होगा।

“यह झंडा हमें बताता है, सदैव सतर्क रहो सदैव गतिवान रहो, आगे बढ़ो तथा एक ऐसे स्वतंत्र, लचीले, दयालु, सुंदर और लोकतांत्रिक समाज के लिए काम करो जिसमें, ईसाई, सिख, मुसलमान, हिंदू और बौद्ध सभी सुरक्षित महसूस करें।”



संविधान सभा में बहस का समापन करते हुए श्रीमती सरोजिनी नायडू (बिहार : साधारण) ने कहा - “मैं सोचती हूँ कि जवाहर लाल नेहरू का भाषण, सौंदर्य, सम्मान और औचित्य के अपने गुणों के आधार पर एक महाकाव्य जैसा तो था ही, वह इस सदन की आशाओं, भावनाओं, आकांक्षाओं और आदर्शों की अभिव्यक्ति में भी पर्याप्त समक्ष था। इसलिए मैं नया जन्म लेने वाली एक ऐसी प्राचीन मां (भारत माता) की ओर से बोलूंगी, जो अपने बच्चों से समान रूप से प्यार करती है, चाहे वे किसी भी कोने से आए हों, किसी भी मंदिर या मस्जिद में उपासना करते हों, कोई भी भाषा बोलते हों या किसी भी संस्कृति को मानते हों। आज मैं सभी लोगों से आग्रह करूंगी कि वे इस ध्वज को, अशोक चक्र को सम्मान दें। अशोक महान ने भाईचारे और सहयोग के आधुनिक आदर्शों का संदेश हमें दिया है। क्या यह चक्र हमारे समक्ष सभी राष्ट्रीय हितों और राष्ट्रीय गतिविधियों का प्रतीक बनकर नहीं खड़ा है? क्या यह हमारे परमप्रिय और प्रख्यात नेता महात्मा गांधी और उस समयचक्र का बोध नहीं कराता जो चलता ही रहता है, निरंतर, बिना रुके, बिना थके?

“क्या यह सूर्य की किरणों का प्रतिनिधित्व नहीं करता? क्या यह अनन्त और सनातन होने का बोध नहीं कराता? क्या यह मानव मस्तिष्क

का प्रतिनिधि नहीं है? समूचे भारत की सोचे बिना कौन इस झंडे के नीचे रह सकता है? इसके कार्यों को कौन सीमा में बांधेगा? इसकी विरासत की सीमा कौन तय करेगा? यह किसका है? यह भारत का है। समूचे भारत का। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हमें बताया है कि भारत ने कभी भेदभाव नहीं किया। मेरे मन में आया कि उन्होंने यह भी कहा होता कि ‘भारत मित्र और शत्रु, दोनों से प्राप्त ज्ञान का स्वागत करता है। क्या इसने ऐसा किया नहीं है? क्या विश्वभर की संस्कृतियों ने इसके सांस्कृतिक सागर को समृद्ध नहीं बनाया है? क्या इस्लाम भारत में लोकतांत्रिक भाईचारे का आदर्श लेकर नहीं आया? क्या पारसी लोग अपने दृढ़ साहस की भावना साथ नहीं लाए? वे लोग ईरान छोड़ते समय अपने पारसी मंदिर से जलती हुई लकड़ी के जो टुकड़ा साथ लेकर आए थे, उसकी ज्वाला, हजारों वर्षों बाद अभी तक बुझी नहीं है। क्या ईसाइयों ने गरीबों की सेवा का पाठ हमें नहीं पढ़ाया? और क्या पुरातन हिंदू मत ने हमें *वसुधैव कुटुम्बकम्* की शिक्षा नहीं दी और क्या इसने हमें यह नहीं सिखाया कि इंसानियत का हमारा अपना नजरिया ही काफी नहीं बल्कि हमें इंसानियत को उसके ‘सार्वभौमिक मानकों के मुताबिक परखना होगा?

“मेरे अनेक मित्रों ने इस ध्वज के बारे में जो कुछ कहा है वह उनके हृदय से उतरी कविता जैसी है। एक कवयित्री और एक महिला होने के नाते मैं जब यह कहूंगी कि इस झंडे के अधीन न तो कोई राजा है और न ही कोई इंसान, न ही कोई अमीर और न कोई गरीब, तो मैं अपनी बात सीधे-सीधे गद्य में कह रही हूँ। किसी को कोई विशेष अधिकार नहीं है। केवल कर्तव्य, उत्तरदायित्व और बलिदान की भावनायें हैं। हम भले हिंदू हों, मुसलमान हों या फिर ईसाई, जैन, सिख या पारसी अथवा अन्य मतों के मानने वाले हों, हमारी भारत माता का एक ही दिल है, जो बंटा हुआ नहीं है, उसकी आत्मा अविभाज्य है। नया जन्म लेने वाले भारत के नर-नारियों उठो और इस ध्वज को सलाम करो।”

दलित वर्गों, आदिवासियों और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के निम्नलिखित सदस्यों ने तिरंगे और राष्ट्र के प्रति अपनी पूर्ण वफादारी का परिचय देते हुए अपनी भावनाएं व्यक्त की और पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत संकल्प का समर्थन किया :

श्री हरि विष्णुकामथ (सी.पी. और बरार : साधारण), डा. पी.एस. देखमुख (सी.पी. और बरार : साधारण), चौधरी खलीकुज्जमां (संयुक्त प्रांत : मुसलिम) श्री फ्रैंक आर. एंटनी (सी.पी. और बरार : साधारण), श्री वी.आई. मुनिस्वामी पिल्लै (मद्रास : साधारण), सैयद मोहम्मद सादुल्ला (असम : मुसलिम), श्री जयपाल सिंह (बिहार : मुसलिम), श्री जयपाल सिंह (बिहार : साधारण), ज्ञानी गुरमुख सिंह मुसाफिर (पूर्वपंजाब : सिख), श्री बालकृष्ण शर्मा, पंडित गोविन्द मालवीय, डा. मोहन सिंह मेहतार, डा. जोसेफ अलबान डिसूजा (बंबई : साधारण), रेव जेराम डिसूजा (मद्रास : साधारण) श्री एच. जे. खांडेकर (सी.पी. और बरार), श्री जयनारायण व्यास (जोधपुर राज्य), डा. एच.सी. मुखर्जी (पश्चिम बंगाल: साधारण)। छह अन्य लोगों ने भी अपने विचार व्यक्त किए।

राष्ट्रीय ध्वज और संविधान सभा का विशेष सत्र

संविधान सभा का विशेष सत्र 14 अगस्त की रात पौने ग्यारह बजे सभाभवन में हुआ, जिसमें भारी हर्षध्वनि और जयजयकार के बीच निम्नलिखित प्रस्ताव डा. राजेन्द्र प्रसाद ने प्रस्तुत किया:

“मैं प्रस्ताव करता हूँ कि महामहिम वायसराय को यह सूचित किया जाए कि संविधान सभा ने भारत सरकार की शक्तियां ग्रहण कर ली हैं और भारत की संविधान सभा ने इस सिफारिश को अनुमोदित कर दिया है कि लार्ड माउंट बेटन 15 अगस्त, 1947 से भारत के गवर्नर जनरल होंगे और यह संदेश, सभापति और पंडित नेहरू तुरंत लार्ड माउंट बेटन को पहुंचा दें।”

सदन ने हर्षध्वनि के साथ प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया। डा. राजेन्द्र प्रसाद को राष्ट्रीय ध्वज सौंपते हुए श्रीमती हंसा मेहता ने कहा कि यह उचित ही होगा कि इस महान सदन पर फहराने वाला पहला ध्वज एक महिला द्वारा दिया गया हो।

डा. प्रसाद ने चारों ओर घूमकर इसे सबको दिखाया। डा. इकबाल की लिखी कविता ‘हिंदुस्तान हमारा’ और रवीन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित ‘जन-गण-मन अधिनायक’ के सामूहिक गान के साथ सभा की कार्यवाही संपन्न हो गई। समूहगान का नेतृत्व डा. सुचेता कृपलानी ने किया।

स्वतंत्रता का उदय

“पृथ्वीराज (चौहान) की प्राचीन राजधानी (दिल्ली) में सुनहरे और गुलाबी रंग की आभा बिखरते उदय होने वाले स्वतंत्र भारत के ऐ पहले प्रभात! शाहजहां के लाल किले पर कल सुबह फहराए जाने वाले नवजात भारत के ऐ प्रतापी ध्वज! हम समर्पित भाव और सच्चे दिल से करबद्ध होकर तुम्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, और दासता की कालकोठरी में प्रेरित करने वाले साझे सपनों को यशस्वी कार्यों में बदलने की हम प्रतिज्ञा करते हैं।”

श्रीमती सरोजिनी नायडू

अगस्त 14-15-1947

गांधी जी के चेहरे पर झलकी खुशी

कलकत्ता में 15 अगस्त हार्दिक प्रसन्नता और त्याग की भावना के साथ मनाया गया। महात्मा गांधी ने वह ऐतिहासिक रात वहीं बिताने का निर्णय लिया था। गांधी जी को जब समाचार दिया गया, उनके चेहरे पर मुस्कान चमक उठी।

शाहजहां के ऐतिहासिक लालकिले पर राष्ट्रीय ध्वजारोहण समारोह 16 अगस्त, 1947 को सुबह-सुबह होना था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लालनेहरू ने करीब 10 लाख लोगों की मौजूदगी में 16 अगस्त, 1947 को राष्ट्रीय तिरंगा फहराया। वाह! क्या ऐतिहासिक क्षण था वह।

ध्वज के सम्मान में

16 अगस्त, 1947 को लालकिले पर

राष्ट्रीय झंडा फहराते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने भाषण में कहा:

“हम सब इस प्राचीन किले पर इस ऐतिहासिक अवसर पर एकत्र हुए हैं, वह सब वापस हासिल करने के लिये, जो हमारा था। यह झंडा कुछ व्यक्तियों या कांग्रेस की विजय का प्रतीक नहीं है, बल्कि समूचे देश की विजय का प्रतीक है। यह ध्वज न केवल भारत के लिए बल्कि समस्त विश्व के लिए स्वतंत्रता और लोकतंत्र का प्रतीक है। भारत ही नहीं पूरे एशिया को और सारी दुनिया को इस महान दिवस पर खुश होना चाहिए। ...आपको सब पता है कि पिछले 27 वर्षों के दौरान, जब हम संघर्ष कर रहे थे और इस झंडे के नीचे कुर्बानियां दे रहे थे, हम पर क्या बीती है... याद रखने वाली बात यह है कि हमने शपथ ली थी कि हम इस झंडे के सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर देंगे, और कुछ भी हो जाए इसे कभी भी नीचा नहीं देखने देंगे। वह प्रतिज्ञा पूरी हो गई है। देश ने महात्मा गांधी के शानदार नेतृत्व और मार्गदर्शन में आजादी हासिल कर ली है।

“आज के दिन हमें उन लोगों को याद करना चाहिए जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए तकलीफें सहनीं और कुर्बानियां दीं। सबके नाम लेना जरूरी नहीं है, लेकिन इस मौके पर मैं सुभाष चंद्र बोस का नाम लिए बगैर नहीं रह सकता, जिन्होंने विदेश में आजाद हिंद फौज का गठन किया और देश की आजादी के लिए बड़ी बहादुरी से लड़े। उन्होंने यह झंडा विदेशों में फहराया। और, आज जब लालकिले पर इसे फहराने का दिन आया तो अपना सपना साकार होता देखने के लिए वे हमारे बीच नहीं हैं।

“जो लोग इस झंडे के प्रति निष्ठा रखते हैं, उन्हें नागरिकता के समान अधिकार मिलेंगे, भले ही वे किसी भी जाति या संप्रदाय के हों हमारे सशस्त्र बल, देश के लिए गौरव के स्रोत हैं। वे अब इसी राष्ट्र के हैं। यह हमारा कर्तव्य होगा कि हम इस राष्ट्र की और उसके झंडे के सम्मान की रक्षा करें।” □

(लेखक कवि एवं स्वतंत्र रचनाकार हैं)

Complete Solution
for the revised
Course in

GS

सामान्य अध्ययन

(हिन्दी माध्यम)

FOUNDATION 2006

ALS

STALWARTS COMBINE TO FORM THE BEST EVER TEAM IN GS (हिन्दी)

2006 की परीक्षा हेतु विशेष रूप से तैयार की गयी
Prelim-cum-Main GS Foundation Package

1 अगस्त 2005
एवं

22 अगस्त 2005 से प्रारंभ होगी

कुल सीट-75, कोर्स की अवधि: 5 महीने

GS FOUNDATION 2006 के लिए

हमारी योजना

- 500+ घंटे का क्लासरूम प्रशिक्षण • पूर्णतः संशोधित व अद्यतन अध्ययन सामग्री • दैनिक उत्तर लेखन अभ्यास • 20 Tests (Prelims), 15 Test (Main)
- समसामयिकी को तैयारी हेतु समूह विवज • सप्ताह में तीन अतिरिक्त Tutorial Class (Doubt Clearing Sessions).
- निबन्ध हेतु अलग से कक्षाएं व परीक्षण
- विशेषज्ञों की उपस्थिति में समूह परिचर्चा • अनिवार्य अंग्रेजी प्रशिक्षण कार्यक्रम

GS Programme Director Manoj K Singh
(Managing Director - ALS, Interactions,
MIPS Education, ISGS, NIDL, Competition Wizard)

GS POSTAL PROGRAMME

GS मुख्य परीक्षा 2006 व GS Foundation
2006-07 हेतु सामान्य अध्ययन कोर्स सामग्री उपलब्ध है।
GS मुख्य परीक्षा हेतु Rs 1500, प्रारंभिक +
मुख्य हेतु 2500 रु. का DD 'NIDL'
(A division of ALS) के नाम भेजें।

IAS Study Circle
interactions
Shaping dreams into success

हमारी GS Team

इतिहास व संस्कृति

Under expert guidance of Manoj K Singh & A Jha

भूगोल, पर्यावरण संबंधी मुद्दे एवं निबंध

Under expert guidance of Shashank Atom

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी/सांख्यिकी

Under expert guidance of Jojo Mathews

भारतीय राजव्यवस्था

Under expert guidance of Dr B.L. Fadia

(Former Head, Department of Political Science, Jodhpur;

100 से भी अधिक पुस्तकों के लेखक एवं 36 वर्षों का अनुभव प्राप्त),
Dr Manoj Somvanshi (Director, Somvanshi's IAS, Bhopal) & C Singh

भारतीय अर्थव्यवस्था

P K Jha (सिविल सेवा परीक्षा में चयनित)

सामाजिक मुद्दे

A Jha & Dr S P Jha

सामान्य विज्ञान व मानसिक योग्यता

ए. के. सिंह, विजय कुमार एवं शशि शेखर

समसामयिकी

A Panel of Experts

Foundation Batch Begins:
01 August 2005 & 22 August 2005
Admission Opens

Corporate Office: Alternative Learning Systems (P) LTD, B-19, ALS House, Near UTI ATM,
Dr Mukherjee Nagar, Delhi-9. Ph: 27651700, 27651110, 27652738. Cell: 9810312454, 9810269612

Divisions of ALS

ALS

Alternative
Learning
Systems

IAS Study Circle
interactions
Shaping dreams into success

MIPS
EDUCATION

NIDL

Competition
WIZARD

ISGS
Indian School of General Studies

YH/8/5/09

जम्मू-कश्मीर में निवेश के अवसर

जम्मू-कश्मीर में निवेश के अवसर शृंखला के अंतर्गत यह पहला लेख है। यह लेख पंजाब, हरियाणा, दिल्ली वाणिज्य और उद्योग मंडल (पीएचडीसीसीआई) और जम्मू-कश्मीर सरकार के साथ मिलकर आयोजित 'भागीदारी शताब्दी सम्मेलन' के लिए यस बैंक द्वारा तैयार दस्तावेज पर आधारित है। यह दस्तावेज राज्य के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने श्रीनगर में हाल में आयोजित भागीदारी सम्मेलन में जारी किया

अप्रैल 2005 में श्रीनगर और मुजफ्फराबाद के बीच बस सेवा की फिर से शुरुआत के बाद नियंत्रण रेखा के दोनों ओर बसे लोगों को 1947 में हुए भारत के विभाजन के बाद से पहली बार मिलने का अवसर मिला है। इसे भारत और पाकिस्तान की ओर से कश्मीर में शांति-प्रक्रिया और दोनों देशों के बीच तनाव कम करने के ताजा प्रयासों के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि दोनों देशों के बीच संबंध सुधारने की दिशा में उठाए गए पहले कदम के रूप में इसे स्वीकार किया जा रहा है, परंतु इसके बाद दोनों देशों की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति प्रभावित

करने के लिए कई प्रकार के राजनीतिक उपायों की जरूरत है। बस सेवा की शुरुआत के बाद नियंत्रण रेखा के दोनों ओर ट्रकों की आवाजाही की अनुमति का भी प्रस्ताव किया गया है। इससे कश्मीर के दोनों हिस्सों के बीच व्यापारिक और आर्थिक गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। इस दस्तावेज में सार्वजनिक-निजी भागीदारी के द्वारा परियोजनाओं के समन्वित विकास के रूप में इसका वर्णन किया गया है। इसके लिए

कच्चे माल की आपूर्ति और वस्तुओं का आंशिक और पूर्ण प्रसंस्करण जरूरी होगा और दोनों पक्षों की ओर से सहयोगात्मक रवैया भी। इससे नियंत्रण रेखा के आर-पार कश्मीर के दोनों भागों के बीच व्यापारिक संपर्क बढ़ेगा। इससे प्रौद्योगिकी और कौशल के आदान-प्रदान की भी संभावना है।

इससे भी आगे, सीमा खुल जाने से भारत के उ त्तरी राज्यों, विशेषकर जम्मू-कश्मीर की मध्य एशियाई बाजारों तक और भी बेहतर पहुंच कायम होगी। इससे बुनियादी और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में संयुक्त उपक्रम भी स्थापित किए जा सकते हैं जो दोनों देशों के

लिए लाभदायक साबित होंगे। राज्य की जलवायु की स्थिति के साथ सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित उद्योग की ज्ञान-आधारित विशेषता को मिलाकर जम्मू-कश्मीर के संदर्भ में निवेश की संभावना तैयार होती है। इसके बाद इस क्षेत्र में मौजूद पर्याप्त जल संसाधनों के इस्तेमाल से दोनों ओर के कश्मीर संयुक्त रूप से बिजली पैदा करके उसका वितरण भी कर सकते हैं। इसके परिणामस्वरूप ऊर्जा संबंधी जरूरतों की पूर्ति होगी। इसके अतिरिक्त दोनों पक्षों को हिमालयी क्षेत्र में संयुक्त पर्यटन के माध्यम से भी काफी लाभ मिल सकता है।



विकास के लिए निवेश की कुंजी

यथासाध्य विकास और आर्थिक उन्नति काफी हद तक निवेश पर निर्भर है। इसके बिना रोजगार सृजन, उत्पादकता वृद्धि और आय वृद्धि संभव नहीं है। जम्मू-कश्मीर के मामले में भी निवेश जरूरी है और आर्थिक उन्नति की प्रक्रिया को जारी रखने के लिए इसकी शुरुआत की जा चुकी है।

सरकार की ओर से घरेलू और बाहरी दोनों ओर से निवेश को आकर्षित करके सामाजिक-

आर्थिक विकास के लिए वातावरण तैयार करने पर जोर दिया गया है। सरकार ने 'हीलिंग टच' के दर्शन के अंतर्गत बिजली की स्थिति में सुधार लाने, विकास और आर्थिक गतिविधियां तेज करने और भवन विकास सुविधाओं से संबंधित मुद्दे का समाधान किया है। इन सबसे निवेशक आकर्षित होंगे और निवेश बढ़ेगा। इनसे संबंधित प्रमुख मुद्दों का औद्योगिक नीति, 2004 के अंतर्गत समाधान किया गया है। इससे औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। वर्ष 2015 में इसकी समीक्षा की जाएगी।

जम्मू-कश्मीर के कई क्षेत्रों में निवेश की अच्छी संभावना है। सकल घरेलू उत्पाद और रोजगार क्षमता में इसके योगदान के आधार पर इसकी पुष्टि हुई है।

जम्मू-कश्मीर की उन्नति और इसके विकास के संदर्भ में कई प्रकार के व्यावसायिक हितों से जुड़े होने के कारण यह पर्यटन के सबसे पुराने और सबसे अधिक सफल क्षेत्रों में से एक है। हथियारबंद हिंसक घटनाओं के कारण पिछले 14 वर्षों के दौरान पर्यटन उद्योग को काफी नुकसान हुआ है और हाल में हुए परिवर्तन के परिणामस्वरूप स्थिति में सुधार हुआ है। अब राज्य में पिछले 15 वर्षों की तुलना में अधिकतम संख्या में पर्यटकों का आगमन हो रहा है। इस क्षेत्र में राजस्व की संभावना को स्वीकार करते हुए सरकार ने इसे उद्योग का दर्जा दिया है और इसके पुनर्जीवन के लिए अनेक प्रयास किए हैं।

जम्मू-कश्मीर पर्यावरण-पर्यटन की विशेषता वाला एक संपूर्ण राज्य है और पर्यटन विकास योजना में इसका प्रयोग होना चाहिए। इस राज्य के लिए यथासाध्य पर्यावरण-पर्यटन की तरफ कदम बढ़ाना जरूरी है। सुरक्षा और विकास के मुद्दे के समाधान के साथ ही इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास पर भी पूरा ध्यान देना जरूरी है। इसे ध्यान में रखते हुए बुनियादी

और अन्य संबंधित परियोजनाओं के विकास के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी का सुझाव दिया गया है।

फिलहाल आर्थिक लाभ और औद्योगीकरण को वास्तविक रूप में परिणत करने के लिए बिजली उत्पादन की समस्या का हल निकालना काफी महत्वपूर्ण है। जम्मू-कश्मीर के पास पर्याप्त जल संसाधन उपलब्ध हैं और यहां 20,000 मेगावाट पनबिजली की अनुमानित संभावना है। इनमें से अब तक 10 प्रतिशत से भी कम का इस्तेमाल किया गया है और अब राज्य में शेष जल संसाधनों को इस्तेमाल में लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस काम में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से एक नई नीति की घोषणा की गई है और



इसके अंतर्गत 68 मेगावाट क्षमता वाली 12 छोटी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, जम्मू-कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम ने 11.22 मेगावाट क्षमता वाली नौ छोटी पनबिजली परियोजनाओं का काम हाथ में लिया है। इस क्षेत्र में काफी संभावनाएं हैं और उपयुक्त निवेश के माध्यम से इनका लाभ उठाया जा सकता है।

इस राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि का प्रमुख योगदान है। कृषि और इससे जुड़ी गतिविधियों से लगभग 80 प्रतिशत आबादी को सहारा मिलता है। 70 प्रतिशत श्रमिकों को रोजगार मिलने के साथ-साथ राज्य की अर्थव्यवस्था में इसका 60 प्रतिशत योगदान

है। इस क्षेत्र में बागवानी की महत्वपूर्ण भूमिका है क्योंकि इसके माध्यम से प्रतिवर्ष लगभग 50 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया जाता है इस काम में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हजारों लोगों को रोजगार मिला हुआ है। इसलिए यह कहना उचित है कि इस क्षेत्र के विकास पर आर्थिक विकास काफी हद तक निर्भर है। इसे ध्यान में रखकर सरकार ने बागवानी को शीर्ष प्राथमिकता दी है। हालांकि कृषि से जुड़े प्राथमिक उत्पादों के मूल्य-संवर्धन के लिए कृषि व्यवसाय परियोजनाओं का समन्वित विकास जरूरी है और इसे प्राथमिकता मिलना चाहिए। सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से इन परियोजनाओं का विकास किया जा सकता है।

एक अन्य क्षेत्र सूचना प्रौद्योगिकी है जहां काफी निवेश हो सकता है इसे नवोदित क्षेत्र के रूप में मान्यता दी गई है। इस उद्योग के विकास और उन्नति की यहां काफी संभावनाएं हैं जम्मू-कश्मीर की अवस्थिति और भू-जलवायु की स्थिति इसके लिए आदर्श साबित होता है। इसके अतिरिक्त यह उद्योग मुख्य रूप से ज्ञान पर आधारित है और राज्य के शिक्षित बेरोजगार इसमें रोजगार पा सकते हैं। सॉफ्टवेयर इकाई की स्थापना से जुड़ी लागत भी अपेक्षाकृत

कम है। इस क्षेत्र के विकास के लिए निर्बाध बिजली, हाई स्पीड इंटरनेट, ब्रॉडबैंड और सूचना-प्रौद्योगिकी संपर्क, स्थानीय युवाओं के प्रशिक्षण और विकास की सुविधाएं और भविष्य में इस उद्योग के विकास के लिए सकारात्मक वातावरण की आवश्यकता है इनमें से कुछ समस्याओं का समाधान सूचना प्रौद्योगिकी नीति, 2004 में किया गया है। इस क्षेत्र में निवेश के लिए कई प्रकार के फायदों का प्रस्ताव किया गया है। इससे भी आ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्कों और निजी क्षेत्र की भागीदारी के संदर्भ में मानव संसाधन विकास और सूचना प्रौद्योगिकी सुविधाओं की स्थापना के लिए प्रयास जारी हैं।

जम्मू-कश्मीर में निवेश के अवसर

जम्मू-कश्मीर में निवेश के अवसर शृंखला के अंतर्गत यह पहला लेख है। यह लेख पंजाब, हरियाणा, दिल्ली वाणिज्य और उद्योग मंडल (पीएचडीसीसीआई) और जम्मू-कश्मीर सरकार के साथ मिलकर आयोजित 'भागीदारी शताब्दी सम्मेलन' के लिए यस बैंक द्वारा तैयार दस्तावेज पर आधारित है। यह दस्तावेज राज्य के मुख्यमंत्री मुफती मोहम्मद सईद ने श्रीनगर में हाल में आयोजित भागीदारी सम्मेलन में जारी किया

अप्रैल 2005 में श्रीनगर और मुजफ्फराबाद के बीच बस सेवा की फिर से शुरुआत के बाद नियंत्रण रेखा के दोनों ओर बसे लोगों को 1947 में हुए भारत के विभाजन के बाद से पहली बार मिलने का अवसर मिला है। इसे भारत और पाकिस्तान की ओर से कश्मीर में शांति-प्रक्रिया और दोनों देशों के बीच तनाव कम करने के ताजा प्रयासों के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि दोनों देशों के बीच संबंध सुधारने की दिशा में उठाए गए पहले कदम के रूप में इसे स्वीकार किया जा रहा है, परंतु इसके बाद दोनों देशों की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति प्रभावित करने के लिए कई प्रकार के राजनीतिक उपायों की जरूरत है।

बस सेवा की शुरुआत के बाद नियंत्रण रेखा के दोनों ओर टूकों की आवाजाही की अनुमति का भी प्रस्ताव किया गया है। इससे कश्मीर के दोनों हिस्सों के बीच व्यापारिक और आर्थिक गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। इस दस्तावेज में सार्वजनिक-निजी भागीदारी के द्वारा परियोजनाओं के समन्वित विकास के रूप में इसका वर्णन किया गया है। इसके लिए

कच्चे माल की आपूर्ति और वस्तुओं का आंशिक और पूर्ण प्रसंस्करण जरूरी होगा और दोनों पक्षों की ओर से सहयोगात्मक रवैया भी। इससे नियंत्रण रेखा के आर-पार कश्मीर के दोनों भागों के बीच व्यापारिक संपर्क बढ़ेगा। इससे प्रौद्योगिकी और कौशल के आदान-प्रदान को भी संभावना है।

इससे भी आगे, सीमा खुल जाने से भारत के उ त्पत्ती राज्यों, विशेषकर जम्मू-कश्मीर की मध्य एशियाई बाजारों तक और भी बेहतर पहुंच कायम होगी। इससे बुनियादी और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में संयुक्त उपक्रम भी स्थापित किए जा सकते हैं जो दोनों देशों के

लिए लाभदायक साबित होंगे। राज्य की जलवायु की स्थिति के साथ सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित उद्योग की ज्ञान-आधारित विशेषता को मिलाकर जम्मू-कश्मीर के संदर्भ में निवेश की संभावना तैयार होती है। इसके बाद इस क्षेत्र में मौजूद पर्याप्त जल संसाधनों के इस्तेमाल से दोनों ओर के कश्मीर संयुक्त रूप से बिजली पैदा करके उसका वितरण भी कर सकते हैं। इसके परिणामस्वरूप ऊर्जा संबंधी जरूरतों की पूर्ति होगी। इसके अतिरिक्त दोनों पक्षों को हिमालयी क्षेत्र में संयुक्त पर्यटन के माध्यम से भी काफी लाभ मिल सकता है।



विकास के लिए निवेश की कुंजी
यथासाध्य विकास और आर्थिक उन्नति काफी हद तक निवेश पर निर्भर है। इसके बिना रोजगार सृजन, उत्पादकता वृद्धि और आय वृद्धि संभव नहीं है। जम्मू-कश्मीर के मामले में भी निवेश जरूरी है और आर्थिक उन्नति की प्रक्रिया को जारी रखने के लिए इसकी शुरुआत की जा चुकी है।

सरकार की ओर से घरेलू और बाहरी दोनों ओर से निवेश को आकर्षित करके सामाजिक-

आर्थिक विकास के लिए वातावरण तैयार करने पर जोर दिया गया है। सरकार ने 'हीलिंग टच' के दर्शन के अंतर्गत बिजली की स्थिति में सुधार लाने, विकास और आर्थिक गतिविधियां तेज करने और भवन विकास सुविधाओं से संबंधित मुद्दे का समाधान किया है। इन सबसे निवेशक आकर्षित होंगे और निवेश बढ़ेगा। इनसे संबंधित प्रमुख मुद्दों का औद्योगिक नीति, 2004 के अंतर्गत समाधान किया गया है। इससे औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। वर्ष 2015 में इसकी समीक्षा की जाएगी।

जम्मू-कश्मीर के कई क्षेत्रों में निवेश की अच्छी संभावना है। सकल घरेलू उत्पाद और रोजगार क्षमता में इसके योगदान के आधार पर इसकी पुष्टि हुई है।

जम्मू-कश्मीर की उन्नति और इसके विकास के संदर्भ में कई प्रकार के व्यावसायिक हितों से जुड़े होने के कारण यह पर्यटन के सबसे पुराने और सबसे अधिक सफल क्षेत्रों में से एक है। हथियारबंद हिंसक घटनाओं के कारण पिछले 14 वर्षों के दौरान पर्यटन उद्योग को काफी नुकसान हुआ है और हाल में हुए परिवर्तन के परिणामस्वरूप स्थिति में सुधार हुआ है। अब राज्य में पिछले 15 वर्षों की तुलना में अधिकतम

संख्या में पर्यटकों का आगमन हो रहा है। इस क्षेत्र में राजस्व की संभावना को स्वीकार करते हुए सरकार ने इसे उद्योग का दर्जा दिया है और इसके पुनर्जीवन के लिए अनेक प्रयास किए हैं।

जम्मू-कश्मीर पर्यावरण-पर्यटन की विशेषता वाला एक संपूर्ण राज्य है और पर्यटन विकास योजना में इसका प्रयोग होना चाहिए। इस राज्य के लिए यथासाध्य पर्यावरण-पर्यटन की तरफ कदम बढ़ाना जरूरी है। सुरक्षा और विकास के मुद्दे के समाधान के साथ ही इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास पर भी पूरा ध्यान देना जरूरी है। इसे ध्यान में रखते हुए बुनियादी

और अन्य संबंधित परियोजनाओं के विकास के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी का सुझाव दिया गया है।

फिलहाल आर्थिक लाभ और औद्योगीकरण को वास्तविक रूप में परिणत करने के लिए बिजली उत्पादन की समस्या का हल निकालना काफी महत्वपूर्ण है। जम्मू-कश्मीर के पास पर्याप्त जल संसाधन उपलब्ध हैं और यहां 20,000 मेगावाट पनबिजली की अनुमानित संभावना है। इनमें से अब तक 10 प्रतिशत से भी कम का इस्तेमाल किया गया है और अब राज्य में शेष जल संसाधनों को इस्तेमाल में लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस काम में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से एक नई नीति की घोषणा की गई है और



इसके अंतर्गत 68 मेगावाट क्षमता वाली 12 छोटी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, जम्मू-कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम ने 11.22 मेगावाट क्षमता वाली नौ छोटी पनबिजली परियोजनाओं का काम हाथ में लिया है। इस क्षेत्र में काफी संभावनाएं हैं और उपयुक्त निवेश के माध्यम से इनका लाभ उठाया जा सकता है।

इस राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि का प्रमुख योगदान है। कृषि और इससे जुड़ी गतिविधियों से लगभग 80 प्रतिशत आबादी को सहारा मिलता है। 70 प्रतिशत श्रमिकों को रोजगार मिलने के साथ-साथ राज्य की अर्थव्यवस्था में इसका 60 प्रतिशत योगदान

है। इस क्षेत्र में बागवानी की महत्वपूर्ण भूमिका है क्योंकि इसके माध्यम से प्रतिवर्ष लगभग 50 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया जाता है इस काम में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हजारों लोगों को रोजगार मिला हुआ है। इसलिए यह कहना उचित है कि इस क्षेत्र के विकास पर आर्थिक विकास काफी हद तक निर्भर है। इसे ध्यान में रखकर सरकार ने बागवानी को शीर्ष प्राथमिकता दी है। हालांकि कृषि से जुड़े प्राथमिक उत्पादों के मूल्य-संवर्धन के लिए कृषि व्यवसाय परियोजनाओं का समन्वित विकास जरूरी है और इसे प्राथमिकता मिलना चाहिए। सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से इन परियोजनाओं का विकास किया जा सकता है।

एक अन्य क्षेत्र सूचना प्रौद्योगिकी है जहां काफी निवेश हो सकता है। इसे नवोदित क्षेत्र के रूप में मान्यता दी गई है। इस उद्योग के विकास और उन्नति की यहां काफी संभावनाएं हैं। जम्मू-कश्मीर की अवस्थिति और भू-जलवायु की स्थिति इसके लिए आदर्श साबित होता है। इसके अतिरिक्त यह उद्योग मुख्य रूप से ज्ञान पर आधारित है और राज्य के शिक्षित बेरोजगार इसमें रोजगार पा सकते हैं। सॉफ्टवेयर इकाई की स्थापना से जुड़ी लागत भी अपेक्षाकृत कम है। इस क्षेत्र के विकास के लिए निर्बाध बिजली, हाई स्पीड इंटरनेट, ब्रॉडबैंड और सूचना-प्रौद्योगिकी संपर्क, स्थानीय युवाओं के प्रशिक्षण और विकास की सुविधाएं और भविष्य में इस उद्योग के विकास के लिए सकारात्मक वातावरण की आवश्यकता है। इनमें से कुछ समस्याओं का समाधान सूचना प्रौद्योगिकी नीति, 2004 में किया गया है। इस क्षेत्र में निवेश के लिए कई प्रकार के फायदों का प्रस्ताव किया गया है। इससे भी आगे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्कों और निजी क्षेत्र की भागीदारी के संदर्भ में मानव संसाधन विकास और सूचना प्रौद्योगिकी सुविधाओं की स्थापना के लिए प्रयास जारी हैं। □

जम्मू-कश्मीर समाचार

अमरनाथ यात्रा शुरू हुई

दो माह तक चलने वाली अमरनाथ की पवित्र गुफा की वार्षिक तीर्थयात्रा बलताल से 21 जून को आरंभ हो गई।

यात्रा के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कि लिए सेना, अर्द्धसैनिक बल और स्थानीय पुलिस के जवान क्षेत्र में गस्त लगा रहे हैं। इस वर्ष



करीब 5 लाख तीर्थयात्रियों के पवित्र गुफा के दर्शन के लिए पहुंचने की संभावना है।

● ब्रिटेन सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर यात्रा संबंधी सलाह पर नए सिरे से विचार किए जाने की संभावना है। यह आशा उस समय जगी जब विदेश मंत्री नटवर सिंह ने अपनी हाल की ब्रिटेन यात्रा के दौरान ब्रिटेन के विदेश मंत्री जैक स्ट्रा के साथ यह मुद्दा उठाया। वर्तमान में ब्रिटेन का विदेश मंत्रालय अपने नागरिकों को मनाली से लद्दाख या विमान से लेह जाने के अलावा जम्मू-कश्मीर की यात्रा करने की सलाह देता है। श्री सिंह ने पत्रकारों से कहा कि श्री स्ट्रा ने इस मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का वायदा किया है। उन्होंने कहा कि श्रीनगर, गुलमर्ग और पहलगाम जैसे आकर्षक स्थान काफी सुरक्षित हैं।

● जम्मू-कश्मीर सरकार 2007 तक सभी घरों को बिजली सुविधा-उपलब्ध कराएगी। ऊर्जा उत्पादन में स्वावलंबी बनने की सरकार की नीति के तहत 32.50 मेगावाट की कुल उत्पादन क्षमता के साथ बारामुला जिले में 10 लघु पनबिजली परियोजनाओं का निर्माण किया जा रहा है। सीमावर्ती पुंछ जिले में 132 केवी लाईन उपलब्ध कराने के लिए 84 करोड़

रुपये से अधिक की अनुमानित लागत वाले दो ग्रिड स्टेशन पुंछ के चांडक और दड़वा में स्थापित किए जाएंगे। राज्य के ऊर्जा मंत्री मोहम्मद शरीफ मिराज ने बताया कि पिछले साल के दौरान 7 नए उपकेंद्र खोले गए, एक छोटा ट्रांसफार्मर स्थापित किया गया और बर्फ से प्रभावित नौ अतिरिक्त गांवों को बिजली सुविधा उपलब्ध कराई गई।

● जम्मू जिले की वर्ष 2005-06 की वार्षिक योजना राशि 84.61 करोड़ रुपये निर्धारित की गई।

● प्रधानमंत्री की पुनर्निर्माण योजना के तहत राज्य सरकार ने सीमावर्ती कुपवाड़ा जिले में आधारभूत सुविधाओं और बिजली वितरण व्यवस्था में सुधार के वास्ते एक व्यापक परियोजना तैयार की है। ट्रांसफार्मरों की स्थापना के अलावा नए रिसीविंग और ग्रिड स्टेशनों का निर्माण किया जाएगा तथा क्षेत्र में बिजली आपूर्ति में सुधार के वास्ते 240 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

● जम्मू-कश्मीर सरकार ने राज्य में बड़ी मात्रा में औषधीय पौधों की रोपाई के लिए एक व्यापक योजना बनाई है। प्रथम चरण के तहत श्रीनगर से 30 किमी दूर गंदरबल में

औषधीय पौधों की खेती के लिए 5.56 करोड़ रुपये की 'वनस्पति वन' परियोजना शुरू की गई है। केंद्र ने इस उद्देश्य के लिए 1.50 करोड़ रुपये जारी किया है।

● केंद्र प्रधानमंत्री पुनर्निर्माण पैकेज के तहत जम्मू-कश्मीर के विभिन्न भागों में 14 और कालेज स्थापित करेगा। इनमें से 2 कालेज केवल महिलाओं के लिए होंगे। मानव संसाधन

विकास मंत्री अर्जुन सिंह ने उत्तरी क्षेत्र की प्राथमिक और प्रौढ़ शिक्षा संबंधी केंद्र प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा बैठक के बाद श्रीनगर में यह बात कही।

● जम्मू-कश्मीर के केबल कार कार्पोरेशन लिमिटेड (सीसीसीएल) ने जम्मू में 20 करोड़ रुपये की मुबारकमंडी बाग-ए-बाहु केबल कार परियोजना का कार्य शुरू करने का फैसला किया है। मुबारक मंडी (दरबार-ए-आलम) एक धरोहर है। जबकि बाग-ए-बाहु उद्यान है। कारपोरेशन ने शंकराचार्य (कश्मीर) केबल कार परियोजना से जमीन के अधिग्रहण का भी फैसला किया है।

● जम्मू-कश्मीर सरकार ने सांसद स्थानीय क्षेत्र योजना के तहत दिसंबर 1993 और मई 2008 के बीच के लिए मंजूर की गई कुल 141.50 करोड़ रुपये की राशि में से 111 करोड़ रुपये से भी अधिक विकास कार्यों में खर्च किया है। केंद्र प्रायोजित सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत कुल खर्च की गई 111.81 करोड़ रुपये की राशि में से 76.21 करोड़ रुपये लोकसभा सदस्यों ने और 35.6 करोड़ रुपये राज्यसभा के सदस्यों ने खर्च किए। □

कोई अनाथ नहीं होता-वहीदा रहमान

पूर्व मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन के पश्चात बालीवुड अभिनेत्री वहीदा रहमान ने अपना कुछ समय श्रीनगर में अनाथ बच्चों के साथ बिताया।

वे कश्मीर की निजी यात्रा पर गई थीं और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा आयोजित एक समारोह में उन्होंने अनाथों और विधवाओं को आश्रय स्थल 'राहत घर' में करीब 30 बच्चों से मुलाकात की। सुश्री रहमान ने कहा कि अनाथ छात्रों का उत्साह बढ़ाए जाने की आवश्यकता है और सभी को उनके कल्याण के लिए कुछ न कुछ अंशदान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि "सफल जीवन के लिए सबसे प्रमुख और मूल बात है अच्छी शिक्षा प्राप्त करना ताकि बेहतर रोजगार हासिल किया जा सके।"

उन्होंने छात्रों से कहा कि वे अकेला महसूस

एक सफल जीवन के लिए सबसे प्रमुख और मूल बात है अच्छी शिक्षा प्राप्त करना ताकि बेहतर रोजगार हासिल किया जा सके



न करें। उन्होंने कहा, "अपने को अनाथ न समझें... दरअसल हम सब ईश्वर की संतान हैं।"

कश्मीर के बारे में अपनी यादें ताजा करते हुए वहीदा रहमान ने बताया कि 26 साल पहले एक फिल्म की शूटिंग के लिए उन्होंने किस प्रकार

घाटी का दौरा किया था। कश्मीर एक अद्भुत स्थान है। उन्होंने कहा कि जोरदार शांति प्रयासों और सामान्य स्थिति की बहाली के साथ बालीवुड निर्माता शूटिंग हेतु घाटी में फिर पहुंचेंगे। □

घाटी में सूफी गीतों की धूम

कश्मीर में सचमुच हालात बदल रहे हैं। यह बात एक बार और उस समय स्पष्ट हो गई जब श्रीनगर में पिछले 15 वर्ष की अशांति के बीच पहली बार बंदूक की गोलियों की आवाजों की बजाय सूफी संतों के भजनों की गूंज सुनाई दी। श्रीनगर शहर के मध्य में स्थित टैगोर हाल में कौवालियों के साथ सांस्कृतिक समारोह धूमधाम से मनाया गया। विश्व प्रसिद्ध संगीतज्ञों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस शाम कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति खूबसूरत प्रदर्शन के साथ श्रीनगर के दर्शकों को आनंदित कर दिया।

कश्मीर में उग्रवाद भड़कने के बाद से पहली

बार राष्ट्रीय सूफी समारोह का आयोजन किया गया। इसका आयोजन भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, श्री अमरनाथ तीर्थ बोर्ड और जम्मू-कश्मीर कला, संस्कृति और भाषा अकादमी ने संयुक्त रूप से किया। इस समारोह की शुरुआत समारोह की विषय वस्तु 'सहिष्णुता और भाईचारे' पर भाषण के साथ हुई।

दो दिन के इस समारोह में जिन संगीतज्ञों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया उनमें पंडित शिव कुमार शर्मा (संतूर) पंडित शिव भवानी शंकर, उस्ताद शफात अहमद खान, उस्ताद गुलाम मोहम्मद साजनवाज, निजामी बंधु, लांगा और मंगानियार, साबरी भाई और उस्ताद इकबाल

अहमद शामिल थे।

चूंकि राज्य में सूफी परंपरा का लंबा इतिहास रहा है इसलिए ये संगीतज्ञ जम्मू-कश्मीर में अपनी कला के प्रदर्शन के लिए बहुत उत्सुक दिख रहे थे। कश्मीर की संस्कृति में सूफी गायन और कव्वाली का महत्वपूर्ण स्थान है।

इस सांस्कृतिक समारोह का मुख्य आकर्षण अमीर खुसरो की रूबाइयां थीं, जिनसे दर्शक मंत्रमुग्ध हो उठे।

जाने-माने संत लांगा मंगानियार का सूफी ज्ञान दर्शन भी इस कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण रहा। उन्होंने सूफी संगीत और बेहतरीन कव्वालियां प्रस्तुत की। □



धरती पर स्वर्ग : जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा श्रीनगर में आयोजित जलक्रीड़ा खेल प्रतियोगिता, 2005 के अंतर्गत डल झील में 500 मीटर की दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेते शिकारे (पीटीआई)

जम्मू-कश्मीर समाचार

अमरनाथ यात्रा शुरू हुई


दो माह तक चलने वाली अमरनाथ की पवित्र गुफा की वार्षिक तीर्थयात्रा बलताल से 21 जून को आरंभ हो गई।

यात्रा के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कि लिए सेना, अर्द्धसैनिक बल और स्थानीय पुलिस के जवान क्षेत्र में गस्त लगा रहे हैं। इस वर्ष

करीब 5 लाख तीर्थयात्रियों के पवित्र गुफा के दर्शन के लिए पहुंचने की संभावना है।

● ब्रिटेन सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर यात्रा संबंधी सलाह पर नए सिरे से विचार किए जाने की संभावना है। यह आशा उस समय जगी जब विदेश मंत्री नटवर सिंह ने अपनी हाल की ब्रिटेन यात्रा के दौरान ब्रिटेन के विदेश मंत्री जैक स्ट्रा के साथ यह मुद्दा उठाया। वर्तमान में ब्रिटेन का विदेश मंत्रालय अपने नागरिकों को मनाली से लद्दाख या विमान से लेह जाने के अलावा जम्मू-कश्मीर की यात्रा करने की सलाह देता है। श्री सिंह ने पत्रकारों से कहा कि श्री स्ट्रा ने इस मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का वायदा किया है। उन्होंने कहा कि श्रीनगर, गुलमर्ग और पहलगाम जैसे आकर्षक स्थान काफी सुरक्षित हैं।

● जम्मू-कश्मीर सरकार 2007 तक सभी घरों को बिजली सुविधा-उपलब्ध कराएगी। ऊर्जा उत्पादन में स्वावलंबी बनने की सरकार की नीति के तहत 32.50 मेगावाट की कुल उत्पादन क्षमता के साथ बारामुला जिले में 10 लघु पनबिजली परियोजनाओं का निर्माण किया जा रहा है। सीमावर्ती पुंछ जिले में 132 केवी लाईन उपलब्ध कराने के लिए 84 करोड़



रुपये से अधिक की अनुमानित लागत वाले दो ग्रिड स्टेशन पुंछ के चांडक और दड़वा में स्थापित किए जाएंगे। राज्य के ऊर्जा मंत्री मोहम्मद शरीफ मिराज ने बताया कि पिछले साल के दौरान 7 नए उपकेंद्र खोले गए, एक छोटा ट्रांसफार्मर स्थापित किया गया और बर्फ से प्रभावित नौ अतिरिक्त गांवों को बिजली सुविधा उपलब्ध कराई गई।

● जम्मू जिले की वर्ष 2005-06 की वार्षिक योजना राशि 84.61 करोड़ रुपये निर्धारित की गई।

● प्रधानमंत्री की पुनर्निर्माण योजना के तहत राज्य सरकार ने सीमावर्ती कुपवाड़ा जिले में आधारभूत सुविधाओं और बिजली वितरण व्यवस्था में सुधार के वास्ते एक व्यापक परियोजना तैयार की है। ट्रांसफार्मरों की स्थापना के अलावा नए रिसीविंग और ग्रिड स्टेशनों का निर्माण किया जाएगा तथा क्षेत्र में बिजली आपूर्ति में सुधार के वास्ते 240 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

● जम्मू-कश्मीर सरकार ने राज्य में बड़ी मात्रा में औषधीय पौधों की रोपाई के लिए एक व्यापक योजना बनाई है। प्रथम चरण के तहत श्रीनगर से 30 किमी दूर गंदरबल में

औषधीय पौधों की खेती के लिए 5.56 करोड़ रुपये की 'वनस्पति वन' परियोजना शुरू की गई है। केंद्र ने इस उद्देश्य के लिए 1.50 करोड़ रुपये जारी किया है।

● केंद्र प्रधानमंत्री पुनर्निर्माण पैकेज के तहत जम्मू-कश्मीर के विभिन्न भागों में 14 और कालेज स्थापित करेगा। इनमें से 2 कालेज केवल महिलाओं के लिए होंगे। मानव संसाधन

विकास मंत्री अर्जुन सिंह ने उत्तरी क्षेत्र के प्राथमिक और प्रौढ़ शिक्षा संबंधी केंद्र प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा बैठक के बाद श्रीनगर में यह बात कही।

● जम्मू-कश्मीर के केबल कार कार्पोरेशन लिमिटेड (सीसीसीएल) ने जम्मू में 20 करोड़ रुपये की मुबारकमंडी बाग-ए-बाहु केबल कार परियोजना का कार्य शुरू करने का फैसला किया है। मुबारक मंडी (दरबार-ए-आलम) एक धरोहर है। जबकि बाग-ए-बाहु उद्यान है। कारपोरेशन ने शंकराचार्य (कश्मीर) केबल कार परियोजना से जमीन के अधिग्रहण का भी फैसला किया है।

● जम्मू-कश्मीर सरकार ने सांसद स्थानीय क्षेत्र योजना के तहत दिसंबर 1993 और मार्च 2008 के बीच के लिए मंजूर की गई कुल 141.50 करोड़ रुपये की राशि में से 111.81 करोड़ रुपये से भी अधिक विकास कार्यों में खर्च किया है। केंद्र प्रायोजित सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत कुल खर्च की गई 111.81 करोड़ रुपये की राशि में से 76.21 करोड़ रुपये लोकसभा सदस्यों ने और 35.6 करोड़ रुपये राज्यसभा के सदस्यों ने खर्च किए।

कोई अनाथ नहीं होता-वहीदा रहमान

पूर्व मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन के पश्चात बालीवुड अभिनेत्री वहीदा रहमान ने अपना कुछ समय श्रीनगर में अनाथ बच्चों के साथ बिताया।

वे कश्मीर की निजी यात्रा पर गई थीं और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा आयोजित एक समारोह में उन्होंने अनाथों और विधवाओं को आश्रय स्थल 'राहत घर' में करीब 30 बच्चों से मुलाकात की। सुश्री रहमान ने कहा कि अनाथ छात्रों का उत्साह बढ़ाए जाने की आवश्यकता है और सभी को उनके कल्याण के लिए कुछ न कुछ अंशदान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि "सफल जीवन के लिए सबसे प्रमुख और मूल बात है अच्छी शिक्षा प्राप्त करना ताकि बेहतर रोजगार हासिल किया जा सके।"

उन्होंने छात्रों से कहा कि वे अकेला महसूस

एक सफल जीवन के लिए सबसे प्रमुख और मूल बात है अच्छी शिक्षा प्राप्त करना ताकि बेहतर रोजगार हासिल किया जा सके



न करें। उन्होंने कहा, "अपने को अनाथ न समझें। ...दरअसल हम सब ईश्वर की संतान हैं।"

कश्मीर के बारे में अपनी यादें ताजा करते हुए वहीदा रहमान ने बताया कि 26 साल पहले एक फिल्म की शूटिंग के लिए उन्होंने किस प्रकार

घाटी का दौरा किया था। कश्मीर एक अद्भुत स्थान है। उन्होंने कहा कि जोरदार शांति प्रयासों और सामान्य स्थिति की बहाली के साथ बालीवुड निर्माता शूटिंग हेतु घाटी में फिर पहुंचेंगे। □

घाटी में सूफी गीतों की धूम

कश्मीर में सचमुच हालात बदल रहे हैं। यह बात एक बार और उस समय स्पष्ट हो गई जब श्रीनगर में पिछले 15 वर्ष की अशांति के बीच पहली बार बंदूक की गोलियों की आवाजों की बजाय सूफी संतों के भजनों की गूंज सुनाई दी। श्रीनगर शहर के मध्य में स्थित टैगोर हाल में कौव्वालियों के साथ सांस्कृतिक समारोह धूमधाम से मनाया गया। विश्व प्रसिद्ध संगीतज्ञों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस शाम कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति खूबसूरत प्रदर्शन के साथ श्रीनगर के दर्शकों को आनंदित कर दिया।

कश्मीर में उग्रवाद भड़कने के बाद से पहली

बार राष्ट्रीय सूफी समारोह का आयोजन किया गया। इसका आयोजन भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, श्री अमरनाथ तीर्थ बोर्ड और जम्मू-कश्मीर कला, संस्कृति और भाषा अकादमी ने संयुक्त रूप से किया। इस समारोह की शुरुआत समारोह की विषय वस्तु 'सहिष्णुता और भाईचारे' पर भाषण के साथ हुई।

दो दिन के इस समारोह में जिन संगीतज्ञों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया उनमें पंडित शिव कुमार शर्मा (संतूर) पंडित शिव भवानी शंकर, उस्ताद शफात अहमद खान, उस्ताद गुलाम मोहम्मद साजनवाज, निजामी बंधु, लांगा और मंगानियार, साबरी भाई और उस्ताद इकबाल

अहमद शामिल थे।

चूंकि राज्य में सूफी परंपरा का लंबा इतिहास रहा है इसलिए ये संगीतज्ञ जम्मू-कश्मीर में अपनी कला के प्रदर्शन के लिए बहुत उत्सुक दिख रहे थे। कश्मीर की संस्कृति में सूफी गायन और कव्वाली का महत्वपूर्ण स्थान है।

इस सांस्कृतिक समारोह का मुख्य आकर्षण अमीर खुसरो की रूबाइयां थीं, जिनसे दर्शक मंत्रमुग्ध हो उठे।

जाने-माने संत लांगा मंगानियार का सूफी ज्ञान दर्शन भी इस कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण रहा। उन्होंने सूफी संगीत और बेहतरीन कव्वालियां प्रस्तुत की। □




धरती पर स्वर्ग : जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा श्रीनगर में आयोजित जलक्रीड़ा खेल प्रतियोगिता, 2005 के अंतर्गत डल झील में 500 मीटर की दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेते शिकारे (पीटीआई)

अभी कश्मीरियत जिंदा है कश्मीर में

जम्मू-कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को खदेड़ने की आतंकवादियों की तमाम कोशिशों के बावजूद आम कश्मीरियों के इंसानी रिश्ते और भाईचारे की भावना ने ही उन्हें अपनी मातृभूमि से जोड़े रखा है। इसी की इस मिसाल रही यहां के एक कश्मीरी पंडित की बेटी की शादी जिसका पूरा इंतजाम उनके मुस्लिम पड़ोसियों ने किया।

अनंतनाग जिले के मत्तन गांव के सेवानिवृत्त अध्यापक मदन लाल रैना उस समय अभिभूत हो गए जब सारे गांव के मुस्लिम उनकी बेटी शारदा की शादी के इंतजाम के लिए उनके घर पर इकट्ठा हो गए। नब्बे के दशक में आतंकवादियों की धमकी से डरे श्री रैना के समुदाय के सभी लोग यहां से पलायन कर गए थे लेकिन उन्होंने अब इस सुनसान पड़े पंडित मोहल्ले को छोड़ने की कभी नहीं सोची।

उस रोज सुबह-सुबह उनके पढ़ाए हुए सैकड़ों कश्मीरी मुस्लिमों ने उनके घर को सजाया-संवारा और बारात के लिए सारे इंतजाम किए। इस प्रेम से सराबोर श्री रैना कहते हैं घाटी में अब भी कश्मीरियत जिंदा है। मुझे संकट के दिनों में भी यहीं रहने के अपने फैसले पर अब कोई पछतावा नहीं है। अपने मुस्लिम पड़ोसियों को धन्यवाद देते हुए वह कहते हैं कि पिछले कई दिनों से वे ही उनकी बेटी की शादी का सारा जिम्मा संभाले हुए थे। श्री रैना के मुताबिक कश्मीर की संयुक्त संस्कृति जो सहनशीलता और सांप्रदायिक सौहार्द पर आधारित है, समय के चक्र पर खरी उतरी है। हमारी एक संस्कृति और एक परंपरा है। शारदा की शादी पर मुस्लिम महिलाओं ने रातभर वानबुन (कश्मीरियों में शादी-ब्याह के दौरान गाए जाने वाले गीत) गाए, जबकि कश्मीरी पंडित महिलाओं ने कश्मीरी गीतों पर दुमके लगाए और यह पूरा नजारा सांस्कृतिक एकता की अनूठी मिसाल बना गया। □



श्रीनगर के पास बटपोरा के खेतों में धान की रोपाईं करती कश्मीरी महिलाएं। भारी हिमपात और मरपूर बारिश से कश्मीर घाटी में किसानों को इस मौसम में फसल की अच्छी पैदावार की अम्मीद है (रायटर)

पाठक कृपया ध्यान दें

योजना का सितंबर अंक शिक्षा पर केंद्रित होगा। इसमें प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक शिक्षा के विभिन्न आयामों पर कृष्ण कुमार, निदेशक एनसीईआरटी, यूनेस्को में कार्यरत जोब जकारिया, प्रो. गोविंद एनआईपीए आदि प्रख्यात शिक्षाविदों और लेखकों की रचनाएं शामिल होंगी। कृपया अपनी प्रति सुरक्षित करा लें।

PUBLIC ADMINISTRATION

*Ind Paper "Indian Administration" is equally marks oriented
(We just need global perspective)*

कैसे बनाए द्वितीय प्रश्नपत्र को अधिक अंकदायी

विश्व सांविधानिकता तथा भारतीय प्रशासन

Special Test Series for mains - Every Sunday

Corruption & Human Rights (भ्रष्टाचार व मानवाधिकार) (UPSC-2003)

Towards recognising fundamental right to corruption free service

(Same constitutional & international perspectives)

(Human right to a corruption free service under international law)

- Declaration against corruption & Bribery in international commercial transactions (16 Dec 1996)
- Action against corruption (UN Resolution 1997)
- Convention on bribery of Foreign Public Officials (OECD1999)
- Inter American convention against corruption (2001)
- Criminal Law convention on corruption (council of Europe 2003)

* In India

* Subodh Mohit : Member of Lok Sabha, introduced a private members bill in the winter session of Parliament (2002) for the inclusion of a new Art 17 A in fundamental rights chapter by which the citizen will be entitled to get corruption free service from the State.

- National Commission to Review the working of the constitution also purposed such on inclusion in the chapter on fundamental right (consultation paper on probity in Governance 2001)

Human Rights & Human Development (Welfare Adm UPSC-2003) (मानवाधिकार व मानव विकास-कल्याण प्रशासन)

(Integration of human rights & human development policies)

(UPSC-2003)

- UN Declaration on the right to development 1986
- The convention on the Right of the child (CRC) 1989
- Goal Right system - Amartya Sen (HRD, 2000 UNDP)
- International covenant on Economic, Social & Cultural Rights (ICESCR)
- International Convent on civil & Political Rights (ICPR)
- Universal Declaration of Human Rights (UDHR)

Fiscal Policies & Reforms

(राजकोषीय सुधार व आर्थिक नीति

(India & World)

(भारत व विश्व)

(UPSC-2001)

- Fiscal Responsibility & Budget management 2003 - India
- Gramn - Rudman Hollings Acts (1987) - USA
- The Omnibus Budget Reconciliation Act 1993 - USA
- The Fiscal Responsibility Act (1994) - Newzealand.
- Budget Honesty Act (1998) - Australia
- Golden Rules of targeted debt (1997) - U.K.
- Deficit bonds & construction Bonds Rule (1996) - Japan

FREE INTRO CLASS 10, 11 AUG. 2005

हिन्दी माध्यम में प्रातः 9:30 In English 5.00 P.M. (Ev.)

UNIYAL'S IAS 2703, Dr. Mukherjee Nagar Bandh, Near Sarvodaya Bal Vidyalaya, Delhi-9 (M) 9818906330

YH/8/5/06


योजना, अगस्त 2005

अभी कश्मीरियत जिंदा है कश्मीर में

जम्मू-कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को खदेड़ने की आतंकवादियों की तमाम कोशिशों के बावजूद आम कश्मीरियों के इंसानी रिश्ते और भाईचारे की भावना ने ही उन्हें अपनी मातृभूमि से जोड़े रखा है। इसी की इस मिसाल रही यहां के एक कश्मीरी पंडित की बेटी की शादी जिसका पूरा इंतजाम उनके मुस्लिम पड़ोसियों ने किया।

अनंतनाग जिले के मत्तन गांव के सेवानिवृत्त अध्यापक मदन लाल रैना उस समय अभिभूत हो गए जब सारे गांव के मुस्लिम उनकी बेटी शारदा की शादी के इंतजाम के लिए उनके घर पर इकट्ठा हो गए। नब्बे के दशक में आतंकवादियों की धमकी से डरे श्री रैना के समुदाय के सभी लोग यहां से पलायन कर गए थे लेकिन उन्होंने अब इस सुनसान पड़े पंडित मोहल्ले को छोड़ने की कभी नहीं सोची।

उस रोज सुबह-सुबह उनके पढ़ाए हुए सैकड़ों कश्मीरी मुस्लिमों ने उनके घर को सजाया-संवारा और बारात के लिए सारे इंतजाम किए। इस प्रेम से सराबोर श्री रैना कहते हैं घाटी में अब भी कश्मीरियत जिंदा है। मुझे संकट के दिनों में भी यहीं रहने के अपने फैसले पर अब कोई पछतावा नहीं है। अपने मुस्लिम पड़ोसियों को धन्यवाद देते हुए वह कहते हैं कि पिछले कई दिनों से वे ही उनकी बेटी की शादी का सारा जिम्मा संभाले हुए थे। श्री रैना के मुताबिक कश्मीर की संयुक्त संस्कृति जो सहनशीलता और सांप्रदायिक सौहार्द पर आधारित है, समय के चक्र पर खरी उतरी है। हमारी एक संस्कृति और एक परंपरा है। शारदा की शादी पर मुस्लिम महिलाओं ने रातभर वानबुन (कश्मीरियों में शादी-ब्याह के दौरान गाए जाने वाले गीत) गाए, जबकि कश्मीरी पंडित महिलाओं ने कश्मीरी गीतों पर तुमके लगाए और यह पूरा नजारा सांस्कृतिक एकता की अनूठी मिसाल बना गया। □



श्रीनगर के पास बटपोरा के खेतों में धान की रोपाई करती कश्मीरी महिलाएं। भारी हिमपात और भरपूर बारिश से कश्मीर घाटी में किसानों को इस मौसम में फसल की अच्छी पैदावार की अम्मीद है (रायटर)

पाठक कृपया ध्यान दें

योजना का सितंबर अंक शिक्षा पर केंद्रित होगा। इसमें प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक शिक्षा के विभिन्न आयामों पर कृष्ण कुमार, निदेशक एनसीईआरटी, यूनेस्को में कार्यरत जोब जकारिया, प्रो. गोविंद एनआईपीए आदि प्रख्यात शिक्षाविदों और लेखकों की रचनाएं शामिल होंगी। कृपया अपनी प्रति सुरक्षित करा लें।

PUBLIC ADMINISTRATION

*Ind Paper "Indian Administration" is equally marks oriented
(We just need global perspective)*

कैसे बनाए द्वितीय प्रश्नपत्र को अधिक अंकदायी

विश्व सांविधानिकता तथा भारतीय प्रशासन

Special Test Series for mains - Every Sunday

Corruption & Human Rights (भ्रष्टाचार व मानवाधिकार) (UPSC-2003)

Towards recognising fundamental right to corruption free service

(Same constitutional & international perspectives)

(Human right to a corruption free service under international law)

- Declaration against corruption & Bribery in international commercial transactions (16 Dec 1996)
- Action against corruption (UN Resolution 1997)
- Convention on bribery of Foreign Public Officials (OECD1999)
- Inter American convention against corruption (2001)
- Criminal Law convention on corruption (council of Europe 2003)

★ In India

- ★ Subodh Mohit : Member of Lok Sabha, introduced a private members bill in the winter session of Parliament (2002) for the inclusion of a new Art 17 A in fundamental rights chapter by which the citizen will be entitled to get corruption free service from the State.
- National Commission to Review the working of the constitution also purposed such on inclusion in the chapter on fundamental right (consultation paper on probity in Governance 2001)

Human Rights & Human Development (Welfare Adm UPSC-2003) (मानवाधिकार व मानव विकास-कल्याण प्रशासन)

(Integration of human rights & human development policies)

(UPSC-2003)

- UN Declaration on the right to development 1986
- The convention on the Right of the child (CRC) 1989
- Goal Right system - Amartya Sen (HRD, 2000 UNDP)
- International covenant on Economic, Social & Cultural Rights (ICESCR)
- International Convent on civil & Political Rights (ICPR)
- Universal Declaration of Human Rights (UDHR)

Fiscal Policies & Reforms

(राजकोषीय सुधार व आर्थिक नीति)

(India & World)

(भारत व विश्व)

- Fiscal Responsibility & Budget management 2003 - India
- Gramn - Rudman Hollings Acts (1987) - USA
- The Omnibus Budget Reconciliation Act 1993 - USA
- The Fiscal Responsibility Act (1994) - Newzealand.
- Budget Honesty Act (1998) - Australia
- Golden Rules of targeted debt (1997) - U.K.
- Deficit bonds & construction Bonds Rule (1996) - Japan

(UPSC-2001)

FREE INTRO CLASS 10, 11 AUG. 2005

हिन्दी माध्यम में प्रातः 9:30 In English 5.00 P.M. (Ev.)

UNIYAL'S IAS 2703, Dr. Mukherjee Nagar Bandh, Near Sarvodaya Bal Vidyalaya, Delhi-9 (M) 9818906330

YH/8/5/06

ई-गवर्नेंस रिपोर्ट कार्ड

○ समीर कोछड़
गुरशरण धंजल

ई-गवर्नेंस पर खर्च जहां साल दर साल 23 प्रतिशत बढ़ रहा है वहीं कुल मिलाकर राशि काफी कम है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इन परियोजनाओं से काफी अच्छा काम हो रहा है, इस बात की सख्त जरूरत है कि इन पर व्यय होने वाली राशि में काफी बढ़ोतरी की जाए

देश में ई-गवर्नेंस की पहली परियोजना की शुरुआत कई साल पहले हुई थी। तब से अब तक एक सौ से ज्यादा ऐसी परियोजनाएं शुरू हो चुकी हैं। हालांकि इनमें से सिर्फ 50 प्रतिशत ही ऐसी होंगी जिन्हें नागरिकों या सेवा उपभोक्ताओं के साथ सीधे संपर्क के कारण ई-गवर्नेंस परियोजनाएं माना जा सके। बाकी परियोजनाओं को मोटे तौर पर भले ही इस शीर्षक के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाए, लेकिन वे असल में पुलिस अभिलेखों के कंप्यूटरीकरण जैसी एमआईएस परियोजनाएं हैं। हमारे अनुसंधान के अनुसार ई-गवर्नेंस पर होने वाला खर्च हर साल 25 प्रतिशत तक बढ़ गया है। 2002 में जहां यह 1,500 करोड़ रुपये होता था वहीं इस वर्ष इसके 2,200 करोड़ रुपये तक पहुंच जाने का अनुमान है।

ऐसा लगता है कि चुनी गई सरकार भले ही काम न करे लेकिन ई-गवर्नेंस निश्चय ही काम करती हैं। एक समय ऐसी स्थिति थी जब रेल टिकट ब्लैक में बिका करते थे। कंप्यूटरीकृत आरक्षण के बाद अब ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। इसी तरह से पहले जहां तटकर विभाग भ्रष्टाचार और विलंब के लिए बदनाम था वहीं अब ऑनलाइन फाइलिंग

और क्लियरेंस व्यवस्थाएं आ जाने के बाद देशभर के 23 तटकर दफ्तरों में ऐसी स्थिति बन गयी है कि आयात निर्यात संबंधी 15 प्रतिशत कागजी काम अब ऑनलाइन हो रहा है और आयात के लिए प्रोसेसिंग स्टेजेज की संख्या घटकर 17 से 6 हो गई है जबकि निर्यात के मामले में यह संख्या 15 से कम होकर 5 पर आ गई है। डिजीटल पर काम हो रहा है और पेमेंट गेटवे की व्यवस्था हो चुकी है। तटकर वेबसाइट पर रोजाना एक लाख लोग संपर्क करते हैं और निर्यातक-आयातक अपने सभी दस्तावेज ऑनलाइन प्रस्तुत करते हैं। माल क्लियर हो गया है या नहीं, इस तरह की जानकारी भी वे ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें यह भी जानकारी मिल जाती है कि यह काम बिना निरीक्षण आधार पर होगा या इसके लिए उन्हें खुद जाना पड़ेगा।

महाराष्ट्र में कल्याण डोंबिविली कारपोरेशन (केडीएमसी) के एक नागरिक सुविधा केंद्र में जन्म/मृत्यु प्रमाणपत्र और करों की अदायगी की सुविधा प्रदान करने की योजना को मिली भारी सफलता के बाद राज्य सरकार ने अब अपने यहां की 240 से ज्यादा नगरपालिकाओं में इसी तरह की सुविधा जुटाने का कार्यक्रम बनाया है। नेशनल सिक्वोरिटीज

डिपॉजिटरी लिमिटेड ने अखिल भारतीय स्तर पर ई-गवर्नेंस सोल्यूशन अपनाया जिससे शेयरों की बिक्री के मामले में हर लेन देन की लागत पहले के ढाई प्रतिशत की जगह अब सिर्फ शून्य दशमलव दो प्रतिशत रह गई है और प्रतिदिन होने वाले कारोबार में भी भारी बढ़ोतरी हुई है। 1991 में जहां ऐसा कारोबार 400 करोड़ रुपये का था वहीं अब यह 50 हजार करोड़ रुपये हो गया है।

इस क्षेत्र हस्ताक्षरों में एक अन्य उपलब्धि है भूमि। इस ई-गवर्नेंस परियोजना के अंतर्गत कर्नाटक में एक करोड़ से ज्यादा किसानों को उनकी जमीन के पट्टे की प्रतियां उपलब्ध कराई गई हैं। महाराष्ट्र, हरियाणा और गुजरात में भू-लेख और भू-लेख सॉफ्ट नाम की इसी तरह की परियोजनाएं लागू की गईं जिनके अंतर्गत 16 लाख अधिकार पत्र और 51 लाख खाते दर्ज किए गए। राजस्थान में अपना खाता नाम से यह परियोजना शुरू की गई। दूसरे शब्दों में ई-गवर्नेंस परियोजनाएं अब कल्पना की बात नहीं रही और न ही इन्हें हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर विक्रेताओं को लाभ पहुंचाने का साधन मात्र माना जाता है। अब ये सुशासन के गंभीर प्रयासों का एक अटूट अंग बन गई हैं।

ई-गवर्नेस का मूल्यांकन

एक तरफ जहां अनेक ई-गवर्नेस परियोजनाएं बढ़िया काम कर रही हैं वहीं कुछ ऐसी भी परियोजनाएं हो सकती हैं जिनसे आशातीत सफलता नहीं मिली। पहले के स्कोच राउंड टेबल्स से मिली सूचनाओं के अनुसार 30-35 प्रतिशत ग्रामीण आईसीटी परियोजनाएं ठीक नहीं चल रही हैं। मध्यप्रदेश की ज्ञानदूत परियोजना को याद कीजिए जिसे शुरू होने पर सभी ने सराहा था। लेकिन अब इसके बारे में कुछ भी सुनाई नहीं पड़ता। ई-गवर्नेस परियोजनाओं के कार्यान्वयन और नियोजन के मूल्यांकन की अनेक परियोजनाएं शुरू की गई हैं जो उनकी रफ्तार तेज करने की कार्यनीतियां भी सुझाएंगी।

पिछले दो वर्षों की अवधि में ई-गवर्नेस पर अनेक बैठकें और सम्मेलन किए गए जिनमें कई परियोजनाओं के नाम सफल परियोजनाओं के उदाहरणस्वरूप बार-बार लिये गए। इनमें भूमि, सरिता और केडीएमसी तथा उत्तरांचल के कंप्यूटर की सहायता वाले शिक्षा कार्यक्रम आरोही के नाम शामिल हैं। दो वर्ष से भी कम की अवधि में आरोही ने 1,420 स्कूलों में अपना काम शुरू कर दिया है जिससे पांच लाख से ज्यादा छात्रों को लाभ हुआ है और उत्तरांचल में हाई स्कूल स्तर पर उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत 35 से 40 प्रतिशत हो गया है।

हम अपना मूल्यांकन शुरू करें इससे पहले हमने अपने विशेषज्ञों से अनुरोध किया कि वे सर्वश्रेष्ठ परियोजनाओं की योग्यताएं बताएं और ऐसे मापदंड तय करें जिनके आधार पर इन परियोजनाओं का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। विशेषज्ञों ने 21 परियोजनाओं की सूची तैयार की जिनका हमने प्रयोक्ता प्रतिक्रिया के आधार पर मूल्यांकन किया। सरल शब्दों में कहें तो यह कि हमने प्रयोक्ताओं से 15 मापदंडों के आधार पर हर परियोजना को एक से 10 तक के बीच अंक देने को कहा।

इससे पहले कि हम सर्वेक्षण से प्राप्त परिणामों की चर्चा करें, यह बताना जरूरी है कि जिन 21 परियोजनाओं का हमने चुनाव

किया वे हमारे पैनल के अनुसार सर्वश्रेष्ठ तरीके से लागू की गई परियोजनाएं थीं। इसका मतलब यह कि ये उदाहरण ही अच्छे थे। हमारे पैनल ने भले ही नागरिक उन्मुख सचची ई-गवर्नेस की 40-50 परियोजनाओं में से 21 की सूची बनाई। हम यहां पर यह बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि अगर कोई परियोजना इस सूची में नहीं शामिल की गई तो इसका मतलब यह नहीं कि वह कोई अच्छी परियोजना नहीं है। सचची बात यह है कि हो सकता है कि हमारे पैनल को उसकी जानकारी न मिली हो। यह बात स्पष्ट करना जरूरी है क्योंकि अभी कुछ महीने पहले ही एक व्यापार पत्रिका को ई-गवर्नेस के एक अच्छे अधिकारी का कोपभाजन तक बनना पड़ा था जब उसने उसकी परियोजना को कुछ अन्य परियोजनाओं के मुकाबले वरीयता सूची में नीचे दिखाया। हमने भूमि परियोजना के प्रयोक्ताओं की राय जानने का कोई अभियान नहीं चलाया। बंगलौर

के पब्लिक अफेयर्स सेंटर ने इस दिशा में अच्छा काम किया है और हमने भूमि के बारे में उनके निष्कर्षों का इस्तेमाल किया है।

सर्वेक्षण के निष्कर्ष

सभी 21 ई-गवर्नेस परियोजनाओं के परिणामस्वरूप औसतन हमारे प्रतिदर्श को इस में से आठ दशमलव एक अंक मिला। असम में सिटीजंस

इंफॉर्मेशन सेंटर परियोजना के मामले में 10 में से 10 अंक प्राप्त हुए। इस परियोजना के अंतर्गत राज्य सरकार नागरिकों को ऑनलाइन अनुरोध फाइल करने की सुविधा देती है और इसका जवाब नागरिक को अपने आस पास से ही मिल जाता है। आरोही के मामले में भी ऐसा ही अंक मिला। यह ध्यान में रखने की बात है कि ये ऐसी परियोजनाएं हैं जिनमें पहले भी रिश्वत मांगने की संभावना कम होती थी। उत्साहजनक बात यह है कि भू-आलेख परियोजनाओं के मामले में जहां पहले खूब रिश्वतखोरी होती थी, वहां भ्रष्टाचार में कमी वाले मापदंड के आधार पर अच्छे अंक मिले हैं। उत्तरांचल की कुल, भू-लेख परियोजना को इस संबंध में 10 में सात अंक मिले। इसी तरह से भू-आलेख की आन्ध्र प्रदेश की गवर्नेस परियोजना एलआरएमआईएस को भी बेहतर अंक आठ मिला। कर्नाटक की ऐसी ही परियोजना भूमि को नौ अंक मिल सकते थे।

सर्वेक्षण विधि

कुल ई-गवर्नेस अंक :
हर मापदंड के लिए एक से 10 के बीच

| मापदंड | अंक |
|-------------------------------------|-----|
| इस्तेमाल में आसानी | 7.8 |
| उपयोग | 8.3 |
| कार्य पूर्ति की रफ्तार | 7.8 |
| एसएलऐज | 8.3 |
| प्रक्रिया की सरलता | 8.2 |
| समय की बचत | 8.7 |
| विविध सेवाओं तक एकल खिड़की पहुंच | 5.3 |
| गलतियों की कम संभावना | 7.3 |
| त्रुटि सुधार की रफ्तार | 4.6 |
| प्रयोक्ता अपेक्षाओं के साथ अनुकूलता | 7.5 |
| सेवाओं की लागत की सुसाध्यता | 9.5 |
| भ्रष्टाचार में कमी | 8.1 |
| कर्मचारियों का व्यवहार | 6.5 |
| कर्मचारियों की कुशलता | 7.9 |

ई-गवर्नेस रिपोर्ट कार्ड

○ समीर कोछड़
गुरशरण धंजल

ई-गवर्नेस पर खर्च जहां साल दर साल 23 प्रतिशत बढ़ रहा है वहीं कुल मिलाकर राशि काफी कम है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इन परियोजनाओं से काफी अच्छा काम हो रहा है, इस बात की सख्त जरूरत है कि इन पर व्यय होने वाली राशि में काफी बढ़ोतरी की जाए

देश में ई-गवर्नेस की पहली परियोजना की शुरुआत कई साल पहले हुई थी। अब से अब तक एक सौ से ज्यादा ऐसी परियोजनाएं शुरू हो चुकी हैं। हालांकि इनमें सिर्फ 50 प्रतिशत ही ऐसी होंगी जिन्हें नागरिकों या सेवा उपभोक्ताओं के साथ सीधे संपर्क के कारण ई-गवर्नेस परियोजनाएं माना जा सके। बाकी परियोजनाओं को मोटे तौर पर भले ही इस शीर्षक के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाए, लेकिन वे असल में पुलिस अभिलेखों के कंप्यूटरीकरण जैसी एमआईएस परियोजनाएं हैं। हमारे अनुसंधान के अनुसार ई-गवर्नेस पर होने वाला खर्च हर साल 25 प्रतिशत तक बढ़ गया है। 2002 में जहां यह 5,500 करोड़ रुपये होता था वहीं इस वर्ष तक 2,200 करोड़ रुपये तक पहुंच जाने का अनुमान है।

ऐसा लगता है कि चुनी गई सरकार भले काम न करे लेकिन ई-गवर्नेस निश्चय ही काम करती है। एक समय ऐसी स्थिति थी जब रेल टिकट ब्लैक में बिका करते थे। कंप्यूटरीकृत आरक्षण के बाद अब ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। इसी तरह से पहले जहां तटकर विभाग भ्रष्टाचार और विलंब के लिए बदनाम था वहीं अब ऑनलाइन फाइलिंग

और क्लीयरेंस व्यवस्थाएं आ जाने के बाद देशभर के 23 तटकर दफ्तरों में ऐसी स्थिति बन गयी है कि आयात निर्यात संबंधी 15 प्रतिशत कागजी काम अब ऑनलाइन हो रहा है और आयात के लिए प्रोसेसिंग स्टेज की संख्या घटकर 17 से 6 हो गई है जबकि निर्यात के मामले में यह संख्या 15 से कम होकर 5 पर आ गई है। डिजीटल पर काम हो रहा है और पेमेंट गेटवे की व्यवस्था हो चुकी है। तटकर वेबसाइट पर रोजाना एक लाख लोग संपर्क करते हैं और निर्यातक-आयातक अपने सभी दस्तावेज ऑनलाइन प्रस्तुत करते हैं। माल क्लीयर हो गया है या नहीं, इस तरह की जानकारी भी वे ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें यह भी जानकारी मिल जाती है कि यह काम बिना निरीक्षण आधार पर होगा या इसके लिए उन्हें खुद जाना पड़ेगा।

महाराष्ट्र में कल्याण डोम्बीविली कारपोरेशन (केडीएमसी) के एक नागरिक सुविधा केंद्र में जन्म/मृत्यु प्रमाणपत्र और करों की अदायगी की सुविधा प्रदान करने की योजना को मिली भारी सफलता के बाद राज्य सरकार ने अब अपने यहां की 240 से ज्यादा नगरपालिकाओं में इसी तरह की सुविधा जुटाने का कार्यक्रम बनाया है। नेशनल सिक्वोरिटीज

डिपॉजिटरी लिमिटेड ने अखिल भारतीय स्तर पर ई-गवर्नेस सोल्यूशन अपनाया जिससे शेयरों की बिक्री के मामले में हर लेन देन की लागत पहले के ढाई प्रतिशत की जगह अब सिर्फ शून्य दशमलव दो प्रतिशत रह गई है और प्रतिदिन होने वाले कारोबार में भी भारी बढ़ोतरी हुई है। 1991 में जहां ऐसा कारोबार 400 करोड़ रुपये का था वहीं अब यह 50 हजार करोड़ रुपये हो गया है।

इस क्षेत्र हस्ताक्षरों में एक अन्य उपलब्धि है भूमि। इस ई-गवर्नेस परियोजना के अंतर्गत कर्नाटक में एक करोड़ से ज्यादा किसानों को उनकी जमीन के पट्टे की प्रतियां उपलब्ध कराई गई हैं। महाराष्ट्र, हरियाणा और गुजरात में भू-लेख और भू-लेख सॉफ्ट नाम की इसी तरह की परियोजनाएं लागू की गईं जिनके अंतर्गत 16 लाख अधिकार पत्र और 51 लाख खाते दर्ज किए गए। राजस्थान में अपना खाता नाम से यह परियोजना शुरू की गई। दूसरे शब्दों में ई-गवर्नेस परियोजनाएं अब कल्पना की बात नहीं रही और न ही इन्हें हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर विक्रेताओं को लाभ पहुंचाने का साधन मात्र माना जाता है। अब ये सुशासन के गंभीर प्रयासों का एक अटूट अंग बन गई हैं।

ई-गवर्नेस का मूल्यांकन

एक तरफ जहां अनेक ई-गवर्नेस परियोजनाएं बढ़िया काम कर रही हैं वहीं कुछ ऐसी भी परियोजनाएं हो सकती हैं जिनसे आशातीत सफलता नहीं मिली। पहले के स्कोच राउंड टेबल्स से मिली सूचनाओं के अनुसार 30-35 प्रतिशत ग्रामीण आईसीटी परियोजनाएं ठीक नहीं चल रही हैं। मध्यप्रदेश की ज्ञानदूत परियोजना को याद कीजिए जिसे शुरू होने पर सभी ने सराहा था। लेकिन अब इसके बारे में कुछ भी सुनाई नहीं पड़ता। ई-गवर्नेस परियोजनाओं के कार्यान्वयन और नियोजन के मूल्यांकन की अनेक परियोजनाएं शुरू की गई हैं जो उनकी रफ्तार तेज करने की कार्यनीतियां भी सुझाएंगी।

पिछले दो वर्षों की अवधि में ई-गवर्नेस पर अनेक बैठकें और सम्मेलन किए गए जिनमें कई परियोजनाओं के नाम सफल परियोजनाओं के उदाहरणस्वरूप बार-बार लिये गए। इनमें भूमि, सरिता और केडीएमसी तथा उत्तरांचल के कंप्यूटर की सहायता वाले शिक्षा कार्यक्रम आरोही के नाम शामिल हैं। दो वर्ष से भी कम की अवधि में आरोही ने 1,420 स्कूलों में अपना काम शुरू कर दिया है जिससे पांच लाख से ज्यादा छात्रों को लाभ हुआ है और उत्तरांचल में हाई स्कूल स्तर पर उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत 35 से 40 प्रतिशत हो गया है।

हम अपना मूल्यांकन शुरू करें इससे पहले हमने अपने विशेषज्ञों से अनुरोध किया कि वे सर्वश्रेष्ठ परियोजनाओं की योग्यताएं बताएं और ऐसे मापदंड तय करें जिनके आधार पर इन परियोजनाओं का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। विशेषज्ञों ने 21 परियोजनाओं की सूची तैयार की जिनका हमने प्रयोक्ता प्रतिक्रिया के आधार पर मूल्यांकन किया। सरल शब्दों में कहें तो यह कि हमने प्रयोक्ताओं से 15 मापदंडों के आधार पर हर परियोजना को एक से 10 तक के बीच अंक देने को कहा।

इससे पहले कि हम सर्वेक्षण से प्राप्त परिणामों की चर्चा करें, यह बताना जरूरी है कि जिन 21 परियोजनाओं का हमने चुनाव

किया वे हमारे पैनल के अनुसार सर्वश्रेष्ठ तरीके से लागू की गई परियोजनाएं थीं। इसका मतलब यह कि ये उदाहरण ही अच्छे थे। हमारे पैनल ने भले ही नागरिक उन्मुख सच्ची ई-गवर्नेस की 40-50 परियोजनाओं में से 21 की सूची बनाई। हम यहां पर यह बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि अगर कोई परियोजना इस सूची में नहीं शामिल की गई तो इसका मतलब यह नहीं कि वह कोई अच्छी परियोजना नहीं है। सच्ची बात यह है कि हो सकता है कि हमारे पैनल को उसकी जानकारी न मिली हो। यह बात स्पष्ट करना जरूरी है क्योंकि अभी कुछ महीने पहले ही एक व्यापार पत्रिका को ई-गवर्नेस के एक अच्छे अधिकारी का कोपभाजन तक बनना पड़ा था जब उसने उसकी परियोजना को कुछ अन्य परियोजनाओं के मुकाबले वरीयता सूची में नीचे दिखाया। हमने भूमि परियोजना के प्रयोक्ताओं की राय जानने का कोई अभियान नहीं चलाया। बंगलौर के पब्लिक अफेयर्स सेंटर ने इस दिशा में अच्छा काम किया है और हमने भूमि के बारे में उनके निष्कर्षों का इस्तेमाल किया है।

सर्वेक्षण के निष्कर्ष

सभी 21 ई-गवर्नेस परियोजनाओं के परिणामस्वरूप औसतन हमारे प्रतिदर्श को इस में से आठ दशमलव एक अंक मिला। असम में सिटी जं

इंफॉर्मेशन सेंटर परियोजना के मामले में 10 में से 10 अंक प्राप्त हुए। इस परियोजना के अंतर्गत राज्य सरकार नागरिकों को ऑनलाइन अनुरोध फाइल करने की सुविधा देती है और इसका जवाब नागरिक को अपने आस पास से ही मिल जाता है। आरोही के मामले में भी ऐसा ही अंक मिला। यह ध्यान में रखने की बात है कि ये ऐसी परियोजनाएं हैं जिनमें पहले भी रिश्तत मांगने की संभावना कम होती थी। उत्साहजनक बात यह है कि भू-आलेख परियोजनाओं के मामले में जहां पहले खूब रिश्ततखोरी होती थी, वहां भ्रष्टाचार में कमी वाले मापदंड के आधार पर अच्छे अंक मिले हैं। उत्तरांचल की कुल, भू-लेख परियोजना को इस संबंध में 10 में सात अंक मिले। इसी तरह से भू-आलेख की आन्ध्र प्रदेश की गवर्नेस परियोजना एलआरएमआईएस को भी बेहतर अंक आठ मिला। कर्नाटक की ऐसी ही परियोजना भूमि को नौ अंक मिल सकते थे।

सर्वेक्षण विधि

कुल ई-गवर्नेस अंक :
हर मापदंड के लिए एक से 10 के बीच

| मापदंड | अंक |
|-------------------------------------|-----|
| इस्तेमाल में आसानी | 7.8 |
| उपयोग | 8.3 |
| कार्य पूर्ति की रफ्तार | 7.8 |
| एसएलएजे | 8.3 |
| प्रक्रिया की सरलता | 8.2 |
| समय की बचत | 8.7 |
| विविध सेवाओं तक एकल खिड़की पहुंच | 5.3 |
| गलतियों की कम संभावना | 7.3 |
| त्रुटि सुधार की रफ्तार | 4.6 |
| प्रयोक्ता अपेक्षाओं के साथ अनुकूलता | 7.5 |
| सेवाओं की लागत की सुसाध्यता | 9.5 |
| भ्रष्टाचार में कमी | 8.1 |
| कर्मचारियों का व्यवहार | 6.5 |
| कर्मचारियों की कुशलता | 7.9 |

भारत की सर्वश्रेष्ठ 21 ई-गवर्नेंस परियोजनाएं

| राज्य | परियोजना | रैंकिंग | अंक |
|--------------|-------------------|---------|-----|
| उत्तरांचल | आरोही | 1 | 8.9 |
| महाराष्ट्र | केडीएमसी | 2 | 8.7 |
| बंगलौर | कावेर ई-कॉम | 2 | 8.7 |
| केंद्र | रेलवे | 2 | 8.7 |
| तमिलनाडु | तमिल नीलम | 3 | 8.6 |
| तमिलनाडु | रूरल डिलीवरी | 3 | 8.6 |
| महाराष्ट्र | सरिता | 4 | 8.3 |
| आंध्र प्रदेश | कार्ड | 4 | 8.1 |
| बंगलौर | कावेरी | | 8.1 |
| आंध्र प्रदेश | ई-पंचायत | 6 | 7.1 |
| आंध्र प्रदेश | एलआर एमआई एस | 6 | 7.9 |
| असम | आमार सेवा | 7 | 7.9 |
| असम | सीआईसी | 6 | 7.7 |
| उत्तरांचल | लैंड रिकार्ड्स | 1 | 7.6 |
| केंद्र | टीआईएन | 10 | 7.2 |
| असम | टीआईएमएस | 11 | 6.8 |
| केंद्र | किसान कॉल सेंटर | 12 | 6.5 |
| केंद्र | कस्टम्स | 13 | 6.9 |
| दिल्ली | वाहन चालन लाइसेंस | 14 | 6.8 |
| केंद्र | एग्माकनेट | 15 | 6.5 |
| दिल्ली | पासपोर्ट | 16 | 6.4 |

रेल आरक्षण का भ्रष्टाचार में कमी लाने में अच्छा प्रभाव पड़ा है और उसे नौ अंक मिले। सरिता को सात और केडीएमसी को आठ अंक प्राप्त हुए हैं।

भारत जैसे देश में जहां काफी बड़ी जनसंख्या अशिक्षित है और जहां अधिकांश लोग कंप्यूटर से परिचित नहीं हैं। ई-गवर्नेंस, के भविष्य पर लोग चिंता करते थे। लेकिन लोगों ने इन परियोजनाओं का अच्छा स्वागत किया है। हमारी चुनिंदा 21 परियोजनाओं के इस्तेमाल में आसानी मापदंड को 10 में से सात दशमलव अंक मिले और उपयोग को आठ दशमलव तीन अंक दिए गए। लेकिन


जिस क्षेत्र में ज्यादा काम करने की जरूरत है वह है राज्य में ही विभिन्न परियोजनाओं में विषमताओं को कम करना। असम में टैक्स इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम टीआईएमएस परियोजना चल रही है जिसके अंतर्गत कंप्यूटरीकृत चेकपोस्ट्स के जरिये टैक्स प्रबंधन किया जाता है। इसे इस्तेमाल में आसानी मापदंड पर सात अंक मिले हैं। लेकिन उपयोग में सिर्फ चार। इसी राज्य की सीआईसी को उपयोग के मापदंड पर आठ अंक मिले हैं। शायद टीआईएमएस की उपयोगिता का प्राप्तांक इसलिए कम है कि यह एक नई परियोजना है और इसके सभी मॉड्यूलों को

अभी लागू नहीं किया गया है। इस परियोजना के कर्मचारी कुशलता और कर्मचारी व्यवहार मापदंडों को भी चार अंक दिए गए हैं जबकि अन्य परियोजनाओं के ऐसे ही मापदंडों को सात या आठ अंक मिले हैं। इससे जाहिर होता है कि राज्य में बेहतर प्रशिक्षण दिए जाने की जरूरत है।

भारत जैसे देश में जहां अब भी अनेक ऐसे इलाके हैं जहां बिजली की सप्लाई नियमित नहीं है तथा सड़कों जैसी बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता पर्याप्त नहीं है, यह एक उत्साह बढ़ाने वाली बात है कि ई-गवर्नेंस परियोजनाओं की गुणवत्ता बहुत अच्छी है। अनेक परियोजनाएं सर्विस लेबल एग्रीमेंट्स का कड़ाई से पालन करती हैं। ये एग्रीमेंट वह आधार हैं जिनके अनुसार सेवा प्रदान की जानी है या समय पर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए संबद्ध पक्षों के साथ ठेके होने हैं। अगर किसी मशीन को हर दिन 20 घंटे तक चालू रखना है या फिर निर्धारित समय के अंदर सेवाएं प्रदान की जानी हैं तो यह बहुत जरूरी है। सभी 21 परियोजनाओं के लिए इस मापदंड पर 10 में से आठ दशमलव तीन अंक प्राप्त हुए हैं। लेकिन रेलवे की टिकट परियोजना और उत्तरांचल की आरोही और क्रून को इस मापदंड पर 10 में से 10 अंक दिए गए हैं। यह स्पष्ट नहीं है कि यह किए जा रहे अच्छे काम की अनदेखी है अथवा शुरू-शुरू में सर्विस लेबल एग्रीमेंट्स की बाध्यताओं में सख्ती न बरतने का परिणाम है।

एक और उत्साहवर्धक बात यह है कि उपभोक्ता संतुष्टि का स्तर बहुत ऊंचा है। प्रयोक्ता अपेक्षाओं से अनुकूलता के मापदंड पर कुल मिलाकर सात दशमलव पांच अंक मिले हैं जो लागत की सुसाध्यता मापदंड पर नौ दशमलव पांच अंक तक है। यह वस्तुतः खर्च वहन करने की क्षमता से संबद्ध मापदंड है जिसके कारण पंचायतें और अन्य निकायों ने ई-गवर्नेंस परियोजनाएं अपनाई हैं और उनसे आर्थिक लाभ प्राप्त किया है। महाराष्ट्र में सरिता से संपत्ति की रजिस्ट्री में 2002 में 27 प्रतिशत की वृद्धि हुई। तमिल नीलम,

ई-गवर्नेस रिपोर्ट कार्ड-2004
ई-गवर्नेस परियोजनाओं की प्रयोक्ता रेटिंग्स



भू-आलेख कार्यक्रम में जहां इसकी स्थापना की लागत दो दशमलव सात करोड़ रुपये आई वहीं अधिकारियों ने निजी प्रयोक्ताओं से तीन दशमलव सात करोड़ रुपये प्राप्त किए।

सभी परियोजनाओं को पांच से ज्यादा अंक प्राप्त हुए हैं जो किसी भी प्रयोक्ता फीडबैक आधारित प्रविधि के लिए अच्छी संख्या है। लेकिन किसान कॉल सेंटर और एगमार्कनेट जैसी कुछ केंद्रीय परियोजनाओं के लिए और अधिक अंक पाने की गुंजाइश है। कॉल सेंटरों के जरिये किसानों को टेलीफोन पर सलाह देकर उनकी तकनीकी समस्याएं सुलझाने में सहायता दी जाती है। एगमार्कनेट परियोजना के अंतर्गत किसानों को फसलों की कीमतों और मौसम आदि के बारे में हर तरह की सूचना दिए जाने की व्यवस्था है। एगमार्कनेट के अंतर्गत 734 मंडियां शामिल की जा चुकी हैं और इनके बारे में इस परियोजना में विस्तार से सूचनाएं इकट्ठा की जाती हैं। इनमें मंडियों में फसलों की आवक और थोक बाजार भाव जैसी सूचनाएं शामिल हैं। किसान कॉल सेंटर

के मामले में कहा जा सकता है कि यह एक नई परियोजना है और अभी तक इसे प्रचारित करने के लिए खास प्रयास नहीं किए गए हैं अतः इसके बारे में उपयोग के अंक कम हैं। एगमार्कनेट के बारे में एक संभावना यह है कि मंडियों में कई कारणवश अब भी सूचनाएं खुलेआम प्रदर्शित नहीं की जातीं। हमने देखा है कि एगमार्क टर्मिनल संतरों के एक बड़े ढेर के पीछे छिपा हुआ था। एक अन्य कारण यह हो सकता है कि आईटीसी के ई-चौपाल की तरह किसान एगमार्कनेट पर अपनी उपज बेच नहीं सकते। इसलिए इन परियोजनाओं के लिए और ज्यादा जागरूकता बढ़ाने और इनके कामकाज में कुशलता लाने से इनका आधार मजबूत हो सकता है।

परियोजना स्तर के निष्कर्ष

इस साल के विजेता हैं उत्तरांचल में कंप्यूटर की सहायता से चलाया जा रहा शिक्षा कार्यक्रम आरोही। इसके कारण सरकारी स्कूलों के परिणाम काफी बेहतर हुए हैं। एक सरकारी अधिकारी के अनुसार इंटरमीडिएट उत्तीर्ण

प्रतिशत 45 से बढ़कर 64 प्रतिशत हो गया। हाई स्कूल स्तर पर उत्तीर्ण प्रतिशत 35 से 40 हो गया।

आरोही को हमारे सभी 14 मापदंडों पर 10 में से आठ दशमलव नौ अंक मिले। अगर विविध सेवाओं के लिए एकल खिड़की पहुंच मापदंड पर इसे सिर्फ दो अंक न मिलते तो इसका प्राप्तांक काफी बेहतर हो सकता था। लेकिन तथ्य यह है कि यह परियोजना एकल खिड़की पहुंच प्रकृति की नहीं है। सभी ई-गवर्नेस परियोजनाओं को परखने के मापदंडों में समानता बनाए रखने के उद्देश्य से हमने आरोही के लिए भी ये मापदंड अपनाए। अगर आप इस बात को ध्यान में रखें तो आप पाएंगे कि आरोही का प्रयोक्ता संतुष्टि स्तर करीब-करीब वही होगा जो पीएससी परिणामों पर आधारित भूमि का है।

दूसरे नंबर पर वे परियोजनाएं आती हैं जिन्हें सभी मापदंडों के आधार पर आठ दशमलव सात अंक मिले हैं। इनमें टिकट की रेल कंप्यूटरीकरण परियोजना और बंगलौर

की ऑनलाइन बिल अदायगी सुविधा कावेरी ई-कॉम तथा महाराष्ट्र की केडीएमसी शामिल हैं। रेल परियोजना को उपयोगिता, प्रक्रिया की सरलता और सेवा लागत की सुसाध्यता मापदंडों पर 10 में से 10 अंक मिले। केडीएमसी को इस्तेमाल में आसानी और उपयोगिता तथा प्रयोक्ता अपेक्षाओं से अनुकूलता और सेवा लागत खर्च की वहनीयता मापदंडों पर ऐसा ही अंक मिला।

तमिलनाडु की भू-आलेख परियोजना तमिल नीलम और रूरल डिलीवरी सिस्टम को भी 10 में से आठ दशमलव 6 अंक दिये गए हैं। रूरल डिलीवरी सिस्टम को मद्रास आईआईटी के प्रोफेसर अशोक झुनझुनवाला ने डिजाइन किया है। इसके अंतर्गत 50 हजार रुपये लागत वाले ग्रामीण खोले गए हैं जहां ग्रामवासी उपलब्ध सुविधा में इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। वे खेती से संबद्ध विषयों पर शहरों में स्थित तकनीकी विशेषज्ञों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग कर सकते हैं। यही नहीं, आजमाइश के तौर पर एक ग्रामीण एटीएम भी तैयार किया गया है जिसकी लागत आयातित मशीनों की दस लाख रुपये की तुलना में सिर्फ 50 हजार रुपये होगी। एक डायग्नोस्टिक किट तैयार किया गया है जिसकी सहायता से इस खोखे में बैठे हुए मरीज की दूर स्थित कोई डॉक्टर जांच कर सकता है। जांच के लिए इस खोखे में ब्लड प्रेशर मशीन, स्टेथोस्कोप और थर्मामीटर जैसे उपकरण मौजूद होंगे।

परियोजनाओं के अनुसार परिणाम भले ही अलग-अलग हों लेकिन मोटे तौर पर सरिता और केडीएमसी जैसी उन परियोजनाओं को जिनका मुख्य उद्देश्य सरकारी सेवाएं प्रदान करना है, 10 में से आठ और नौ के बीच अंक मिले हैं। दूसरे शब्दों में जहां तक कार्यपूर्ति व्यवस्थाओं का प्रश्न है, ई-गवर्नेंस परियोजनाओं का भविष्य अच्छा है। उन्हें सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के लक्ष्य समूहों तक पहुंचने में 10 से 15 प्रतिशत तक सफलता मिली है। इन परियोजनाओं को भ्रष्टाचार में कमी लाने के मापदंड पर भी ऐसे ही अच्छे अंक प्राप्त हुए हैं।

अन्य नई परियोजनाएं हैं असम की टीआईएमएस और केन्द्रीय स्तर की टीआईएन। इन दोनों को 6 दशमलव आठ अंक मिले हैं। शायद इसका कारण यह है कि दोनों परियोजनाओं का लक्ष्य कर चोरी में कमी लाना है और इसी कारण प्रयोक्ताओं में ये लोकप्रिय नहीं हैं। समय की बचत मापदंड पर इन दोनों को बहुत ऊंचे अंक दिए गए हैं।

एक तरफ जहां स्कोच सर्वेक्षण में इस्तेमाल न करने वाले लोगों की कोई राय नहीं जानी गई वहीं भूमि के बारे में पब्लिक अफेयर्स सेंटर के अध्ययन में इस बात पर खासतौर से जोर दिया गया। उन्हें पता चला कि इस्तेमाल करने वालों और इस्तेमाल न करने वालों के बीच इस मामले में काफी ज्यादा मतभेद थे। उदाहरण के तौर पर भूमि का इस्तेमाल न करने वाले लोगों में से दो तिहाई ने कहा कि उन्होंने अपने भू-आलेख प्राप्त करने के लिए रिश्वत दी। इसके विपरीत भूमि का इस्तेमाल करने वालों में से सिर्फ तीन प्रतिशत ने ऐसी बात कही। भूमि से लाभ उठाने वाले 85 प्रतिशत प्रयोक्ताओं ने कहा कि कर्मचारी उनके साथ नम्रता से पेश आए। जबकि भूमि का इस्तेमाल न करने वाले लोगों में से किसी एक ने भी ऐसा जवाब नहीं दिया। दो तिहाई लोगों का मानना था कि यह सेवा कुछ खास नहीं है जबकि शेष एक तिहाई का ख्याल था कि यह सेवा बुरी है। भूमि से लाभ उठाने वाले 87 प्रतिशत लोगों ने किसी सरकारी अधिकारी से न मिलने की बात कही जबकि गैरभूमि उत्तरदाताओं का ऐसा प्रतिशत शून्य था। 61 प्रतिशत लोगों ने कहा कि उन्हें अपना काम कराने के लिए दो से चार अधिकारियों से मिलना पड़ा।

ई-गवर्नेंस परियोजनाओं के लाभ बहुत स्पष्ट हैं और यही कारण है कि अनेक राज्य ऐसी परियोजनाएं शुरू करने को उत्सुक हैं। इनमें से अधिकांश हजारों करोड़ रुपये के लागत की बात करते हैं लेकिन जरूरत इस बात की है कि लागत लाभ का विस्तार से विश्लेषण किया जाए। अभी तक जो प्रयास किए गए हैं वे सिर्फ शुरुआती मूल्यांकन भर हैं।

सिफारिशें

ई-गवर्नेंस बनाएं- इस तरह की परियोजनाओं की व्यवस्था उन सभी कार्यक्रमों में होनी चाहिए जिनमें नागरिकों को स्पष्ट लाभ दिए जाने का लक्ष्य है। ऐसी परियोजनाओं की किसी तीसरे पक्ष द्वारा 6 महीने मॉनीटरिंग करना अनिवार्य बना दिया जाना चाहिए और उसके परिणामों को प्रचारित करना चाहिए। मूल्यांकन पूर्व-निर्धारित मापदंडों के आधार पर होना चाहिए और उन्हें परियोजना शुरू होने से पहले ही लागू कर देना चाहिए।

नागरिक आवश्यकताओं के अनुरूप परियोजनाएं तैयार करें- आधी से ज्यादा ई-गवर्नेंस परियोजनाएं नागरिकों की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं हैं। भूमि जैसी कुछ परियोजनाएं शानदार रूप से सफल रहीं। इसका एक कारण यह है कि प्रयोक्ता उन तक आसानी से पहुंच सकते हैं। इसके विपरीत पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस की कुछ परियोजनाएं हैं जिनके लिए प्रयोक्ता को सरकारी दफ्तर जाना पड़ता है।

कर्मचारी प्रशिक्षण पर जोर - ग्रामीण इलाकों तथा छोटे कस्बों में जहां काफी बड़ी आबादी अशिक्षित है कंप्यूटर के बारे में जानती भी नहीं, यह महत्वपूर्ण बात है कि ई-गवर्नेंस वाले खोखों के कर्मचारी इनके बारे में पूरी जानकारी रखें।

बिजनेस प्रोसेस री-इंजीनिरिंग पर जोर दें- अगर कंप्यूटरों में सेवाएं देने या नागरिकों को अनुमति देने के पुराने तौर-तरीकों को शामिल कर लिया गया तो इससे कुछ खास हासिल नहीं होगा। किसी भी ई-गवर्नेंस परियोजना के लिए जरूरी होता है कि वह पहले वर्तमान व्यवस्था को पूरी तरह फिर से बनाए।

निजी एजेंट- जिन परियोजनाओं को आशातीत सफलता मिली है वे ऐसी परियोजनाएं हैं जो नागरिकों के निकट होती हैं और जिनके लिए नागरिकों को सरकार के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। असम में नागरिक अपने अनुरोध मंडल के दफ्तरों में प्रस्तुत करते हैं जिसके बाद ये ई-मोड में

ई-गवर्नेंस रिपोर्ट - उपभोक्ता प्रक्रिया पर आधारित प्रथम मूल्यांकन

| राज्य | परियोजना | प्रयोग में आसानी | कार्य पूर्ति की रफ्तार | एसएलएस प्रक्रिया की सरलता | समय की बचत | * | गलतियों की कम संभावनाएं | @ | क | सेवाओं की वहीन लागत | भ्रष्टाचार में कमी | कर्मचारियों का व्यवहार | कर्मचारियों की कुशलता | योग | प्रतिशत |
|--------------|-------------------|------------------|------------------------|---------------------------|------------|-----|-------------------------|-----|----|---------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|------|---------|
| असम | टी आई एम एस | 7 | 4 | 9 | 8 | 10 | 7 | 3 | 3 | 9 | 10 | 4 | 4 | 95 | 68 |
| असम | आधार सेवा | 9 | 8 | 7 | 9 | 9 | 8 | 2 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 108 | 77 |
| असम | सी आई सी | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 | 8 | 1 | 9 | 7 | 10 | 7 | 8 | 106 | 76 |
| उत्तरांचल | आरोही | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 8 | 7 | 10 | 10 | 9 | 9 | 125 | 89 |
| उत्तरांचल | भू-आलेख | 7 | 6 | 9 | 10 | 8 | 2 | 8 | 1 | 9 | 10 | 7 | 8 | 101 | 72 |
| दिल्ली | पासपोर्ट | 4 | 10 | 5 | 7 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 10 | 4 | 7 | 71 | 51 |
| दिल्ली | वाहन चालन लाइसेंस | 3 | 10 | 6 | 9 | 9 | 2 | 9 | 1 | 6 | 10 | 4 | 7 | 87 | 62 |
| केंद्र | ऐगमाकनेट | 4 | 2 | 2 | 7 | 9 | 3 | 8 | 2 | 1 | 10 | 6 | 8 | 79 | 56 |
| केंद्र | टीआईएन | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 2 | 8 | 2 | 5 | 7 | 8 | 9 | 97 | 69 |
| केंद्र | रेलवे | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 10 | 6 | 9 | 122 | 87 |
| केंद्र | तटकर | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 1 | 7 | 10 | 3 | 7 | 90 | 64 |
| केंद्र | केंद्र | 7 | 2 | 6 | 3 | 9 | 5 | 7 | 4 | 5 | 10 | 6 | 8 | 91 | 65 |
| आंध्र प्रदेश | कार्ड | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 6 | 7 | 6 | 8 | 10 | 7 | 8 | 114 | 81 |
| आंध्र प्रदेश | ई-पंचायत | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 5 | 7 | 3 | 8 | 10 | 7 | 8 | 110 | 79 |
| आंध्र प्रदेश | एलआरएमआईएम | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 6 | 7 | 3 | 8 | 9 | 7 | 8 | 111 | 79 |
| बंगलौर | कावेरी ई-कॉम | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 7 | 9 | 10 | 8 | 9 | 122 | 87 |
| बंगलौर | कावेरी | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 4 | 7 | 8 | 8 | 10 | 7 | 8 | 114 | 81 |
| तमिलनाडु | तमिल नीलम | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 7 | 8 | 120 | 86 |
| तमिलनाडु | रुल डिलीवरी | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 120 | 86 |
| महाराष्ट्र | सरिता | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 5 | 8 | 8 | 9 | 10 | 7 | 8 | 116 | 83 |
| महाराष्ट्र | केडीएमसी | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 122 | 87 |
| योग | | 163 | 175 | 164 | 174 | 183 | 112 | 153 | 96 | 158 | 199 | 170 | 165 | 2221 | 76 |
| प्रतिशत | | 78 | 83 | 78 | 83 | 87 | 53 | 73 | 46 | 75 | 95 | 81 | 79 | | |

कलेक्टर के ऑफिस पहुंचते हैं। इसके बाद इन पर की गई कार्रवाई की सूचना मंडल दफ्तर भेज दी जाती है जहां नागरिक इन्हें प्राप्त कर लेते हैं।

तमिलनाडु के रूरल डिलीवरी सिस्टम जैसे मामलों में अग्रगामी परियोजना में मेडिकल डायग्नोस्टिक के उपकरण मौजूद होते हैं और नागरिक अपने गांव में बैठे-बैठे ही शहर के योग्यता प्राप्त डॉक्टरों से अपनी जांच करा सकते हैं। प्राइवेट ऑपरेटर इन खोखों को ज्यादा कुशलता के साथ चलाते हैं और वे इससे मिलती-जुलती और परियोजनाएं भी शुरू कर सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक ने प्रोफेसर झुनझुनवाला के रूरल एटीएम के साथ ऐसा ही सहयोग किया।

प्रचार बहुत महत्वपूर्ण है- लोकप्रियता बढ़ाने के लिए प्रचार जरूरी है। एमार्केट और किसान कॉल सेंटर जैसी परियोजनाएं अभी लोगों में लोकप्रिय नहीं हैं। स्कोच के लोग जब एक मंडी में गए तो उन्होंने देखा कि कीमतें प्रदर्शित करने वाला टर्मिनल सब्जियों के ढेर के पीछे पड़ा था। अगर परियोजना के प्रयोक्ता जागरूक हों तो ऐसा कभी नहीं हो सकता।

व्ययभार वहनीयता- सबसे ज्यादा अंक सेवा खर्च की वहनीयता पर मिले हैं। इसका मुख्य कारण है कि अनेक परियोजनाओं में सेवाओं की ई-डिलीवरी के लिए नागरिकों से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाता। इन परियोजनाओं को व्यवहार्य बनाए रखने के लिए निम्नलिखित उपाय उपयोगी होंगे:-

- 1 टेक्नोलॉजी का चयन इस हिसाब से करें कि उन पर आने वाला खर्च वहनीय हो लेकिन साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि बुनियादी सुविधाएं दो साल में ही पुरानी न पड़ जाएं और कम से कम पांच वर्षों के लिए उपयोगी बनी रहें।
- 2 एक ही बुनियादी सुविधा तंत्र के जरिये कई तरह की सुविधा देने की व्यवस्था करके अतिरिक्त खर्च से बचें। इनके इस्तेमाल के बारे में भी ऐसा ही ध्यान रखें। अगर इनके जरिये मिलने वाली कोई सेवा एक इलाके में ठीक चल रही है तो वैसा ही दूसरा तंत्र खड़ा करने की जरूरत नहीं।


प्रवेश- इन सुविधाओं का प्रवेश वैसा ही होना चाहिए जैसा नागरिकों के लिए टेलीफोन के एसटीडी बूथ का होता है जहां कोई भी किसी समय आ जा सकता है। लेकिन व्यापारिक तौर पर इसे सक्षम बनाने का एकमात्र संभावित तरीका यह होगा कि एक ही खिड़की से कई प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं।

बजट बढ़ाएं- जहां ई-गवर्नेंस परियोजनाओं पर खर्च की जाने वाली धनराशि साल दर साल 23 प्रतिशत बढ़ रही है वहीं कुल मिलाकर इस तरह के खर्च की रकम अब भी बहुत कम है और सेवा केन्द्रों की संख्या भी काफी कम है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इन परियोजनाओं में अच्छा काम हो रहा है इनके लिए बजट राशि काफी बढ़ाने की जरूरत है। □

(लेखकद्वय स्कोच कंसल्टेंसी सर्विसेज से संबद्ध हैं)

भारतीय अर्थव्यवस्था

सभी महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर इतनी अद्यतन जानकारी
इतने कम मूल्य पर अन्यत्र दुर्लभ है



प्रमुख आकर्षण

- रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की नई वार्षिक ऋण एवं मौद्रिक नीति, 2005-2006
- नई विदेश व्यापार नीति 2005-2006
- केन्द्रीय बजट 2005-2006
- रेलवे बजट 2005-2006
- आर्थिक सर्वेक्षण 2004-2005
- भारत 2005
- World Economic Outlook April, 2005
- Statistical Outline of India 2004-05
- सितम्बर 2004 में जनगणना आयोग द्वारा भारत की जनगणना से सम्बन्धित प्रकाशित अन्तिम आंकड़ों का समावेश
- केन्द्र सरकार के विभिन्न मन्त्रालयों की वार्षिक रिपोर्ट 2004-2005
- विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट 2005
- अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की वार्षिक रिपोर्ट 2004
- Statesman's Year Book 2005
- रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की 'मुद्रा एवं वित्त' रिपोर्ट 2003-2004
- रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की 'भारत में बैंकिंग एवं प्रगति सम्बन्धी रिपोर्ट' 2003-2004
- विश्व व्यापार संगठन (WTO) की वार्षिक रिपोर्ट 2004
- अंकटाड (UNCTAD) की विश्व निवेश रिपोर्ट 2004
- मानव विकास रिपोर्ट 2004
- Global Development Finance 2004
- दसवीं पंचवर्षीय योजना 2002-07
- 545 वस्तुनिष्ठ (बहुविकल्पीय) प्रश्नों सहित

Book Code : 851 ♦ Pages : 248 ♦ Price : Rs. 100/-

प्रतियोगिता साहित्य

Hospital Road, Agra-3 ☎ 0562-2853400 Fax 2851568
Email: info@sbpagra.com or visit www.sbpagra.com

सतर्क दृष्टिकोण की आवश्यकता

○ श्रीकुमार राघवन

केंद्र और राज्य सरकारें अपने कामकाज में पारदर्शिता, दक्षता और नागरिकों के साथ निकटता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से हर साल ई-गवर्नेस पर करोड़ों रुपये खर्च कर रही हैं। भूमि का पंजीकरण, मोटरवाहन विभाग, रेलवे और बिल भुगतान केंद्रों जैसे ऐसे कई क्षेत्र हैं जिनमें नागरिक सेवाओं की गुणवत्ता में निश्चय ही उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

विभागों को आपस में जोड़ना

यदि वास्तव में ई-गवर्नेस को प्रभावकारी बनाना है तो एक विभाग में प्रयुक्त अनुप्रयोग प्रोग्राम में अन्य विभागों में लागू प्रोग्राम की तमाम जानकारियां उपलब्ध रहनी चाहिए। अतः ई-गवर्नेस परियोजनाओं को आपस में जोड़ना नितांत आवश्यक है। तभी लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में सूचना प्रौद्योगिकी के लाभों से रूबरू हो सकेंगे। दूसरे अर्थों में प्रत्येक आईटी परियोजना के तहत सरकार से सरकार को सूचनाएं उपलब्ध होने की पक्की व्यवस्था होनी चाहिए तभी सरकार और नागरिकों के बीच एक अर्थपूर्ण निकटता कायम हो सकेगी।

चूंकि अब यह महसूस किया जाने लगा है कि देशभर में एक विभाग के डेटाबेस को अन्य विभागों के संगत होना चाहिए, इसलिए नेशनल इंफारमेटिक्स सेंटर (एनआईसी) ने केंद्र और राज्य सरकारों को आपस में जोड़ने का काम पहले ही शुरू कर दिया है। कुछ विभागों ने प्राथमिकता के आधार पर इस दिशा में काम शुरू किया है। ये क्षेत्र हैं- ट्रेजरी, अस्पताल, रोजगार कार्यालय, पंजीकरण और

भू-अभिलेख।

कई सरकारी विभागों ने सूचना प्रौद्योगिकी के प्रति अपनी उत्सुकता दर्शाते हुए अपने खुद के पर्सनल कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग स्थापित कर लिए। उन्होंने यह कार्य भविष्य की इनकी उपयोगिता और आपसी संपर्क की जरूरतों पर ध्यान दिए बगैर संपन्न कर लिया। इसका परिणाम यह हुआ कि उनके द्वारा तैयार डेटाबेस दूसरे विभाग के संगत नहीं हैं।

यूरोपीय देशों को जहां पर कुछ दशक पहले कंप्यूटरीकरण का काम शुरू कर दिया गया था, भी इसी तरह की समस्याओं को सामना करना पड़ा है। अब वेब-प्रौद्योगिकी के जरिये सुरक्षित 'ओपन सिस्टम' उपलब्ध होने के साथ ही इन देशों में सरकार और उद्योग दोनों ने पुरानी प्रणाली से पीछे हटना शुरू कर दिया है। एक ओर जहां यह काफी खर्चीली थी लेकिन दूसरी ओर इसमें भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग के लिए व्यापार की अच्छी संभावनाएं थीं।

लेकिन हमारे देश में इस सच्चाई को ध्यान में रखते हुए यहां कंप्यूटरीकरण की लहर अस्सी के दशक के बाद के वर्षों में आई। देरी से इस व्यवस्था से जुड़ने का एक लाभ भी हुआ। क्योंकि अब सेकेंड से भी कम समय में सबकुछ पुराना-सा हो गया महसूस होने लगता है।

ई-गवर्नेस परियोजनाओं को लागू करते समय राज्य सरकारों को अपने अनुभवों और विकसित राष्ट्रों के अनुभवों से सबक लेना चाहिए। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इन परियोजनाओं पर करदाताओं का धन खर्च किया जा रहा है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और

अनुप्रयोग पर सोच-समझकर धन खर्च किया जाना चाहिए।

बहुत से बड़े-बड़े संगठनों में मुख्य सूचना अधिकारी या मुख्य टेक्नोलॉजी अधिकारी जैसे पदों पर नियुक्तियां की जाती हैं जो कंपनी के लिए उपयुक्त सर्वोत्तम किस्म का हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर तथा एप्लीकेशन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी निभाते हैं। कई बार ये अधिकारी निदेशक मंडल में भी जगह बना लेते हैं।



ई-गवर्नेस परियोजनाओं पर पहले ही करोड़ों रुपये खर्च किए जा चुके हैं लेकिन लोगों को इसका कोई खास लाभ नहीं पहुंचा है। खुले संसाधनों और स्वयं के स्वामित्व वाले सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल पर अभी तक कोई आम सहमति नहीं है। सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी शिकायतें एक के बाद एक सामने आ रही हैं। इसका हाल का एक प्रमुख उदाहरण है- केरल राज्य बिजली बोर्ड के लिए प्राइस वाटर हाउस कोआपरेशन द्वारा विकसित अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर तथा माइक्रोसॉफ्ट प्लेटफार्म पर क्रियान्वित बिलिंग सॉफ्टवेयर में तथा में आ रही समस्याएं।

राष्ट्रीय दृष्टिकोण









सरकारी विभागों में सूचना प्रौद्योगिकी के क्रियान्वयन के लिए संबद्ध विभागाध्यक्ष या निजी समाधान करने वाले इस बात का निर्णय करते हैं कि प्रत्येक परियोजना के लिए कौन सी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। प्रत्येक सरकार के पास एक मुख्य सूचना अधिकारी होना चाहिए जो जी₂ जी और जी₂ सी परियोजनाओं के सही क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार होंगे और साथ ही वे सरकारी

भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर

1993-94 के मूल्यों के आधारित पर विकास दर की प्रतिशतता



आर्थिक गतिविधियों से विकास



□ 2003-04 (अनुमान)

■ 2004-05 (संशोधित अनुमान)

संसाधनों की बर्बादी से बचाएंगे। इससे यह सुनिश्चित हो सकेगा कि विभाग प्रमुख जल्दबाजी में सूचना प्रौद्योगिकी का कार्यान्वयन नहीं करेंगे तथा आम लोगों तक लाभ पहुंचाने में उनकी असफलता से बचा जा सकेगा।

उपलब्ध प्रौद्योगिकी, अनुप्रयोग और समाधान के रूप में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र

की जटिलताओं के मद्देनजर लोगों के एक छोटे से समूह को ई-गवर्नेंस परियोजनाओं का कार्य सौंपना बुद्धिमानी नहीं होगी। आवश्यकता इस बात की है कि विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों से युक्त बड़े-बड़े साझेदारों अर्थात सरकारी अधिकारियों, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के सोल्यूशन प्रोवाइडर्स, हार्डवैडर्स, जनता के

प्रतिनिधियों, वैज्ञानिकों और अन्य लोगों का एक आधिकारिक पैनल हो। इस पैनल को ई-गवर्नेंस के बारे में एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण का सुझाव देने और देश में लगातार ई-गवर्नेंस से जुड़ी गतिविधियों के लिए परामर्श, सहयोग और समन्वय का काम करना चाहिए। □

(द हिन्दू से साभार)

सरिता : महाराष्ट्र में ई-पंजीकरण के क्षेत्र में एक प्रयोग

‘शासन’ के साथ ‘सु’ अथवा ‘ई’ अथवा किसी प्रकार के विशेषण लगाने की आवश्यकता नहीं है। चेहरे पर मुस्कान लिए संतुष्ट नागरिक इसकी एकमात्र कसौटी होनी चाहिए। हमारी सरकारें जनहितकारी हैं और अब यह समय हमारे कार्यालयों को नागरिक-हितैषी के रूप में बदलने की है

जब भी कोई गंभीर विषय प्रमुखता से सामने आता है तो उसकी उत्पत्ति के बारे में चर्चा गंभीरतापूर्वक होती है। दूसरे शब्दों में, किसी व्यक्ति की उत्पत्ति और किसी संस्था की उत्पत्ति के बीच काफी अंतर है। इसमें ‘राज्य’ की भूमिका होती है। वर्षों से कई बार ‘नगर राज्य’ से राज्य की उत्पत्ति हुई। लेकिन आकार से अलग किसी प्रकार का परिवर्तन अथवा उत्पत्ति नहीं के बराबर हुआ है। जहां तक शासन का सरोकार है, राज्य के पास देने के लिए बहुत कम है। भारत के संदर्भ में विशेषकर राज्य से बहुत ही कम उम्मीदें हैं। शायद यही कारण है कि प्रशासन पर केंद्रित सुधारों पर अधिकाधिक ध्यान दिया जा रहा है।

महाराष्ट्र में ‘सार्वजनिक-निजी भागीदारी ई-पंजीकरण में एक प्रयोग’ नामक एक प्रयास चल रहा था। सुशासन के साथ प्रौद्योगिकी को जोड़कर ई-गवर्नेस की उत्पत्ति होती है। दूसरे शब्दों में ई-गवर्नेस नागरिकों और सरकार के बीच के संबंधों की संपूर्ण दृष्टि और संभावनाओं से संबंधित है। महाराष्ट्र सरकार

की सूचना प्रौद्योगिकी नीति का लक्ष्य अपने कर्मचारियों के बीच कंप्यूटर साक्षरता बढ़ाना है। इसके दूसरे चरण में सरकारी सेवाओं, वस्तुओं और सूचना तक लोगों की पहुंच को और भी आसान बनाने के लिए नई प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी नीति में वैसे विभागों पर विशेष जोर दिया जा रहा है जिनके संपर्क में रहना नागरिकों के लिए अधिक जरूरी है और जिनसे काफी कमाई भी होती है। राजस्व, पंजीकरण, विक्रय कर, परिवहन, उत्पाद शुल्क आदि कुछ ऐसे ही विभाग हैं।

समस्या वाले क्षेत्रों की पहचान

शुरुआत में हम पंजीकरण और स्टाम्प विभाग पर विचार करें। राज्य सरकार के लिए यह सर्वाधिक राजस्व अर्जित करने वाला विभाग है और यह राज्य के कर राजस्व में लगभग 15 प्रतिशत योगदान करता है। दूसरी ओर इस विभाग का सार्वजनिक जीवन से बड़ा सरोकार होने के कारण जनता की इस पर आलोचनात्मक नजर रहती है। ग्राहकों को कम संतुष्ट करने की वजह से इस विभाग की

छवि कमजोर रही है। उदाहरण के लिए, जुलाई 2005 की एक समीक्षा के अनुसार विभिन्न कारणों से दस लाख से अधिक दस्तावेज पंजीकरण के लिए लंबित हैं और इनमें से कुछ पांच वर्षों से भी अधिक समय से लंबित हैं। वहीं दूसरी ओर 1985 से 1.5 करोड़ पंजीकृत दस्तावेज संबंधित पक्षों को नहीं लौटाए गए हैं। देरी, उत्पीड़न और भ्रष्टाचार के कारण इस विभाग की खिड़कियों के सामने कतारों में खड़े लोगों का अनुभव बहुत बुरा है।

परिवर्तन के लक्ष्य

जब समस्याओं की पहचान हो जाती है तब उनका समाधान आसान हो जाता है। इनके लक्ष्य बहुत सामान्य हैं। उनमें से कुछ लोकप्रिय लक्ष्य निम्नलिखित हैं:

- एक सरल, शीघ्र और विश्वनीय पंजीकरण प्रणाली विकसित करना और प्रक्रिया में निरंतरता और एकरूपता लाना।
- संपत्ति के मूल्यांकन में पारदर्शिता लाना और कार्यालय के कार्यकलाप को स्वचालित बनाना।

- एक आसान, विश्वसनीय और किफायती रिकॉर्ड प्रणाली और पिछले 12 सालों की लेनदेन का पता लगाने की सुविधा के साथ प्रभावकारी तरीके से गुणवत्ता तथा समय निर्धारित करना।
- भूमि की रिकार्ड और राजस्व विभाग के बीच के संबंधों की पूरी जानकारी और उपयोगकर्ताओं की सूचना तक निःशुल्क पहुंच बनाना।

परिवर्तन कैसे हुआ

सबसे पहले पूरे राज्य के कार्यालयों में सफाई और हरियाली के बल पर कार्यालय के परिदृश्य में बाहरी तौर पर परिवर्तन लाया गया। वर्तमान स्थान और वित्तीय रुकावटों के दौरान ही नागरिकों के लिए उपयुक्त सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं। कंप्यूटरीकरण के द्वारा काम की गति और स्वचालन बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इससे प्रक्रिया ठीक नहीं की जा सकती। इसलिए समस्याओं का विश्लेषण करना आवश्यक प्रतीत हुआ और उसके बाद प्रणालियों में परिवर्तन के लक्ष्यों को शामिल करने का विचार किया गया।

सामरिक योजनाएं और क्रियान्वयन

जटिल समस्याओं के समाधान के लिए सामरिक योजनाओं की जरूरत है। इस मामले

में भी निम्नलिखित प्रयासों की जरूरत महसूस हुई:

- हितधारकों की भागीदारी।
- पारदर्शिता : पारदर्शिता सुनिश्चित करने के क्रम में सभी उपपंजीयक कार्यालयों में विधिवत तैयार सूचना बोर्ड लगाए गए।
- नागरिक परिपत्र : विभाग ने ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया है, जो सही मूल्यांकन करने के साथ-साथ पंजीकरण के 30 मिनट बाद ही मूल दस्तावेज वापस करने के लिए भी प्रतिबद्ध है।

संसाधनों के इस्तेमाल की क्षमता : 'सार्वजनिक निजी भागीदारी' नामक एक नई अवधारणा का उद्देश्य सभी कार्यालयों में हार्डवेयर को स्थापित करने, संचालन करने और उनका रखरखाव करना और श्रेष्ठ सेवाओं के बदले शुल्क प्राप्त करना है। इस प्रकार सार्वजनिक-निजी भागीदारी विभाग और राज्य के लिए निर्वाह योग्य साबित हुई है।

एक वर्ष में लाभ

इस प्रयास से कई लाभ हैं। इसके द्वारा नागरिकों की विभाग ने मदद की है। इससे सरकार भी वंचित नहीं है। पारदर्शिता और उत्तरदायित्व छोटे गुण नहीं हैं। शीघ्र काम होना और काम का लंबित नहीं होना इसके

अतिरिक्त लाभ हैं। इसमें नागरिकों की संतुष्टि का विशेष ध्यान रखा गया है। इससे निश्चित तौर पर विभाग को लाभ प्राप्त होगा। इसके निर्बाध क्रियान्वयन से कागज पर आनेवाली लागत में कमी होने के साथ ही सही-सही पंजीकरण और मूल्यांकन हो पाएगा और प्रशासनिक कर्मचारियों पर अधिक नियंत्रण कायम किया जा सकेगा।

सरकार की ओर से किए गए ऐसे प्रयासों से लोग आश्वस्त हो रहे हैं क्योंकि इससे कार्यालय को सुखद पर्यावरण, शीघ्र और सामान्य जनसेवा मिलने के साथ-साथ निर्धारित समय सीमा में लोगों की शिकायतों का निपटारा संभव है।

'शासन' के साथ 'सु' अथवा 'ई' अथवा किसी प्रकार के विशेषण लगाने की आवश्यकता नहीं है। चेहरे पर मुस्कान लिए संतुष्ट नागरिक इसकी एकमात्र कसौटी होनी चाहिए। सभी प्रकार के जनहितकारी कार्यकलापों में पारदर्शिता इसका लाभ ही नहीं है, बल्कि यह एक पुरस्कार है जिसे सरकार के लिए हरेक दिन के अंत में पाना जरूरी है। हमारी सरकारें जनहितकारी हैं और अब यह समय हमारे कार्यालयों को नागरिक-हितैषी के रूप में बदलने की है। □

(साभार : सिविल सर्विसेज न्यूज, अप्रैल 05)

लेखकों से अनुरोध

कृपया अपने लेख टाइप करा कर दो प्रतियों में भेजें जिसमें एक मूल प्रति हो तथा साथ में टिकट लगा लिफाफा अवश्य संलग्न करें। लेख पर दो से अधिक लेखकों के नाम केवल विशेष शोध लेखों पर ही दें। जिन रचनाओं के साथ मौलिकता का प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं होगा वे स्वीकार नहीं की जा सकेंगी। कृपया कविता, कहानियां, चुटकले तथा हास्य रचनाएं न भेजें।

रचना के प्रकाशन के संबंध में किसी प्रकार का पत्र-व्यवहार न करें। विशेष अवसरों के लिए लेख तीन माह पूर्व प्राप्त हो जाने चाहिए। रचनाओं के साथ यथासंभव प्रासंगिक चित्र भी भेजें। सभी रचनाएं 'संपादक, योजना' के नाम प्रेषित करें।

सबसे अलग एक स्टॉल

○ सुधा एस. नंबूदरी

सुनामी आपदा से पीड़ितों की लोगों ने अभूतपूर्व सहायता की। केंद्रीय मत्स्य उद्योग प्रौद्योगिकी संस्थान (सीआईएफटी), कोच्चि की ओर से भी इस नेक काम में भागीदारी की गई, पर सबसे अलग हटकर। सीआईएफटी की ओर से केरल के वाईपीन के एक छोटे से गांव-अझिक्कल को मछली स्टॉल के रूप में नए साल का उपहार मिला। यह संस्थान इस गांव के 80 मछुआरा परिवारों के साथ मिलकर पिछले दो वर्षों से काम कर रहा है। इस उपक्रम में कुमाराणंद योगम महिला समाज के द्वारा चयनित आठ महिलाएं शामिल हुईं। यह देश में अपनी तरह का पहला स्टॉल है जो मत्स्य उद्योग संस्थान के सहयोग से शुरू किया गया है।

संस्थान ने इस स्टॉल को विशेष रूप से तैयार किया है। यह समुद्री जहाजों के लिए प्रयुक्त प्लाइवुड से बना है और इसमें भंडारण, प्रदर्शन और काम करने के लिए स्थान होता है। इसके ट्रे जीवाणुरोधी होते हैं। संस्थान ने महिलाओं को स्वस्थ तरीके से मछलियों को सुखाने, उनके अचार और चटनी तैयार करने की प्रौद्योगिकी का सर्वाधिक बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने का अवसर प्रदान किया है। महिलाओं को इस प्रौद्योगिकी की जानकारी संस्थान के द्वारा प्राप्त हुई है। इन वस्तुओं को स्वस्थ तरीके से पैक किए गए पाउचों में बेचा भी जाता है।

महिला समाज की सदस्य खुश हैं क्योंकि सीआईएफटी ने सुनामी आपदा और जुलिकन विषाणु के अफवाहों के बाद सुरक्षित तरीके से मछली का सेवन करने के सिलसिले में इस स्टॉल के माध्यम से समय पर मदद की है।

इस काम के लिए अझिक्कल को ही चुना गया क्योंकि यहां का पारंपरिक मछुआरा

समुदाय अपनी जीविका जाल लगाकर ही अर्जित करता है। सूर्यास्त के समय समुद्र के पानी में जाल लगाए जाते हैं। लगभग मध्य रात्रि के समय इन्हें किनारे तक लाया जाता है और महिलाएं विभिन्न प्रकार की मछलियों और समुद्री संसाधनों को अलग-अलग करती हैं। मछली पकड़ने का यह तरीका चंद्रकला के आधार पर बताए गए आठ दिनों की अवधि में अपनाया जाता है। चूंकि इस प्रकार जाल लगाने से समुद्री संसाधनों की काफी क्षति होती है अतः सरकार ने बहुत ही कम मछुआरों को जाल लगाने का लाइसेंस दिया है। इस वजह से ये लोग अन्य मछुआरों के बदले काम करने या वैकल्पिक रोजगार की प्रतीक्षा करने के लिए बाध्य होते हैं। सीआईएफटी के निदेशक डॉ. के. देवदासन का कहना है कि प्रायः जाल के साथ आए संसाधनों को धूप में सुखाया जाता है और कचरे को समुद्र में फेंक दिया जाता है, इसके फलस्वरूप समुद्री किनारे पर दुर्गंध फैलती है। उनका यह भी मानना है कि संस्थान ने महिला मछुआरों को स्वस्थ तरीके से मछलियां सुखाने और मछलियों के कचरे से सूअरों और मुर्गों के लिए आहार तैयार करने के लिए कारगर प्रौद्योगिकी प्रदान किया है। यह तकनीक दुर्गंधयुक्त मछलियों को एक ऐसे उत्पाद के रूप में परिणत करने में हमारी सहायता करता है जो स्वीकार्य गंध और आर्थिक मूल्य वाला होता है।

केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही सामुदायिक विकास और महिलाओं और पिछड़े वर्गों के चतुर्दिक विकास के लिए प्रयासरत हैं। संस्थान की प्रमुख वैज्ञानिक और इस कार्यक्रम के अगुवा, डॉ. कृष्ण श्रीनाथ का मानना है कि अनुसंधान द्वारा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए गांवों को अपना लेना एक

कारगर तरीका है। वहां के समुदाय को कारगर तरीके से प्रौद्योगिकी प्रदर्शन में शामिल किया जा सकता है और उसके बाद क्षमता निर्माण के लिए उन्हें क्रियान्वित किया जा सकता है। स्टॉल खुलने के साथ ही भारतीय तेल निगम ने उन्हें गैस कनेक्शन और बड़ा छाता प्रदान किया और समुद्री खाद्य निर्यातक संघ ने बर्तनों के लिए मदद दी। महिलाओं ने स्टॉल को सुबह के नाश्ते के समय से लेकर शाम की चाय के समय तक खुला रखने की योजना बनाई। लेकिन लोगों की मांग को देखते हुए वे अब इन्हें सुबह 5.30 बजे से लेकर देर रात तक खुला रखती हैं। इन महिलाओं को अब कोई पछतावा नहीं है। अझिक्कल के मछुआरा समुदाय ने अन्य स्थानों के मछुआरा समुदायों की तरह सुनामी आपदा के दौरान अपने घर और परिजन तो नहीं गंवाए थे पर उनके जाल नष्ट हो गए थे और वे अत्यधिक हताश थे। स्वसहायता समूह की अगुवा वनजा का कहना है कि सीआईएफटी ने हमें एक नई जिंदगी दी है, हमें जीविका का एक नया अर्थ और साधन प्राप्त हुआ है और हमारी योजना अंत तक इस पर कायम रहने की है। मछुआरे के लिए यह स्टॉल समुद्र से उनके संघर्ष के बाद का एक नियमित पड़ाव होगा। यहां वे अपनी गाढ़ी कमाई से अर्जित धन की सौगात पाएंगे।

समुद्र की ये संतानें एक बार फिर गहरे समुद्र में गोते लगाएंगी और संस्थान के सहयोग से प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल करने वाली महिलाएं अपना हिस्सा घर ला पाएंगी। इस काम से प्रभावित होकर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने विभिन्न राज्यों में इस प्रकार के स्टॉल लगाने की योजना बनाई है। □

(लेखिका पत्र सहायता सूचना कार्यालय, कोच्चि में सहायक सूचना अधिकारी हैं)

दुनिया के सुख-चैन पर साइबर का ग्रहण

○ अनन्त मित्तल



इंटरनेट की देश और काल की सीमाओं को धता बताने की खूबी के कारण उसे दुनिया की तमाम संस्कृतियों, भाषाओं, रीति-रिवाजों, जातियों और वर्णों को एक सूत्र में पिरोने का सूत्रधार माना जा रहा था। यह भी कहा जा रहा है कि इंटरनेट, नई प्रौद्योगिकी, उद्योग-व्यापार, सेवाओं और सामानों को बनाने और बेचने के तौर-तरीकों के अलावा पूरी दुनिया के सामने न्याय का प्रतीक बन रहा है, जिसका कोई भी सानी नहीं है। लेकिन दुनिया से अमीर-गरीब और काले-गोरे का फर्क मिटाने के लिए इंटरनेट से बंधी उम्मीदें पूरी होतीं, उससे पहले ही इस जबरदस्त संचार और व्यवहार माध्यम को तरह-तरह के काले धंधों, नशीली दवाओं के सौदागरों, माफिया ऑपरेशंस, देह व्यापार, अश्लीलता, अवैध हथियारों की सौदागरी, जासूसी वगैरह तमाम विध्वंसक हरकतों का ग्रहण लग गया है। इतनी ही नहीं यौन अपराधों और जुआ जैसी सामाजिक जरायम की हदें पार करके साइबर

क्राइम अब अंतरराष्ट्रीय जासूसी, विध्वंस और आतंकवादी तोड़फोड़ जैसे खतरनाक मुकामों तक पहुंच गया है। हाल में ब्रिटेन की एक कंपनी के संवेदनशील व्यापारिक आंकड़ों के भारत में उसके लिए इंटरनेट के माध्यम से काम कर रही एक कंपनी से चोरी चले जाने के विवाद ने सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से दुनिया को अटूट बंधन में बांधने की प्रौद्योगिकीकर्मियों की हसीन कल्पना पर भी सवालिया निशान लगा दिया है।

इसके भौतिक नुकसानों के अलावा सबसे बड़ा नुकसान यह हो रहा है कि इंटरनेट रूपी दुनिया के सबसे प्रगतिशील संचार माध्यम पर कट्टरपंथियों की पाबंदियों का शिंकजा कसने के आसार बन रहे हैं, क्योंकि वे मानवीय कमजोरियों और लिप्सा से उपजे इन षड्यंत्रों की दुहाई देकर साइबर पर दुनियाभर में सांस्कृतिक विघटन और अनाचार फैलाने का आरोप लगा रहे हैं।

इंटरनेट पर मची इस अराजकता के लिए

जहां मनुष्य की आदिम कमजोरियां, हवस और ईर्ष्या जिम्मेदार हैं, वहीं कड़े साइबर कानूनों की कमी भी इस जबरदस्त मीडिया को बुरी तरह डस रही है। पूरी दुनिया को हवा की तरंगों पर नाप लेने के बावजूद इंटरनेट पर गैरकानूनी गतिविधियों पर अंकुश लगाने का कोई अंतरराष्ट्रीय कानून आज तक नहीं बन पाया है। दुनिया के करीब नौ देशों ने इंटरनेट संबंधी कानून बनाए हैं, जिनमें भारत भी शुमार है। यहां अक्टूबर, 2000 से सूचना प्रौद्योगिकी कानून लागू हुआ है, लेकिन विशेषज्ञों की राय में इस कानून में इंटरनेट की पेचीदगियों का फायदा उठाकर बच निकलने वाले साइबर अपराधियों की गर्दन दबोच पाने के पुख्ता प्रावधानों की कमी है। उनके अनुसार इस कानून के अंतर्गत अब तक चूंकि एक भी अपराधी को बड़ी सजा नहीं हुई है, इसलिए इंटरनेट अपराधियों की संख्या लगातार बढ़ रही है और रोज नए से नए आपराधिक प्रयोग इंटरनेट पर हो रहे हैं। इस बारे में अपराधों के

शिकार बने लोगों का रवैया भी कम चिंताजनक नहीं है। वे लोग मामले की पुलिस द्वारा जांच की बजाय अदालत के बाहर ही मामले का रफा-दफा करवाना चाहते हैं।

साइबर कानूनों के विशेषज्ञ और वरिष्ठ अधिवक्ता पवन दुग्गल के अनुसार, सूचना प्रौद्योगिकी कानून की शुरुआत हालांकि ई-कॉमर्स यानी इंटरनेट के माध्यम से व्यापार को बढ़ावा देने के लिए हुई थी, मगर यह पेचीदगियों में फंस कर रह गया है। इसके अंतर्गत, उनके अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक आंकड़ों की सुरक्षा के प्रावधान आधे-अधूरे हैं, जिनके कारण बीपीओ के कारोबार में अड़चन आ सकती है। साथ ही प्राइवैसी यानी निजता को गुप्त रखने संबंधी प्रावधान भी कानून में नहीं हैं, जबकि जिन देशों के आंकड़े यहां कॉल सेंटर्स में आ रहे हैं, उनमें प्राइवैसी पर बहुत जोर दिया जाता है। श्री दुग्गल इस कानून में सजा का प्रावधान न्यूनतम तीन वर्ष से बढ़ाकर पांच या सात साल करने का सुझाव देते हैं।

साथ ही उनके मुताबिक मुकदमों का फैसला जल्दी होना चाहिए। फिलहाल स्थिति यह है कि सन् 2000 के मुकदमे भी अदालत में घिसट रहे हैं, जिससे साइबर अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। वे ई-कॉमर्स बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के प्रावधान करने के भी हिमायती हैं।

गौरतलब है कि राजधानी दिल्ली में एक वेबसाइट स्पेस किराये पर उपलब्ध कराने वाली कंपनी के मालिकों को अपने किरायेदार से मनमानी के आरोप में गिरफ्तार किया गया, क्योंकि सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत समय से भुगतान न आने के बावजूद, किसी की साइट बिना निर्धारित औपचारिकताएं पूरी किए बंद नहीं की जा सकती। अंततः यह मामला भी अदालत के बाहर ही निपटा लिया गया। शिकायत करने वाले और कथित अभियुक्तों के बीच सुलह-सफाई हो गई। यह कानून लागू होने से पहले भी इंटरनेट के घंटे चुराने, अपने पूर्व बॉस से बदला लेने के लिए उसकी

पत्नी के नाम अश्लील संदेश भिजवाने और वेबसाइट में अवैध रूप से घुसकर सूचना चुराने की गैरकानूनी हरकतों के मामलों में अपराधियों को पकड़कर उन पर मुकदमा शुरू किया तो गया लेकिन अदालतें आज तक उनका फैसला नहीं कर पाईं। इसी तरह बच्चों की एक कार्टून साइट पर बने जोकर पोकमैन की आड़ में अबोध-नाबालिग बच्चों के बीच सेक्स की कस्टमाइज्ड वीडियो क्लिप दिखाने वाले मामले के भंडाफोड़ के बाद साइबर स्पेस के बच्चों के लिए सुरक्षित होने न होने की बहस ने देश में तूल पकड़ा। इस सिलसिले में हालांकि हैदराबाद के एक कंप्यूटर इंजीनियर को गिरफ्तार किया गया, लेकिन पता चला कि उसका कुसूर सिर्फ इतना था कि उसने साइट का डोमेन नेम रजिस्टर कराया था। वरना इस साइट को बनाने वाला पेरू का निवासी था और उसका सर्वर अमरीकी था। साइट पर उसके निर्माता की जगह बेल्लिजियम के एक कस्बे की किसी लड़की का हवाला

पहला साइबर अपराधी

नेहरू प्लेस के एक सेवानिवृत्त कर्नल की शिकायत पर इंटरनेट टाइम चोरी का मामला दर्ज करके दिल्ली पुलिस ने सन् 2000 में राजधानी में भारत का पहला साइबर अपराधी गिरफ्तार किया था।

सिद्धार्थ एंक्लेव निवासी सेवानिवृत्त कर्नल जे.एस. बाजवा ने विदेश संचार निगम की इंटरनेट सेवा ले रखी थी। किसी व्यक्ति ने चार नवंबर से 22 दिसंबर, 1999 तक श्री बाजवा के इंटरनेट खाते से 107.42 घंटे का समय चोरी करके इस्तेमाल कर लिया था। श्री बाजवा ने अपराध शाखा में शिकायत की तो 25 मई, 2000 को थाना श्रीनिवासपुरी में चोरी के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। इस मामले की जांच टीम ने पाया कि श्री बाजवा ने अपना इंटरनेट सक्रिय कराने के लिए निकोम सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड से संपर्क किया था। इस कंपनी ने इंटरनेट सक्रिय करने के लिए श्री बाजवा के घर

अपने कंप्यूटर इंजीनियर मुकेश गुप्ता को भेजा था। मुकेश ने इंटरनेट सक्रिय किया और श्री बाजवा के इंटरनेट कनेक्शन का पासवर्ड पता कर लिया।

पुलिस टीम ने श्री बाजवा के इंटरनेट खाते में आने वाली फोन कॉल का रिकार्ड विदेश संचार निगम से लिया। इस रिकार्ड से दस नंबर ऐसे मिले, जिनके बारे में श्री बाजवा खुद भी नहीं जानते थे। इन्हीं नंबरों से दो नंबर एक कंपनी के पाए गए। पुलिस ने इस कंपनी के लोगों से संपर्क किया तो मालूम हुआ कि उन्होंने भी अपने कंप्यूटर सर्विस का अनुबंध निकोम कंपनी से किया हुआ है। आगे की जांच-पड़ताल में यह भी पता चला कि जिस दौरान श्री बाजवा का समय चोरी हुआ था, उसी दौरान इंजीनियर मुकेश गुप्ता इस कंपनी में भी गया था। मुकेश गुप्ता ने इस कंपनी के इंटरनेट से ही श्री बाजवा का समय इस्तेमाल किया। यही नहीं, मुकेश इस कंपनी के

निदेशक के घर के अलावा दो अन्य स्थानों पर भी गया, जहां से उसने श्री बाजवा के इंटरनेट का समय चुराया। इन तथ्यों की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 379 के तहत मुकेश को गिरफ्तार किया था।

मुकेश गुप्ता ने श्री बाजवा का पासवर्ड अन्य कुछ लोगों को भी दिया था और इन लोगों ने भी समय चुराया। 24 वर्षीय मुकेश गुप्ता गांधीनगर स्थित राजगढ़ कालोनी का निवासी है। उसने दिल्ली से स्नातक और कंप्यूटर का डिप्लोमा किया हुआ है। छानबीन के बाद पुलिस ने उन लोगों की भी पहचान कर ली, जिन्होंने मुकेश से हासिल बाजवा के इंटरनेट पासवर्ड का इस्तेमाल करके बाजवा के इंटरनेट खाते से समय चोरी किया था। इनमें एक थारक्षा मंत्रालय का निदेशक (फाइनेंस एवं वर्क्स) भगत सिंह व दूसरा पेशे से कंप्यूटर इंजीनियर शशि नागपाल।

इंटरनेट और इसका प्रयोग

इंटरनेट की स्थापना अमरीका के रक्षा विभाग ने की थी। इसकी स्थापना का उद्देश्य रक्षा संबंधी सूचनाओं को कंप्यूटर के द्वारा एक जगह से हजारों मील दूर स्थापित दूसरे कंप्यूटर में शीघ्रता से पहुंचाना था। वह प्रयोग अपेक्षा से ज्यादा सफल रहा। प्रारंभ में इसे आर्पनेट कहा गया, लेकिन जब इसका प्रयोग अमरीका विश्वविद्यालय और अन्य सरकारी संस्थायें करने लगीं तो इसका नाम बदलकर इंटरनेट हो गया। इंटरनेट को यदि आज के हिसाब से परिभाषित करें तो केवल यही कहा जा सकता है कि यह दुनियाभर में फैले लाखों कंप्यूटरों का नेटवर्क है। यह सभी कंप्यूटर एक-दूसरे से जुड़े रहते हैं तथा आपस में किसी भी तरह की सूचनाओं का आदान-प्रदान शीघ्रता से कर लेते हैं। इसलिए इंटरनेट को सूचना महामार्ग या इफॉर्मेशन सुपर हाइवे भी कहा जाता है। आज लगभग एक अरब लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। यह संख्या बढ़ती ही जा रही है।

इंटरनेट पर निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध हैं :

- ई-मेल - यह इंटरनेट की डाक सेवा है। जिसका पूरा नाम इलैक्ट्रॉनिक मेल है। इस सेवा का प्रयोग करके किसी भी सूचना और संदेश को कंप्यूटर के द्वारा दुनिया के किसी भी कोने में चंद सेकेंडों में आदान-प्रदान कर सकते हैं। यह सेवा सबसे सस्ती है लेकिन जरूरी यह है कि जिसे ई-मेल कर रहे हैं उसका ई-मेल पता ज्ञात हो।
- वर्डवाइड वेब - यह इंटरनेट द्वारा प्रदान की जाने वाली एक व्यावसायिक सेवा है, इसे संक्षेप में www भी कहा जाता है। इस सेवा का प्रयोग करके अपने उत्पाद को समूची दुनिया के सामने पेश किया जा सकता है।
- एफटीपी - इसका पूरा नाम फाइल ट्रांसफर

प्रोटोकॉल है। इस सेवा के जरिये किसी भी फाइल का आदान-प्रदान कर सकते हैं।

- टेलीनेट - यह संचार की एक ऐसी सेवा है, जिसके द्वारा दूसरे सिस्टम तक पहुंच कर उस सिस्टम में उपलब्ध सूचनाओं का लाभ ले सकते हैं।
- होम पेज - इस सुविधा में किसी भी व्यक्ति, संस्था या उत्पाद का प्रचार किया जा सकता है।
- आर्ची - इस सुविधा में सूचनाओं को ढूंढ सकते हैं। यह एक तरह से सर्वसंग्रह है, जिसमें अपनी पसंद की वेबसाइट ढूंढकर उसकी विशेष साइट देख सकते हैं।
- गोफर - यह इंटरनेट की ऐसी सुविधा है जिसमें जब आर्ची सुविधा से किसी सूचना को तलाश कर लेते हैं तो यह गोफर द्वारा कंप्यूटर पर लोड हो जाएगी।
- वेरोनिका - वेरोनिका वह प्रोग्राम है जिसके पास गोफर के जरिए पहुंच होती है। इस सेवा के तहत किसी भी तरह के चित्र और फिल्म देख सकते हैं। सेल एकाउंट में केवल लिखित सामग्री को ही प्रयोग किया जा सकता है।
- वॉयप - वॉयस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल-इसके अंतर्गत इंटरनेट पर बातचीत का प्रावधान है। इसे सरकार दूरसंचार कानून में संशोधन करके कानूनी मान्यता प्रदान कर चुकी है और अब कॉल सेंटर व्यवसाय में ज्यादातर बातचीत वॉयप से ही होती है।
- डोमेन - इंटरनेट में सूचनाओं को वर्गीकृत करने के लिए जिन विस्तार नामों को प्रयोग किया जाता है उन्हें डोमेन कहते हैं। सुविधा के लिए आठ वर्गों में बांटा गया है।
(ए) डॉट कॉम - इस वर्ग में व्यापारिक संगठनों को रखा गया है।
(बी) डॉट.ई.डी.यू. (एजू)- इस वर्ग में शैक्षणिक संस्थानों को लिया जाता है।
(सी) डॉट.एम.आई.एल. (मिल.) इस वर्ग में अमरीकी सरकार के फौजी संस्थान

आते हैं।

(डी) डॉट जी.ओ.वी. (गोव) - इस वर्ग में अमरीकी सरकार के सरकारी संस्थान आते हैं।

(ई) डॉट ओ.आर.जी. (.आर्ग)- इस वर्ग में वे संस्थाएं आती हैं, जो पूर्ण रूप से व्यापारिक नहीं हैं।

(एफ) डॉट एन.ई.टी. (.नेट) - इस वर्ग में नेटवर्किंग संस्थाएं आती हैं।

(जी) डॉट आई.एन.डी. (.इन्ड) - इस वर्ग में अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को रखा गया है।

(एच) डॉट आई.एन., डॉट ए.यू., डॉट एन.जेड. (.इन.एयू नूज) - इन वर्गों में कुछ विशेष देशों को रखा गया है।

इंटरनेट की लोकप्रियता और बढ़ते उपयोग के कारण इसमें नए वर्ग भी जोड़ दिए गए हैं, जैसे -(डॉट) .फर्म, .स्टोर, .वेब, .आर्ट्स, .रेक, .इनो, .नोम।

- इंटरनेट ब्राउजर - ब्राउजर एक ऐसे सॉफ्टवेयर का नाम है जिसकी मदद से ही कंप्यूटर का नाता इंटरनेट से जुड़ता है। इसकी मदद से ही हम लिखित सामग्री से लेकर फिल्में तक देखते हैं।
- इंटरनेट के प्रयोग के लिए कुछ अतिरिक्त उपकरणों और सॉफ्टवेयर की भी आवश्यकता पड़ेगी जैसे एक्सटर्नल मोडेम, टेलीफोन हैंडसेट, कनेक्टर केबल, टेलीफोन वायर आदि।
- निजी वेबसाइट शुरू करने के लिए अमरीका अथवा कनाडा में स्थापित एजेंसी से एक अदद नाम लेना होता है। वह नाम केवल एक ही व्यक्ति को दिया जाता है, जिसके लिए एक निश्चित पंजीकरण शुल्क अदा करना पड़ता है।
- एक अनुमान के अनुसार इस समय तीन लाख से अधिक वेबसाइट इंटरनेट पर दिखाई पड़ती हैं, जिनकी संख्या तेजी से बढ़ रही है।

□

था।

इंटरनेट पर पीडोफीलिया यानि बच्चों से सेक्स का ये अकेला मामला नहीं है। मनोविकृति की शिकार ऐसी सैकड़ों साइट्स धड़ल्ले से इंटरनेट पर देखीं और दिखाई जा रही हैं जबकि बालिगों के बीच सेक्स की साइट्स की संख्या तो अब लाखों में है। इन पर हर तरह के विकृत कारनामे नमूदार हैं। दुनिया की किसी भी सेलिब्रिटी फिल्मी तारिका या नेता के विकृत और अश्लील चित्र तो ऐसी साइट्स पर दिखाए जाना आम बात है। ऐसे तमाम कचरे से सावधान रहने की आवश्यकता है। इंटरनेट की विषकन्याएं असली इतिहासवर्णित विषकन्याओं से भी ज्यादा घातक हैं, क्योंकि अपने कपोलकल्पित अस्तित्व के कारण जहां ये मानसिक अस्थिरता की शिकार बनाती हैं, वहीं ये अपने साथ लाए गए वायरस से कंप्यूटर की हार्ड डिस्क की सारी गुत्थियां खोलकर के क्रेडिट कार्ड की तफसील हासिल कर लेती हैं। ये नाबालिग बच्चों को ड्रग यानी नशीली दवाओं के अड्डों का रास्ता भी दिखाती हैं। इतना ही नहीं, प्रतिबंधित दवाओं का खून भी उनके मुंह लगाकर इसके लिए पैसा जुटाने को उन्हें जुआ खेलने और सट्टे का दाव लगाने का न्यौता देती हैं। यदि बच्चों के पास पैसे न हों तो मां या बाप का क्रेडिट कार्ड चुराकर उसके जरिये भुगतान का खोटा रास्ता भी ये विषकन्याएं दिखा रही हैं।

इंटरनेट के आंकड़ों को जुटाने वाली अंतरराष्ट्रीय कंपनी नेट वैल्यू के एक सर्वे के मुताबिक, ब्रिटेन के इंटरनेट प्रयोक्ताओं में से एक-तिहाई से ज्यादा लोग अश्लील साइट्स देखते हैं। सर्वे का और एक नतीजा इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला है, जिसके मुताबिक, ब्रिटेन के लोगों में सबसे ज्यादा लोकप्रिय 6,000 साइट्स में से 40 फीसदी यानी 2,400 साइट्स में किसी न किसी बहाने अश्लीलता परोसी जा रही है। हालांकि सबसे ज्यादा प्रचलित साइट याहू और संगीत एवं किताबों से संबंधित साइट्स ही हैं मगर अश्लील साइट्स के करीब आधे दर्शक 12 से 20 साल तक के

किशोर और युवा लोग हैं। चिंताजनक तथ्य यह है कि ये आंकड़े सिर्फ ब्रिटेन पर ही लागू नहीं होते तमाम देशों में इंटरनेट के दुरुपयोग की कमोबेश यही तस्वीर है। भारत और हमारे जैसे विकासशील देशों की स्थिति तो और भी खराब है। देश की राजधानी दिल्ली हो या सुदूर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, साइबर कैफे में पहुंचकर इंटरनेट खोलते ही असलियत सामने आ जाती है। नेट कनेक्ट करने के लिए वेबसाइटों की सूची खुलते ही उसमें ज्यादातर नाम अश्लीलता दिखाने वाली वेबसाइटों के ही होते हैं। ऐसी वेबसाइटें देखने पर हालांकि कानूनन रोक है, लेकिन नशीली दवाओं की तरह यह धंधा भी कानून की छतरी के नीचे ही बेरोकटोक फलफूल रहा है।

दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने 10 मई, 2000 को पहली बार एक अश्लील साइट का भंडाफोड़ किया था, जिस पर अश्लील चित्र व साहित्य सामग्री प्रसारित करने का आरोप लगाया गया है। पुलिस के मुताबिक वेबसाइट के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 292 व 34 के तहत मामला दर्ज किया गया था। साथ ही पुलिस ने इस वेबसाइट से आपत्तिजनक अवस्था वाले चित्र व अन्य अश्लील साहित्य डाउनलोड किया मगर, इस सिलसिले में अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा के उपायुक्त रहे, डी.के. भट्ट के मुताबिक पुलिस की वेबसाइट पर एक व्यक्ति ने ई-मेल के जरिये ही इस वेबसाइट के बारे में सूचना दी थी। तब पुलिस निरीक्षक के.एस. भटनागर व कंप्यूटर ऑपरेटर सहायक उपनिरीक्षक कंवलजीत सिंह ने वेबसाइट को पुलिस मुख्यालय के कंप्यूटर सेंटर से जोड़ा। पुलिस ने वेबसाइट का पहला पेज खोला तो उसमें विभिन्न श्रेणी वाले कई विकल्प दिखाई पड़े। पुलिस ने इनमें मनोरंजन वाले विकल्प को खोला तो उसमें कई साइट्स मिलीं।

अच्छी से अच्छी, ज्यादा से ज्यादा जानकारी देने वाली साइट्स जहां पैसे की कमी से एक के बाद एक बंद हो रही हैं, वहीं अश्लीलता परोसने वाली साइट्स दिन दूनी, रात चौगुनी

फूल रही हैं। इनमें से ज्यादातर साइटों पर नकद फीस चुकाकर ही घुसा जा सकता है। एक मोटे अंदाज के मुताबिक अकेले अमरीका में ही रोजाना 27 लाख लोग इन अश्लील साइटों को देखने की करोड़ों डॉलर फीस चुका रहे हैं, जबकि याहू की साइट को रोजाना साढ़े पंद्रह करोड़ लोग दुनियाभर में खोलते हैं मगर एकदम मुफ्त। इसी तरह इंटरनेट पर जुए का भी दूसरे तमाम कानूनी धंधों से ज्यादा बोलबाला है। इस बारे में उपलब्ध आंकड़े के मुताबिक जुए, लॉटरी और सट्टे का धंधा इंटरनेट पर इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि 1999 में यह एक अरब डॉलर की सीमा पार करके एक अरब, 20 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया जो रुपये में करीब 58 अरब रुपये बैठता है। पिछले पांच साल में इंटरनेट का प्रयोग करने वालों की संख्या करीब दस गुना बढ़ी है।

इंटरनेट पर जुए की फैलती लत से साइबर स्पेस के जन्मदाता अमरीका में इस कदर सनसनी फैल रही है कि वहां की संसद 'कांग्रेस' में इस पर रोक लगाने संबंधी विधेयकों की लाइन लगी है। हालांकि तकनीकी तौर पर इंटरनेट पर जुआखोरी अवैध है, क्योंकि अमरीकी संघीय अंतरराष्ट्रीय वायर कानून के तहत अमरीकी दूरसंचार प्रणाली के जरिये जुआ खेलने पर रोक लगी हुई है।

इसके अलावा वेबसाइट पर म्यूजिक यानी संगीत की चोरी करवाने के आरोप में जहां नेप्स्टर पर अमरीका की एक जिला अदालत में मुकदमा चल चुका है, वहीं स्कार्फ मीडिया एजेंट, आईमेफ्टा, जीनटेला और क्यूट एम. एक्स भी अप्रत्यक्ष रूप से इंटरनेट ग्राहकों को संगीत डाउनलोड कराने के धंधे में लगे हुए हैं। इससे एक तरफ कॉपीराइट और पेटेंट कानूनों का सरासर उल्लंघन हुआ है और दूसरी तरफ म्यूजिक कंपनियों को करोड़ों डॉलर सालाना का चूना भी लगा है। नेप्स्टर को दुनिया की चंद बड़ी म्यूजिक कंपनियों के संगठन रिकॉर्डिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ अमरीका द्वारा 13,500 गानों और धुनों की सूची थमाकर इन्हें अपनी इंटरनेट साइट के जरिये अवैध रूप से डाउनलोड कराने से बाज

आने की चेतावनी दी जा चुकी है। अब इस मोर्चे पर आपसी समझौते के बाद शांति है।

इसी तरह कई देशों में इंटरनेट की सैकड़ों साइटें प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री भी धड़ल्ले से वहां का कानून तोड़ कर कर रही हैं। ऐसी दवाओं में मोटापा घटाने की जेनिकल, गंजापन रोकने की प्रोपीशिया और बच्चों को वियाग्रा की बिक्री पर ब्रिटेन में प्रतिबंध है, मगर वेबसाइटों पर आर्डर लेकर अमरीकी कंपनियों इन दवाओं को वहां धड़ाधड़ सप्लाई कर रही हैं। भारत में भी वेबसाइटों के जरिये नशीली दवाओं का धंधा परवान चढ़ रहा है, लेकिन प्रवर्तन तंत्र की सुस्ती के कारण आजतक किसी को सजा नहीं हो पाई।

अमरीका में भी भारत की तरह बिना डाक्टर परचे के दवा बेचना अवैध है, मगर सरकारी दस्तावेज बता रहे हैं कि वहां करीब 400 वेबसाइट इसी धंधे में खुलेआम लगी हुई हैं। अमरीकी सीनेट की स्वास्थ्य संबंधी समिति के सामने इन वेबसाइटों पर पाबंदी लगाने की मांग करते हुए कंसास के अटार्नी जनरल कार्ल स्ओवाल ने बताया कि अमरीका में सिर्फ छह वैध ऑनलाइन फार्मसी हैं। जबकि ऐसी अवैध साइट्स की तादाद 400 से ज्यादा है, जो बिना नुस्खे के दवाओं की कालाबाजारी कर रही हैं। इसी तरह नेट पर तरह-तरह के मशहूर सॉफ्टवेयर की नकल की भी धड़ल्ले से बिक्री हो रही है। हॉटलाइन ऐसा ही एक सॉफ्टवेयर है जिसकी ऑनलाइन डुप्लीकेट बिक्री का फायदा उठाकर एमपी 3, अश्लील कंटेंट और डिजीटाइज्ड फिल्मों तक वीसीडी की शकल में बेची जा रही हैं। कुल मिलाकर साइबर स्पेस ठगी का अड्डा बनता जा रहा है। मनोवैज्ञानिकों के मुताबिक इंटरनेट पर अपराधों की जकड़ और गैरकानूनी हरकतें करने का आकर्षण चोर या अपराधी की पहचान गुप्त रहना तो है ही, साथ ही उनके मुताबिक नेट के जरिए बड़ी आसानी से अपने घर की सुरक्षित चारदीवारी से अंडरवर्ल्ड का एक कोना कंप्यूटर पर ही बना लिया जा सकता है। दिलचस्प बात यह है कि इसकी लगाम भी खोलने वाले के हाथ में रहती है और ऊपर

से वह इस भुलावे में रहता है कि इसमें कुछ अवैध नहीं है, जबकि असल में वह कानून का सरासर उल्लंघन कर रहा है।

'नेट हैकर्स' यानी दूसरों की साइट में चोरी-छुपे घुसकर उसके सारे निजी राज बटोर लाने वाले चोर आखिर यह धतकरम नई टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर तालों की नई चाबियां खोजकर ही कर रहे हैं। इसी तरह इंटरनेट के जरिए आतंकवाद और साइबर युद्ध की तैयारी में जुटे लोगों को भी प्रौद्योगिकी की महारत तो हासिल है ही। यह बात दीगर है कि वे अपनी महारत का इस्तेमाल कानून व्यवस्था और देशों को तोड़ने व अपने अधीन करने और अपनी दादागिरी जमाने के लिए कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली और जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा इंटरनेट का दुरुपयोग अपने विध्वंसक मंसूबे पूरे करने के लिए करने की मिसालें इस तथ्य की पुष्टि कर रही हैं।

हैकिंग तो यूं भी बच्चों का खेल बन गया है। ब्रिटेन में हेयरफोर्ड में एक्स नाम के एक किशोर हैकर ने लॉयड्स और रेलट्रैक की साइट चीरकर उनमें कई रिजर्वेशन कैंसिल कर दिए थे, जिससे न्यू ईयर ईव के भीड़भाड़ वाले सीजन में अफरातफरी मच जाए, मगर वह पकड़ा गया। हैकिंग का यह खेल सिर्फ ब्रिटेन में ही नहीं बल्कि अपने दिल्ली-मुंबई में भी बच्चों और किशोरों को खूब रास आ रहा है। उत्तरांचल के प्रमुख शहर रुड़की में तो इसी लफड़े में एक किशोर की उसी के साथियों ने हत्या कर डाली थी। इसी तरह एक कॉल सेंटर के कर्मचारी द्वारा अपनी अमरीकी ग्राहक के क्रेडिट कार्ड का विवरण चुराकर उसके कार्ड के जरिए टीवी खरीदे जाने का सनसनीखेज मामला भी हैकिंग की ही बुरी मिसाल था।

हैकिंग की यह महारत इन बच्चों को सिखाने के लिए राजधानी दिल्ली के ही नेहरू प्लेस और पालिका बाजार में 100 से 200 रुपये की सीडी खुलेआम बिक रही हैं। इनमें पासवर्ड की चोरी, कंप्यूटर गेम्स का पासवर्ड तोड़कर उसे चुराने की तकनीक, वेबसाइट

को तहस-नहस कर देने के तरीके और निजी ई-मेल में सेंध लगा सकने के सॉफ्टवेयर हैं, जिनसे बच्चे अनजाने में ये सारे अपराध फिलहाल तो शौकिया कर रहे हैं, लेकिन वह कानून की गिरफ्त में कभी भी आ सकते हैं।

हैकरों की यह जमात बड़ों में भी तेजी से बढ़ रही है। रूस के कुछ युवा हैकर लगातार कई हफ्ते दुनिया के सॉफ्टवेयर कारोबार के बादशाह बिल गेट्स की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के नेटवर्क के भीतर घुसकर बैठे रहे। यानी माइक्रोसॉफ्ट की सारी प्रौद्योगिकीय बाधाएं तोड़कर उन्होंने कंपनी के सॉफ्टवेयर सिस्टम की अपने कंप्यूटर के जरिये जबरदस्त जासूसी की और ये माना गया कि वे माइक्रोसॉफ्ट के धंधे के कई राज यानी सोर्स कोड ले उड़े। हालांकि दुनिया की नंबर वन सॉफ्टवेयर कंपनी ने ऐसी किसी आशंका से इंकार किया था, जो शायद साख बचाने के लिए जरूरी था। हैकर्स ने इस घुसपैठ के लिए कॉज वायरस को जरिया बनाया था। हैकिंग और वायरस का ये धंधा कुछ खुराफाती दिमागों की खब्त के साथ ही अब मोटी कमाई और आतंकवाद फैलाने का रास्ता भी बनता जा रहा है। अमरीकी सुरक्षा एजेंसी नासा के कंप्यूटर भी अपवाद नहीं हैं। इंटरनेट पर एक मोटे अंदाज के मुताबिक फिलहाल 50,000 से ज्यादा किस्म के वायरस साइट्स का शिकार करते घूम रहे हैं। इससे वायरस का तोड़ ढूंढने का धंधा भी खूब चल निकला है। इनमें से कई लोग तो वायरस छोड़ने वाले ही हैं। इनमें से आई लव यू, मैलिसा, स्मार्टडाग और मारिहुआना वगैरह वायरस बेहद घातक साबित हुए हैं और इनसे अरबों रुपये के सॉफ्टवेयर और डेटा का नुकसान हुआ है।

हैकिंग के इस धंधे की शुरुआत पाकिस्तान से हुई मानी जाती है, वहां बाकायदा पाकिस्तान हैकर्स क्लब है। वहां के हरकत-उल एमओएस ने भारत के वैज्ञानिक संस्थानों से लेकर सेना प्रतिष्ठानों तक पर अपनी वेबसाइट खोल रखी है जिनके नाम हैं, आईएससी 2000 डॉट ओआरजी डॉट इन, इंड आर्मी-इन जे एंड के डॉट ओआरजी और निक डॉट अर्नेट डॉट

गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए साइबर कानून में बदलाव जरूरी : प्रधानमंत्री

आउटसोर्सिंग के खिलाफ जारी जोरदार विरोध के बीच ब्रिटेन के द सन समाचार पत्र ने यह आरोप लगाते हुए एक खबर छाप दी कि दिल्ली में एक आईटी कर्मचारी ने 5,000 यूरो लेकर ब्रिटेन के 1,000 ग्राहकों के बैंक खातों, क्रेडिट कार्डों और व्यक्तिगत डेटा गोपनीय सूचनाएं उसके एक रिपोर्टर को बेच दी है।

डेटा प्रोसेसिंग उद्योग में व्यक्तिगत सूचनाएं लीक होने की घटनाओं पर चिंता प्रकट करते हुए प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने डेटा की गोपनीयता सुनिश्चित करने और अवैध रूप से डेटा अंतरित करने को दंडनीय अपराध घोषित करने हेतु साइबर कानूनों में बदलाव का आह्वान किया।

डॉ. सिंह ने साइबर अपराधों से निपटने के लिए सरकार और उद्योग जगत द्वारा उठाए

गए कदमों की समीक्षा की। उन्होंने ब्रिटेन के ग्राहकों की व्यक्तिगत सूचनाएं लीक किए जाने से उपजे विवाद के मद्देनजर यह बैठक बुलाई थी।

प्रधानमंत्री के मीडिया सलाहकार संजय बारु ने विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और नैसकॉम से कहा कि वे सभी संबद्ध पक्षों से सलाह-मशविरा करके वर्तमान कानूनों में बदलाव के लिए सुझाव दें।

उन्होंने इनसे यह सुनिश्चित करने को कहा कि किसी की गोपनीयता भंग न हो तथा वाणिज्यिक और अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं अवैध तरीके से अंतरित न होने पाए। साथ ही, अन्य प्रकार के साइबर अपराधों को रोका जाए और यदि जरूरी हो तो इन्हें दंडनीय अपराध बनाया जाए।

डॉ. सिंह ने डेटा प्रोसेसिंग व्यवसाय में उच्च क्वालिटी, गोपनीयता और विश्वसनीयता बरकरार रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय विशेषज्ञों ने परिश्रम, समर्पण और प्रतिबद्धता के बल पर विश्व में अपनी एक खास पहचान बनाई है और कुछेक व्यक्तियों की गुमराह करने वाली गतिविधियों से सभी विशेषज्ञों की प्रतिष्ठा पर आंच नहीं आने दी जानी चाहिए।

नैसकॉम के अध्यक्ष किरण कार्णिक ने केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी सचिव ब्रजेश कुमार के साथ इस बैठक में भाग लिया, उन्होंने डॉ. मनमोहन सिंह को आश्वासन दिया कि भारतीय डेटा प्रोसेसिंग उद्योग गोपनीयता सुनिश्चित करने के उच्च मानकों के लिए पूरी तरह वचनबद्ध है। □

इन। इनकी मार्फत सीमा पार से संवेदनशील सूचना वाले कंप्यूटरों में वायरस छोड़े जा रहे हैं। इसके अलावा साइबर स्पेस में एक-दूसरे के वेब को गिराने के खेल में पाकिस्तान और भारत ही नहीं, चीन और ताईवान भी लगे हुए हैं। आशंका यह जताई जा रही है कि साइबर युद्ध के यह तौर-तरीके भविष्य की लड़ाइयों में निर्णायक सिद्ध होंगे क्योंकि सारी हथियार और हमला प्रणालियां धीरे-धीरे कंप्यूटर और उपग्रह आधारित होती जा रही हैं और एक बार सिस्टम में वायरस घुस जाने पर सारे हथियारों, लड़ाकू विमानों और जहाजों को लकवा मार सकता है।

इन आपराधिक कारगुजारियों के अलावा इंटरनेट आज पति-पत्नी के रिश्तों में भी बाधा बनने लगा है। हाल में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की

कंपनी में कार्यरत सुमित- बदला नाम- की पत्नी ने सुमित की दोस्ती इंटरनेट पर अमेरिका में लास एंजलिस में एक महिला से हो जाने पर आत्महत्या कर ली। सुमित की यह दोस्ती नेट पर चैटिंग के दौरान हुई थी और धीरे-धीरे ऐसी परवान चढ़ी कि वह सुध बुध खोकर चैटिंग में ही मुब्तिला रहने लगा। इस पर सुमित की डॉक्टर पत्नी ने उसे समझाया मगर वह नहीं माना और अपनी मित्र से मिलने अमरीका जा धमका।

इसके विरोध में भावनात्मक रूप से कमजोर पड़कर सुमित की पत्नी ने पंखे से लटक कर जान दे दी। वह अपने पीछे चार साल का बेटा छोड़ गई है। देश की साइबर राजधानी बंगलूर में पिछले दिनों घटे इस हादसे से पूरा शहर स्तब्ध रह गया था। आश्चर्य ये है

कि सुमित की दिवंगत पत्नी से शादी भी प्रेम विवाह ही था।

कंप्यूटर, इंटरनेट और विज्ञापन की दुनिया से पिछले 20 साल से जुड़े लंदन स्थित प्रोफेशनल इंद्र सिन्हा ने अपने एक दुःस्वप्न जैसे तजुर्बे पर बाकायदा लेख लिखा। श्री सिन्हा ने इंटरनेट के ऐसे ही विद्रूपों पर एक किताब लिखी है, जिसका शीर्षक है, *साइबर जिप्सीज : ए ट्रू टेल ऑफ लस्ट, वार एंड ब्रिट्रेयल ऑन द इलेक्ट्रॉनिक फ्रंटियर।* इसमें उन्होंने साइबर की जालसाज दुनिया का परत दर परत भंडा फोड़ा है और यह भी बताया है कि इंटरनेट कैसे समाज और परिवारों को जोड़ने की बजाय उन्हें तोड़ने का कारण बन रहा है। □

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं)

कृषि और वित्त क्षेत्र के लिए उपसमिति गठित होगी

राष्ट्रीय विकास परिषद ने सुधार के उपाय और सामाजिक क्षेत्र के लिए नई पहल को मंजूरी दी

राष्ट्रीय विकास परिषद ने 10वीं पंचवर्षीय योजना की मध्यावधि समीक्षा में आर्थिक सुधारों की गति तेज करने के लिए सुझाए गए कदमों और सामाजिक क्षेत्र के लिए नई पहल को मंजूरी दे दी है। इसमें आर्थिक विकास की दर में कमी के लिए दो क्षेत्रों की पहचान की गई है। ये हैं- कृषि उत्पादन में कमी और राज्यों की कमजोर आर्थिक स्थिति।

राष्ट्रीय विकास परिषद ने इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री की सलाह पर दो उपसमितियों के गठन का फैसला किया है। इनमें से एक कृषि क्षेत्र के बारे में सुझाव देगी, जबकि दूसरी उपसमिति राज्यों को दिलाए गए ऋणों पर राहत के बारे में विचार करेगी।

प्रधानमंत्री ने योजना आयोग को 11वीं योजना का प्रारूप पत्र तैयार कर इस साल राष्ट्रीय विकास परिषद को पेश करने का निर्देश दिया है।

कृषि क्षेत्र के लिए बनाई गई उपसमिति के अध्यक्ष केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार होंगे। यह समिति कृषि क्षेत्र के लिए एक कार्ययोजना तैयार करेगी। गौरतलब है कि इस क्षेत्र में वृद्धि दर निर्धारित 4-1 फीसदी के आधे से भी कम आंकी गई है। 23 जून को राष्ट्रीय

विकास परिषद की बैठक में अपने समापन संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि उपसमिति 6 महीनों के भीतर अपनी रिपोर्ट पेश कर देगी, जिसे 11वीं योजना की तैयारी के दौरान ध्यान में रखा जाएगा।

दूसरी उपसमिति, राज्यों को दिए गए ऋणों पर राहत के बारे में विचार करेगी। उसकी अध्यक्षता वित्तमंत्री पी.चिदम्बरम करेंगे। यह समिति जिन मुद्दों पर ध्यान देगी उनमें राष्ट्रीय लघु बचत योजनाओं से लिए गए ऋण शामिल हैं।

वित्तीय क्षेत्र पर बनाई गई उपसमिति के बारे में योजना आयोग के उपाध्यक्ष डा. मोंटेक सिंह अहुलवालिया ने पत्रकारों को बताया कि हालांकि 12वें वित्त आयोग ने उपसमिति गठित करने का सुझाव दिया था, मगर उसमें राज्यों द्वारा राष्ट्रीय लघु बचत योजनाओं से लिए गए ऋणों के बारे में कोई सुझाव नहीं था। यह राज्यों की कमजोर आर्थिक स्थिति को दर्शाता है और इस कारण उपसमिति इस पर गौर करेगी।

डा. मनमोहन सिंह ने केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं को नया स्वरूप देने के लिए एक विशेषज्ञ समूह के गठन का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने यह भी जानकारी दी कि कई

राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं को राज्यों को सौंप देने या फिर उन्हें चार या पांच प्रमुख क्षेत्रों में रखने की मांग की है जिससे राज्य अपनी जरूरतों के मुताबिक योजनाएं चला सकें। कृषि और सिंचाई के मुद्दे पर सभी मुख्यमंत्रियों की चिंता एक जैसी थी।

राज्यों की मांग

- कृषि क्षेत्र के विकास के लिए ऋण मुहैया कराने की व्यवस्था को पुनर्जीवित करना।
- कृषि क्षेत्र में विस्तार योजनाओं के स्तर में सुधार लाना।
- कृषि क्षेत्र में पूंजी निवेश को बढ़ावा देना।
- रोजगार गारंटी कानून के तहत भुगतान के लिए धनराशि मुहैया कराना।
- केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं को राज्यों को हस्तांतरित करना।
- योजनाओं के क्रियान्वयन में राज्यों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए लचीलापन अपनाना, जैसे- सर्वशिक्षा अभियान, भारत निर्माण।

318 मुद्दों पर सर्वसम्मति

राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत के क्रम में योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहुलवालिया ने

राष्ट्रीय विकास परिषद

राष्ट्रीय विकास परिषद योजना से जुड़े मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय स्थापित करने वाला एक महत्वपूर्ण संगठन है। देश के पहले राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक उस समय हुई जब स्व. वी.एन. गाडगिल योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे। इसके गठन का उद्देश्य था योजना के सही क्रियान्वयन के लिए देश के संसाधनों और प्रयासों को एक मंच पर लाना जिससे

महत्वपूर्ण क्षेत्रों में एक समान आर्थिक नीतियों को सामने लाया जा सके और देश के सभी इलाकों में संतुलित और त्वरित विकास हो सके।

राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य कार्य है समय-समय पर राष्ट्रीय योजना की समीक्षा करना, विकास से जुड़े सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर विचार करना और योजना के लक्ष्य और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपाय सुझाना।

राष्ट्रीय विकास परिषद इस दिशा में लोगों

का सक्रिय सहयोग प्राप्त करता है, प्रशासनिक सेवाओं की कार्यक्षमता बढ़ाने के सुझाव देता है और विकास की राह में हाशिये पर खड़े क्षेत्रों और समाज के वर्गों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करने का माध्यम बनता है।

राष्ट्रीय विकास परिषद में प्रधानमंत्री केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य, योजना आयोग के उपाध्यक्ष और राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। □

विकास की राह पर

कृषि क्षेत्र में वृद्धि की दर चिंताजनक : प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय विकास परिषद में बताया कि 10वीं योजना में 8.1 फीसदी आर्थिक विकास दर के लक्ष्य को पूरा नहीं किया जा सकता है।

27 जून को नई दिल्ली में राष्ट्रीय विकास परिषद की 51वीं बैठक को संबोधित करते हुए डा. मनमोहन सिंह ने कहा, "हम विकास दर में वृद्धि हासिल कर सकते हैं और यही हमारा लक्ष्य भी होना चाहिए। हमारी सरकार ने 7 से 8 फीसदी की विकास दर का लक्ष्य रखा है और 10वीं योजना के बाकि बचे दो सालों के लिए यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। हालांकि अगर हम इस वृद्धि दर को भी हासिल कर लें, फिर भी पूरी योजना अवधि के 8 फीसदी के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे।"

मध्यावधि समीक्षा के मुताबिक अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन लक्ष्य से नीचे रहा और पिछले 3 सालों में वृद्धि दर का औसत 6.5 फीसदी रहा।

दो दिन के इस सम्मेलन का आयोजन 10वीं योजना की मध्यावधि समीक्षा को मंजूरी देने के लिए किया गया था। इस दौरान अनेक मुख्यमंत्रियों, राज्यपालों और केंद्रीय मंत्रियों ने देश की आर्थिक स्थिति का जायजा लिया। प्रधानमंत्री ने 1995 के बाद से कृषि क्षेत्र में विकास दर में आई गिरावट पर चिंता जताई। डा. मनमोहन सिंह ने कहा कि सन् 1980 से 1996 तक कृषि क्षेत्र में 3.2 फीसदी की वृद्धि दर्ज हुई। नौवीं योजना के दौरान यह घट कर 2.1 फीसदी हो गई। 10वीं योजना का आधार बनी वह नीति जिसके तहत कृषि क्षेत्र में विकास की दर को बढ़ा कर 4 फीसदी का लक्ष्य रखा गया। दुर्भाग्यवश, कृषि क्षेत्र में विकास दर नीचे ही रही और योजना के पहले तीन वर्षों में वार्षिक वृद्धि दर करीब 1.5 फीसदी के ही स्तर पर रहने के आसार हैं। इन हालात में अगर यह धारणा बनती है कि विकास का लाभ समाज के एक

बड़े वर्ग को, खास तौर से ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों तक नहीं पहुंच पाया है, तो कोई आश्चर्य नहीं होगा।

कृषि उत्पादन को 10 सालों में दोगुना करने की नीति के लिए डा. मनमोहन सिंह ने राष्ट्रीय विकास परिषद की एक उपसमिति बनाने का सुझाव दिया जो इस दिशा में उपाय सुझाएगी।

प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र की विकास दर तेज करने के लिए अनेक सुझाव दिए। इनमें पूंजी निवेश करना, किसानों के लिए जरूरी सामग्री मुहैया कराना, कर्ज की सुविधा, फसलों का प्रबंधन, बेहतर उत्पादन तकनीक का इस्तेमाल और फसलों के पकने के बाद उनके सही प्रबंधन के लिए सुविधाएं देना शामिल हैं। उन्होंने कहा कि सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने, नई योजनाएं चलाने और सूखा प्रभावित, बंजर भूमि वाले इलाकों में जल ग्रहण प्रबंधन योजनाएं चलाने के लिए धनराशि मुहैया कराई जाएगी। □

बताया कि 10वीं योजना की मध्यावधि समीक्षा के बाद 318 मुद्दों पर आम राय बनी। इनमें से 59 मुद्दों को सरकार योजना अवधि के बाकी दो सालों में प्राथमिकता के तौर पर लेगी। बाकी मुद्दों पर मध्यम और लंबे समय की योजना नीति के तहत काम होगा। हालांकि कुछ मुख्यमंत्रियों ने कुछ विशेष मुद्दों, जैसे सब्सिडी के सामंजस्यीकरण पर आपत्ति जताई, पर कुल मिला कर 10वीं योजना की मध्यावधि समीक्षा में देश की आर्थिक स्थिति और आने वाले दिनों के लिए सुझाए गए दिशा निर्देशों पर करीब-करीब आम सहमति बनती दिखी।

मुख्यमंत्रियों के सुझाव मंजूर

प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों के अनेक सुझाव मंजूर किए। इनमें खास तौर से कृषि क्षेत्र के पुनरुद्धार का सुझाव था। उन्होंने विकास योजनाओं के क्रियान्वयन पर निगाह रखने की प्रणाली को मजबूत करने के साथ-साथ नतीजों पर ध्यान केंद्रित करने की पुरजोर

वकालत की।

महत्वपूर्ण संदेश

डा. मोंटेक सिंह अहलुवालिया की राय में मध्यावधि समीक्षा से तीन महत्वपूर्ण संदेश मिलते हैं:

1. कृषि क्षेत्र में विकास दर को दोगुना करना।
2. सामाजिक क्षेत्रों, जैसे स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए अधिक धनराशि मुहैया कराना।
3. औद्योगिक विकास दर को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की भागीदारी के जरिये ढांचागत क्षेत्र को मजबूत बनाना।

मुख्यमंत्रियों की आपत्ति

डा. अहलुवालिया ने बताया कि मुख्यमंत्रियों ने पानी और बिजली की सप्लाई के लिए उपभोक्ताओं से लिए जाने वाले शुल्क को तर्कसंगत बनाने और सब्सिडी घटाने पर आपत्ति जताई। मध्यावधि समीक्षा में पानी की दरों के लिए नियंत्रक प्रणाली बनाने के पर विरोध हुआ। बैठक के दौरान इस बात

की सफाई दी गई कि योजना आयोग ने लागत की पूरी भरपाई वसूल करने की बजाय संचालन और रखरखाव पर आए खर्च को वसूल करने की बात की थी।

खाद्य सब्सिडी

खाद्य सब्सिडी के मामले पर भी कुछ मंत्रियों ने आपत्ति जताई। डा. अहलुवालिया ने कहा कि हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि सब्सिडी का फायदा जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे।

मुख्यमंत्री 10वीं योजना की मध्यावधि समीक्षा में अर्थव्यवस्था की स्थिति के विश्लेषण पर सहमत दिखे। दस्तावेज में खामियों को दूर करने के लिए सुझाए गए उपायों पर भी रजामंदी बनी। सभी मुख्यमंत्रियों ने कृषि, ढांचागत क्षेत्रों, स्वास्थ्य और शिक्षा पर दिए गए जोर की सराहना की और इसका स्वागत किया। □

(योजना संपादकीय टीम द्वारा संकलित)

शोध यात्रा

सातवीं कक्षा तक की पढ़ाई कर चुके 32 वर्षीय युसुफ खान राजस्थान के सीकर में खेती के काम में आने वाले औजारों का कारखाना चलाते हैं। खेती के औजारों के व्यवसाय से वह पिछले 14 वर्षों से जुड़े रहे हैं। कई तरह के खेती संबंधी औजारों के साथ ही वह लंबी और संकीर्ण खाई खोदने वाली मशीन और मिट्टी से मूंगफली निकालने की मशीन बनाते हैं। अपने इन अभिनव प्रयासों के सिलसिले में युसुफ को धन की समस्या और कच्चे माल की उपलब्धता से जुड़ी समस्याएं आड़े आईं। लेकिन वह अपने इस अभिनव प्रयास के दौरान रकीमुद्दीन नेचवा द्वारा दी गई वित्तीय सहायता और नैतिक समर्थन को बहुत ही कृतज्ञतापूर्वक याद करते हैं। कठिन परिस्थितियों में उनके परिजनों और पड़ोसियों ने भी उनका साथ दिया और यहां तक कि पड़ोसियों ने मशीन को जांच के उद्देश्य से दूरस्थ स्थानों तक ले जाने में भी मदद की। युसुफ ने कुछ अन्य खोजकर्ताओं को भी उनके द्वारा तैयार अभिनव औजारों में सुधार लाने के उद्देश्य से अपनी सेवा का प्रस्ताव किया है।

उत्पत्ति

राजस्थान के दो-तिहाई भाग में बालू से युक्त मिट्टी है। पूरे राज्य में मूंगफली उगाई जाती है। मूंगफली को खेतों से निकालने की प्रक्रिया में मिट्टी खोदना और मिट्टी से मूंगफली को अलग करना शामिल है। किंतु सामान्य तरीके से खेतों से मूंगफली निकालने के क्रम में बहुत सी फलियां मिट्टी में ही रह जाती हैं। इन्हें मजदूर हाथों से निकालते हैं। एक ओर यह काम कठिन है और ज्यादा समय लेता है तो दूसरी ओर किसानों के लिए अधिक लागत

वाला भी है। इन्हीं बातों से युसुफ के मन में इस पूरी प्रक्रिया में मशीन का इस्तेमाल करने की प्रेरणा मिली और फलस्वरूप इस बेजोड़ मशीन का विकास संभव हुआ। इस मशीन से किसानों को अपेक्षाकृत कम धन, समय और मेहनत लगाना पड़ता है।

नई प्रणाली

मरूभूमि के लिए उपयुक्त मजबूत मशीन 35 एचपी के ट्रैक्टर के पिछले हिस्से से जुड़ा होता है। इसे ट्रैक्टर के कप्लर से जोड़ा जाता है। इसके साथ क्रैकशेफ्ट, फ्लाइव्हील, कनेक्टिंग लिंकेज और धुरी के सोल रोटेटिंग वेन भी होते हैं। मिट्टी से मूंगफली को छान कर अलग करने के लिए एक कम्पायमान प्रणाली के साथ एक छन्नी लगाई गई है। ट्रैक्टर के आगे बढ़ने के साथ ही धुरी से लगे फलक घूमते हैं और मिट्टी खोदते हैं। इसके द्वारा मिट्टी और मूंगफली के मिश्रण को उठकर छन्नी वाले कम्पायमान बर्तन में गिराया जाता है। लिंकेज और ड्राइव की प्रक्रिया द्वारा इसे कंपित किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप मिट्टी बाहर निकल जाती है। मूंगफली बीच वाले बर्तन में रह जाती है। इसके पिछले हिस्से में एक विंडो हैच लगा होता है जिसको उठाया जा सकता है और किसान अपनी टोकरी में मूंगफली रख सकता है। इस मशीन में प्रति घंटा चार लीटर डीजल की खपत होती है और एक दिन में एक हेक्टेयर भूमि की मूंगफली पूर्णरूपेण निकाली जाती है। इस मशीन का वजन 300 से 400 किलोग्राम होता है और इसकी कीमत 45,000 रुपये है। मूंगफली निकालने वाली दूसरी मशीनें केवल मिट्टी खोदती हैं और मूंगफली की फसल काटती हैं, जबकि इस मशीन के द्वारा मूंगफली

को खेत से निकालकर कम्पायमान छन्नी द्वारा मिट्टी से अलग किया जाता है। मूंगफली निकालने वाली यह मशीन अन्य मशीनों की तुलना में हल्की है और ऊबड़-खाबड़ जमीन पर भी चल सकती है। इस मशीन का उपयोग खेतों और सड़कों से पत्थर के टुकड़े को इकट्ठा करने में भी किया जा सकता है।

लाभ

युसुफ ने मरूभूमि की जलवायु वाले राजस्थान के किसानों की एक बड़ी समस्या हल की है। उनके पास मिट्टी से मूंगफली निकालने का कोई कारगर तरीका नहीं था। इस कारण अपनी फसल का 15 प्रतिशत से लेकर 25 प्रतिशत तक वे गंवा बैठते थे। मान लिया जाए कि कोई किसान औसतन आठ क्विंटल मूंगफली (प्रति हेक्टेयर फसल का 25 प्रतिशत) मिट्टी के नीचे ही गंवा देता है तो वह करीब 12,000 रुपये का नुकसान उठाता है जो किसी किसान के लिए बहुत है। एक हेक्टेयर भूमि मिट्टी से मजदूरों द्वारा हाथ की मदद से मूंगफली निकालने में 50 लोगों को दिनभर का समय लगता है जबकि पारिश्रमिक प्रति मजदूर 80 रुपये प्रतिदिन है। मरू क्षेत्र में एक ओर मजदूरों का मिलना मुश्किल होता है वहीं दूसरी ओर उन पर काफी खर्च करना पड़ता है। प्रत्येक मूंगफली को मिट्टी से हाथों के द्वारा अलग करना काफी कठिन है। अधिकांश किसानों के पास दो हेक्टेयर से लेकर 50 हेक्टेयर तक की बड़ी भूमि है और अक्टूबर में जल्द से जल्द फसल निकालना जरूरी होता है क्योंकि अगली फसल की बुआई का समय भी शीघ्र आ जाता है। युसुफ द्वारा विकसित की गई इस मशीन के द्वारा उपरोक्त सभी समस्याओं का हल निकल आया है।

उत्पादकता बढ़ाने, लागत घटाने और श्रमिकों की कमी की समस्या से निपटने का यह एक अनोखा तरीका है। इस मशीन को खरीदने वाले कुछ किसान इसे दूसरे किसानों को 1,500 रुपये प्रतिदिन की दर पर किराये पर भी देते हैं और अच्छा लाभ कमाते हैं। दूसरे किसानों के लिए भी यह काफी अच्छा है क्योंकि उन्हें इस मशीन के लिए सिर्फ 1,500 रुपये प्रतिदिन ही देना पड़ता है जबकि इसी काम के लिए श्रमिकों को 4,000 रुपये देना पड़ता है।

वर्तमान स्थिति

अब तक युसुफ ने स्थानीय किसानों को 15 से भी अधिक मशीनें बेची हैं। अपनी इस अभिनव खोज के साथ वह व्यवसाय करने का इच्छुक है। पर इसके लिए उसे धन की आवश्यकता है। अपने कारोबार में साझेदार बनाने का विकल्प भी उसने खुला रखा है। एनआईएफ की ओर से इस खोज को पेटेंट कराने के उद्देश्य से आवेदन दाखिल किया गया है।

लंबी और पतली खाई खोदने वाला

मिट्टी से मूंगफली निकालने वाली मशीन विकसित करने के साथ ही उसने एक विकसित हल जोतने वाली और लंबी और संकीर्ण खाई खोदने वाली मशीन भी बनाई है। उसके द्वारा तैयार लंबी और पतली खाई खोदने वाली मशीन अधिक लचीली और किफायती है और इसे किसी भी ट्रैक्टर के साथ जोड़ा जा सकता है। इस प्रकार की अन्य मशीनों की तुलना में इसमें खराबी कम आती है और इंधन की भी कम खपत होती है। उसने एक ऐसी प्रणाली का विकास किया है जिसके बल पर इस मशीन के काम करने की रफ्तार बढ़ाई जा सकती है। इससे पहले खाई खोदने वाली मशीन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए ट्रक पर लादा जाता था, क्योंकि इसे मात्र तीन किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही चलाया जा सकता था। इस प्रकार यह काफी महंगा तरीका था। युसुफ ने इसके गीयर बॉक्स में कुछ सुधार किया और उसके बाद यह मशीन 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार (ट्रैक्टर की रफ्तार) से चलाई जा सकती है। यह विकसित मशीन पहले की मशीन की तुलना में 15,000 रुपये से लेकर 16,000 रुपये महंगी है पर इसकी मांग इतनी है कि उसने एक वर्ष में इस प्रकार की पांच मशीनें बनाकर बेची है। □

अगर पाठक ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हों, जिसने सृजनात्मक तरीके से स्थानीय प्रौद्योगिकी का समाधान किया हो अथवा जीविका के किसी क्षेत्र से संबंधित पारंपरिक ज्ञान रखने वाला हो तो कृपया हमें अथवा एनसी (एस एंड डी) एन आई एफ, पोस्ट बॉक्स-15051, अंबावाडी, अहमदाबाद- 380015 पर अथवा ई-मेल द्वारा info@nifindia.org पर विवरण भेजें।

आपका विश्वास

हमारा प्रयास

दर्शनशास्त्र

द्वारा

K.K. YADAV

(NET, L.L.B.)

विगत 5 वर्षों का अनुभव, जिनके मार्ग दर्शन में

पंकज कुमार 14वां स्थान IAS-2001,
घनश्याम गुप्ता S.T.O.U.P.PCS-2002,
शत्रोहन सिंह 11वां स्थान U.P.P.C.S.2002,
दीपक कुमार 150वां स्थान IAS-2004,
आनन्द कुमार 237वां स्थान IAS-2004,
जैसे विद्यार्थियों ने सफलता प्राप्त की।

- ★ अवधारणाओं (Concept) के स्पष्टीकरण पर जोर।
- ★ प्रत्येक रविवार को अनिवार्य रूप से टेस्ट।
- ★ क्लॉस नोट्स।
- ★ Personality Development पर जोर।

हम 5-C को लक्ष्य बनाकर चलते हैं,
ताकि हमेशा बेहतर कर सकें-
Concept, Clarity, Commitment,
Confidence & Consistence.

नामांकन जारी
(U.P. मुख्य परीक्षा के लिए विशेष बैच)

SHIVAM

IAS

STUDY CIRCLE

(A CENTRE OF PHILOSOPHY)

- : NEW ADDRESS : -

1612, 3rd Floor, Outram Line, (Near New Life Hospital), Delhi-9.

Phone: 9868330380, 9868001356

'YH/8/5/11

योजना, अगस्त 2005

खबरों में

● भारत और सिंगापुर ने आर्थिक समझौते पर हस्ताक्षर किए

भारत और सिंगापुर ने एक व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर कर व्यापार संबंध बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। समझौते पर हस्ताक्षर करते हुए भारत के प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह तथा सिंगापुर के प्रधानमंत्री श्री ली सीन लुंग ने कहा कि इससे दोनों देशों के आपसी संबंधों को बढ़ावा मिलेगा। व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते में वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार, निवेश पर समझौता, सेवाओं के क्षेत्र में पारस्परिक स्वीकृति का समझौता तथा सीमाशुल्क, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, शिक्षा, ई-वाणिज्य, बौद्धिक संपदा तथा संचार माध्यमों पर समझौतों का एक समन्वित पैकेज है।

● भारत और अमरीका ने रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए

अपने रक्षा संबंधों को बढ़ाते हुए भारत और संयुक्त राज्य अमरीका ने एक दस वर्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इसमें संयुक्त आयुध उत्पादन, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण तथा मिसाइल रक्षा मामले में सहयोग सहित विभिन्न क्षेत्रों में सैन्य सहयोग बढ़ाने की परिकल्पना की गई है। समझौते में सुरक्षा तथा स्थिरता बनाए रखने, आतंकवाद को परास्त करने, जनसंहारक हथियारों के प्रसार को रोकने तथा भूमि, वायु एवं समुद्र मार्ग से व्यापार के मुक्त प्रवाह की संरक्षा करने का आह्वान किया गया है।

● सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों को क्रमशः 2.50 रुपये तथा 2 रुपये प्रति लीटर बढ़ा दिया है। तेल कंपनियों को 20 जून की मध्य रात्रि से नई कीमतें लागू करने की अनुमति दी गई है। यह बढ़ोतरी सात महीने के अंतराल के बाद की गई है। इस अवधि में भारत द्वारा खरीदे जाने वाले कच्चे तेल की कीमत 52.82 डॉलर तक

पहुंच चुकी है। किरासन तेल तथा रसोई गैस की कीमत को छुआ नहीं गया है।

● अंबानी बंधुओं, मुकेश और अनिल के बीच 18 जून को संपत्तियों के बंटवारे को लेकर शांतिपूर्ण समझौता हो जाने के बाद रिलायंस के एक लाख करोड़ के साम्राज्य के स्वामित्व विवाद का निबटारा हो गया। उनकी मां कोकिलाबेन अंबानी द्वारा की गई घोषणा के अनुसार मुकेश अंबानी के पास रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. तथा आईपीसीएल का स्वामित्व बना रहेगा। अनिल अंबानी को रिलायंस इंफोकॉम, रिलायंस एनर्जी लि. तथा रिलायंस कैपिटल का स्वामित्व मिलेगा।

● गत 20 जून को 130 वर्ष पुराने मुंबई स्टॉक एक्सचेंज ने इतिहास रच दिया। इस दिन पहली बार दिनभर के कारोबार में सेंसेक्स 7,000 अंक के जादुई आंकड़े को पार कर गया। 18 जून के रिलायंस समझौते के बाद सटोरिये खरीददारी में टूट पड़े। इसके बाद ही सेंसेक्स में यह तेजी आई। लेकिन यह तेजी लंबे समय तक इस स्तर पर बनी नहीं रह पाई। दिन के अंत में सेंसेक्स अब तक के सबसे ऊपर 6,984.55 अंक पर बंद हुआ जो पिछले दिन के व्यापार से 78.03 अंक ऊपर दर्ज किया गया। इससे पहले कभी भी दिनभर के व्यापार में सेंसेक्स 7001.155 के स्तर तक नहीं पहुंच पाया था। सेंसेक्स के दूसरे सबसे बड़े घटक रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में 7.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई तथा यह 645.70 रुपये प्रति शेयर के दर पर पहुंच गया। इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कं लि. के शेयर में 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 167.60 रुपये प्रति शेयर की दर पर पहुंच गया। इन दोनों कंपनियों का स्वामित्व अब मुकेश अंबानी के पास है। अनिल अंबानी द्वारा नियंत्रित कंपनियों के शेयर मूल्य में और भी अधिक तेजी देखी गई। रिलायंस एनर्जी 19 प्रतिशत की वृद्धि के

साथ 705.90 रुपये प्रति शेयर के स्तर पर पहुंच गया जबकि रिलायंस कैपिटल के शेयर मूल्य में 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 308 रुपये प्रति शेयर के दर पर पहुंच गया।

● 16 जून, 2005 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए फैसले

- (i) केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विदेशी समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के यथारूप संस्करणों को भारत में प्रकाशित किए जाने की अनुमति दे दी है। लेकिन वे इनमें भारतीय सामग्री अथवा विज्ञापनों का प्रकाशन नहीं कर पाएंगे। यथारूप संस्करण अपने विदेशी संस्करण की शुद्ध प्रतिलिपि होंगे। उन्हें केवल भारतीय संस्करणों के लिए। भारतीय विज्ञापनों के जरिये राजस्व उगाही की अनुमति भी नहीं होगी। साथ ही वे केवल अपने भारतीय संस्करण के लिए भारत में लिखी गई समसामयिक घटनाओं की रिपोर्ट भी प्रकाशित नहीं कर पाएंगे। मंत्रिपरिषद ने समाचार पत्र-पत्रिकाओं में विदेशी निवेश की शर्तों में भी रियायत दे दी है। अब प्रवासी भारतीय, भारतीय मूल के लोग, विदेशी निगम तथा मान्यता प्राप्त विदेशी संस्थागत निवेशक समाचार और समसामयिक घटनाओं को प्रकाशित करने वाले समाचार पत्र-पत्रिकाओं में 26 प्रतिशत की सीमा के भीतर निवेश कर सकेंगे। अब तक केवल विदेशी समाचार माध्यम कंपनियों को ही 26 प्रतिशत की अधिकतम सीमा के भीतर निवेश करने की अनुमति थी।
- (ii) इंडियन आयरन एंड स्टील कं. तथा स्टील ऑथोरिटी ऑफ इंडिया के सम्मिलन के एक प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई है।
- (iii) सरकार ने आईआईटी और आईआईएम जैसे उच्चतर अध्ययन के प्रतिष्ठित संस्थानों की क्रियात्मक तथा वित्तीय स्वायत्तता को पुनः बहाल करने का निर्णय लिया है। इन संस्थानों को कोष उपलब्ध

कराने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संशोधित ब्लॉक अनुदान योजना का अनुमोदन कर दिया है।

(iv) मंत्रिपरिषद ने भारतीय मूल के लोगों को दोहरी नागरिकता प्रदान करने के लिए नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन किए जाने की स्वीकृति दे दी है। यह कानून देश के गणतंत्र बनने अर्थात् 26 जनवरी, 1950 के बाद विदेशों में विस्थापित होने वाले सभी लोग और उनके बच्चों पर लागू होगा। लेकिन पाकिस्तान और बंगलादेश जाने वाले नागरिक इसके दायरे से बाहर रहेंगे। यह उन्हीं देशों के मामले में व्यवहार्य होगा जहां किसी न किसी रूप में दोहरी नागरिकता की अनुमति है।

(v) सरकार ने संक्रमण मुक्त रूई के उत्पादन के लिए रूई प्रौद्योगिकी मिशन के लघु मिशन III और IV के तहत लक्ष्यों को बढ़ा दिया है। अब इनके तहत 250 बाजार गज विकास 1000 गिनिंग और प्रेसिंग मशीनों का आधुनिकीकरण तथा 200 श्रेणीयन प्रयोगशालाओं की स्थापना की जाएगी।

(vi) विदेशों में रहने वाले भारतीय लोगों की मांग मानते हुए सरकार ने 29 जून को एक अध्यादेश जारी कर भारतीय मूल के उन लोगों को जो पाकिस्तान और बंगलादेश के नागरिक नहीं हैं, दोहरी नागरिकता प्रदान कर दी है। इससे पूर्व मंत्रिपरिषद ने स्वास्थ्य क्षेत्र में अनेक उपायों की घोषणा की। इसमें पांडिचेरी स्थित जवाहरलाल नेहरू स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थान (जिपमार) में सुविधाओं के प्रोन्नयन के लिए 184 करोड़ रुपये की योजना शामिल है। लखनऊ में 190 करोड़ रुपये की लागत से एक विश्वस्तरीय दवा अनुसंधान संस्थान स्थापित किया जाएगा। एचआईवी/एड्स, टीबी और मलेरिया के विश्वकोष से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, दिल्ली, महाराष्ट्र, मणिपुर तथा मेघालय के एचआईवी/एड्स मरीजों में बीमारी की रोकथाम के लिए 504 करोड़ का अनुदान

स्वीकृत किया गया है। प. बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मणिपुर में मलेरिया रोधी गतिविधियों के लिए 317 करोड़ रुपये का एक दूसरा अनुदान भी स्वीकृत किया गया है।

● महिलाओं की सुरक्षा के लिए नया कानून

सभी घरेलू महिलाओं को घरेलू हिंसा तथा दुर्व्यवहार के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने के लिए केंद्रीय मंत्री परिषद ने एक महत्वपूर्ण विधेयक का अनुमोदन कर दिया है। इससे उन्हें अपने ससुराल के घर में रहने का अधिकार भी प्राप्त हो जाएगा। घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा विधेयक से केवल विवाहित स्त्रियों को ही सुरक्षा नहीं प्राप्त होगी। इसके दायरे में ऐसी महिलाएं भी होंगी जो दुर्व्यवहार करने वाले पुरुष के साथ एक ही घर में रह रही हों तथा उनमें साथ रहने, विवाह अथवा गोद लेने के कारण आपसी संबंध हो। इसमें संयुक्त परिवार के सदस्य तथा दुर्व्यवहार करने वाले पुरुष के साथ रहने वाली बहनें, विधवाएं, माताएं, अविवाहित महिलाएं तथा अन्य महिलाएं भी शामिल होंगी।

● मौजूदा विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम को बदलने के लिए नए अधिनियम का प्रारूप तैयार करने हेतु सरकार ने मंत्रियों का एक दल गठित करने का निर्णय लिया है।

● नागरिक विमान इंजनों के कलपुर्जे बनाने के लिए केंद्र ने हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लि. तथा फ्रांसीसी फर्म सुक्मा मोच्यूस द्वारा एक संयुक्त उद्यम स्थापित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है।

● पूर्वोत्तर के लिए पटसन कर

सरकार ने एक निर्धारित समय के लिए पूर्वोत्तर के राज्यों की पटसन संपदा को कर-मुक्त करने का निर्णय लिया है ताकि उनके व्यापार और क्षेत्र में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल सके। इसके लिए पटसन उत्पादक अधिनियम, 1983 में संशोधन किया जाएगा।

● रेल कर्मचारियों को निःशुल्क यात्रा पास मिलना जारी रहेगा। मंत्रिपरिषद ने यह

सुविधा समाप्त करने के एक रेलवे पैनल के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है।

● वैश्विक विकास नेटवर्क

मंत्रिपरिषद ने वैश्विक विकास नेटवर्क की स्थापना को मंजूरी दे दी है। यह राष्ट्रीय एवं ग्रामीण विकास संबंधी समस्याओं का निराकरण करेगा।

● आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होमियोपैथी के फार्मासिस्टों की शिक्षा और प्रैक्टिस को विनियमित करने के लिए एक केंद्रीय फार्मसी परिषद की स्थापना की जाएगी। इस ध्येय से सरकार ने भारतीय चिकित्सा एवं होमियोपैथी फार्मसी विधेयक, 2005 का अनुमोदन कर दिया है।

● सरकार ने बंदरगाहों के निर्माण और रत्नों तथा आभूषणों को सेवा कर से पूरी तरह मुक्त कर दिया है। ढांचागत परियोजनाओं के लिए जहाजरानी उद्योग को भी सेवाकर से राहत दी गई है। विदेशों में कर योग्य सेवा करने वाले व्यक्तियों को भी इससे अलग रखा गया है। 16 जून से 9 नई सेवाओं को सेवाकर के दायरे में लाया गया है। अन्य चीजों के अलावा क्लब की सदस्यता, आवासीय परिसरों का निर्माण, पाइपलाइन के जरिये वस्तुओं का परिवहन तथा स्थल निर्माण पर 10.2 प्रतिशत सेवाकर लगाया जाएगा। ताजा अधिसूचना के बाद नदियों, बंदरगाहों तथा बैंकवाटर की सफाई, सरकारी विभागों को छोड़कर सर्वेक्षण तथा नक्शा बनाने, कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों को छोड़कर सफाई संबंधी सेवाएं, पैकेजिंग तथा ई-मेल के लिए सूचियां तैयार करने और ई-मेल करने जैसी सेवाएं कर दायरे में आ जाएंगी।

● हरियाणा सरकार राज्य ने शारीरिक रूप से विकलांग, अंधता, के शिकार और मूक एवं वधिर लोगों तथा अल्पबुद्धि किंतु शिक्षित युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता बढ़ा दी है। इसे मौजूदा 300 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 500 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है।

● कर्नाटक सरकार ने राज्य में 13 नए भारी उद्योगों की स्थापना तथा बंगलौर में एक पंचतारा होटल खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इन परियोजनाओं में 13,942

करोड़ रुपये के निवेश की परिकल्पना की गई है। नए उद्योगों से लगभग 1.90 लाख नौकरियों का सृजन होगा। इनमें से अधिकांश उद्योगों को ग्रामीण इलाकों में स्थापित करने का प्रस्ताव है। उत्तरी कर्नाटक पर इसमें विशेष ध्यान जाएगा।

- आंध्र प्रदेश सरकार ने मुसलमानों को शिक्षा और रोजगार में 5 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया है। यह पिछड़ा वर्ग आयोग की संस्तुतियों पर आधारित है।
- तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने राजस्थान के बारमेड़ और आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में 50 लाख टन प्रतिवर्ष की क्षमता वाले निचले स्तर के दो नए तेल परिशोधक कारखाने लगाने की योजना बनाई है।
- आंध्र प्रदेश सरकार ने पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाने तथा अंशकालिक सहायकों और ग्राम सेवकों को 25 रुपये प्रतिमाह की तदर्थ वेतनवृद्धि की मंजूरी प्रदान कर दी है। नया दर जनवरी 2005 से लागू होगा। 1999 के वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे सरकारी कर्मचारियों, स्थानीय निकायों और संबद्ध संस्थानों, विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों को वेतन का 2.424 प्रतिशत की वृद्धि का लाभ मिलेगा, जो संचयी आधार 36.81 प्रतिशत है। संबद्ध स्नातक महाविद्यालयों के प्राध्यापकों के मामले में यह वृद्धि 3 प्रतिशत की होगी जो संचयी 67 प्रतिशत बनता है।
- 28 जून को हैदराबाद में बृहद सेमीकंडक्टर इकाई का शिलान्यास करते हुए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. राजशेखर रेड्डी ने इसे 'इतिहास की रचना' करार दिया। यह परियोजना नैनोटेक सिलिकॉन इंडिया प्रा. लि. द्वारा शुरू की गई है। इसकी पहली इकाई पर 60 करोड़ डॉलर की लागत आएगी तथा इसे 15 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। इससे 20,000 रोजगार सृजन होने की संभावना है।
- केंद्र ने बिना आयोडीन वाले नमक की बिक्री पर पुनः प्रतिबंध लगा दिया है।
- चालू वित्त वर्ष के दौरान 6.25 प्रतिशत की विकासदर के लक्ष्य के साथ झारखंड सरकार ने 12,423.33 करोड़ रुपये का बजट पेश किया है। इसमें कोई नया कर

नहीं लगाया गया है, लेकिन व्यावसायिक करों की वसूली के लक्ष्य को बढ़ाकर 2,300 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

- हरियाणा सरकार ने महिलाओं के सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहनों की घोषणा की है जो निम्न प्रकारण हैं:
 - (क) घरेलू बिजली का कनेक्शन यदि किसी महिला के नाम हो तो बिजली बिल में प्रतियूनित 10 पैसे की रियायत।
 - (ख) एक महिला सहकारी बैंक की स्थापना की जाएगी जिसे महिलाएं ही चलाएंगी।
 - (ग) बच्चों को स्वास्थ्य कार्ड दिया जाएगा तथा नियमित अंतराल पर उनकी स्वास्थ्य जांच की जाएगी।
 - (घ) शिक्षक के 33 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे।
 - (ङ) लड़कियों के यूनिकार्ड भत्ते को 100 रुपये से दो गुना कर 200 रुपये कर दिया गया है।
 - (च) कक्षा 6, 7 और 8 में पढ़ने वाली कमजोर वर्गों की बालिकाओं को अगर गांव में माध्यमिक विद्यालय न हो तो निःशुल्क साइकिल दी जाएगी।
- हरियाणा सरकार ने किसानों के 1,600 करोड़ रुपये के बकाया बिजली बिल को समाप्त करने का निर्णय लिया है।
- जीएसपीसी को देश का सबसे बड़ा गैस भंडार मिला

गुजरात राज्य पेट्रोलियम निगम लि. (जीएसपीसीएल) ने आंध्र प्रदेश के कृष्णा-गोदावरी नदी मुहाने में देश के सबसे बड़े गैस भंडार की खोज की है। यहां 50 अरब डॉलर मूल्य का 20 अरब घनफीट गैस होने का अनुमान है। गुजरात सरकार ने इस परियोजना का नाम 'दीनदयाल' रखा है। गैस का व्यावसायिक उत्पादन 2007 के अंत तक आरंभ हो जाने की संभावना है।
- मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) अध्यादेश, 2005 का अनुमोदन कर दिया है। इस संशोधन के बाद ग्राम पंचायतों के उप-सरपंच तथा जनपद एवं जिला पंचायतों के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव का

संचालन राज्य चुनाव आयोग करने लगेगा।

- देश में निजी कंप्यूटरों (पीसी) की पहुंच बढ़ाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने हिंदी फॉन्टों और बुनियादी सॉफ्टवेयर उपस्करों की एक सीडी तैयार की है। यह हिंदी सीडी नागरिकों को वेबसाइट www.ilde.govt.in से निःशुल्क वितरित की जाएगी। 24 भारतीय भाषाओं के फॉन्ट छह महीने के भीतर आम वितरण के लिए तैयार कर लिए जाएंगे।
- विश्व बैंक शीघ्र ही कर्नाटक को राज्य आर्थिक पुनर्गठन योजना के लिए स्वीकृत ऋण की 2.5 करोड़ डॉलर (1,125 करोड़ रुपये) की दूसरी किश्त निर्गत करेगा। इस योजना के अंतर्गत विश्व बैंक ने राज्य को कुल 1.1 अरब डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है।
- केंद्र ने कासी, मुंबई में एक वस्तु सूचना केंद्र आरंभ किया है। यह एक आम बाजार की तरह है, जिसमें देश भर की मंडियां मूल्य और जानकारी का प्रसार करने के लिए भाग ले सकती हैं। यह भारतीय बहु सामग्री विनिमय लि. (एमसीएक्स) तथा राष्ट्रीय कृषि उपज स्थल विनिमय (एनएसईएपी) का एक संयुक्त उद्यम है।
- उड़ीसा सरकार तथा दक्षिण कोरियाई स्टील कंपनी पोहंग स्टील कं. (पोस्को) ने पारादीप नगर में 1.2 करोड़ टन क्षमता वाला स्टील संयंत्र लगाने के समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौते की मुख्य बातें इस प्रकार हैं :
 - परियोजना को दो चरणों में पूरा किया जाएगा।
 - वर्ष 2016 तक यह संयंत्र अपनी पूरी क्षमता प्राप्त कर लेगा।
 - उड़ीसा पोस्को को 60 करोड़ टन लोहा देगा।
 - 30 वर्षों की अवधि में केंद्र को 89,000 करोड़ रुपये की कमाई होगी।
 - परियोजना की अनुमानित लागत 12 अरब डॉलर (52,000 करोड़ रुपये) है। यह देश में अब तक का सबसे बड़ा एकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है।
 - इस परियोजना से 13,000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार तथा 35,000 लोगों को

परोक्ष रोजगार मिलने की संभावना है।

- सुश्री पुनीता अरोड़ा नौसेना की पहली महिला वाइस एडमिरल बन गई हैं। उन्होंने सर्जन वाइस एडमिरल रैंक में चिकित्सा सेवाओं के महानिदेशक का पद ग्रहण किया है। इससे पहले वह सशस्त्र बल चिकित्सा महाविद्यालय, पुणे की कमांडेंट थीं।
- दूरदर्शन अपने 'डायरेक्ट-टू-होम' प्लेटफॉर्म पर दो नए संगीत चैनल आरंभ करेगा। इनमें से एक कर्नाटक संगीत तथा दूसरा हिंदुस्तानी संगीत को समर्पित होगा। आकाशवाणी ने एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी, अरियाकुंडी रामानय आयंगर तथा अतातुर बंधुओं के 'आकाशवाणी संगीत' के कैंसेट और सीडी जारी किया है।
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निजी क्षेत्र के एफएम प्रसारकों के साथ राजस्व बंटवारे वाले मॉडल को मंजूरी दे दी है। इससे निजी क्षेत्र में एफएम प्रसारण का दूसरा चरण आरंभ होने का मार्ग खुल गया है। इस नए मॉडल में राजस्व उगाही से ज्यादा सेवाओं के विकास पर जोर दिया गया है। मंत्रिमंडल ने विदेशी रेडियो स्टेशनों को निजी एफएम केंद्रों से राज्यों में प्रसारण करने की अनुमति भी दे दी है। लेकिन 20 प्रतिशत विदेशी पूंजी की मौजूदा सीमा के भीतर ही उन्हें काम करना होगा। समाचारों पर प्रतिबंध जारी रहेगा। सरकार देश के 90 शहरों में 330 नए एफएम चैनलों के लाइसेंस जारी करेगी।
- **प्रतिव्यक्ति आय में 5.2 प्रतिशत की वृद्धि**
केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा जारी ताजा आंकड़ों में कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2004-05 के दौरान अर्थव्यवस्था की विकास दर 6.9 प्रतिशत रही जो पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान 8.5 प्रतिशत थी। रोचक तथ्य है कि प्रतिव्यक्ति आय वर्ष 2004-05 के दौरान 5.2 प्रतिशत बढ़कर 12,416 रुपये हो गई जबकि यह वर्ष 2003-04 के दौरान 11,799 रुपये ही थी। अर्थव्यवस्था की मजबूती में कृषि क्षेत्र के विकास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है क्योंकि इससे हमारे सकल घरेलू उत्पाद का पांचवां हिस्सा प्राप्त होता है और 60

करोड़ से भी अधिक लोगों को रोजगार मिलता है। वर्ष 2004-05 के दौरान कृषि क्षेत्र की स्थिति चिंताजनक बनी रही क्योंकि इस दौरान इस क्षेत्र में 1.1 प्रतिशत की विकास दर ही दर्ज की गई जबकि 2003-04 में इसकी विकास दर 9.6 प्रतिशत थी। 11.4 प्रतिशत विकास दर के साथ व्यापार एवं सेवाओं की गतिशीलता बनी रही। 2004-05 के दौरान वित्त, बीमा, अचल संपदा तथा व्यापारिक सेवाओं में 7.1 प्रतिशत की विकास दर देखी गई। जनवरी-मार्च की तिमाही में उत्पादन क्षेत्र में 8.6 प्रतिशत की दर से विकास हुआ जबकि इससे पिछली तिमाही अक्टूबर-दिसंबर में यह दर 10.5 प्रतिशत थी।

- भारत के व्यक्ति रहित चंद्र मिशन के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन - इसरो के साथ यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए साझेदारी करेगा। इसे 2007-08 तक प्रक्षेपित किए जाने की योजना है। इसरो अध्यक्ष जी. माधवन नायर तथा ईएसए के महानिदेशक ज्यां जैक्स डोडियो ने बंगलौर में इस आशय के समझौते पर हस्ताक्षर किए।
- रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर और लंदन स्कूल ऑफ इकोनामिक्स के निदेशक इंद्रवदन गोवर्धनभाई पटेल का 81 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। श्री पटेल 1954 में वित्त मंत्रालय के सलाहकार थे। उन्होंने भारत में अपने और विदेशों में आर्थिक नीतिनिर्धारण के क्षेत्र में शीर्षस्थ भूमिका निभाई। भारत सरकार में 18 वर्षों के अपने सेवाकाल में उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण पदों पर काम किया। श्री पटेल का जन्म गुजरात के वरोदड़ा नगर में हुआ था।
- अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार परिषद का गठन किया है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर राज्य सरकारों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के साथ निरंतर संवाद बनाए रखने के लिए इस परिषद के गठन का निर्णय लिया गया। वाणिज्य मंत्री कमलनाथ परिषद के अध्यक्ष हैं।
- केंद्र सरकार ने देश में बाध और वन्यजीव

अभयारण्यों के संरक्षण को समर्पित कार्य बल गठित करने का निर्णय लिया है। यह वन्य जीवों का शिकार रोकने के लिए कानून को मजबूत बनाने के बारे में संस्तुतियां भी देगा।

- पंचायतीराज मंत्री ने ग्रामीण व्यापार केंद्रों की स्थापना के लिए एक कार्ययोजना आरंभ की है। विकास के लिए जिन क्षेत्रों पर जोर दिया जाएगा वे स्थानीय संसाधनों के इस्तेमाल और स्थानीय लोगों की जरूरतों पर आधारित होंगे। ग्रामीण व्यापार केंद्रों के लिए जिन राज्यों को चिन्हित किया गया है, वे हैं : पंजाब, उत्तरांचल, केरल, कर्नाटक, जम्मू-कश्मीर, राजस्थान, प. बंगाल, उत्तर प्रदेश और चंडीगढ़। कृषि उत्पाद, हस्तशिल्प का विकास तथा हथकरघा, बायोमास-आधारित लघु विद्युत संयंत्रों की स्थापना तथा जैव ईंधन को प्रोत्साहन आदि इनके प्रमुख क्षेत्र होंगे।
- पुनर्गठित व्यापार बोर्ड ने अपनी पहली बैठक में विशेषज्ञ प्रोत्साहन कार्यक्रमों, व्यापार सुविधाओं, क्षेत्रीय पहलों, उत्पादन क्षेत्र के अवरोधों तथा विशेष आर्थिक क्षेत्रों जैसे महत्वपूर्ण व्यापारिक मुद्दों के समाधान के लिए उच्च कार्यबल गठित करने का फैसला किया है। बैठक में प्रधानमंत्री ने वर्ष 2010 तक 500 अरब डॉलर के व्यापार का लक्ष्य रखा।
- 'भागीदारी' को संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार
दिल्ली सरकार को उसके 'भागीदारी' कार्यक्रम के लिए प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार प्रदान किया गया है। 'भागीदारी' नागरिकों के साथ साझेदारी का एक कार्यक्रम है। जनसेवा के क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ाने, उत्तरदायित्व और त्वरित कार्यवाही करने के लिए वर्ष 2005 के 215 नामांकनों में से दिल्ली सरकार के इस कार्यक्रम को पुरस्कार के लिए चुना गया।
- केंद्र ने गुजरात पैकेज की घोषणा की
गुजरात में आई बाढ़ को देश के लिए चिंताजनक बताते हुए केंद्र सरकार ने 500 करोड़ रुपये के अनुदान की घोषणा की है तथा आगे और सहायता का वचन दिया है।

भावनात्मक बुद्धिमत्ता दिलाती है सफलता

○ विजय प्रकाश श्रीवास्तव



हाल ही के वर्षों तक भावनात्मक बुद्धिमत्ता के विषय में शायद ही कुछ पढ़ने या सुनने को मिलता था। पर अब इसे कई मामलों में मानसिक बुद्धिमत्ता से भी अधिक महत्वपूर्ण माना जाने लगा है। मानसिक बुद्धिमत्ता की माप 'आईक्यू' अर्थात् इंटेलिजेंस कोशंट से होती है। यह धारणा काफी समय से मौजूद रही है कि मानसिक रूप से कुशाग्र लोगों के लिए सफलता हासिल करने की संभावना अधिक होती है हालांकि इस धारणा को लेकर काफी मतभेद भी रहे हैं।

हो सकता है अपने जीवन में आपने भी ऐसे उदाहरण देखे हों जिनमें कोई व्यक्ति कुशाग्र बुद्धि का होते हुए भी सफलता एवं उपलब्धियों के मामले में पीछे रह गया हो। वास्तव में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी गिनती मानसिक रूप से प्रखर लोगों में नहीं की जा सकती लेकिन वे मनचाही उपलब्धियां हासिल करने में सफल हुए हैं। इससे जाहिर होता है कि केवल मस्तिष्क की प्रखरता जीवन में सफलता एवं उपलब्धियां हासिल करने के लिए पर्याप्त नहीं है। डेनियल गोलमैन ने अपनी बहुचर्चित पुस्तक *इमोशनल इंटेलिजेंस: व्हाई इट कैन मैटर मोर दैन आईक्यू* में यही बात समझाने की कोशिश की है। गोलमैन के साथ-साथ आज बहुत से व्यवहार विज्ञानियों का मानना है कि व्यक्ति की सफलता का सूत्र वास्तव में उसकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता में निहित होता है।

भावनात्मक बुद्धिमत्ता से तात्पर्य व्यक्ति का अपने मनोभावों को समझना, उन पर नियंत्रण रखना और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उनका सर्वोत्तम उपयोग करना है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता ही तय करेगी कि व्यक्ति अपनी मानसिक बुद्धिमत्ता, चाहे उसका स्तर जैसा भी हो, को कैसे प्रयोग में लाएगा। भावनात्मक बुद्धिमत्ता व्यक्तिगत खूबियों को अधिक महत्व देती है। इन खूबियों को

अपनाया और विकसित किया जा सकता है। इन्हें खूबियों और विशेषताओं की मदद से व्यक्ति जीवन में सामने आने वाली मुश्किलों और चुनौतियों का दृढ़ता से मुकाबला कर सकता है।

विभिन्न अध्ययनों के अनुसार हमारी गतिविधियों, कार्यकलापों एवं व्यवहार का निर्धारण काफी हद तक हमारी भावनात्मक बुद्धिमत्ता से होता है। 'आईक्यू' की अवधारणा में मुख्य रूप से व्यक्ति की तार्किक एवं गणितीय कुशलताओं को शामिल किया जाता है। आईक्यू परीक्षा में या आम परीक्षाओं में ऊंचे अंक पाने वाले विद्यार्थी स्कूल, कालेज अथवा विश्वविद्यालय आदि में भले ही सफल समझे जाएं, जीवन में समग्र रूप से उनके सफल होने की कोई गारंटी नहीं होती। सामाजिक, कारोबारी एवं प्रोफेशनल जीवन में सफल होना भावनात्मक बुद्धिमत्ता पर अधिक निर्भर करता है जो धैर्य, निश्चयात्मक, व्यवहार कुशलता एवं विश्वनीयता जैसे गुणों पर जोर देती है।

स्वयं को व जीवन समझने की क्षमता के साथ-साथ अपने मनोभाव को पहचानना आत्मबोध के अंतर्गत आता है और इसे भावनात्मक बुद्धिमत्ता का एक महत्वपूर्ण पहलू माना गया है। अगर हम अपने मनोभावों आदि को अच्छी तरह जानते-समझते हैं तभी इन्हें काबू में रख पाएंगे। इससे हमें अपनी प्रतिक्रियाओं एवं व्यवहार को संयत बनाने में मदद मिलेगी एवं हमें एक संतुलित व्यक्तित्व के स्वामी के रूप में देखा जाएगा।

अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखने की आवश्यकता कई कारणों से होती है। जीवन में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में समर्थ व्यक्ति ही जीवन की चुनौतियों का सामना भली प्रकार कर सकते हैं। कठिन परिस्थितियों में धैर्य से काम लेना, उपलब्धियां मिलने पर अहं को दूर रखना, भावनाओं पर नियंत्रण इसके कुछ व्यवहारिक उदाहरण हैं। ऐसे भी लोग हैं जो किसी कार्य में असफल रह जाने पर आसानी से हार मान लेते हैं, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाते और हताश होकर बैठ जाते हैं।

हमारी भावनात्मक बुद्धिमत्ता का पता हमारी व्यवहार कुशलता से भी चलता है। लोगों के साथ संबंध विकसित करने, उन्हें निभाने आदि के प्रति दृष्टिकोण को व्यवहार कुशलता में शामिल किया जाता है। इस प्रकार व्यवहार कुशलता में सामाजिक संबंधों का निर्वाह शामिल है। अगर आप उन लोगों में से हैं जो आसानी से दोस्त बना लेते हैं, जिन्हें लोग पसंद करते हैं तो आप एक व्यवहार कुशल व्यक्ति कहे जाएंगे। व्यवहार कुशलता में सकारात्मक एवं सहयोगी दृष्टिकोण भी सम्मिलित है।

हमारे लिए प्रेरणा ग्रहण करने के विभिन्न स्रोत हो सकते हैं। प्रेरणा हमें अच्छा साहित्य पढ़ने से मिल सकती है और लोगों से भी परंतु बाहर से मिली किसी प्रेरणा का तब तक कोई महत्व नहीं है जब तक हम स्वप्रेरित, यानी सेल्फ मोटिवेटेड न हो। दूसरों की कोई बात कितनी भी अच्छी क्यों न हो, इसे खुद के जीवन में उतारने अथवा अपनाने की प्रेरणा हममें अपने अंदर से ही आएगी। किसी भी कार्य में पूरा प्रयास स्वतः स्फूर्त रह कर ही संभव है।

भावनात्मक बुद्धिमत्ता से युक्त व्यक्ति संवेदनशील भी होते हैं। हरेक की एक अलग शख्सियत होती है। हमें इस वास्तविकता को

नगालैंड और सिक्किम निवेश सब्सिडी के लिए अधिसूचित किए गए

केंद्र ने नगालैंड और सिक्किम सहित पांच और राज्यों को ढांचागत परियोजनाओं पर निवेश सब्सिडी के लिए अधिसूचित कर दिया है। कृषि विपणन, ढांचागत ग्रेडिंग और मानकीकरण के विकास/मजबूतीकरण के रूप में ज्ञात केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत हाल में लाभ प्राप्त करने वाले अन्य तीन राज्य हैं - आंध्र प्रदेश, पंजाब और हिमाचल प्रदेश।

आधिकारिक रूप से बताया गया है कि इस योजना के तहत मदद के लिए इससे पहले केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और संघशासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह को अधिसूचित किया गया था।

इस अधिसूचना के साथ ही, इन सभी राज्यों को 50 लाख रुपये की पूंजी खर्च वाली परियोजनाओं के लिए 25 प्रतिशत

की निवेश सब्सिडी मिलेगी।

पूर्वोत्तर राज्यों में, पर्वतीय और जनजातीय क्षेत्रों में 60 लाख तक की परियोजनाओं पर सब्सिडी की दर 33.33 प्रतिशत होगी। राज्य सब्सिडी की कोई ऊपरी सीमा नहीं है।

पूंजी मूल्य पर निवेश सब्सिडी से कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में विपणन और फसल कटाई के बाद की ढांचागत सुविधाओं से जुड़ी परियोजनाओं में बड़ी मात्रा में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। यह योजना कृषि उपज की सीधी मार्केटिंग और निजी तथा सहकारी क्षेत्र में प्रतियोगी कृषि मंडियों की स्थापना के लिए मंडी अधिनियम/कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम में सुधारों से जुड़ी है।

बुनियादी ढांचागत परियोजनाएं मुख्यतः उपभोक्ता सेवाओं से संबंधित हैं। ये हैं, मार्केटिंग, यार्ड लोडिंग के लिए प्लेटफार्म,

एकीकरण और नीलामी, मापतौल और यांत्रिक उपकरण, संग्रहण, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, गुणवत्ता प्रमाणन, लेबल लगाना आदि से संबंधित क्रियाशील बुनियादी सुविधाएं, ई-व्यापार, विपणन विस्तार और बाजारोन्मुखी उत्पाद योजनाएं। इस स्कीम के तहत कटाई के बाद के ग्रेडिंग, पैकेजिंग, क्वालिटी जांच आदि से संबंधित चलती-फिरती बुनियादी सेवाओं के लिए सब्सिडी दिए जाने की व्यवस्था है। संबद्ध राज्य सरकारें भी अपनी वर्तमान मंडियों का आधुनिकीकरण कर सकती हैं और फलों, सब्जियों तथा फूलों की मार्केटिंग के लिए संबद्ध क्षेत्रों में मंडियों को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस कर सकती हैं। सरकार ने योजना के तहत वर्ष 2005-06 और वर्ष 2006-07 के लिए 190 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। □

जनजातीय मामलों के लिए मंत्रिमंडलीय समिति

वर्षों तक अपने अधिकारों से वंचित रहने के बाद आखिर जनजातीय लोगों को कुछ राहत की उम्मीद बंधी है। जनजातीय लोगों के बीच व्याप्त सामाजिक-आर्थिक विसंगतियां दूर करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्र की संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने जनजातीय मामलों से संबंधित एक मंत्रिमंडलीय समिति का गठन किया है।

गृहमंत्री शिवराज पाटिल की अध्यक्षता में गठित इस नए पैनल में छह वरिष्ठ मंत्री भी सदस्य होंगे।

ये हैं : जनजातीय मामले और पूर्वोत्तर विकास मंत्री पी.आर. काईंडिया, ग्रामीण विकास मंत्री रघुवंश प्रसाद, पेट्रोलियम और पंचायतीराज मंत्री मणिशंकर अय्यर, जल संसाधन मंत्री अम्बूमणि रामदोस और पर्यावरण और वन्य मंत्री ए. राजा। यह समिति :

- (क) जनजातीय लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए कानून बनाने की संभावनाओं का पता लगाएगी।
- (ख) जनजाति बहुल क्षेत्रों में भूमि सुधारों संबंधी समस्याओं को हल करेगी।
- (ग) जनजातीय लोगों को जमीन का मालिकाना हक दिए जाने की संभावनाओं पर विचार करेगी।


(स्रोत : हिन्दुस्तान टाइम्स)

स्वीकार करना चाहिए। जिस प्रकार हम चाहते हैं कि लोग हमें व हमारे विचारों को समझें, हमारे विचारों का सम्मान करें उसी प्रकार अन्य लोगों की भी ऐसी ही अपेक्षा होती है। यथासंभव दूसरों की मदद करना भी संवेदनशीलता से जुड़ा है। अगर हम वक्त पड़ने पर औरों के काम आते हैं तभी अपने

लिए भी ऐसी उम्मीद कर सकते हैं।

अपने परिवेश के प्रति जागरूक रहकर आसपास के सीख लेकर भावनात्मक बुद्धिमत्ता का स्तर ऊंचा उठाया जा सकता है। प्रशिक्षण एवं कोचिंग भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सामाजिक जीवन में अपनी स्वीकार्यता बढ़ाने में लिए भावनात्मक बुद्धिमत्ता को

विकसित करना जरूरी है। साथ ही कैरियर में सफलता हासिल करने एवं आगे बढ़ने में इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। इन दिनों संगठन भी अपनी जरूरतों के लिए जनशक्ति का चयन करते समय उम्मीदवारों की भावनात्मक बुद्धिमत्ता का मूल्यांकन करने पर विशेष रूप से जोर देने लगे हैं। □



पुस्तक - सामने का सच, लेखक: अमरेन्द्र कुमार,
प्रकाशक: पी.एन. प्रकाशन, शाहदरा, दिल्ली-110032
पृष्ठ संख्या: 88, मूल्य : 100 रुपये

सच का संक्रांत

○ गुरुचरण सिंह

को बाध्य हो जाता है। इस उपन्यास का नायक अभीक मध्यवर्गीय परिवार का महत्वाकांक्षी युवक है, जो अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए न मात्र योजनाएं बनाता है, प्रत्युत उसे अपनी निष्ठा एवं कर्मठता से कार्य रूप में भी चरितार्थ कर देता है, किन्तु जब सहयोगियों की साजिश से वह योजना विफल हो जाती है, तो वह उसी कर्मठता से उस साजिश को विफल करने का प्रयास नहीं करता, बल्कि अन्य योजनाओं को विकल्प के रूप में स्वीकार कर उसे अमली जामा पहनाने में लग जाता है। कहने का तात्पर्य यह कि किसी एक योजना के प्रति अभीक में एकनिष्ठ भाव न होकर वह विकल्प रूप में कई योजनाओं को तैयार रखता है, ताकि किसी भी योजना के माध्यम से वह अपनी महत्वाकांक्षाओं को कार्यरूप देने में सक्षम हो सके।

वह एक प्रगतिशील भावुक युवक है। कस्बाई जिंदगी की आपाधापी, स्वार्थपरता और एक दूसरे को पीछे ढकेलकर आगे बढ़ जाने की लघु लिप्सा से उसका मन क्षुब्ध हो उठता है। वह प्रेम का निश्छल संसार चाहता है जिसमें जातिवाद, संप्रदायवाद और क्षेत्रवाद वी बू भी न हो, किन्तु प्रथम श्रेणी से एम.ए. करने के बाद प्राध्यापक के रूप में उसकी नियुक्ति एक जाति विशेष के वर्चस्व वाले कालेज में हो जाती है। वह पूरे मनोयोग से अध्ययन एवं अध्यापन में जुट जाता है। अभीक की पत्नी ममता को भी अपने पति के शिक्षक होने पर गर्व है। वह कहती है- “किसी आफिसर से शिक्षक ज्यादा प्रतिष्ठित होता है। अधिकारी का रोब हो सकता है, लेकिन समाज में उसे शिक्षक की तरह सम्मान नहीं मिल सकता।” वह भी एम.ए. करके शिक्षिका बनना चाहती है, जिसे प्रगतिशील अभीक प्रोत्साहन देता है और उसका नामांकन पटना विश्वविद्यालय में करवा देता है।

प्राध्यापक बनने के साथ ही अभीक की

महत्वाकांक्षाएं आसमान छूने लगती हैं और वह अपने मित्रों की सलाह से ‘प्रशांत’ नामक साप्ताहिक अखबार निकालना शुरू कर देता है। वह एक योग्य प्राध्यापक, सशक्त लेखक और निर्भीक पत्रकार के रूप में ख्याति अर्जित कर लेता है। उसकी रचनायें ‘प्रशांत’ के अतिरिक्त विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित होने लगती हैं।

जिले में स्थापित साहित्यकार एवं पत्रकार के रूप में चर्चित अभीक अपने साहित्यिक मित्रों की मदद से नया काव्यांदोलन चलाना चाहता है और प्रासिक कविता के रूप में इस काव्यांदोलन का श्रीगणेश भी होता है। विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में इस नये प्रयोग की काफी चर्चा भी होती है, किन्तु बाद में इस काव्यांदोलन का क्या हुआ, इसका जिक्र उपन्यास में नहीं आ सका है।

अभीक की पत्नी ममता एक बालिका उच्च विद्यालय में शिक्षिका बन जाती है। उसी समय अभीक की ख्याति से जलने वाले प्राध्यापक मित्रों ने साजिश के तहत कालेज की कार्यकारिणी समिति द्वारा उसे कालेज की नौकरी से हटा दिया। वह इस घटना से इतना हतप्रभ और निराश हो जाता है कि कार्यकारिणी समिति से सशक्त विरोध भी नहीं करता और न उस गलत निर्णय के विरोध में संघर्ष ही करता है। पत्नी उसे ढांडस देती है। किसी दूसरे कॉलेज में व्याख्याता की नौकरी के लिए कोशिश करने को कहती है। लेकिन हताश अभीक परिस्थितियों से संघर्ष न करके उनके आगे हथियार डाल देता है और दूसरे विकल्प पत्रकारिता को अपना लक्ष्य बनाता है।

‘प्रशांत’ अखबार के विकास पर वह पूरे मनोयोग से लग जाता है और वह अखबार भी शीघ्र ही लोकप्रिय बन जाता है। उसके पास काफी विज्ञापन आते हैं और उसके परिवार की तंगदस्ती खुशहाली में बदल जाती है। यह स्थिति भी ज्यादा दिन नहीं रहती है और अभीक

कोई व्यक्ति जब जीवन की आपाधापी में अपनी महत्वाकांक्षाओं को मूर्त रूप देने के लिए प्रतिकूल परिस्थितियों में भी संघर्ष का रास्ता अख्तियार करते हुए अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है, तो उसके साथ मित्रता का दम भरने वाले लोग ही उसे स्वार्थपरता की हद पार कर गई अपनी कुत्सित साजिश का शिकार बना देते हैं और वह हतप्रभ एवं अवाक रह जाता है। इस दंश को वह बिना कुछ कहे झेल तो लेता है, किन्तु जब कोई कथाकार अपनी इसी तरह की अनुभूतियों की अभिव्यक्ति अपने कथा-साहित्य में करता है, तो वह व्यक्ति, जो समाज के पतनोन्मुख एवं अमानवीय यथार्थ की इस घिनौनी गली से गुजर चुका है, उस कहानी या उपन्यास को पढ़कर अनायास ही कह उठता है, “अरे! यह तो मेरे जीवन का यथार्थ है।” कुछ इसी तरह की अनुभूति पत्रकार, व्यंग्यकार एवं कथाकार अमरेन्द्र कुमार के लघु उपन्यास *सामने का सच* पढ़कर होती है।

यह उपन्यास मध्यवर्गीय आदर्शोन्मुख सामाजिक यथार्थ का जीवंत दस्तावेज है, जो पढ़े-लिखे बुद्धिजीवी समाज के खोखलेपन को बड़ी संजीदगी के साथ उजागर करता है। यह उपन्यास एक ऐसे प्रतिभाशाली युवक की त्रासदी की कहानी है, जो अपनी प्रतिभा, निष्ठा, कर्मठता और तत्परता से अपने लक्ष्य तक तो पहुंचता है, किन्तु सामाजिक स्वार्थपरता, ईर्ष्या, द्वेष और वैयक्तिक अहं की टकराहट के घिनौने दुष्चक्र में फंसकर एकाकीपन का दंश झेलने

सदस्यता कूपन

नई सदस्यता नवीकरण पता बदलने के लिए

(जो लागू होता हो उस पर '✓' का चिह्न लगाएं।)

मैं (पत्रिका का नाम एवं भाषा) का

वार्षिक (70 रुपये) द्विवार्षिक (135 रुपये) त्रिवार्षिक (190 रुपये) सदस्य बनने का इच्छुक हूँ। डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर/मनीआर्डर संख्या तारीख

नाम

वर्ग विद्यार्थी शिक्षक संस्था अन्य

पता :

.....

.....

पिन

नवीनीकरण/पता बदलने के लिए कृपया अपनी सदस्य संख्या

यहां लिखें

डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर/मनीआर्डर 'निदेशक, प्रकाशन विभाग' के नाम से बनवाएं और कूपन के साथ इस पते पर भेजें :

विज्ञापन एवं प्रसार व्यवस्थापक, प्रकाशन विभाग

ईस्ट ब्लॉक IV, लेवल VII, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066

दूरभाष : 26100207, 26105590

पहली प्रति की प्राप्ति हेतु आठ से दस हफ्ते का समय दें।

को फिर एक बार सामने के सच का सामना करना पड़ता है। एक साजिश के तहत उसे आकाशवाणी संवाददाता से हटवा दिया जाता है। प्रतिस्पर्धा के दौर में विद्यापनों का भी अभाव हो जाता है और अखबार चला पाना उसके लिए असंभव हो जाता है।

अगले विकल्प की तलाश में वह सासाराम छोड़कर पटना के 'अभियान' नामक प्रतिष्ठित दैनिक अखबार में काम करने लगता है, जहां अभाव में रहते हुए भी अपनी प्रतिभा के बल पर वह काफी ख्याति अर्जित करता है और पत्रकारिता के क्षेत्र में ही जीवन के स्वर्णिम सपनों को साकार करने के लिए पूरी तन्मयता से जुट जाता है। उसकी ख्याति के साथ ही पीत पत्रकारिता की कुटिल गुटबंदी भी बढ़ती जाती है और अभीक के पर कतरने की साजिश उसके सहयोगी मित्रों द्वारा शुरू हो जाती है। अभीक के लेखन से प्रभावित होकर संपादकीय विभाग के प्रभारी के रूप में प्रबंधन उसके नाम की घोषणा करने ही वाला था कि अपने कुटिल मित्रों की साजिश के तहत कर्मचारियों के शोषण के विरुद्ध संघर्ष के नाम पर वह प्रबंधन से ही टकरा जाता है, परिणामतः उसे

'अभियान' से त्यागपत्र देकर वापस सासाराम आना पड़ता है और अभीक के आगे एक बार फिर 'सामने का सच' विकराल मुंह बाये खड़ा हो जाता है।

यहां पर उपन्यासकार ने पीत पत्रकारिता के नग्न यथार्थ को बड़े ही स्पष्ट शब्दों में सामने रखने का प्रयास किया है - "प्रबंधन पंरदे के पीछे एक रिंग मास्टर की तरह मजबूत होता है, जिसके कोड़े के इशारे पर बाहर शेर बनने वाले पत्रकार उठते और बैठते हैं। पत्रकारों की दुर्दशा का भी यथार्थ चित्रण लेखक ने प्रस्तुत किया है" - यहां लोग दूसरों के शोषण के खिलाफ लिखते हैं और खुश होते हैं और खुद शोषण और फजीहत की गंदी नाली में कीड़े की तरह रेंग-रेंग कर अपनी जिंदगी गुजारते हैं।

अंततः यह उपन्यास पढ़े-लिखे मध्यवर्गीय समाज के संत्रास, पीड़ा और घुटन को व्यक्त करता है।

समाज का पथ प्रदर्शक और युग निर्माता उच्चशिक्षा प्राप्त प्राध्यापक कालेज प्रबंधकारिणी समिति के हाथ का खिलौना होता है और समाज को शोषण से मुक्ति दिलाने

का दम भरने वाला पत्रकार प्रबंधन के आगे भीगी बिल्ली बन जाता है। ये दोनों समाज के पथ प्रदर्शक हैं, किंतु धिनौनी साजिश में लिप्त प्राध्यापकों और पत्रकारों का बौद्धिक उपयोग सृजनात्मक न होकर विध्वंसात्मक होता है। यह लेखक के सामने का सच है, जिसे बड़ी मार्मिकता, संजीदगी और सफलता के साथ इस उपन्यास में व्यक्त किया गया है।

यद्यपि लेखक ने इसे आत्मकथा कहने से इंकार किया है, फिर भी डा. सिद्धनाथ कुमार, पं. रामदयाल पाण्डेय, डा. शशिशेखर तिवारी जैसे कई वास्तविक नाम इस उपन्यास में आए हैं। कहीं-कहीं अभीक के बदले 'मैं' का प्रयोग भी लेखक को अभीक के रूप में प्रस्तुत कर देता है। कुल मिलाकर यह उपन्यास मध्यवर्गीय समाजिक यथार्थ को अभिव्यक्त तो करता है, किन्तु लेखक महत्वपूर्ण जगहों पर भी विस्तार में न जाकर कई बातें अनुत्तरित छोड़ देता है, जो पाठकों को खलती हैं। भाषा शिल्प, वाक्य विन्यास, शब्द-योजना, कथा-योजना इत्यादि दृष्टियों से यह उपन्यास नयापन लिए हुए भी परंपराओं को छोड़ नहीं पाया, जो इसकी खूबी भी है और खामी भी।

अरंड का औषधीय पौधा

○ अशोक जेरथ

अरंड एक ऐसी झाड़ी है जो वर्षभर हर स्तर पर किसी जगह, किसी भी मौसम में उग सकती है। इसकी फसल के लिए किसी विशेष जमीन की जरूरत नहीं होती है, न ही किसी खाद की और न ही उग जाने के बाद निकौनी आदि की। अरंड के झाड़ बिना किसी प्रयास के स्वयं ही उग आते हैं। यदि इसकी खेती करनी हो तो हल चलाएं और बीज बिखेर दें और समय पर फसल काट लें। इसके झाड़ प्राकृतिक तौर पर नदी-नालों के किनारे, भग्नावशेषों तथा टीलों, खलिहानों में स्वयं ही अपना स्थान पा लेते हैं। इन्हें साधारण स्थितियों के अलावा रेगिस्तानी शुष्क वातावरण भी रास आ जाता है। हर स्थिति में इसके झाड़ अपने-आपको स्थिति सापेक्ष बना लेते हैं। अत्यंत कम पानी की स्थितियों में भी इनके झाड़ पनपते रहते हैं।

इन्हें इस प्रकार बिना किसी प्रयास के उगते देखकर कौतुहल होता है और अनायास ही इसकी उपलब्धता नगण्य समझ ली जाती है। अन्यथा यह पौधा अनेक औषधीय गुण रखता है। अरंड, आरंडी, कैस्टर, कस्टैल आदि नामों से जाना जाने वाला यह पौधा अत्यंत लाभकारी है। इसका पौधा बढ़कर सात फुट ऊंचा हो जाता है और खेतों में अनचाहे मेहमानों, पशुओं और दूसरे जानवरों को जाने से रोकता है। इस प्रकार फसल बरबाद होने से बच जाती है। इस पौधे को 'इंटर क्रॉप' अर्थात् किसी दूसरी फसल में भी उगाया जा सकता है। यह झरबेरी की तरह फैल जाता है और इसके झुरमुटों पर पतंगे तथा दूसरे कीट पनपने लगते हैं जो फसलों को बरबाद करने वाले कीटाणुओं और कीड़ों को खाकर इन पौधों की सहायता करते

हैं। यही कारण है कि किमियाई दवाइयों के छिड़काव की बजाय इन झाड़ियों की फसल दर फसल लगाई जाती है— एक पंथ दो काज। इनके बीज 'पॉड' के रूप में होते हैं, खुलने पर एक फल में से आठ-दस मोटे-मोटे बीज निकलते हैं जो तेल से भरे होते हैं। इस प्रकार बिना पैसे के ये पौधे फसल की कीटाणुओं से रक्षा करते हैं, बिना उक्त फसल की रचनात्मक प्रक्रिया को छेड़े अन्यथा किमियाई स्प्रे इन फसलों पर चरने वाले कीटाणुओं और कीड़ों का अंत तो करते ही हैं साथ ही फसल के रचनात्मक रूप को भी प्रभावित करते हैं जिससे सब्जियां आदि खराब हो जाती हैं। उनका स्वाद खराब हो जाता है पर अरंड के पौधे ऐसा कोई प्रभाव नहीं डालते अथवा उनके ऊपर पनपने वाले पतंगे इन कीटाणुओं को चुन-चुन कर खा जाते हैं। बदले में ये अरंड के पौधे तेल भरे बीज देते हैं।

आरंडी का तेल कब्ज की अचूक दवा है। अक्सर कब्ज के रोगियों को तेल पिलाकर तुरंत आराम पहुंचाया जाता है। अनेक बार रूई के तूम्बे को तेल में भिंगोकर बाहरी भागों में लगाया जाता है— यह तुरंत आराम पहुंचाता है। अपने अद्भुत औषधीय गुणों के आधार पर अरंड का उपयोग आदि काल से यूनान, फारस, मिस्र, रोम, भारत आदि में होता रहा है। दक्षिणी अमरीका के वासी रेड इंडियन परंपराओं के अनुसार औषधीय पौधों के जानकार ही नहीं इनके प्रयोगों में भी प्रवीण होते हैं। वे इसके बीजों को कच्चा चबा जाते हैं जिससे उन्हें पेट की बीमारियों से राहत मिलती है। इसके बीज के छिलकों को उतार कर बीज को पेट अथवा कमर के उस भाग पर रगड़ा जाता है जहां दर्द

हो। छिलका उतारे बीज रगड़ने से मरीज को राहत मिलती है। गुर्दे और पित्ति के दर्द की भी यह अचूक दवा मानी जाती है। युद्ध के बाद अरंड बीजों को मसलकर उसका तेल अपने जख्मों पर लगाते हैं तो जख्म तुरंत भर जाते हैं और उनका निशान तक बाकी नहीं रहता।

हाल के अनुसंधान से यह बात साफ हो गई है कि आरंडी का तेल रक्त के बहाव को दुरुस्त करता है, रक्त में प्रवहमान वसा के आधिक्य को रोकता है, और मेदे के रोगों का निदान करता है। गुर्दे के रोगग्रस्त हो जाने पर पेशाब बंद हो जाता है तो बेहद तकलीफ होती है। पर इसका सेवन न केवल इस दर्द को कम करता है अपितु पेशाब के बहाव को निरंतरता देता है। गठिया रोग, सरदर्द, पेट दर्द आदि की यह अचूक दवा है। पर इसका स्वाद तथा गंध बकबकी होती है। अतः इसकी एक बूंद को भी पीना अति कठिन तथा दुस्साहस भरा कार्य होता है। अतः बहुधा इसका प्रयोग शरीर के बाहरी अंगों पर मालिश के तौर पर किया जाता है। बाजार में इसके पैकट भी मिलते हैं। इसे शरीर के तापमान से थोड़ा ज्यादा गर्म किया जाता है। अनेक बार इसके डिब्बे को रोगग्रस्त अंग पर लगाया जाता है अथवा फिर बांध दिया जाता है। फिर ऊपर से साफ और सूखे वस्त्र से ढक दिया जाता है। इसका प्रयोग तिलों पर और चमड़ी के रोगों के निदान के लिए भी किया जाता है। यह इतना लाभदायक और सुखदायक होता है कि इसे 'पामा क्रिस्टी' अर्थात् ईसा मसीह के हाथ की संज्ञा दी जाती है। □

(लेखक आकाशवाणी शिमला के केंद्र निदेशक हैं)



हिन्दी माध्यम में सर्वोच्च
राहुल रंजन महिवाल 49 वां
IAS

असूरीय मौलान ए।
मुझे अपने शिक्षण विधि में
2001 तक की उच्च शिक्षण की
दृष्टि से इस अवधि में जो का ही मेरी
इस कक्षा में अपने प्रवेश से पहले आपका
कोई सुझाव है * प्रश्न उत्तर प्रारंभिक
का तब का अंगण के विधि रणनीति की
कुशलता से (तबका हीन के विधि से
कुशलता से) प्रश्न प्रश्न के प्रारंभिक-30
प्रश्न के प्रारंभिक प्रश्न प्रश्न प्रश्न प्रश्न
24 प्रश्न प्रश्न प्रश्न प्रश्न प्रश्न प्रश्न

आपका अंगण
Rahul Ranjan Mahiwal



कृष्ण कु. निराला 110 वां
IAS

परीक्षा के समय प्रश्न (41)
को ध्यान से पढ़ना ही।
इसके बाद प्रश्न प्रश्न प्रश्न प्रश्न प्रश्न प्रश्न
इसके बाद प्रश्न प्रश्न प्रश्न प्रश्न प्रश्न प्रश्न
को ध्यान से पढ़ना ही।
2001-2004 में कुल 360 अंक प्राप्त
इस प्रश्न प्रश्न प्रश्न प्रश्न प्रश्न प्रश्न
प्रश्न प्रश्न प्रश्न प्रश्न प्रश्न प्रश्न

आपका अंगण
Krunal K. Nirala



संतोष करनानी 171 वां

Certainly General Studies has
contributed to a greater extent
to my success. Because of the
proper guidance by Srivastava
Sir particularly in developing
writing skills, I have secured
358 marks in G.S. This
includes 148 in Paper I and 210
in Paper 2

Santosh Karanani



पुनम 95 वां



मनोज कु. शर्मा 121 वां



आनन्द कुमार 237 वां



गुपिन गुप्ता 254 वां



परवथि 255 वां



यामिनी 296 वां



अजय कु. केशरी 297 वां



सतिश वारशाह 300 वां



विनाय कुमार 303 वां



राम वावू 304 वां



मनोहर अंकण 309 वां



सत्य कुमार 311 वां



परवतल कुमार 356 वां



सीतारा राम मीणा 398 वां



संतोष कु. वेरमा 416 वां

DISCOVERY

IAS/PCS

का नया कीर्तिमान 19 सफलताओं के साथ, जिसमें हिन्दी माध्यम में सर्वोच्च स्थान प्राप्त राहुल रंजन महिवाल और सामान्य अध्ययन में कुल 360 अंक प्राप्त करने वाले कृष्ण कुमार निराला, 358 अंक प्राप्त करने वाले सन्तोष कु. करनानी शामिल हैं। साथ ही C.S.E. 2004 में शामिल हमारे संस्थान के अभ्यर्थियों का सा० अध्ययन में प्राप्तांक 282, 297, 310, 322, 331, 336, 336, 348, 353, 358, 360 रहा है। जो हमारी 'सुधार आधारित विकास कार्यक्रम' (R.B.D.P.) की लक्षित एवं तार्किक रणनीति की सफलता को प्रमाणित करता है।

टारगेट- "मैस" (Target-main's)-2005

(मुख्य परीक्षा 2005 में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के लिए)

कक्षा प्रारंभ- प्रा. परीक्षा परिणाम के तत्काल बाद

सामान्य अध्ययन

-सी.बी.पी. श्रीवास्तव, अनिल केशरी एवं अन्य

सी.बी.पी. श्रीवास्तव के निर्देशन में 'डिस्कवरी' द्वारा संचालित सामान्य अध्ययन की कक्षा की सफलता का प्रमाण C.S.E. मुख्य परीक्षा 2003 तथा 2004 का प्रश्न पत्र था। इसी कड़ी में मुख्य परीक्षा 2005 को लक्षित कर कक्षा का संचालन।

कक्षा की रूपरेखा

- प्रतिदिन तीन घंटों की कक्षा लगभग 1½ माह तक।
- प्रत्येक खंड की विषयवस्तु पर विश्लेषणात्मक चर्चा के साथ-साथ अध्याय से संबंधित संभावित प्रश्नों का उत्तर प्रारूप।
- प्रतिदिन कक्षा में संभावित प्रश्नों का शब्द सीमा में उत्तर लेखन- अभ्यास और उसका तत्काल मूल्यांकन।
- महत्वपूर्ण/अतिमहत्वपूर्ण प्रश्नों के मानक उत्तर की उपलब्धता।
- समसामयिक घटनाक्रमों पर विस्तृत चर्चा के साथ विशिष्ट अध्ययन सामग्री।
- परीक्षा भवन जैसे वातावरण में तीन जॉब परीक्षाएं।

निबंध- डॉ. लाल बहादुर वर्मा एवं सी.बी.पी. श्रीवास्तव

- विषयवस्तु की समझ, लेखन शैली का तकनीकी पक्ष (विशेषकर अभिव्यक्ति व क्रमबद्धता), भाषागत सटीकता पर विशेष बल।
- संभावित 'टॉपिक' पर अध्ययन सामग्री तथा लेखन अभ्यास।

इतिहास

डॉ. हरिश्चन्द्र वर्मा
→ डॉ. लाल बहादुर वर्मा एवं प्राचीन भारत के विशेषज्ञ

लोक प्रशासन → दिवाकर गुप्ता

भूगोल → अनिल केशरी

हिन्दी साहित्य → अजय अनुराग
(भाषा विज्ञान व व्याख्या पर विशेष कक्षाएं)

ENGLISH Comp. → ALOK KUMAR

नामांकन प्रारंभ

DISCOVERY

...Discover your mettle

Contact us at: 30906050, 9313058532

B-14 (Basement), Comm. Cop. Mukherjee Nagar, Delhi-9